(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 5) सप्तम् विधान सभा के पंचम सत्र का दसवां दिवस (संख्या 8

1) (2

बुधवार
दिनांक 15 सितम्बर, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री चुन्नीलाल

सवाई माधोपुर जिले में अपराधिक घटनायें

239. **श्री चुन्नीलाल (खण्डार)** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिले के विभिन्न थानों में 1977 से चोरी, डकेती, बलात्कार, हत्या एवं राहजनी के कितने-कितने मामले किन-किन वर्षों में दर्ज किये गए ?

(2) इनमें कितने-कितने मामलों में पुलिस द्वारा न्यायालयों में चालान पेश किये गये और कितने मामले शेष हैं एवं क्यों ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, 1979 में 501 चोरियां हुई थीं इनमें से 186 के चालान किये, 1978 में 468 चोरियां हुई इनमें से 188 के चालान किये, 1979 में 642 चोरियां हुई उनमें से 205 के चालान किये, 1980 में 587 चोरियां हुई जिनमें से 196 के चालान किये, 1981 में 512 चोरियां हुई जिनमें से 121 के चालान किये। ये जितनी भी चोरियां हुई, बाकी चोरियों के बारे में क्या कहा जा रहा है ? 1977 से 1982 के मामलों में सम्पूर्ण चोरियां बरामद नहीं

Page No 2

(श्री चुन्नीलाल)

होने के क्या कारण हैं ? इसी प्रकार से डकैतियां 1977 में 6, 1978 में 9, 1979 में 14, 1980 में 14, 1981 में 12 और 1982 में 9 । इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, बलात्कार में भी प्रोग्रेस हुई है । राहजनी में, 1977 में 109, 1978 में 39, 1979 में 68, 1980 में 55 और 1981 में 86 मामले हुए हैं

श्री प्रद्युम्नसिंह : पढ़िये आप, मैं अभी बता देता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं ।

श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : इसकी तुलना जनता शासन से की जा रही है ।

श्री यदुनाथ सिंह : हम तो नालायक थे तुम भी नालायक हो गये क्या ?

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, चोरियां बढ़ रही हैं, पेन्डिंग केसेज का अब तक निबटारा नहीं होने का क्या कारण है ?

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : डाकुओं को भरतपुर तक ही रखो ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अब तो धौलपुर तक ही रखो ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आंकड़े आपके सामने मौजूद हैं आप मुलाहिजा फरमाइये–1977 में 505, 1978, में 468, 1979 में 643, 1980 में 587, 1981 में 512, और अगस्त, 1982 तक 349, यह मैं इसलिए कहता हूं, आप देखेंगे, 1979 में इनके राज में मैक्सिमम केसेज रजिस्टर हुए 643 ।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (वेगूं) : सबसे अधिक चोरियां किस साल में हुईं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : 1976 में,

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : डकैतियां कब हुईं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

तथ्य सामने आ गये हैं, माननीय सदस्य ।

अगला प्रश्न । श्री अमीन खां ।

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का प्रश्न है। मुझे एक प्रश्न पूछने की इजाजत दी जाय।

माननीय मन्त्री महोदय ने जो आंकड़े दिये हैं, उन्होंने 1981 में बलात्कार के 11 मामले बताये हैं जब कि मुझे एक प्रश्न के जवाब में 16 केसेज बताये हैं। इसका मतलब है, आंकड़े छुपाये गये हैं। यह मेरे पास इनका जवाब है।

श्री अध्यक्ष : अगल से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष, महोदय ये सही कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तत्काल जो सूचना मन्त्री जी के पास थी वह दे दी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर जिले में मौजूदा थानों में 1977 से चोरियां, डकेतियां, बलात्कार, हत्याओं, राहजनी के कितने मामले किस-किस वर्ष में दर्ज किये गये, मैंने इसका स्टेटमेंट सदन की मेज पर रख दिया है। माननीय सदस्य का कोई अलग से प्रश्न है और प्रश्न के उत्तर में कोई विरोधाभास है तो उसकी सूचना मुझे देवें। पहले नोटिस देवें, उसके पश्चात् मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री अमीन खां।

जिला बाड़मेर एवं जैशलमेर की पंचायत समितियों में रिक्त पद

240. श्री अमीन खां (शिव) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में पंचायत समितियों में कुल कितने पद रिक्त हैं और कब से हैं ?

(2) रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ?

राज्य मन्त्री पंचायत (श्री शीश राम ओला) (1) जिला बाड़मेर की पंचायत समितियों में कुछ 112 पद एवं जिला जैशलमेर की पंचायत समितियों में कुल 18 पद रिक्त हैं, पदों की संख्या एवं ये पद कब-कब से रिक्त हैं, इसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारियों, लेखाकर, कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ अभियन्ता, ग्राम सेवकों एवं अध्यापकों के पदों को शीघ्र ही भरे जाने की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रति-

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

बन्ध हटाये जाने पर अन्य पदों की पूर्ति हो सकेगी ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, तीन चार वर्षो से 65 मास्टरों के पद खाली हैं। पंचायतों में सिंगल टीचर स्कूल होते हैं वहां भी पद खाली पड़े हैं। 6–6 पंचायतों के ग्रुप सचिव के रूप में एक ग्राम सेवक होता है। पंचायत समिति शिव में 11 पंचायतें हैं। आप जानते हैं वहां पर एक-एक पंचायत 50-60 किलोमीटर से भी ज्यादा का क्षेत्र है और एक ग्राम सेवक....

श्री अध्यक्ष : इससे भी ज्यादा दूरी होती है।

श्री अमीन खां : इनका क्षेत्रफल 60 किलोमीटर तक का है। एक भी पंचायत सही काम नहीं कर रही है। सारा काम पंचायतों का ठप्प पड़ा हुआ है। जो सिंगल टीचर स्कूल हैं, वहां पर टीचर का पद और ग्राम सेवक का पद कब तक भर सकेंगे ?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि कुछ पद रिक्त पड़े हैं। चयन आयोग का गठन नहीं होने से इसकी पूर्ति नहीं हो पायी है। अब सरकार इसको जल्दी ही गठित करने का प्रयत्न कर रही है और तीन महीने के अन्दर यह कोशिश की जायगी।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, जब प्राथमिक शालाओं में अध्यापक मौजूद नहीं हैं तो फिर किस प्रकार से तीसरी कक्षा वालों को चौथी कक्षा में भेज दिया जाता है ?

श्री शीशराम ओला : अस्थायी व्यवस्था है उसके तहत....

श्री देवदत्त तिवाड़ी : नहीं है।

श्री शीशराम ओला : आप पूरी बात सुनने की कोशिश कीजिए।

हर जगह तीन महीने के लिए उनको नियुक्त किया जाता है, बाद में यह अवधि बढ़ती रहती है। जैसलमेर और बाड़मेर की अलग बात है, वहां पर आम तौर से जिनको नौकरी की जरूरत होती है वह चले जाते हैं और उनकी नियुक्ति की जाती है। बाद में वह आकस्मिक छुट्टी वगैरह लेकर चले जाते हैं। वस्तुस्थिति यह है। आप कहते हैं कि इतने पद रिक्त हैं वास्तव में उतने पद रिक्त नहीं हैं। फिर भी जो पद रिक्त हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री रामसिंह।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : पिछली दफा यह

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

आश्वासन दिया गया था कि सिंगल टीचर स्कूल के अध्यापक जरूर पहुंच जायेंगे। लेकिन अभी भी आठ-आठ पाठशालायें खाली पड़ी हुई हैं।

श्री सुनील विश्नोई (सूरतगढ़) : जैसलमेर और बाड़मेर की कई पंचायत समितियों के अन्दर जो स्कूल हैं उनमें 50 बच्चों पर एक अध्यापक है, जब कि होना यह चाहिये कि 50 बच्चों पर 3-4 अध्यापक हो। जो 500-500 की आबादी वाले गांव हैं वहां पर भी यही व्यवस्था है। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इन पंचायत समितियों में स्कूलों और बच्चों की संख्या देख कर अध्यापकों की नियुक्ति करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शिव पंचायत समिति में पिछले सवा दो साल से 12 स्कूलों में कोई भी अध्यापक नहीं है?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि शिव पंचायत समिति में 21 पद रिक्त हैं। वहां पर 15 अध्यापकों की कमी है, वह भी जुलाई में हुई। जहां भी इस प्रकार की कमी है उसको निश्चित रूप से पूरा किया जायेगा।

यह जो प्रश्न पूछा गया, बाड़मेर और जैसलमेर के बारे में कि वहां कितनी पंचायत समितियों में कितने पद रिक्त है। तो इसकी डिटेल मेरे पास नहीं हैं, मैं जानकारी करके आपको बता दूंगा। आप अलग से प्रश्न पूछ लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुंदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव होना चाहिये....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं। आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कृपया सहयोग दें।

श्री मेघराज तावड़ : 21 जगह खाली हैं उसके लिये कह दिया 15 स्थान रिक्त हैं। सरकार महसूस तो करे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। आपने काफी समय ले लिया है। एक जनरल प्रश्न पूछा गया था, मन्त्री जी ने उत्तर दे दिया। किस पंचायत समिति में कितने अध्यापक हैं, इसकी जानकारी माननीय सदस्य अगर लेना चाहें तो अलग से प्रश्न उठा सकते हैं।

Page No 6

(श्री अध्यक्ष)

अगला प्रश्न, 241।

बीकानेर एवं चूरू जिले
में खनिज उत्खनन

241. श्री सुरजा राम टॉक (नौखा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पिछले दो वर्षों में बीकानेर व चूरू जिले में कौन-कौन सी तहसीलों में कौन-कौन सी खानों का उत्खनन हो रहा है?

(2) क्या इन खानों पर मजदूरों के लिए पेयजल, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा तथा श्रम कल्याण केन्द्र आदि की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार बीकानेर चूरू जिले की समस्त खानों के उत्खनन के पट्टे इसी क्षेत्र के कृषक ग्रामवासियों, भूमिहीन मजदूरों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार स्नातकों के नाम आवंटित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या बीकानेर व चूरू जिले के खनिज विभाग से प्राप्त आय में पिछले वर्षों में वढ़ोतरी हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) खनिज विभाग के जिला बीकानेर स्थित कार्यालय में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी हैं और उनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति है?

राज मन्त्री, खनिज (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) बीकानेर व चूरू जिलों की जिन तहसीलों में जिन खनिजों का उत्खनन हो रहा है उनकी सूची परिशिष्ट "क" पर दी गई है।

(2) खनिज विभाग द्वारा खनन पट्टे आवंटित किये जाते हैं। खानों पर मजदूरों को पेयजल आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था पट्टेधारियों द्वारा की जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम कल्याण आदि की व्यवस्था से खनिज विभाग सम्बन्धित नहीं है।

(3) जी हां। परन्तु क्षेत्रीय आधार पर ही पट्टे दिये जाना नियमों के अन्तर्गत सम्भव नहीं है।

(4) जी हां, आय में बढ़ोतरी हुई है।

(5) बीकानेर स्थित कार्यालय में एक अधिशासी व 22 कर्मचारी हैं। इनमें से तीन कर्मचारी अनुसूचित जाति वर्ग के हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

Page No 7

श्री सुरजाराम टॉक : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक पहाड़ी है, जिसमें से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं वहां पर मिनी सीमेण्ट कारखाना लगाने की बात चल रही हैं। साथ में वहां पर मिनरल निकालने के लिए मशीन लगी हुई है। क्या यह स्कीम सरकार के पास विचाराधीन है? वहां पर काफी मजदूर लगे हुए हैं, उनकी जान हमेशा जोखिम में रहती है। क्या उनको किसी प्रकार का मुआवजा देने की बात भी है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, नोखा तहसील के अन्दर अभी तक सीमेण्ट कारखाना लगाने की बात विचाराधीन नहीं है, न ही इसके लिए कोई आवेदन-पत्र आया है और न वहां मशीन लगाने की बात है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में कोलायत में वाइट क्ले, चाइना क्ले, आदि का खनन होता है, जैसा कि मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में फर्माया, उने मजदूरों को चिकित्सा, पेयजल की सुविधायें उपलब्ध होती हैं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि खनन पट्टे आवंटन करते हैं तो उसके अन्दर यह शर्त होती है कि जब वह उस खान से खनन कर लेगा तो जो गड्ढ़ा हो जायेगा उस गड्ढ़े को भी उसको भरना पड़ेगा। क्या यह सही है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, गड्ढ़ा भरने की बात है। पहले देखा जाता है कि मिनरल अवेलेबल है। यह बात....

श्री अध्यक्ष : यह इलाका दूर का है। आपके पास नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वहां वायोलेशन किसने किया है, यह बतायें। उसके बाद जवाब-तलब किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री मेघराज तावड़। अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायें।

श्री मेघराज तावड़ : इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने लोगों ने अर्जी दी है उसमें से किसी को भी खनन पट्टा आवंटन नहीं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। पहले प्रश्न कर्ता को अवसर दिया जायेगा।

श्री सूरजामल टॉक : नोखा और अजमेर के बीच जो हजारों बीघा जमीन पड़ी है उसको अगर वेरोजगार लोगों क दिया

(9)

(श्री सुरजमल टॉक)

जाये तो काफी बेकारी मिट सकती है। आपको चाहिये उसको अलाट करवा दें। वहां जो पहाड़ी है उसमें खानों में कई घपले हुए हैं, अनियमिततायें हुई हैं, आप इसकी जांच करवाये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जहां तक इरेगुलेरिटीज बरतने का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इसकी जानकारी वह मुझे दें। मैं निश्चित रूप से जांच कराऊंगा। यदि नियमों का उल्लंघन किया है, अनियमिततायें बरती हैं, तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

एक प्रश्न और माननीय सदस्य ने पूछा कि रिजर्व एरिया बहुत पड़ा हुआ है, उसका कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। वह समस्या है, बहुत सारा एरिया वर्षों से रिजर्व चला आ रहा है। सर्वे करने के लिये एरिया को रिजर्व कर लेते हैं इस कारण से उसमें खनन नहीं हो पाता है। थोड़े दिन पहले मैंने आदेश जारी किया है कि जिन एरियाज को एक साल से ज्यादा समय हो गया है रिजर्व्ड किये हुए, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, इस बारे में सरकार को अवगत कराया जाय। जो एरिया एक साल से अधिक समय तक रिजर्वपड़ा हुआ है, अगर उसका टाइम एक्सटेंड करना है फरवर सर्वे के लिये तो राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से उस एरिया के रिजर्वेशन का जो पीरियड है वह बढ़ाया जायेगा। इस प्रकार के आदेश प्रसारित किये गये हैं राज्य सरकार की तरफ से इससे जो रिजर्व एरिया करके डालने की नीति थी उसमें काफी परिवर्तन आयेगा और निश्चित रूप से उत्साहजनक परिणाम निकलेंगे भविष्य में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। आर्डर प्लीज। मैंने अगला प्रश्न पुकारा है।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। कृपया बैठ जायें।

श्री मेघराज तावड़ : भाग (3) में अनुसूचित जाति व जनजाति के बेरोजगार स्नातकों के लिये पूछा है ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दूंगा। कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री मेघराज तावड़ : यह अनुसूचित जाति के लोगों का सवाल है ...

Page No 9

श्री अध्यक्ष : अब आपकी हर चीज में अनुसूचित जाति का प्रश्न आयेगा। आप सबमें निवेदन करें यह कोई जरूरी नहीं है।

डा० उजला अरोड़ा।

जयपुर स्थित मन्दिरों को भोग की राशि

242. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या देवस्थान राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर देवस्थान विभाग द्वारा संचालित कितने मन्दिर हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग द्वारा संचालित मन्दिरों में सन् 1975 से प्रति मन्दिर भोग के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत थी?

(3) क्या यह सही है कि 1981-82 व 1982-83 में सरकार ने भोग के लिये स्वीकृत राशि को कम किया है? यदि यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है?

राज मन्त्री देवस्थान (श्री घासी राम यादव) : (1) देवस्थान विभाग द्वारा जयपुर में 49 मन्दिरों का संचालन किया जाता है। सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। वर्ष 1981-82 के वित्तीय वर्ष में भोगराग की राशि में कटौती नहीं की गई है। वर्ष 1982-83 में समायोजन कर कुछ मन्दिरों के भोगराग में कटौती करके दूसरे मन्दिरों के भोगराग में वृद्धि की गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री महोदय ने कहा कि भोगराशि में कटौती नहीं की गई है। जो सूची मुझे मिली है कि वर्ष 1975 से मन्दिर श्री बृजनिधिजी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर की भोग राशि 4800) थी जो 1-4-82 से 3650) की गई। तो मन्त्री ने गलत सूचना दी है....

श्री घासीराम यादव : कौन सा मन्दिर?

श्रीमती उजला अरोड़ा : 40 मन्दिरों की जो आपने सूची दी है उसमें है। मंत्री महोदय गलत उत्तर दे रहे हैं। सूची में सीधा उल्लेख है कि राशि कम की गई है। पहले जिस मन्दिर को 4800) भोग राशि में दिया जाता था उसको 3650) देते हैं। इसी मन्दिर को उत्सव के लिये 1055) मिलता था वह 500) कर दिये। इस तरह से आप सदन को गुमराह करना चाहते हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : आपकी सूची में पहला है श्री बृजनिधिजी,

(श्री घासीराम यादव)

त्रिपोलिया बाजार मन्दिर, वर्ष 1975 से उसको 4800) भोगराग मिलता था उसको आपने कर दिया 3650) यानी 1150) कम कर दिये। दूसरा मन्दिर इसी कैटेगरी में है संख्या 8 पर, श्री रामचन्द्र जी, देवस्थान कार्यालय। उसकी भोगराशि 1975 से थी 5375) उसको उसको काट कर 3650) कर दिया। इस प्रकार इन मन्दिरों में जो राशि थी उसको कम कर दिया गया। मेरा पूछना यह है कि मन्दिरों में जो आप भोगराशि तय करते हैं उसक रेशनल क्राइटेरिया क्या है? कोई क्राइटेरिया बनाया होगा।

श्री घासीराम यादव : मैंने निवेदन किया, दो तरह के मंदिर हैं देवस्थान विभाग द्वारा संचालित। एक तो प्रत्यक्ष प्रभार के करीब 40 मन्दिर हैं जब कि कुछ मन्दिरों में राशि कम मिलती थी। वहां के पुजारियों ने इस बात का रिप्रेजेन्टेशन कर दिया, एक दो ऐसे थे जिनको कतई भोग राशि नहीं मिलती थी। हमने इसका समायोजन किया। बहुत से मदिन्रों, करीव 26, का कम करके ओरों का थोड़ा-थोड़ा वढ़ाया, लेकिन भोगराशि सारी मिलाकर उससे वढ़ी। इसमें भी पिछले साल से 1975 के मुकावले बढ़ोतरी हुई, आपको नजर कैसे आई?

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो उन्होंने सूची दी है उसमें प्रत्यक्ष प्रभार के 40 मन्दिर हैं। बाकी मन्दिर और हैं। उन्होंने इतना ही नहीं किया है जो उत्सव राशि थी उसको भी कम किया। क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि कितने उत्सव मनाये जाते हैं मन्दिरों में?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। यह आपने अपने सवाल में नहीं पूछा कि अलग-अलग कौन से उत्सव होते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : किसी में 11.50 को काट कर 10) कर दिया। सब चीजों के दाम बढ़े है। भोग की चीजों के दाम भी वढ़े हैं। किस तरह से मन्त्री महोदय ने धन राशि कम की है? क्या भक्तों की संख्या कम हो गई? आपने जो नव निर्धारण किया है 1-4-82 से, एक से छीन कर दूसरे को दिया है। मन्त्री महोदय उत्तर दें कि इन मन्दिरों में कितनी पूंजी, कितने जेवर आदि हैं? उनका ब्याज भी ज्यादा बनता है?

श्री घासीराम यादव : यह जो 40 प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मन्दिर हैं उनमें हमने करीव 27 की भोग राशि बढ़ाई है, दो बिल्कुल कम थी उनकी 10) रु० मासिक थी, 30) रुपया वढ़ायी है और जिनकी 500) थी उनकी 100-100 50-50 कम की। 26 की वढ़ायी, 14 की कम की है। टोटल जो 1975 में थी 47625 वह 1-4-82 से 48120 की है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

अगला प्रश्न पुकार रहा हूं। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री राजबहादुर।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जो भोग राशि मन्दिरों की कम की गयी या बढ़ायी गई, उसका आधार क्या है।

(व्यवधान)

उन मन्दिरों की आमदनी क्या थी? राजस्थान के जिन अन्य मन्दिरों में भी भोग राशि कम थी वह बढ़ायी गयी है। इसके अलावा जब से भोग राशि बढ़ी है तब से उनकी आमदनी क्या है? इसके सम्बन्ध में आपकी नीति क्या है, आपके नियम क्या हैं? क्या आपने इसके लिये कोई आधार रखा है जिसके अनुसार मन्दिरों की भोग राशि बढ़ती है या घटती है?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मन्त्री महोदय, मन्दिरों में समाजवाद लाना चाहते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरक प्रश्न पूछा था उसका जवाब नहीं आया।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक पूरक प्रश्न मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। अगला प्रश्न। मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न।

क्या यह सही है कि जिन मन्दिरों की भोग राशि बढ़ायी गयी है उनकी राशि का दुरुपयोग होने की शिकायत राज्य सरकार के पास आई है। और इसकी जांच सहायक कमिश्नर, देवस्थान विभाग ने की थी? अगर की थी तो क्या निष्कर्ष निकला?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करे। मैंने व्यवस्था दे दी है। अगला प्रश्न। आप अलग से सूचना मांग लीजिये। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आप, माननीय सदस्य, अलग से प्रश्न के माध्यम से सूचना मांगें।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर आर्डर। अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

(12)

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था उसका जवाब मन्त्री महोदय ने नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया बैठ जाइये। आपका मन्दिरों से क्या लेना देना है। आर्डर आर्डर। नैक्स्ट, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, किस आधार पर मन्दिरों की राशि बढ़ायी या घटायी गई है, इसका मन्त्री महोदय कृपया स्पष्ट रूप से जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

राजस्थान नहर क्षेत्र में खालों के निर्माण में त्रुटि

243. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में खालों के गलत निर्माण के कारण किसानों से खालों की कीमत वसूली स्थगित करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि किसानों की इच्छा के विपरीत खालों का गलत निर्माण किया गया जिससे खेतों में पानी नहीं जाता, परन्तु किसानों से उन खालों का मूल्य वसूल किया गया है और किया जा रहा है ?

(3) क्या इस संबंध में राज्य सरकार निष्पक्ष जांच करवा कर किसानों को इस अन्याय से मुक्त करायेगी ?

(4) क्या यह सही है कि विभागीय जांच के अनुसार खाले दोष पूर्ण बने हैं और उनसे खेतों में पानी जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का संबंध कृषि विभाग से है। इसका उत्तर कृषि मन्त्रीजी अपने अगले टर्न पर देंगी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पर व्यवस्था आपने पूर्व में भी दी थी। होता यह है कि ऐसे प्रश्नों का जवाब आता नहीं है। मेरा निवेदन है कि कन्सर्न्ड मन्त्री जी को पूर्व में ही सचिवालय में आपको सूचना दे देनी चाहिये जिससे यह स्थिति पैदा नहीं हो। नहीं तो, अध्यक्ष महोदय, बार-बार इस तरह के प्रश्न आते हैं और उनका उत्तर नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : आपकी आपत्ति ठीक है।

श्री देवीसिंह भाटी : इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके लिये व्यवस्था की जाय। मैंने इस सम्बन्ध में कई बार निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आप बैठ जाइये, माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर।

आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष। माननीय सदस्य।

कृपया बैठ जायें।

नैक्स्ट प्रश्न। सुश्री पुष्पा जैन।

पुलिस विभाग में डाइरेक्टर जनरल की नवसृजित पद पर नियुक्ति

244. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : कृपया मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में डाइरेक्टर जनरल के नये पद का सृजन कर इस पद पर नियुक्ति के आदेश प्रसारित किये थे ?

(2) क्या यह सही है कि इस पद का कार्यभार किसी भी व्यक्ति ने अभी तक नहीं सम्भाला है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री गृह (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में महा निदेशक एवं पदेन महानिरीक्षक पुलिस के पद पर नियुक्ति के आदेश प्रसारित किये थे।

(2) जी हां। अभी तक किसी व्यक्ति ने उक्त पद का कार्यभार इसलिये नहीं सम्भाला है कि श्री भवानीमल के उक्त पद पर नियुक्ति के प्रसारित किये गये आदेश बाद में प्रशासनिक कारणों से निरस्त कर दिये गये।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय, यह बताने का कष्ट करें कि यह पद कब क्रियेट किया गया और उस पद को कब एबोलिश किया गया ?

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(14)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके आदेश 24 फरवरी, 1982 को हुए।

सुश्री पुष्पा जैन : क्या इस पोस्ट को को एबोलिश कर दिया गया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पोस्ट को एबोलिश करने का प्रश्न ही नहीं। जैसी कि मैंने सूचना दी है, उक्त पद पर जिस व्यक्ति को लगाया था उनकी नियुक्ति के आदेश बाद में निरस्त कर दिये गये। अतः पोस्ट एबोलिश होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि 24-2-82 को श्री भवानीमल माथुर के आदेश निकाले गये वह दिल्ली की नादिरशाही सलाह की वजह से निरस्त कर दिये गये और उस पोस्ट पर आज तक किसी व्यक्ति को डेप्यूट नहीं किया गया है ? अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह भी बतायें, क्या यह सही है कि यह पोस्ट किसी माथुर के लिये, व्यक्ति विशेष के लिये क्रियेट की गयी थी ? अगर नहीं, तो बाद में किसी दूसरे व्यक्ति को वहां पर क्यों नहीं लगाया गया ? कृपया मन्त्री महोदय इसका उत्तर दें। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप मुख्य मन्त्री जी पर लगाना चाहती हूं कि यह पोस्ट व्यक्ति विशेष श्री भवानीमल माथुर के लिये ही क्रियेट की गयी थी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या इतनी उत्तेजित होकर क्यों प्रश्न पूछ रही हैं। श्रीमन्, यह पोस्ट दिल्ली की नादिरशाही की वजह से न तो क्रियेट की गयी थी और न ही दिल्ली की नादिरशाही की वजह से एबोलिश की गयी। यह इनका गलत आरोप है कि किसी माथुर व्यक्ति विशेष के लिये यह पोस्ट क्रियेट की गयी थी। इस पोस्ट को क्रियेट करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि आज हमारे देश में कई बड़े बड़े प्रान्तों में डाइरेक्टर जनरल पुलिस की पोट्स हैं इसलिये यहां पर भी ऐसा विचार किया गया कि इस प्रकार की पोस्ट क्रियेट की जाय पर बाद में विचार विमर्श करने के बाद यह तय किया गया कि फिलहाल इस पोस्ट को नहीं भरा जाय।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने दिल्ली की नादिरशाही की वजह से नहीं कहा, मैंने तो यह कहा कि दिल्ली की नादिरशाही सलाह की वजह से श्री भवानीमल माथुर की पोस्टिंग नहीं हो सकी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह सही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या वह यह बतायेंगे कि भवानीमल जैसे सीनियर पुलिस आफिसर को कितने दिन तक एवेटिंग आर्डर्स में बैठे रहना पड़ा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : करीब तीन महीने में कुछ दिन कम रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि भारत सरकार ने श्री भवानीमल माथुर को इस पोस्ट पर रखने के लिये अनुमति नहीं दी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि श्री भवानीमल माथुर के आदेश जो निकले थे वह दिल्ली की सरकार के आदेशों की आज्ञा के बिना निकले थे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर आदेश निकलने के बाद उन आदेशों को निरस्त करने का क्या कारण रहा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : प्रशासनिक कारण है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यहां पर आपकी व्यवस्था का सवाल है । प्रशासनिक कारण कह कर सरकार अपना प्रिविलेज क्लेम करती है । ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनमें प्रशासनिक कारण हो जाते हैं जो कि हाउस में नहीं बताये जाते हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस सदन में, अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक कारण कई दफा बताये गये है ? इसमें कोई प्रिविलेज क्लेम नहीं किया गया है । प्रशासनिक कारण is a vague thing so many things are taken into consideration. मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आर०एस० आर०टी०सी० के चेयरमैन और मैनेजिंग डाइरेक्टर्स की पोस्ट का कुछ आई०ए०एस० आफिसर्स के द्वारा कार्यभार सम्भालने के लिये आई०ए०एस० आफिसर्स की एसोसियेशन के मेम्बर्स ने यह कहा कि ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर और आर०एस०आर०टी०सी० चैयरमेन के लिये पुलिस विभाग के आफिसर्स की नियुक्ति की जाये ऐसा हिन्दुस्तान में कई प्रान्तों में हो रहा है । कश्मीर में आज भी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर आई०ए०एस० आफिसर है । केरल के अन्दर कई कार्पोरेशन के अन्दर मैनेजिंग डाइरेक्टर के पद पर आई०ए०एस० आफिसर लगाये गये हैं । इसी बात के ऊपर सरकार के विचार-विमर्श और मन्त्रिमण्डल में विचार-विमर्श के बाद तय किया गया कि श्री भवानीमल माथुर की सेवायें आर०एस०आर०टी०सी० को दे दी जायें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि जिस समय श्री भवानीमल माथुर की नियुक्ति पुलिस में डाइरेक्टर जनरल की पोस्ट पर हुई उसके साथ ही उनकी नियुक्ति आर०एस०आर०टी०सी० के चेयरमैन के लिए कर दी गयी थी ? क्या उसके पहले सरकार ने विचार नहीं किया था ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह सही है, क्योंकि जब श्री भवानी मल जी के आदेश प्रसारित किए गए उसके कुछ दिन पहले ही वह अपनी पत्नी की अस्वस्थता के कारण दो

Page No 16

16

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

महीने की छुट्टी पर चले गये। फिर काफी विचार विमर्श हुआ और हमने विचार बदल दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने विचार बदल दिया या भारत सरकार ने इसके लिये स्वीकृति नहीं दी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं कह रहा हूं कि अपनी पत्नी की अस्वस्थता के कारण छुट्टी पर चले गए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मन्त्री महोदय, आप अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए किसी की पत्नी की आड़ लें या पति की आड़ लें, इससे काम चलने वाला नहीं है। यह प्रश्न बिलकुल सीधा है। आप मन से श्री भवानीमल जी की नियुक्ति करना चाहते थे और आपको भारत सरकार ने मना किया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह आपका कहना सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सही क्या है और क्या नहीं है, वह तो आप भी जानते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो है सो है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पोस्ट आज भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी 16-7-82 को डी० जी० की पोस्ट भारत सरकार ने कैडर पोस्ट मान ली है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो राजस्थान के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आज एग्जिस्ट नहीं करती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एबोलिश हो गयी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक व्यक्ति विशेष को इस पद पर लाया गया। उनके आदेश निरस्त होते ही यह पोस्ट स्वतः समाप्त हो गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, पुष्पा जी ने जो आरोप लगाया वह सही है। एक व्यक्ति विशेष के लिये पोस्ट क्रियेट की गयी और उसको नियुक्त नहीं कर पाये इसलिये पोस्ट एबोलिश कर दी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय का कहना है यह भी सही नहीं है। 16-7-82 को भारत सरकार ने डी० जी० की पोस्ट को

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कॅडर पोस्ट मान लिया और इस बात का नोटिफिकेशन हो गया । फिलहाल आदेश को स्थगित किया जाकर पोस्ट को भरना या नहीं भरना यह राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : आपने दोनों बातें कह दीं ।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या यह सही है कि भवानी मल जी को बलि का बकरा बना देने के बाद उस पद पर आपने किसी की भी नियुक्ति नहीं की है और आपको शिकायत पत्र मिला है....

श्री प्रद्युम्नसिंह यह प्रश्न सही नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री सुनील कुमार बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन नं जी० एस० आर०-499 (ई०) के द्वारा कई स्टेट्स के लिए डी0 जी० की पोस्ट रिकमण्ड हुई थी और 12 स्टेट्स में यह पोस्ट बना दी, तो क्या कारण है कि राजस्थान यह में यह पोस्ट बनाकर आप इस पोस्ट पर किसी की नियुक्त नहीं कर रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मामला विचाराधीन है ।: पुनः विचार की आवश्यकता है। यह आवश्यकता नहीं है कि किसी पोस्ट के कॅडर पोस्ट होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट उस पोस्ट को भरे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि राजस्थान की पुलिस में वरिष्ठ अधिकारियों में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको डी० जी० की पोस्ट पर नियुक्त किया जा सके ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस समय सीनियोरिटी लिस्ट मौजूद नहीं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक प्रोपराइटी का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस में सीनियर अधिकारी सिंघवी साहब हैं, सीनियर ऑफिसर श्री विश्नोई और सीनियर पुलिस आफिसर श्री डी० पी० गुप्ता हैं, आखिर तीन सीनियर आफिसर्स के करेक्टर और इन्टेग्रिटी के ऊपर रिफलेक्शन है कि श्री भवानीमलजी की नियुक्ति नहीं होगी। क्या तीनों में किसी प्रकार की कमी है ? अगर इनमें किसी प्रकार की कमियां हैं तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तीनों को हटा दें। आप इन तीनों में से किसी को नियुक्त क्यों नहीं करते हैं ? अगर आप भवानीमलजी को नियुक्त नहीं करते हैं तो सिंघवी को करें, सिंघवी साहब को नहीं करते हैं तो बिश्नोई जी को नियुक्त कीजिये और अगर बिश्नोई जी को भी नियुक्त नहीं करते हैं तो फिर डी० पी० गुप्ता को नियुक्त कीजिये। अगर इन तीनों को ही नहीं करते हैं तो फिर किसी सीनियर डी० आई० जी० को लगाइये, लेकिन किसी आफिसर की इन्टेग्रिटी पर डाउट आप नहीं कर सकते।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सरकार की तरफ से किसी आफिसर की इन्टेग्रिटी के ऊपर डाउट करने का प्रश्न नहीं है ..

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, किसी भी सीनियर आफिसर की इन्टेग्रिटी पर डाउट करने का प्रश्न नहीं है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

अंकित न हो।

एक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : सुनील कुमार विश्नोई।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पुलिस बिलकुल डिमोरेलाइज हो रही है। अमरसिंहजी रिटायर....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अलग प्रश्न है।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अमरसिंहजी की जगह इसलिये खाली है कि वह माथुर नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : तीन-तीन सीनियर आफिसर बैठे हैं पुलिस में, लेकिन किसी की नियुक्ति नहीं की है। इनकी निगाह में भवानीमलजी के अलावा कोई काबिल नहीं है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भगवानदास शास्त्री : अजमेर पूर्व) : यह जब शिक्षा मन्त्री थे तो डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन भी माथुर को ही रखा था।

श्री मेघराज तावड़ : माथुरवाद नहीं चलेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण था तभी तो मैंने ले लिया।

अगला प्रश्न : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री रामसिंह बिश्नोई : इसका जवाब तो पूरा आया नहीं।

श्री अध्यक्ष : आ गया।

श्री यदुनाथसिंह : कांट्राडिक्टरी बात कही है मन्त्री महोदय ने।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री सुनील कुमार बिश्नोई : विधान सभा में जवाब नहीं दे रहे हैं तो हमें बताइये कि कौन सा माध्यम है ?

श्री यदुनाथसिंह : पुलिस में विद्रोह हो जायेगा। राजस्थान महाराष्ट्र बन जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह बिश्नोई : आप जवाब तो दिला दें।

श्री अध्यक्ष : दिलवा दिया।

अगला प्रश्न। बैठ जायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

भूतपूर्व सरपंच सांगलिया (सीकर) के विरुद्ध शिकायतों पर जांच कार्यवाही

245. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरपंच सांगलिया (सीकर) के विरुद्ध शिकायती पत्र ग्राम पंचायत सांगलिया से जिलाधीश सीकर को प्राप्त हुये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उन शिकायतों की जांच पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा करवाई गई थी एवं जांचकर्ता ने उक्त भूतपूर्व सरपंच के खिलाफ आरोप सही पाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की सिफारिश की थी ?

(3) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट दर्ज करा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, पंचायत (श्री शीशराम ओला) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। यह जांच पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा की गई थी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले प्रशासनिक दृष्टि से जिला स्तर पर यह उचित समझा गया है कि भूतपूर्व सरपंच को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना ही निवेदन करना है कि इनके खिलाफ काम के बदले अनाज में 2 लाख के घोटाले का आरोप है। 200 आदमियों ने शिकायत की है कि फर्जी मस्टर रोल भरे गये हैं। आप प्रशासनिक जांच करा लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप इतना बता दें कि कितने दिनों में किसी भी अधिकारी, जो आपकी इच्छा हो, से जांच करा लेंगे, कितने दिनों में जांच कम्प्लीट हो जायेगी और उसके बाद में कानूनी कार्यवाही की जायेगी ? इतना विश्वास दे दें कि किस अधिकारी से जांच करायेंगे और कितने दिन में जांच कम्प्लीट हो जायेगी ?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, जांच तो कलेक्टर, सीकर के माध्यम से करवाई जा रही है। अगर माननीय सदस्य को जांच करने वाले अधिकारी के ऊपर सन्देह है ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, नहीं। कोई सन्देह नहीं है।

श्री शीशराम ओला : जिला स्तर पर करवाई जा रही है और जांच के परिणाम आते ही....

श्री घनश्याम तिवाड़ी टाइम बता दें आप। तीन महीने ले लीजिये, चार महीने ले लीजिये, पांच महीने ले लीजिये।

श्री शीशराम ओला : इसकी जांच एस० डी० एम० के माध्यम से हो रही है। जांच का रिजल्ट आते ही सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : टाइम बता दें।

श्री शीशराम ओला : दो-तीन महीने में पूरी हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मन्त्री महोदय, यह बता दें कितने समय में करा देंगे ?

श्री शीशराम ओला : कोशिश करेंगे कि तीन महीने में पूरा करा दें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

कोटड़ी सेवा सहकारी समिति लिमिटेड (भीलवाड़ा) द्वारा सीमेन्ट वितरण

246. श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटड़ी सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड (भीलवाड़ा) ने दिनांक 2-7-1981 को किन-किन राशन कार्डों पर कितने-कितने सीमेंट के थैले उपभोक्ताओं को जारी किये ?

(2) क्या जारी किये गये सीमेंट की प्रविष्ठियां राशन कार्डों पर अंकित की गई

(श्री बन्शीलाल पटवा)

थी और उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर सम्बन्धित रजिस्टर में लिये गये थे ?

(.) यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में जांच करा कर आवश्यक कार्यवाही करने का बिचार करती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मन्त्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासीराम यादव) : (1) दिनांक 2-7-1981 को कोटड़ी कृषक सेवा सहकारी संस्थान लि० द्वारा 51 सीमेंट के थैलों का वितरण किया गया। सूची संलग्न है।

(2) उपरोक्त 51 थैलों की प्राप्ति के सम्बन्धित रजिस्टर में उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर एवं निशानियां हैं तथा विक्रय राशन कार्ड के आधार पर किया गया है। राशन कार्डों में प्रविष्ठियों के सम्बन्ध में जांच किये जाने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है। राशन कार्डों के नम्बर वितरण रजिस्टर में दर्ज हैं।

(3) खण्ड (2) में उल्लिखित स्थिति के आधार पर जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

(विराम)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री बन्शीलाल पटवा : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मन्त्री महोदय ने जो रिप्लाई दिया है, उसमें इन्होंने कहा है, सीमेंट के थैले कोटड़ी कृषक सेवा सहकारी संस्थान द्वारा वितरित किये गये हैं और रजिस्टर में उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर हैं। यह सारा मामला घोटाले का है। मैं चुनौती के साथ मन्त्री महोदय को यह कहना चाहता हूं, यदि हस्ताक्षर सिद्ध करदेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो आप दे देना।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह सदन है।

श्री बन्शीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, जो ओरिजिनल बिल्स है जिसके आधार पर कोटड़ी कृषक सेवा सहकारी संस्थान ने सीमेंट के थैले बेचे हैं, विक्रय किये हैं खरीददार ने उनमें से एक पर भी हस्ताक्षर नहीं किये हैं। मेरे पास फोटेस्टेट कापी है। यह सारा गलत रिप्लाई दिया है। मेरे पास उन लोगों के राशन कार्ड्स भी हैं जिनको सीमेंट के थैले जारी किये गये बताये हैं। से उनमें किसी की भी प्रविष्ठि नहीं है। इस तरह से कोटड़ी कृषक सेवा सहकारी संस्थान ने गलत तरीके से सीमेंट को बेचा है। मैंने पिछली बार भी प्रश्न किया था और सूची दी थी। कोटड़ी कृषक सेवा सहकारी संस्थान में घोटाले हैं, अनियमिततायें हैं। दूसरे के लाइसेन्स कैन्सल कर दिये गये, लेकिन मन्त्री महोदय ने आज दिन तक उस कोटड़ी कृषक सेवा सहकारी संस्थान के लाइसेन्स को कैन्सल नहीं किया है। इस संस्थान में सीमेंट में

22

(श्री बन्शीलाल पटवा)

श्रौर अन्य सामग्री में काफी गड़बड़ियां हैं....

एक माननीय सदस्य : यह तो भाषण दे रहें हैं।

(व्यवधान)

श्री बन्शीलाल पटवा : मान्यवर, आप चाहें तो मैं सदन की टेबल पर ये फोटेस्टेट प्रतियां श्रौर राशनकार्ड रख सकता हूं। इस तरह से कृषकों के नाम से सीमेंट की चोरी हो रही है। मैनेजर सत्य नारायण ने सीमेंट वाले मामले में, खाद वाले मामले में काफी घोटाले किये हैं। उन्होंने पर्चियां लिखी हैं कि 10 कट्टे सीमेंट दे दिया जाये श्रौर पैसे नहीं लिये जायें, पांच कट्टे सीमेंट उसको दे दिया जायें श्रौर पैसे नहीं लिये जायें....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो भाषण हो रहा है।

श्री बन्शीलाल पटवा : इस तरह का घोटाला हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं हो, माननीय सदस्य।

श्री घासीराम यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो शिकायत की है वह किसी भी अधिकारी के पास नहीं है। मेरा निवेदन है उन्होंने सीमेंट बेची है तो राशन कार्ड में एन्ट्री कर दी श्रौर हस्ताक्षर भी लिये हैं। अब माननीय सदस्य कोई शिकायत भेजें तो मैं उसको श्रौर दिखवा लूंगा।

(व्यवधान)

अगर माननीय सदस्य ने बहुत गैर जिम्मेदारी की बात की है तो अलग बात है, वरना आप न चाहें तो हाई कोर्ट के जज से जांच करवा लें। अगर मेरी मिली-भगत से हो रहा है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो यह दे दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री बन्शीलाल पटवा : इसमें दो लाख का घोटाला है।

श्री घासीराम यादव : किसने दो लाख खाये, नाम बतायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है, आप उसको प्रस्तुत कर दीजिये।

अगला प्रश्न।

राजस्थान नहर पर भूमि आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र

247. श्री महेन्द्रसिंह (सांगरिया) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

राजस्थान नहर पर भूमि आवंटन के लिये कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। उनमें से कितने भूमिहीनों को भूमि आवंटन हो चुकी है, शेष व्यक्तियों को भूमि का आवंटन अब कब तक कर दिया जायगा ?

राज्य मन्त्री, राजस्थान नहर परियोजना (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी) : 2,36,371।

71653 व्यक्तियों को 13,34,501 एकड़ भूमि का स्थायी आवंटन किया जा चुका है।

21,046 योग्यता-पत्र घोषित व्यक्तियों को आवंटन किया जाना शेष है। राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के प्रथम चरण में अब आवंटन योग्य सिंचित भूमि की मात्रा बहुत कम है और वह भी अधिकतर बिखरे हुए टुकड़ों में है। इस उपलब्ध भूमि का आवंटन योग्य घोषित व्यक्तियों को किया जा रहा है। शेष रहे ऐसे व्यक्तियों को भूमि द्वितीय चरण में आवंटन करने के लिए आवंटन नियमों में संशोधन कर दिया गया है। द्वितीय चरण में भूमि आवंटन का कार्य सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के साथ ही किया जा सकेगा तथा आवंटन प्रारम्भ कर दिया गया है।

श्री महेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गंगानगर जिले में 20 हजार भूमिहीनों ने सन् 1975 में एप्लीकेशन दी थीं। उसके बाद जब 1970 में जनता पार्टी का शासन आया तो इन लोगों ने उन लोगों को जमीन दी जिनको जमीन की परिभाषा का पता नहीं। गंगानगर के जो भूमिहीन हैं, उनको ऐसी भूमि दी जा रही है जिस पर टीले हैं। अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से आपके द्वारा निवेदन है कि गंगानगर के भूमिहीनों को 16 एकड़ यानि एक मुरब्बा जमीन नहीं दे सकते हैं तो 10 बीघा, 12 बीघा ऐसी जमीन दें जो सिंचित हो। सिंचित भूमि देकर ...

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें न करें।

श्री महेन्द्रसिंह : नाम करने से तो कोई कोई फायदा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 4-5 साल से पूरे राजस्थान में वर्षा नहीं हो रही है। उन लोगों को जो अनकमाण्ड जमीन दी है उससे तो वे अपना ही पेट नहीं भर सकते हैं। क्या सिंचित भूमि देकर वहां के काश्तकारों का आप कुछ भला करेंगे ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अर्ज किया 21046 व्यक्ति, जो भूमिहीन हैं को भूमि का आवंटन करना है।

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

फेज में बहुत कम भूमि रह गई है। विपक्ष के नेता जब इधर बैठते थे तब इन्होंने अलाटमेंट बिलकुल ही बन्द कर दिया। माननीय सदस्य ने पूछा, कब तक दे देंगे, मेरी सरकार तो महत्वपूर्ण अमेण्डमेंट लेकर आई। आप फर्मायें तो मैं पढ़ दूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बातें न करें, शान्ति से सुनिये। आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : महेन्द्रसिहजी, आपके यहां के जो अलाटीज हैं वे तो जाते ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उनकी कैन्सल और होगी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : वह हमें मजबूर होकर कैन्सल करनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिए।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पढ़ने तो देते ही नहीं हैं, अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : धीमी गति के समाचार हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप को घर से टेप रिकार्ड करके लाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया शान्ति से जवाब सुनिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : Landless person of districts of Rajasthan having major or medium irrigation projects provided that for purposes of allotment of land in stage II the interse priority of those landless persons who were eligible and had applied for and were registered by the alloting authority for allotment of land in stage I. But to whom the land could not be allotted due to non-availability of land in stage I shall be reckoned from the date on which they had originally applied for land in stage II

श्री रामसिंह बिश्नोई : यह सरदार जी को समझा रहे हो या हमारे को।

श्री अध्यक्ष : पहले अवसर मैं प्रश्नकर्ता को दूंगा। अगर आप उनकी रजामन्दी से पूछना चाहें तो पूछ लीजिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम खुद किसान हैं।

श्री अध्यक्ष : अगर वह कह दें तो मैं इजाजत दे सकता हूं।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो अनपढ़ हैं, अंग्रेजी क्या समझेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप तो कोशिश करो। आपकी अन्तर्राष्ट्रीय पार्टी है।

श्री महेन्द्रसिंह : आपसे पूछ लेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजस्थान कैनाल की फर्स्ट स्टेज में कितना कमाण्ड और कितना अनकमाण्ड एरिया अभी भी सरकार के पास बाकी पड़ा है? अगर राज्य सरकार के पास फर्स्ट स्टेज का कमाण्ड एरिया पड़ा है तो क्या आप 21 हजार भूमिहीनों, जिनके प्रार्थना पत्र हैं, को भूमि का आवंटन करेंगे?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक एक। मैं अवसर दे दूंगा।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : इसी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि जो अलाटमेन्ट हुए हैं, उनमें कितने डिस्प्यूटेड केस चल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : पहले उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आने दीजिए। फिर जो इच्छुक हों उनको और आपको अवसर दूंगा।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा, जमीन फर्स्ट स्टेज में बहुत कम है और टुकड़ों में है, लेकिन फर्स्ट स्टेज में रूल 13 ए के नीचे 7949 एकड़ भूमि स्पेशल अलाटमेन्ट की है। अध्यक्ष महोदय, टाउनशिप के 8 मील चारों ओर 3044 एकड़ भूमि है जिसकी प्राइस रिजर्व है, हम चार गुना नार्मली चार्ज करते हैं। 6463 एकड़ भूमि जोड़ की अवेलेबल है। अध्यक्ष महोदय, यह जमीन उन्हीं को अलाट हो सकती है जिन्होंने इसके लिए एप्लाई किया है, जो 21046 अलाटीज बाकी हैं, उनको इस कैटेगरी में जमीन अलाट हो सकती है तो होगी। अगर इस कैटेगरी में उन्होंने एप्लीकेशन्स नहीं दी हैं तो उनको सैकण्ड स्टेज में....

श्री अध्यक्ष : लेकिन 7-8 हजार एकड़ है स्पेशल कैटेगरी तो यह 21 हजार के हिस्से आधा-आधा एकड़ आती है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं, सर। अगर 21 हजार में मैं अलाटी हूं और मैंने इस जमीन के लिये पर्टीकुलरली एप्लीकेशन नहीं दी है तो मैं एलीजिबल नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : यह तो होशियार आदमी ही दे सकता है। बाकी तो कैसे करेंगे?

(व्यवधान)

मैं अवसर दे दूंगा, पहले उत्तर समाप्त करने दीजिए। जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं उनको मैंने देख लिया है। मैं एक एक प्रश्न की इजाजत दे दूंगा।

(26)

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : उत्तर दे दिया है उन्होंने।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया तो मैं इधर से शुरू करता हूं।

श्री सुनीलकुमार।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जो जमीन अलाट की है, उनमें से कितनी मिसल ऐसी है कितने केसेज ऐसे हैं जिनकी इन्क्वायरी चल रही है ? दूसरी चीज....

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : यह नहीं। अलाटमेन्ट का है। इसमें एक-एक मिसल की तीन-तीन बार, चार-चार बार इन्क्वायरी हो, कोई टाइम लिमिट तो हो, दो बार कर ली, तीन बार कर ली, चार बार कर इन्क्वायरी कर ली। क्या इसकी सूचना मन्त्री महोदय देंगे कि कितने की इन्क्वायरी चल रही है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : इनकी तैयारी है।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं है। श्री रामसिंह।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने बताया था कि राजस्थान के अन्दर जिन अलाटीज ने एप्लीकेशन्स दी हैं, उनको पानी उपलब्ध होने के बाद ही अलाट करेंगे, यह भी इन्होंने जवाब दिया था। मैं मन्त्री महोदय को जानकारी दूं कि राजस्थान विधान सभा के अन्दर मुख्य मन्त्री ने कहा था पानी पाकिस्तान में जा रहा है और हमारे यहां कोई पानी लेने वाला नहीं है। यह भी कहा था कि हमारी नहरों की कैपेसिटी नहीं है। आप बतायें कि आपकी नहरों में कैपेसिटी नहीं है या लेने की क्षमता नहीं है या अलाटीज को जमीन में खाले बने हुए हैं। कौन सी बात है, आप सही बात तो बतायें, ताकि लोगों को ढंग से जवाब दिया जा सके। एक तरफ तो अनाप-शनाप जमीन पड़ी है, दूसरी तरफ जिन लोगों को जमीन अलाट हुई है, उन लोगों को आप पूरा पानी नहीं दे पा रहे हैं। नहर की क्षमता के बावजूद आप पानी लेने में सक्षम नहीं हैं। पंजाब वाले पानी देते नहीं हैं, उसको छिपाने के लिए कहते हैं कि कैपेसिटी नहीं है। आप बता दें कि हमारी कैपेसिटी नहीं है या पंजाब से पानी ले नहीं सकते ? जो कुछ है उससे गुजारा करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : पंजाब का केस मजबूत हो जायेगा, हमारी कैपेसिटी नहीं होने से।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मारवाड़ के लोग सीधे होते हैं।

श्री अध्यक्ष : मारवाड़ वालों को आप उधर बसायें न।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि आप मारवाड़ियों को जवाब न दें।

श्री रामसिंह विश्नोई : पानी नहीं दिया इसलिए वह हट गये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में कहा था पानी की उपलब्धता के बारे में। माननीय रामसिंह जी नहर क्षेत्र का भ्रमण शायद एक दो बार कर चुके हैं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, कई बार कर चुके हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं। अभी पधारे थे, अध्यक्ष महोदय। माननीय रामसिंह जी को यह भी पता होगा कि सेकण्ड स्टेज में जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डवलप होगा, चैक प्लेन्स बनेंगे, उसके बाद उसमें कितना कमाण्ड एरिया रहेगा, कितना अनकमाण्ड रहेगा, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट वाले जब कालोनाइजेशन वालों को देंगे तब भूमि अलाटमेन्ट के लिए अवेलेबल होगी। 21046 एकड़ का जो विपक्ष के नेता महोदय ने 1971 में अलाटमेन्ट बन्द कर दिया था, इन प्रिंसिपल रिलीफ लोगों को देने के लिए....

श्री अध्यक्ष : उनकी तसल्ली के लिए।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : तसल्ली नहीं, अध्यक्ष महोदय। इन प्रिंसिपल। जस्ट आर्डर दे दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम। समय समाप्त हो गया। विस्तृत विषय है इसलिए अब एक एक।

श्री महेन्द्रसिंह : इनका तो झगड़ा ही नहीं है।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल पर जमीन अलाटमेन्ट कराने में, जैसा मन्त्री महोदय ने कहा, नागौर के लोग आते नहीं हैं। सिर्फ मेरे एरिया में ही नहीं, ओसियां और फलौदी तहसील में भी अलाटमेन्ट की कार्यवाही की प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी है कि काश्तकार हैरान हो चुके हैं। उसकी वजह से इस कार्यप्रणाली से असुविधा हो रही है।

श्री अध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य। आपने अपनी बात कह दी।

श्री महाराम चौधरी : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अलाटमेन्ट की कार्यवाही को सरलीकृत किया जाय ताकि काश्तकार वहां जाकर खेती करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

श्री देवीसिंह, संक्षेप में।

श्री देवीसिंह भाटी : संक्षेप में ही। जैसा कि मन्त्री महोदय ने फर्माया है अपने उत्तर में कि 71753 आवंटियों को भूमि

28 (श्री देवीसिंह भाटी)

आवंटित कर दी गई है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप उनको जब आवंटन करते हैं तो उसके अन्दर यह भी लिखते हैं कि आपको सिंचित 25 बीघा भूमि आवंटित की जा रही है? क्या यह 71753 को जो भूमि आवंटित की है वह भूमि आज मौके के ऊपर सिंचित है?

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरे प्रश्न का उत्तर दिलायें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, एक साथ उत्तर देंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पहले उत्तर आने दीजिये। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दिला दूंगा। अंतिम पूरक प्रश्न, श्री महेन्द्रसिंह।

श्री महेन्द्रसिंह : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : जोर से बोलें माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्रसिंह : मन्त्री महोदय ने बताया कि इक्कीस हजार एप्लीकेशन्स अभी हमारे पास पड़ी हैं। इसके साथ ही आपने बताया कि सात हजार एकड़ हमारे पास जमीन पड़ी है और छः हजार अभी और पड़ी है। हमारा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि जिन्होंने सन् 1955 के सबूत दे रखे हैं उनको जमीन दें ताकि वे हमारे पीछे तो न पड़ें। हमारे देश की प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी है उनके प्रति उन लोगों की आस्था है और उन लोगों ने एप्लीकेशन्स दे रखी हैं, लेकिन उनको जमीन नहीं दी जा रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी, उत्तर दीजिए। सभी पूरक प्रश्नों के उत्तर एक साथ दीजिए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : अब इजाजत नहीं दूंगा, कृपया।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही प्रश्न है। मैं आधा मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अब इजाजत नहीं दूंगा। कृपया बैठ जावें।

श्री यदुनाथसिंह : हमको मिलेगी?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपको नहीं मिलेगी। आप उस कैटेगरी में नहीं आते हो। आप तो भरतपुर के जागीरदार हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री यदुनाथसिंह : हमारी कोई जागीरदारी नहीं थी ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, 71753 को जो अलाट हुई, अध्यक्ष महोदय; देवीसिंहजी ने पूछा है उसमें से कितनी सिंचित और कितनी असिंचित है। सब जानते हैं कि कमाण्ड लैंड होती है, अनकमाण्ड लैंड होती है। अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि एक कमेटी मैंने अपइन्ट की जिसका आपको अर्ज किया, श्रीमान् को मैंने चिट्ठी लिखी कि आप अपने सुझाव तो भेजो। सात महीने हो गये, अध्यक्ष महोदय, अभी तक इनका उत्तर नहीं आया....

श्री अध्यक्ष : इनका सैक्रेटेरियट कमजोर लगता है ।

श्री देवीसिंह भाटी : गलत, बिलकुल गलत है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब मैं इजाजत नहीं दूंगा । इस पर वाद विवाद नहीं होगा। मैंने उत्तर दिलवा दिया है। अब और वाद विवाद नहीं होगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वाद विवाद तो नहीं होगा, लेकिन दोनों बहिनों की लड़ाई यहां नहीं आनी चाहिए ।

(व्यवधान)

यह दोनों बहिनों की लड़ाई यहां नहीं आनी चाहिए ।

श्री देवीसिंह भाटी : बहिनें तो सालियां भी होती हैं, आप बीच में क्यों आते हो ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । उत्तर दे दीजिये । शांत रहें, माननीय सदस्य ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप सुन रहे हैं। इस 13,34,501 एकड़ में से 7,63,552 कमाण्ड लैंड है, कमाण्ड का मतलब तो आप समझते ही होंगे और 5,70,949, अध्यक्ष महोदय, अनकमाण्ड लैंड है ।....

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था....

श्री अध्यक्ष : मैं प्रश्नकाल समाप्ति की घोषणा कर दूंगा । इस तरह से वाद विवाद की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैंने एक लाइन में बिलकुल स्पेसिफिक प्रश्न किया है कि 71753 आवंटियों में से....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है । कृपया, माननीय सदस्य ।

(श्री अध्यक्ष)

कुछ माननीय सदस्यों ने पूरक प्रश्न पूछे हैं जिस पर वाद विवाद की इजाजत नहीं दे सकता। यदि माननीय सदस्यों की रुचि हो तो दो मिनट का मन्त्री महोदय को अवसर दे देता हूं। वे अपना उत्तर दे दें अन्यथा प्रश्नकाल समाप्ति की घोषणा करता हूं।

(व्यवधान)

इस पर वाद विवाद नहीं होगा, माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कमाण्ड का मतलब भी यही है, जो भूमि सिंचित है वह कमाण्ड लैंड है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं मौके पर पूछ रहा हूं। मौके पर है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : बिलकुल।

श्री अध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्यों के पूरक प्रश्नों पर आ जाइये। यह संतुष्ट हैं आपके उत्तर से।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रसिंहजी के प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया। अब तो बाकी टुकड़ों में जमीन बची है। महेन्द्रसिंहजी के अगर कोई अलाटीज ध्यान में हों तो मेरे पास 15-20 हजार टुकड़ों की जमीन है, अध्यक्ष महोदय, उसमें से अलाट कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह लाभ आप दूसरों को भी देवें ना ? अकेलों को क्यों देते हो।

श्री महाराम चौधरी : फलौदी और नागौर तहसील के एप्लीकेन्ट्स हैं....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा। माननीय श्री सी. पी. जोशी का स्थगित प्रश्न है वह फिर स्थगित किया गया।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 262 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : आप मुझ से अलग मिल लीजिए।

श्री हीरालाल आर्य : आप स्थगित करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : स्थगित यों नहीं करूंगा। माननीय सदस्य, महत्वपूर्ण समझते हैं तो और तरीके से कोशिश कीजिए।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अयानी तहसील पीपल्दा में खाद के थैलों का प्रकरण

234. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1970-71 में श्री नन्दलाल मेहर निवासी अयानी तहसील पीपल्दा, जिला कोटा द्वारा आरक्षी केन्द्र पर पंजीकृत कराये प्रकरण से सम्बन्धित यूरिया के व काला डी. ए. पी. के 420 थैले, उसे सम्भलाये गए थे ?

(2) क्या प्रकरण के वर्ष 1974-75 के निर्णयोपरान्त भी उक्त 420 खाद के थैले श्री नन्दलाल से लेकर अधिकृत व्यक्ति को अभी तक नहीं सम्भलाये गए हैं ? यदि ऐसा है, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ये थैले श्री किस्तूरचंद को सुपुर्द किये गये थे।

(2) अदालत के निर्णय के अनुसार यह थैले असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसायटी कोटा को दिये जाने थे मगर इन्होंने अभी तक किस्तूरचन्द से उपरोक्त थैले नहीं सम्भाले हैं।

थाना केशोरायपाटन में दर्ज चोरी की रपट

235. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि थाना केशवराय पाटन, जिला बून्दी में दिनांक 27 व 28 दिसम्बर, 1981 को चोरी होने की रपट दर्ज हुई है ? यदि हां, तो किसके द्वारा रपट दर्ज कराई है तथा चोरी में कितना माल गया बताया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त चोरी का माल बरामद कर चोरों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री गिरीशदत्त ब्राह्मण, निवासी केशोरायपाटन द्वारा चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें 50 हजार का माल चोरी जाना बताया गया।

(2) जी नहीं। अभी अनुसंधान जारी है।

पाली जिले में राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या एवं राष्ट्रीय ध्वज का अपमान

236. श्री भैरूं सिंह गुर्जर (खारची) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

क्या जिला पाली के गांव आडवा में राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारने एवं गांव जाडण में स्वतन्त्रता दिवस पर असामाजिक तत्वों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने की घटनायें हुई हैं ? यदि हां, तो इन घटनाओं के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोर्ट एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गांव आडवा में मोर मारने की घटना हुई थी। मगर जाडण गांव में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने की कोई घटना घटित नहीं हुई। मोर मारने की घटना के सम्बन्ध में राजस्थान प्रिजीवेशन आफ सरटेन एनीमल्स एक्ट, 1950 की धारा 4 के अन्तर्गत इस्तगासा न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। जो विचाराधीन न्यायालय है।

जिला भरतपुर में नीम हकीमों द्वारा नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन

237. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में नीम हकीमों द्वारा नेत्र चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर कई व्यक्तियों का ऐसा उपचार किया जिससे वह काने या अन्धे हो गये ? यदि हां, तो इस जिले के किन-किन थानों में किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध कब-कब इस सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज हुई हैं ?

(2) किन-किन व्यक्तियों का अब तक किन-किन धाराओं के अन्तर्गत चालान किया गया है और किन-किन के विरुद्ध मामले पुलिस अनुसन्धान में हैं ?

(3) उक्त मामलों की जांच से कितने व्यक्तियों का अन्धा या काना होना पाया गया और कितने व्यक्तियों की ज्योति कम हो गई ?

उत्तर

(1) जी हां। वांछित सूचना संलग्न है।

(2) वांछित सूचना सूची में वर्णित है।

(3) वांछित सूचना सूची में वर्णित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

राज्य में हरिजनों पर हमले

238. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1980-81 से अगस्त, 1982 तक हरिजनों पर हमलों की कितनी वारदातें हुई ?

(2) इन वारदातों में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई व कितने घायल हुए ? कृपया जिलेवार सूचना सदन के पटल पर रखें।

(3) उक्त हमलों को रोकने के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980 से अगस्त, 1982 तक दो साल आठ महीनों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों के व्यक्तियों पर 646 वारदातें हुईं।

(2) उक्त अवधि में इन वारदातों में 107 व्यक्तियों (अनुसूचित जाति/जनजाति) की मृत्यु हुई एवं 677 व्यक्ति (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) घायल हुए। जिलेवार सूची संलग्न है।

(3) पुलिस मुख्यालय पर अपर महा-निरीक्षक की देख-रेख में एक विशेष सैल स्थापित की गई जो इन अत्याचारों से सम्बन्धित सभी मामलों का अध्ययन कर आवश्यक मार्ग दर्शन देती है। जिला स्तर पर जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक एवं ए. पी. पी. की कमेटी भी इन मामलों का अध्ययन प्रति माह करती हैं। खण्ड स्तर पर उप जिलाधीश एवं उप अधीक्षक पुलिस प्रत्येक हरिजन अत्याचार के मामलों को स्वयं मौके पर जाकर देखते है। राज्य स्तर पर भी प्रत्येक माह इन मामलों को गृह विभाग द्वारा देखा जाता है। राज्य में तीन जिलों में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। हरिजन सम्बन्धी सभी अपराधों को स्पेशल रिपोर्ट केस माना गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

शहरी एवं ग्रामीण परिवारों की औसत आय

240. श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : क्या मुख्य (आर्थिक एवं सांख्यिकी) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

31 मार्च, 1982 तक पिछले 5 वर्षों में निम्न का औसत क्या रहा :—

(i) एक शहरी परिवार की औसत आय तथा ग्रामीण परिवार की औसत आय,

(ii) 30,000 रु. या इससे अधिक औसत आय वाले शहरी तथा ग्रामीण परिवारों की पृथक्-पृथक् संख्या एवं प्रतिशत तथा शहरी एवं ग्रामीण परिवारों की आय का अनुपात,

(iii) प्रतिवर्ष 1,200 रुपया, इससे कम रुपये के आय वर्ग में शहरी तथा ग्रामीणों का प्रतिशत,

(iv) शहरी क्षेत्रों के 1% सबसे अधिक धनी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 1% सबसे अधिक धनी परिवारों की औसत आय तथा इनका अनुपात ?

उत्तर

इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है अतः कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

प्रदेश में कार्यरत पावर लूम्स

242. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस समय प्रदेश में कितने पावर लूम काम कर रहे हैं ? ये सम्पूर्ण देश के कितने प्रतिशत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि देश में सबसे कम पावर लूम राजस्थान में हैं ? यदि हां, तो सरकार इस क्षेत्र में राज्य को अन्य प्रदेशों की बराबरी में लाने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

(3) इस समय प्रदेश में कितने पावर लूमों की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र सरकार के पास विचाराधीन हैं तथा पिछले साल वित्तीय वर्ष में कितने पावर लूमों की स्वीकृति दी गई ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान को उसकी जन संख्या एवं आवश्यकता के अनुसार पावर लूमों की स्वीकृति देने में केन्द्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस के खिलाफ क्या कदम उठा रही है ? राज्य में इस साल कितने पावर लूमों की स्वीकृति दी जायेगी ? पावर लूमों के लिये किस-किस स्थान पर कितने कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा कितनों की स्वीकृति दे दी गई ? जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) इस समय राज्य में 7,949 पावर लूम कार्यरत हैं, जो देश में लगे लगभग 4,21,911 पावर लूमों का 1.88 प्रतिशत है ।

(2) जी नहीं । देश के अन्य प्रान्तों की तुलना में राजस्थान में पावर लूमों की संख्या काफी अधिक है, जो संलग्न सूची से स्पष्ट है । नये पावर लूम लगाने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है तथा राज्य सरकार समय समय पर नये पावर लूम राजस्थान को आवंटित करने हेतु लिखती रही है ।

(3) इस समय राज्य सरकार के पास 2473 पावर लूमों हेतु 55 सहकारी समितियों के आवेदन पत्र विचाराधीन हैं । पिछले वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से कोई कोटा प्राप्त नहीं होने के कारण पावर लूमों की स्वीकृति जारी नहीं की गई थी ।

(4) जी नहीं । अभी हाल ही में राजस्थान राज्य को 2000 पावर लूमों को हाथकर्घा सहकारी समितियों को आवंटित करने हेतु भारत सरकार से कोटा प्राप्त हुआ है । इतना अधिक कोटा किसी अन्य राज्य को भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है । इस वर्ष 2000 पावर लूमों की स्वीकृति दिये जाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है । अभी तक 55 सहकारी समितियों के आवेदन पत्र 2473 पावर

(उद्योग मन्त्री)

लूमों हेतु प्राप्त हुए हैं जिनके विवरण की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

प्रहरी के अपहरण का प्रकरण

243. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रहरी श्री जगदीश प्रसाद का लम्बे अर्से से अपहरण कर फरार कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसकी खोजबीन हेतु विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या श्री जगदीश प्रसाद के पिता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी थाने में फरार करने की दर्ज करवाई है ? यदि हां, तो किस थाने में तथा फरार करने का संदेह किस व्यक्ति पर व्यक्त किया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) प्रहरी श्री जगदीश प्रसाद के लापता हो जाने के कारणों का पता लगाने हेतु जिला पुलिस तथा सी.आई.डी. अपराध शाखा द्वारा उनके निकट संबंधियों विभागीय कर्मचारियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई है तथा समाचार पत्रों के माध्यम से एवं पुलिस वितन्तु सन्देशों द्वारा भारत वर्ष के सभी पुलिस अधीक्षकों को उसकी तलाश हेतु सूचना भिजवाई गई है।

(2) जी नहीं।

ग्राम पंचायत गोयन्दा (कोटा) के वार्ड नं. 8 का चुनाव

244. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमन्डी): क्या चुनाव मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की पंचायत समिति चेचट की ग्राम पंचायत गोयन्दा के वार्ड नं. 8 का चुनाव अभी तक भी नहीं हुआ है ? क्या शेष सभी वार्डों के चुनाव हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो किस-किस के नहीं हुए और क्यों ?

(2) शेष वार्डों के चुनाव कब तक करवा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। कोटा जिले की पंचायत समिति चेचट की ग्राम पंचायत गोयन्दा के सरपंच सहित 7 पंच निर्विरोध निर्वाचित हुये थे। वार्ड सं० 8 में कोई उम्मीदवार नहीं था।

Page No 36

(चुनाव मन्त्री)

(2) जिलाधीश कोटा को ग्राम पंचायत गोयन्दा के वार्ड सं० 8 के चुनाव 10 अक्टूबर, 1982 को करवाये जाने के निदेश दिये जा चुके हैं।

पाली जिले के विधान सभाई क्षेत्र

245. श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची) : क्या निर्वाचन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में कितने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हैं एवं उनके क्या-क्या नाम हैं ?

(2) क्या ये नाम पंचायत समिति या तहसीलों के आधार पर हैं ?

(3) खारची विधान सभा क्षेत्र का "खारची" नाम किस आधार पर रखा गया है जबकि वहां तहसील व पंचायत समिति का नाम सरकार ने परिवर्तित कर मारवाड़ जंक्शन कर दिया है ?

(4) क्या सरकार इस निर्वाचन क्षेत्र का नाम भी खारची के बजाय मारवाड़ जंक्शन करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) पाली जिले में 8 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हैं जिनके नाम निम्न प्रकार है :—

(159) जैतारण,

(160) रायपुर,

(161) सोजत,

(162) खारची,

(163) देसूरी,

(164) पाली,

(165) सुमेरपुर एवं

(166) बाली।

(2) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन डीलीमीटेशन अधिनियम, 1972 (केन्द्रीय अधिनियम सं० 76 आफ, 1972) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम बदलने का अधिकार भी उसी आयोग का है। राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं है।

(3) इसका उत्तर भाग (2) में दिया जा चुका है।

(4) इसका उत्तर भाग (2) में दिया जा चुका है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत निरीक्षण

247. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(1) क्या यह सही है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत दुकान एवं वाणिज्य संस्थान में तथा होटल एवं रेस्टोरेन्ट अनुसूचित नियोजन हैं ?

(2) यदि हां, तो प्रत्येक निरीक्षक द्वारा वर्ष 1981 में किन-किन उपरोक्त अनुसूचित नियोजनों में कितने निरीक्षण किये गये ?

(3) इन अनुसूचित नियोजनों में कितने मामले कम वेतन देने के प्रकाश में आये व कितने क्लेम प्रस्तुत किये गये ?

(4) क्या निरीक्षण के वक्त कम उम्र के बच्चों से भी होटल एवं रेस्टोरेन्ट में काम लिया जाना पाया गया और इस बाबत क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या इन बच्चों को 20 सूत्र कार्यक्रम के तहत कोई राहत उपलब्ध हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सूची अनुच्छेद "अ" पर संलग्न है।

(3) 149 मामले कम वेतन देने के प्रकाश में आये एवं उक्त सभी मामलों के क्लेम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

कोटपूतली क्षेत्र में सीमेंट उद्योग की स्थापना

248. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटपूतली क्षेत्र में मोहनपुरा, जोनपुरा, अजीतपुरा एवं भैंसलाना लाइमस्टोन की खानों के आधार पर सीमेंट तथा अन्य उद्योग लगाने हेतु क्या किन्हीं व्यक्तियों अथवा संस्थाओं ने या सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया ने लीज प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं ? यदि हां, तो अब तक सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

(2) क्या सरकार ने अपनी ओर से सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया को इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग लगाने हेतु कोई आह्वान किया अथवा प्रोत्साहित किया है ?

उत्तर

(1) जी हां। प्राप्त आवेदनों में सर्वश्री राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड

(खनिज मन्त्री)

इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन, जयपुर का आवेदन पत्र जिसमें उनके द्वारा संयुक्त क्षेत्र में एक मिनी सीमेंट प्लांट लगाना प्रस्तावित है, शासन के द्वारा केन्द्रीय सरकार की सहमति हेतु प्रेषित किया गया है।

(2) जी नहीं।

गारनेट की खनिज का पट्टा

249. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तंवर माइनिंग सिंडीकेट, सादुंलसिंह की नाल, गणगौरी बाजार को गारनेट की खनिज का पट्टा कब स्वीकृत हुआ, कब रजिस्ट्रेशन हुआ और कब निरस्त किया गया ?

(2) इस पट्टेधारी में भाटक, रॉयल्टी व जब्तशुदा सिक्योरिटी राशि की कितनी बकाया है, उसकी वसूली के लिये कब कब नोटिस दिये गये और तत्पश्चात् क्या कार्यवाही की गई। कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) सर्वश्री तंवर माइनिंग सिन्डीकेट को गारेनट खनिज का पट्टा शासन के आदेश दिनाक 5.3.74 द्वारा स्वीकृत हुआ। पट्टे का रजिस्ट्रेशन दि. 2.8.75 को हुआ व शासन के आदेश दि. 8.2.80 द्वारा पट्टा खंडित किया गया।

(2) चालू छमाही (2.8.82 से 1.2 83) के स्थिरभाटक की राशि 684/- रु. बकाया है अन्य कोई राशि बकाया नहीं है। इसकी वसूली हेतु कोई नोटिस आदि नहीं दिया हुआ है। बकाया का कारण यह है कि वर्तमान में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेशों के अनुसार क्षेत्र का कब्जा पार्टी के ही पास में है।

पीपल्दा क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा ऋण वितरण

250. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को पीपल्दा क्षेत्र के कितने व्यक्तियों ने किस-किस व्यवसाय हेतु जनवरी, 1981 से अब तक ऋण प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं ?

(2) आवेदनकर्ताओं में से अब तक कुल कितने व्यक्तियों को ऋण दिला दिया गया है ? कृपया नाम, पिता का नाम, पता, उद्योग का नाम, स्वीकृत ऋण अनुदान की कुल राशि आदि की पूर्ण सूचना सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से विभिन्न उद्यमियों को सुविधा-

(श्री हीरालाल आर्य)

नुसार ऋण नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस अव्यवस्था को दूर करने हेतु क्या प्रयास कर रही है ।

उत्तर

(1) पीपल्दा क्षेत्र में जनवरी, 81 से 31 मार्च, 82 तक ग्रामोद्योगों में ऋण प्राप्त करने हेतु उद्योगवार निम्न प्रकार प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ।

उद्योग	प्राप्त मांग पत्रों की संख्या
1. चर्म	26
2. सुथाई	4
3. कुम्हारी	9
4. बांसवेल	3
5. चाक	1
6. ज० दाल	1
7. तेल	1
8 आर्टवेयर	1
9. लुहारी	1
	47

(2) उक्त मांग पत्रों में से 31 मार्च, 82 तक 27 व्यक्तियों को ऋण दिया गया है । विवरण संलग्न है ।

(3) बोर्ड द्वारा खादी ग्रामोद्योग आयोग बम्बई से जो बजट प्राप्त होता है उसी के आधार पर जिलेवार व पंचायत समिति वार बजट उपलब्ध कराया जाता है । प्राप्त मांग पत्रों की तुलना में खादी ग्रामोद्योग आयोग बम्बई से बजट कम प्राप्त हो रहा है । जिसके फलस्वरूप सभी आवेदकों को ऋण नहीं मिल पाता है । फिर भी बजट की कमी के कारण जिन व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है उन्हें बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जाता है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

पाली में इन्डेन गैस कनेक्शन का वितरण

251. श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : क्या खाद्य एवं रसद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली में में इन्डेन गैस की एजेन्सी आवंटित की गई है ? यदि हां, तो किसको व किस तारीख से की गई ? इस एजेन्सी ने गैस कनेक्शन देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि गैस कनेक्शन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो जिला पाली में इसके कौन-कौन सदस्य हैं ? तथा पाली में गैस कनेक्शन हेतु कब लॉटरी निकाली गई एवं लॉटरी

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

का परिणाम क्या रहा ? यदि नहीं, तो लॉटरी निकालने में इतनी देरी क्यों की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां। श्रीमती वीना काक को इन्डियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा दिनांक 21-1-82 को नियुक्त किया गया है। जिलाधीश, पाली ने गैस कनेक्शन देने के लिए लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई थी। इसमें पहले लोगों से प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये गये। इनकी जांच एक समिति के सदस्यों द्वारा करवा कर वैध प्रार्थना-पत्रों की सूची घोषित की गई एवं प्रत्येक आवेदक को एक नम्बर दिया गया। निर्धारित तिथि को उपस्थित जनसमूह के समक्ष लॉटरी द्वारा गैस कनेक्शन हेतु प्राथमिकता निर्धारित की गई।

(2) राज्य सरकार द्वारा किसी समिति का गठन नहीं किया गया था। गैस कनेक्शन की बुकिंग के शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने की दृष्टि से जिलाधीश, पाली ने अपने स्तर पर एक समिति का गठन किया था, जिसमें निम्न सदस्य थे :—

(1) जिलाधीश, पाली (अध्यक्ष)

(2) संसद सदस्य, पाली।

(3) जिला प्रमुख, पाली।

(4) स्थानीय विधायक, पाली।

(5) पुलिस अधीक्षक, पाली।

(6) उपखण्ड दण्डनायक, पाली।

(7) सहायक पुलिस अधीक्षक, पाली।

(8) जिला रसद अधिकारी, पाली (सचिव)।

(9) आई० ओ० सी० के डिस्ट्रिक्ट-कार्डिनेटर।

(10) अधिकृत डीलर, पाली।

पाली में गैस वितरण के लिए लॉटरी दिनांक 8 जून, 1982 को उपस्थित जन समूह के समक्ष निकाली गई एवं पांच हजार (5000) आवेदकों की प्रतिक्षा सूची तैयार हुई, जिसमें से करीब 1,000 कनेक्शन दिये जा चुके हैं। शेष लोगों को कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही जारी है।

राज्य के सरपंचों के विरुद्ध मामले

252. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रैल सन् 1980 से अब तक किस-किस पंचायत के वर्तमान या भूतपूर्व सरपंच को कब-कब निलम्बित किया गया है ?

(सुश्री पुष्पा जैन)

(2) इन निलम्बित सरपंचों में से किन-किन को कब-कब बहाल किया गया ?

(3) किन-किन सरपंचों का न्यायालय में चालान किया गया ?

(4) किन-किन सरपंचों के विरुद्ध पुलिस में कब-कब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? इनमें कौन-कौन से मामले अनुसंधान में हैं और किन-किन मामलों में अन्तिम रिपोर्ट दे दी गई ?

(5) किन-किन सरपंचों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है ?

उत्तर

(1) 1 अप्रेल सन् 1980 से जिन सरपंचों को निलम्बित किया गया है उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। पंचायतों के आम चुनाव (दिसम्बर, 1981) के पश्चात्, किसी भी पंचायत के सरपंच को निलम्बित नहीं किया गया है।

(2) उपरोक्त निलम्बित सरपंचों को बहाल किये जाने की सूचना सदन के पटल पर रखी गई सूची में अंकित कर दी गई हैं।

(3) जिन सरपंचों का न्यायालय में चालान पेश किया गया है उसका विवरण सूची में अंकित कर दिया गया गया है।

(4) जिन सरपंचों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज कराई गई है एवं जो मामले अनुसंधान में चल रहे हैं एवं जिनमें अन्तिम रिपोर्ट दी गई है उनकी सूचना सदन के पटल पर रखी गई सूची में अंकित कर दी गई हैं।

(5) जिन सरपंचों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है उनकी सूचना सदन के पटल पर रखी गई सूची में अंकित कर दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

पंचायत समिति चेचट के ग्राम खंगी को ग्राम पंचायत अलोद में मिलाने का निर्णय

254. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की पंचायत समिति चेचट के ग्राम खंगी को ग्राम पंचायत अलोद में मिलाने का सरकार ने निर्णय कर आदेश जारी कर दिये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजपत्र में प्रकाशन नहीं होने के कारण यह आदेश लागू नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो राज-

(श्री हरीश शर्मा)

पत्र में सरकार कब तक प्रकाशित करवा देगी ?

उत्तर

(1) जी हां । पुनर्सीमा निर्धारण समिति के आदेश दिनांक 26.7.82 द्वारा जारी हो चुके हैं ।

(2) जी नहीं। इस सम्बन्ध में पुनर्सीमा निर्धारण समिति की अधिसूचना 26 जुलाई, 82 राजस्थान राजपत्र के भाग 6 (ग) में दिनांक 5 अगस्त, 1982 को प्रकाशित हो चुकी है और उसी दिनांक से लागू हो गई हैं ।

सिकराय तहसील का सर्वे

255. श्री **रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या भू-जल विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिकराय तहसील का वर्ष 1979-80 में भू-जल मण्डल द्वारा सर्वे किया गया था ? यदि हां, उसके क्या परिणाम रहे ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्षा के बाद सर्वे का कार्य किसी भी गांव में जाकर सम्पन्न नहीं किया गया, बल्कि दफ्तरों में बैठ कर ही किया गया ? यदि नहीं, तो सर्वे पर किस-किस गांव में किस-किस दिनांक को गये ?

(3) क्या इस क्षेत्र में भू-जल की उपलब्धता हेतु पुनः सर्वे कराये जाने के लिये विभाग को निवेदन किया गया था ? यदि हां, तो पुनः सर्वे कब तक कर लिया जायेगा ।

उत्तर

(1) वर्ष 1979-80 में सिकराय तहसील का भू-जल सर्वेक्षण किया गया था । सर्वेक्षण के आधार पर दो पोटेन्सियल जोन "ए" एवं "बी" निर्धारित किये गये ।

(2) जी नहीं वर्षा उपरान्त विभिन्न ग्रामों में किये गये सर्वे एवं दिनांक की सूची सलग्न है ।

(3) जी नहीं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें ।

राज्य व राज्य के बाहर स्थित स्मारक

256. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या कला, संस्कृति एवं पुरातत्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में व राज्य के बाहर स्थित

(श्रीमती विद्या पाठक)

राज्य के स्मारकों की कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दोनों प्रकार के स्मारकों के संधारण की क्या प्रक्रिया और प्रबन्ध हैं ?

(3) क्या यह सही है कि धनाभाव में राज्य के स्मारकों की स्थिति बड़ी चिन्ता जनक हो रही है ?

(4) यदि हां, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार ने इसके विषय में क्या नीति बनाई है ?

उत्तर

(1) राज्य में स्थित स्मारकों का नियन्त्रण पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन है। ये स्मारक राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत संरक्षित स्मारक घोषित हैं। राजस्थान राज्य के बाहर स्थित स्मारकों पर यह अधिनियम लागू नहीं है। राज्य में स्थित स्मारकों को सूची संलग्न हैं।

(2) राज्य में स्थित स्मारकों के संधारण का प्रबन्ध राज्य के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया जाता है। प्राथमिकता एवं बजट की उपलब्धि के अनुसार इन स्मारकों का संरक्षण/जीर्णोद्धार सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की अभियान्त्रिकी शाखा द्वारा किया जाता है। स्मारकों से सम्बन्धित रासायनिक उपचार का कार्य विभागीय मुख्य पुरारसायनवेत्ता करते हैं। इन स्मारकों के प्रबन्ध की देख रेख सम्बन्धित मण्डलीय अधीक्षकों द्वारा की जाती है।

(3) स्मारकों संरक्षण/जीर्णोद्धार प्राथमिकता और सीमित बजट की उपलब्धि के अनुसार किया जाता है।

(4) राज्य सरकार स्मारकों की मरम्मत के लिए प्रयत्नशील है किन्तु यह बजट की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्वश्री महावीर प्रसाद, छीतरलाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 1 जून को राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प विक्रेताओं को दिये जाने वाले कमीशन में

(श्री अध्यक्ष)

कमी कर देने से उत्पन्न स्थिति के विषय में.

(2) श्री चुन्नीलाल जेलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में सेन्टएंजिला स्कूल के पीछे कचरा बस्ती के निवासियों को नगर न्यास द्वारा आवंटित जमीन का कब्जा न देने के विषय में,

(3) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांगोद तहसील के देवली ग्राम में एक शराब के ठेकेदार और उसके साथियों द्वारा एक 17 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार करने के विषय में,

(4) श्री लच्छुराम, सदस्य विधान सभा की ओर से पंचायत समिति अलसीसर, जिला झुंझुनू के विकास कार्यों में वहां के प्रधान की कार्य-प्रणाली के कारण अवरोध आ जाने के विषय में,

(5) सर्वश्री नाथूसिंह, यदुनाथसिंह, गोपाल पचेरवाल, सुश्री पुष्पा जैन व त्रिलोकसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 7 सितम्बर को गंगानगर में एक एडवोकेट द्वारा अपनी पुत्रवधु कान्ता खेमका के साथ बलात्कार करने व उसकी हत्या करने के विषय में,

(6)श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला गंगानगर राजस्व तहसील अनूपगढ़ में सूरतगढ़ डी. एफ. ओ. की रेंज जैतसर में एक सरपंच द्वारा वन विभाग के सैकड़ों पेड़ों को कटवाये जाने के विषय में,

(7)श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य परिवहन की कठोर शर्तों के कारण वित्त निगम द्वारा अनुबंधित बसों हेतु अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वीकृत ऋण न मिलने से उत्पन्न कठिनाइयों के विषय में,

(8) श्री रामकंवार बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के अनेक क्षेत्रों में रेल बन्द होने से यातायात की असुविधा के विषय में,

(9) श्री कमलेन्द्रसिंह व श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री महादेवसिंह, विधायक के विरुद्ध पुलिस द्वारा एक संगीन केस बनाने की घटना के विषय में,

(10) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य विधान सभा की ओर से धात्री, कलपद (नर्स व कम्पाउण्डर) के प्रशिक्षण में सैकण्डरी उत्तीर्ण व्यक्तियों को प्रवेश योग्य मानने से उत्पन्न स्थिति के विषय में ।

(11) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा गत अगस्त व 8 सितम्बर को अनुसूचित जनजाति के पक्ष में एक विक्रय पत्र निष्पादित होने के बावजूद उनको बेदखल करने की कार्यवाही के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम मलारना जिला सवाई माधोपुर में गत 12 सितम्बर को असामाजिक तत्वों द्वारा एस. डी. ओ. सवाई माधोपुर की पिटाई के विषय में,

(13) श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली की कमी के कारण कुछ छोटी फैक्ट्रियों के मालिकों द्वारा किश्त अदा न करने पर फैक्ट्रियों की तालाबन्दी करने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(14) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले में मोटर दुर्घटनाओं के क्षति-पूर्ति के दावों की सुनवाई के लिए समुचित व्यवस्था न होने के विषय में,

(15) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिकाओं का एक बण्डल राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन के पार्सल गोदाम में पड़े होने के बावजूद परीक्षा परिणाम घोषित कर देने के विषय में,

(16) श्रीमती विद्या पाठक व श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के पाठ्यक्रम की कुछ ऐच्छिक व कुछ अनिवार्य विषयों की पुस्तकें उपलब्ध न होने के विषय में,

(17) श्री भंवर लाल शर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत नांगलजैसा बोहरा, पुलिस थाना झोटवाड़ा के निर्वाचित वार्ड पंच एवं भारतीय जनता पार्टी के राजनैतिक कार्यकर्ता श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री गंगाबक्श की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के विषय में,

(18) श्री राजबहादुर, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर की पिछौला झील के राष्ट्रीय स्मारक जग मन्दिर को प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा नष्ट भ्रष्ट किये जाने विषय में,

(19) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर के सिनेमा घरों में अव्यवस्था एवं असुरक्षा उत्पन्न होने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(20) श्री महाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से खरीफ की फसल में झोला लगने से फसलों को नुकसान होने के विषय में।

माननीय सदस्य आज अकाल पर होने वाली बहस में इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं।

(21) श्री अनंग कुमार जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से झालावाड़ व झालरापाटन में पेयजल की कमी होने के विषय में।

यह एक सामान्य प्रश्न है

(श्री अध्यक्ष)

और स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है अतः में इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थान प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हो गई है और इन पर मेरा निर्णय इस प्रकार है :–

(1) श्री गुलाब चन्द कटारिया : उदयपुर नगर में पिछले 5 महीनों में 5 डकैतियों की घटना।

सरकार ने सूचित किया है उदयपुर नगर के सभी क्षेत्रों में रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है और भविष्य में इन घटनाओं को रोकने के सभी उपाय किये जा रहे हैं ।

(2) सर्व श्री मेघराज तावड़ी त्रिलोक-सिंह : उदयपुर जिले की जे० के० टायर फैक्ट्री में इण्टक के व्यक्तियों द्वारा सीटू के मजदूरों के साथ मारपीट।

सरकार ने सूचित किया है कि मजदूरों में आपस में तनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा आवश्यक प्रबन्ध किये गये हैं और दण्डनायक हालात पर पूरी जानकारी रखे हुए हैं।

(3) श्रीमती उजला अरोड़ा : जय-पुर नगर में पानी व बिजली के बिलों को जमा होने को व्यवस्था में परिवर्तन।

सरकार ने सूचित किया है कि उपभो-क्ताओं के बिजली के बिलों को जमा करने की समुचित व्यवस्था कर दी गई है और पानी के बिलों के विषय में विभाग द्वारा को-आपरेटिव बैंक के 13 केन्द्रों के अतिरिक्त विभाग द्वारा 4 चौकियों पर बिल जमा करने की व्यवस्था की जायेगी ।

(4) श्री नाथूसिंह : गत 12 मई को ग्राम पंचायत बरवास तहसील टोडाराय-सिंह के सरपंच द्वारा एक बालक को बन्धक बनाकर गायब कर देने के विषय में।

सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि सूरजमल को पुलिस ने बरामद कर लिया है और उसके बयानों की पुष्टि की जा रही है ।

(5) श्री अनंगकुमार जैन व श्री बाल चन्द्र आर्यवीर : गत 31 अगस्त को झालावाड़ शहर में शराब के नशे में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज ।

सरकार ने सूचित किया है कि नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप प्रकाशित होने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच करवाई जा रही है और जांच के निष्कर्ष प्राप्त होने पर कार्यवाही की जयेगी।

(6) श्री भगवानदास शास्त्री : बहरोड़ के मिल मालिक श्री रामनिवास अग्रवाल की एक घातक हमले से मृत्यु।

सरकार ने सूचित किया है कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभि योग का अन्वेषण जारी है ।

(7) श्री नन्दलाल मीणा : भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए भेड़ व ऊन विभाग द्वारा संचालित प्रसार केन्द्र बन्द किये जाने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है

(श्री अध्यक्ष)

कि आयुक्त जनजाति के साथ हुई एक बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास भेड़ें बहुत कम संख्या में होने व उनका मुख्य धन्धा भी भेड़पालन नहीं होने से गत फरवरी में लिये गये निर्णय के आधार पर 4 केन्द्र बन्द किये गये हैं।

(8) श्री हरीश शर्मा : पथ परिवहन निगम द्वारा छात्रों को रियायती दर पर टिकट देना बन्द कर।

सरकार ने सूचित किया है कि छात्रों को पुनः रियायती दर पर टिकट की सुविधा पुनः जारी कर दी गई है।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार किया जाता है।

अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों के प्रस्ताव मैंने अस्वीकार कर दिये हैं, वे दो-दो मिनट में अपनी बात कहें।

आज सदन के समक्ष मुख्य विचारणीय विषय वित्तीय है। ऐसी स्थिति में हमें समय की सीमा को ध्यान में रख कर कार्य करना होगा। सभी माननीय सदस्य, जो स्थगन प्रस्ताव के विषय पर बोलना चाहेंगे, समय एक बजे तक है। सरकार की ओर से भी वक्तव्य आदि दिये जायेंगे। दो वक्तव्य हैं आज, उनके लिये अधिक से अधिक एक घण्टे का समय होगा। दो बजे के बाद में वित्तीय कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

(व्यवधान)

अब मैं इस पर इजाजत नहीं दूंगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : आपने 8 तारीख को व्यवस्था दी थी। राजस्थान केनाल में जगह-जगह सीपेज होने से वाटर लोगिंग हो रहा है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : इस पर प्रश्नोत्तर यहां नहीं होगा, माननीय सदस्य।

मेरे से अलग से मिलें। उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करूंगा।

श्री अनंग कुमार जैन।

श्री देवीसिंह भाटी : आपने 8 तारीख को व्यवस्था दी थी। बहुत महत्वपूर्ण मसला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तरीका नहीं है। माननीय सदस्य, आप जानते हैं, सदन की प्रक्रिया से परिचित हैं आप।

(व्यवधान)

(श्री ग्रध्यक्ष)

यहां कोई हल निकलने वाला नहीं है। ग्राप ग्रलग से बात करें। मैं उस पर समय दे सकता हूं। पूर्व में भी दिया है।

श्री देवीसिंह भाटी : ग्राठ तारीख को ग्रापने व्यवस्था दी....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर ग्रंकित न हो।

श्री देवीसिंह भाटी : xxx

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रंकित न हो, माननीय सदस्य विराज जायं। ग्रॉर्डरग्रॉर्डर। समय न लें।

श्री देवीसिंह भाटी : xxx

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप हमारे यहां की व्यवस्थाग्रों से परिचित हैं, व्यर्थ में समय ले रहे हैं। इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। माननीय सदस्य, कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। कृपया बैठ जायं। ग्रगर ग्रापको कोई शिकायत है, तो मुझ से मिल लीजिये। सदैव मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करता हूं। ऐसे ग्राक्रोश में ग्रौर ऐसे गुस्से में ग्राकर....

श्री देवीसिंह भाटी : xxx

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रांडर प्लीज। श्री ग्रनंग कुमार जैन।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : ग्रध्यक्ष महोदय, गंगानगर वालें में क्या हुग्रा।

श्री ग्रध्यक्ष : मैंने सभी पर व्यवस्था दे दी है।

श्री त्रिलोकसिंह : राज्य सरकार से जानकारी....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर ग्रॉर्डर मैं इस वक्त इजाजत नहीं दूंगा। सब बोल लें उसके बाद में यदि ग्रापको कोई शिकायत हो तो ग्रापको मैं उस पर....

श्री त्रिलोकसिंह : मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है....

श्री ग्रध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर माननीय सदस्य, इस तरह मेरे से सूचना प्राप्त सकते है, ग्राप मेरे से....

श्री त्रिलोक सिंह : वह सारी घटनाएं....

श्री ग्रध्यक्ष ग्रॉर्डर प्लीज। ग्रंकित न हो।

XXX माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया।

श्री त्रिलोकसिंह : xxx

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठ जायें कृपया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : (नेता प्रतिपक्ष) : मेरी रिक्वेस्ट है, एक मिनट। मैं पूछना चाहूंगा आपसे अनुमति लेकर। आपने जानकारी के लिये तो भेजा है, लेकिन गंगानगर की इस समय की स्थिति को शायद आपको जानकारी नहीं है। इस समय वहां पर....

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, मेरा नम्र निवेदन यह है गंगानगर तो जिला मुख्यालय है। यदि माननीय सदस्य इसके बारे में चाहेंगे तो तत्काल सूचना मंगाई जा सकती है। इस में कठिनाई की बात नहीं है, लेकिन आप यहां पर उस चर्चा को उठाना चाहें तो इसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर कल बन्द था आज बन्द है, लाठी चार्ज हुआ वहां पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उठाना नहीं चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा ना, यदि आप मिलें मुझे चेम्बर में तो उन सब के लिये कुछ न कुछ किया जा सकता है। लेकिन आप तत्काल उस प्रश्न को यहां उठायें तो मैं क्या कर सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार जैन। कृपया समय सीमा का ध्यान रखें। पेयजल की कमी के बारे में झालावाड़ और झालरापाटन में।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ और झालरापाटन दो ऐसे शहर हैं जो चार मील की दूरी पर बसे हुये हैं। दोनों शहरों की जनसंख्या करीब 70-80 हजार है। उनके लिये जो पेयजल की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांत रहें। बातें नहीं करें आपस में।

श्री अनंग कुमार जैन : आज से 25 वर्ष पहले जो योजना बनाई गई थी उस योजना के माध्यम से दोनों शहरों को पानी की सप्लाई की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल योजना बनायी गई थी उस समय दोनों शहरों की जनसंख्या 35-40 हजार थी। लेकिन पिछले 20 वर्षों में बढ़कर वह करीब 70-80 हजार जनसंख्या हो गई।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

वहां पर 35-40 हजार लोगों के लिये योजना बनायी गई थी, उस योजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। पिछले तीन वर्ष से जनता द्वारा पेयजल की मांग की जा रही है। समाचार पत्रों के माध्यम से खबरें आती हैं कई बार वहां पर नागरिकों द्वारा आन्दोलन किया गया है। जो मौजूदा पेयजल सुविधा उपलब्ध है वह अपर्याप्त है। गर्मी में हर वर्ष मई, जून और जुलाई में वहां के नागरिकों को पानी प्राप्त नहीं होता है तीन साल से लगातार दोनों शहरों के नागरिकों ने नालियों से पानी भरा है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितना खराब और गन्दा पानी वहां के नागरिकों को पीने को मिला होगा, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। झालावाड़ शहर में विभाग द्वारा दोनों तरफ की नालियों की सफाई करने के लिए और पानी की सप्लाई करने के लिए स्कीम भेजी गई वह स्कीम 1-2 साल से यहां पर बस्ताए खामोशी बन्द पड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था और मन्त्री महोदय ने इस प्रश्न के जवाब में कहा था कि यह योजना झालरापाटन से झालावाड़ भेजी गई है वह....

श्री अध्यक्ष : आप इसके साथ ही झालावाड़ शहर में शराब पीकर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के विषय पर भी बोल दीजिये। समय का ध्यान रखियेगा।

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, 6 तारीख से सेशन चालू हुआ तब से मैं आज ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप रोज बोलते तो उल्टा अहसान होता।

श्री अनगकुलार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां की जनता की मांग है। पेय जल की समस्या आम नागरिकों से सम्बन्ध रखती है। उसको लेकर झालावाड़ और झालरापाटन के नागरिक पिछले तीन साल से लगातार परेशान हो रहे हैं। पानी उनको समय पर उपलब्ध नहीं होता है। कई बार आन्दोलन करना पड़ता है इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं इन दोनों शहरों के लिये अलग-अलग पेय जल की स्कीमें बनाइये जिससे दोनों शहरों में पेयजल की समस्या समाप्त हो जाय। जो स्कीम विभाग द्वारा भेजी गई है उसको प्राथमिकता के आधार पर मंजूर किया जाय।

श्री अध्यक्ष : अब लाठी चार्ज....

श्री अनंगकुमार जैन : दूसरा, अध्यक्ष महोदय, पुलिस के बारे में आये दिन चर्चा की जाती है कि अनुशासन घटता जा रहा है। माननीय राज्य मन्त्रीजी पर भी लगातार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाये

(श्री अनंग कुमार जैन)

जा रहे हैं। राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। पुलिस अनुशासनहीनता का परिचय दिन पर दिन देती जा रही है। दिनांक 31-8-82 को शाम को झालावाड़ शहर में एक ट्रक वाला, कोटा जा रहा था, चौराहे पर उसने एक साइड पर ट्रक खड़ा किया। वहां के डी०एस०पी० शराब के नशे में धुत होकर चौराहे पर आये। उन्होंने ट्रक ड्राइवर और मुनीम दोनों को पकड़ कर उनकी पिटाई चालू कर दी। उस पिटाई को देखकर वहां पर करीब 4-5 सौ आदमियों की भीड़ इकट्ठी हो गई। अध्यक्ष महोदय, उनमें से कुछ लोगों ने पूछा। डी०एस० पी० पिछले दिनों से शराब पीकर हमेशा लोगों को पीटता रहता था और पब्लिक के साथ इस तरह की घटनायें करता रहता था। जब 500 आदमियों की भीड़ इकट्ठी हो गई और लोगों ने पूछा कि आप इनको क्यों पीट रहे हैं तो उन्होंने टेलीफोन करके पुलिस फोर्स को बुलाया। अध्यक्ष महोदय, वहां पर लाठी चार्ज हुआ, कुछ लोगों को पकड़-पकड़ कर पीटा गया। अध्यक्ष महोदय, एक सतीश गोयल और एक गूंगे बहरे लड़के, दोनों को गम्भीर चोटें आईं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस तमाम घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने लोग जब झालावाड़ कोतवाली में गये तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। वहां से जनता जुलूस बनाकर एस० डी० ओ० क्लेक्टर के पास गई। बहुत मुश्किल से उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराकर राज्य सरकार को जांच के लिये भी इस बारे में लिखा। लेकिन इतना समय होने के बावजूद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिन लोगों ने लाठी चार्ज किया और निरपराध व्यक्तियों पर डण्डे बरसाये उन लोगों के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, जो पुलिस रक्षक कही जाती है जनता की उसी पुलिस के लोग इस प्रकार निरीह जनता पर लाठी बरसाये, गूंगे बहरे लोगों को मारें, उसके बाद भी राज्य सरकार चुप रहती है और इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करती है। मैं, अध्यक्ष महोदय, वहां के एस०पी० से मिला, गृह राज्य मन्त्री को पत्र लिखा कि इस प्रकार की घटना झालावाड़ में हुई है। शराब पीकर ए०एस०आई०, कांस्टेबल, पुलिस चौराहे पर मारपीट करती है। ऐसी घटनाओं पर ध्यान दिया जाय और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करें। अध्यक्ष महोदय मैं आपके मार्फत राज्य-मन्त्रीजी से मांग करूंगा कि यह 31 तारीख की घटना हुई है। पुलिस ने जान-बूझकर निर्दोष व्यक्तियों को मारा है। वहां कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई अशांति फैलाने का अंदेशा नहीं था, कोई लॉ-आर्डर बिगड़ नहीं रहा था, लेकिन जान-बूझकर शराब के नशे में....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अनंगकुमार जैन : लोगों को मारा, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जानी चाहिये और दोषी व्यक्तियों को सजा दी जानी चाहिये।

श्री **अध्यक्ष** : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री **त्रिलोकसिंह** : मैंने विधायक के बारे में प्रस्ताव रखा है। उसके बारे में जानकारी कब मिल जायेगी।

श्री **अध्यक्ष** : मुझे मालूम नहीं। मैं बाधा डालने की इजाजत नहीं दूंगा। बैठ जाइये। आपको नियमों की पुस्तिका दी हुई है कृपया उसको पढ़ कर आया करें। आर्डर, अंकित न हो।

श्री **त्रिलोकसिंह** : X X X

श्री **मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, विधायक का मामला है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, राज्य सरकार को पाबन्द कर देवें कि कल उत्तर देवें।

श्री **अध्यक्ष** : कृपया बैठ जाइये। मैं इस सम्बन्ध में इजाजत नहीं दूंगा।

श्री **मोहनलाल मोदी** : अध्यक्ष महोदय, गम्भीर मामला है इस पर राज्य सरकार से उत्तर दिलवा देवें, यही निवेदन करना है।

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार किसी पर...

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बाधा न डालें। मैं इस वक्त नहीं सुनूंगा।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उदयपुर में पिछले पांच महीनों में 5 डकैतियों के बारे में अपना स्पष्टीकरण दिया कि हमने गश्त की बहुत व्यवस्था कर दी....

श्री **अध्यक्ष** : व्यवस्थाएं की हैं यह तो मैंने....

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** : वास्तव में व्यवस्था हो जाने के बाद आप आश्वस्त हो गये हों कि इसके बाद कोई डकैती नहीं पड़ेगी तो मैं एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं।

श्री **अध्यक्ष** : इस गारन्टी के बजाय बोलना आसान रहेगा।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** : यही बात मैं कह रहा हूं कि पुलिस-गश्त से डकैतियां रुकने वाली नहीं है। पिछले पांच महीनों में उदयपुर में एक के बाद एक पांचवीं डकैती पड़ी है, जो 23 और 24 तारीख की रात्रि को पड़ी। उसके ठीक एक महीने पहले 25 जुलाई को उदयपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के यहां डकैती पड़ी। लोग

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मुंह बांध कर आते हैं, उनसे चाबियां लेते हैं, उनको मार-पीट कर सारा सामान बांध कर पैदल भाग जाते हैं। जैसी घटना 25 तारीख को हुई वैसी की वैसी 23 और 24 अगस्त की रात्रि को हुई हिरनगरी सैक्टर 11 में। घर में पति-पत्नी और उसकी मां सोये थे उनके घर के किवाड़ काट कर, धक्का देकर 3-4 आदमी हाथ में हथियार लेकर आये। उनकी आवाज और धमाके से लोग उठ गये। उठते ही उन्होंने और कोई काम नहीं किया....

श्री अध्यक्ष : विस्तार में मत जाइये। संक्षेप में, क्योंकि पांच डकैतियां हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं इसलिये बता रहा हूं, क्योंकि इस तरह की घटनाओं के कारण लोग इतने आतंकित हैं कि लोगों की रात की नींद हराम हो गई। आज उदयपुर की गलियों में स्थानीय लोग पहरा दे रहे हैं, यह स्थिति बन गई है। कोई भी व्यक्ति इस बात के लिये आश्वस्त नहीं है कि हमारी सुरक्षा हो सकेगी। इस तरह से लगभग 80 हजार का माल लेकर चले गये। इन्हीं पुलिस के आफिसर्स से जब हमने बात की तो इन्होंने कहा कि हमारा गश्ती दल उस समय वहां से 200 कदम दूर था। जिस मकान में आवाज हुई उसकी बाहर की चिटकनियां बन्द थीं, उसके पश्चात भी डकैती हुई। श्रीमान, यही नहीं, आपको ताज्जुब इस बात का होगा कि पुलिस कह रही है हम कुछ कर रहे है। आई. जी. साहब भी वहां पधारे। उन्होंने थोड़ी सी तड़ी पिलाई अधिकारियों को, तो उन्होंने बहुत अच्छा नाटक किया। शहर के सारे उचक्के, बदमाश लफंगे और असामाजिक लोगों को पकड़ कर उनकी बारात निकाली, बारात को देख कर लोगों को आश्चर्य हुआ कि जितने आदमी थे उनसे चौगुनी तो पुलिस साथ चल रही थी। उनके हाथ बांध कर ले जा रहे थे मगर उनमें नामी उचक्का, जिसे उदयपुर का हर आदमी जानता है, कहीं नहीं था। आपको ताज्जुब होगा जिस दिन यह बारात निकली उसी दिन पुलिस चौकी से केवल 200 फीट आगे रात्रि को फिर चोरी हुई। उन्होंने सेंध लगा कर चोरी की। यह पुलिस की नाक पर उन्होंने चूना लगा दिया। यह जो आपका नाटक है, यह ढोंगबाजी है, इसके आधार पर कुछ नहीं होगा। श्रीमान, यही नहीं उदयपुर में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है उसका वर्णन करूं तो आपको पता लगेगा। उदयपुर में एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नायक वहां आया हुआ है। वह अपनी पत्नी के साथ जयसमंद पार्क में गया, उसको मारा-पीटा उसकी जेब से पैसा निकाल लिया। यही नहीं, श्रीमान, उसकी पत्नी के के साथ कुकर्म करने की चेष्टा की। उसको एक कमरे में बन्द कर दिया, होटल में काफी आवाज होने के बाद पास में ट्रांसपोर्ट का इंस्पेक्टर गाड़ी लेकर आया हुआ था। उन्होंने आकर बीच बचाव किया और उनको लेकर गये। श्रीमान, आप आश्चर्यचकित होंगे कि उन्हें जिस गाड़ी में यातायात का निरीक्षक लेकर गया—

Page No 54

(54)

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : श्रीमान, आप मेरी बात तो सुनिये, इतनी दर्दनाक....

श्री अध्यक्ष : मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा 2-2 मिनट ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरी बात तो सुनिये । एक ही मिनट में खतम करता हूं ।

गाड़ी में बैठा कर यातायात का निरीक्षक लेकर जा रहा था । उन गुण्डों ने स्कूटर लेकर उनका पीछा किया । गाड़ी को रोका, ड्राइवर के साथ मारपीट की । उसके बाद भी जिस होटल में वे ठहरे हुए थे वहां फिर धमकी देने के लिये आ गये कि तुमने मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है । वहां पुलिस का थानेदार भी बैठा था । उसको नायक ने कहा कि यही वह गुण्डा है पकड़ लो । तो थानेदार ने कहा, मेरे पास कोई बन्दूक है क्या कि इसको पकड़ लूं । अध्यक्ष महोदय, वह आदमी चला गया, पकड़ा नहीं गया । यह स्थिति आज उदयपुर की बनती जा रही है, श्रीमान । एक नहीं, दो नहीं पांच-पांच डकेतियां हो रही है, रोजाना बलात्कार हो रहे हैं, मैं आपको सबूत दे सकता हूं । केवल एक महीने में ऐसी 50 घटनाएं हुई हैं । जहां चाहें वहां गाड़ी को रोक कर लूट लिया जाता है । उसके पश्चात् आपको ताज्जुब होगा कि वह डकेत पैदल गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : पुलिस वहां 15 मिनट बाद पहुंची और पैदल जाने वाले डकेतों को नहीं पकड़ा । यहां तक कि उनका सामान तीन महीने पश्चात्....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं केवल एक सैकन्ड में ।

उस सामान की पेटियां खेत के मालिक ने पकड़ाई । पुलिस उस सामान को बरामद नहीं कर सकी जो केवल वहां से 400 गज आगे खेतों में पड़ा हुआ मिला । यह हमारी पुलिस की नाकामयाबी है ।

श्री अध्यक्ष : इतने विस्तार से जायेंगे तो पांच डकेतियां है । इस तरह की घटनाएं हैं, उन पर इतनी लम्बी चर्चा नहीं हो सकती है । आपने सदन का ध्यान आकर्षित कर दिया । समाप्त कीजिये । भाषण समाप्त हुआ ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : श्रीमान, मैं यह चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसकी कोई व्यवस्था करें और उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लें । 15 मिनट के बाद पहुंच जाने के बात भी पुलिस ने डकेतों को नहीं पकड़ा और डकेत सामान लेकर चले गये....

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मेघराज तावड़ : जे० के० टायर फैक्ट्री में कुछ लोगों द्वारा मारपीट।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जे० के० टायर फैक्ट्री में सीटू की यूनियन है। सीटू की यूनियन में आपस में मन मुटाव हुआ; उससे इन्टक के लोगों ने जानबूझकर जबर्दस्ती वहां पर हड़ताल करवायी और जे० के० टायर फैक्ट्री में पहुंचे। जो सीटू के मजदूर हैं वे किसी भी तरह से हड़ताल करना नहीं चाहते हैं। वहां मेजोरिटी उनकी है। इसके बावजूद भी दरवा, जवार माइन्स और मटूर इन तीन, चार जगहों से सीटू के 25-30 इस उस लोगों को ट्रकों में बैठा कर ले गये और काम पर जा रहे मजदूरों को जबर्दस्ती रोका। उनके साथ मारपीट की व चाकू, तलवार साथ लेकर गये हैं। पुलिस उन लोगों के साथ है। पुलिस भी उन लोगों को प्रोटेक्शन दे रही है हड़ताल करवाने के अन्दर जब कि सीटू के लोग हड़ताल करना नहीं चाहते थे। वहां पर इन्टक वालों की मेजोरिटी नहीं है। इसके बावजूद जबर्दस्ती हड़ताल करवाई गई है अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिये, सरकारी पक्ष के लोगों द्वारा और अधिकारियों की मिली भगत से जबर्दस्ती हड़ताल करवायी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि व्यवस्था कर दी गयी है। वहां पर अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। यह सही नहीं है। मैं आपसे निवेदन चाहूंगा कि वहां पर जबर्दस्ती इन्टक को ले जाकर हड़ताल करवाने का जो नजरिया है वह गलत है। वहां पर शांतिप्रिय लोगों को काम करने दें और उनके साथ जो मार-पीट की गयी है उसकी जांच करवायी जाये। यही मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष : श्री त्रिलोकसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री महाराम चौधरी : मेरा एक....

श्री अध्यक्ष : मैं इस समय कुछ नहीं सुनूंगा। कृपया नियमों का ध्यान रखें। आर्डर प्लीज। जब मैं यह कार्य समाप्त कर दूं उसके बाद आप कह सकते हैं।

श्री त्रिलोक सिंह।

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा। जयपुर नगर में पानी और बिजली के बिल जमा होने की व्यवस्था के बारे में।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर की एक भयंकर समस्या के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मुझे

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

खेद है दोनों विभागों के मन्त्री महोदय यहां पर नहीं हैं। अगर वे होते तो कुछ व्यवस्था होती। इस व्यवस्था के बारे में मैंने यह प्रश्न उठाया है....

श्री अध्यक्ष : कुछ व्यवस्था तो हुई है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो व्यवस्था हुई है वह मैं आपको बता देती हूं। दिनांक 1.9. 1982 को अरबन कोआपरेटिव बैंक, जो बहुत वर्षों से पानी और बिजली के बिल जमा करता था, का समझौता समाप्त हो गया। अब यह स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि लोग शहर में चक्कर काट रहे हैं पैसे लेकर बिल जमा कराने के लिये। अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के बिल के बारे में कहना चाहूंगी कि 4-5 महीने के बिजली के बिल मिले हैं, क्योंकि हड़ताल चल रही थी। यह चढ़े हुए बिल आये हैं और उनमें पेनल्टी लगाई है। बिल जमा कराने के लिये आज कोई उचित व्यवस्था नहीं है। लोग क्या करें ? बिल जो आये हैं वे 1375.00 रुपये के हैं। इसमें 1152.00 रुपये बिजली के हैं और पेनल्टी जो लगायी है वह 222 80 रुपये है। यह सरकार की गलती से हड़ताल चली है इसलिये चढ़े हुए बिल आये। परन्तु बिजली के बिलों के जमा होने की उचित व्यवस्था नहीं है। पानी के बिल जमा कराने की व्यवस्था नहीं है। आपको जो उत्तर मिला है उसमें कहा गया है कि पानी के बिलों को जमा करने की व्यवस्था की जायेगी। मान्यवर, कब की जायेगी ? लोग धक्का खा रहे हैं, पैसा लेकर, बिल लेकर। उसमें विभाग पेनल्टी लगा रहा है। यह भयंकर स्थिति है। मान्यवर, जो व्यवस्था की गयी है, आपके द्वारा हमें यह बताया गया है कि चौकड़ी रामचन्द्रजी, गंगापुर और ब्रह्मपुरी के बिल गैटोर के नीचे जमा कराने की व्यवस्था की गई है। इन तीन जगहों के बिल इस जोन में जमा होंगे। लोगों को केवल एक पर्ची दे दी जाती है। वह कच्ची रसीद होती है इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। आप देखेंगे जो जोन बताये गये हैं, यह राजा पार्क, आदर्श नगर और तिलक नगर, जवाहर नगर की टंकी के नीचे जायेंगे और पुरानी बस्ती, बनी पार्क के लोग नाहरी का नाका और शास्त्री नगर में जायेंगे। मान्यवर, शास्त्री नगर में जो जोन है वह बिलकुल इन्टीरियर में है। पुरानी बस्ती के लोग वहां पर धक्के खाते रहेंगे। इतनी दूर-दूर जोन बनाये हैं। यह उचित व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था पहले दोनों विभागों के बिल जमा होने की बैंक के माध्यम से थी वही या कोई अन्य सरल माध्यम की व्यवस्था करें या जहां जहां पर बिजली के दफ्तर हैं, रामचन्द्र चौकड़ी और गगापोल में जो बिजली के दफ्तर हैं उनमें बिल जमा किये जायें तो सुविधा हो जायेगी। पुरानी बस्ती में मिस्त्री खाने में बिल जमा हो जायें तो सुविधा होगी। इसी तरह जो निकट के सर्किल हैं अगर वहां जोन में व्यवस्था हो या फिर जिस जोन के नजदीक दफ्तर हैं, वहां दूसरी जोन के आदमी जायें....

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें।

Page No 57

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं जल्दी ही समाप्त कर रही हूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि यह दिक्कत हमारे यहां आ रही है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कह दीजिये जो तकलीफ है, ज्यादा समय नहीं मिल सकेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बोर्ड की, विद्युत विभाग की जो व्यवस्था कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से थी, 19 आदमी कलेक्ट करते थे और 19 आदमी जमा करते थे। उसमें दिक्कत इस बात की आ गई कि बैंक ने पैसा बढ़ाने की मांग की। मान्यवर, 25 पैसे में जमा होता था। आज इतनी दूर जायें तो उसमें कितना समय लगेगा। फिर भी बिजली के बिल जमा नहीं होते हैं। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं जयपुर नगर के लोगों की समस्या के समाधान के लिये, बिजली और पानी के बिल उचित स्थान पर जमा हो जायें इसकी अविलम्ब व्यवस्था करें। जब तक व्यवस्था नहीं होती है, तब तक इन पर पेनल्टी नहीं लगायी जाये। मान्यवर, मैं बहुत ही गम्भीरता से कहना चाहती हूं कि इसकी व्यवस्था बैंक से करायी जाये....

श्री अध्यक्ष : आप समस्या रख रही हैं। समय समाप्त हो गया। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपके सामने रख रही हूं। मैं सदन के सामने रख रही हूं। मन्त्री महोदय हैं नहीं। मैं आपकी मार्फत ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं इन दोनों मन्त्रियों का ...

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षित हो गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दोनों मन्त्रियों को ताकीद कर दें कि यह जो बिजली के चार चार महीने के बिल भेजे गये हैं उनकी किश्तें करें। मान्यवर कोई 1300/- रुपये कहां से लायेगा और 222 रुपये की पेनल्टी कहां से देगा। मैं बैठती हूं लेकिन आप इसकी सुव्यवस्था अविलम्ब करायेंगे अपने प्रभाव से, यह आश्वासन आपसे चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपकी बात सुन ली।

श्री नाथूसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भगवान दास शास्त्री। बहरोड़ में मिल मालिक की हत्या के सम्बन्ध में।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 7 अगस्त की घटना है। बहरोड़ में एक अग्रवाल परिवार के रामनिवास की हत्या की गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थानियों के लिये आसाम में जगह नहीं है। वहां से धकेले जाते हैं, कलकत्ता बंगाल में उनके लिये कोई स्थान नहीं है।

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया लम्बी भूमिका न बांधे। जो घटना है....

श्री भगवानदास शास्त्री : राजस्थानियों की जान को खतरा है। ग्रध्यक्ष महोदय, यह मैं कोई ग्रखबार के हवाले से नहीं कह रहा हूं। यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। 7 ग्रगस्त की घटना है। रात के डेढ़ बजे पता चला 12 ग्रौर 1 बजे के बीच में उनकी हत्या की गयी।

श्री ग्रध्यक्ष : इसमें कोई गलती हुई हो या लापरवाही हुई हो तो कहें। यह तो ग्रखबार में भी पढ़ सकते हैं। सरकार की गलतियां बतायें।

श्री भगवानदास शास्त्री : किसी ने इस मिल मालिक के यहां पर चोरी की। उस चोरी की उन्होंने एफ. ग्राई. ग्रार. दर्ज करायी। मैं कोई जुडिशियरी पर ग्राक्षेप नहीं कर रहा हूं, 20 तारीख को किसी प्रकार उन व्यक्तियों को पता चला कि हमें जेल होने वाली है सजा हो जायगी। इस जजमेंट का उनको पहले ही पता लग गया कि हमको सजा मिलने वाली है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, उन्होंने क्या किया कि रात को दो बजे उसकी हत्या करने के लिये गये। उसके परिवार में 10 लोग हैं, लेकिन राम निवास वहां बैठा था उसकी हत्या करके चले गये। उसको एस. एम. एस. में लाया गया। 15 ग्रगस्त, ग्राजादी का दिन था, उस दिन उसको ग्राजादी का फल मिला ग्रौर दिन के डेढ़ बजे उसकी मृत्यु हुई। वे दोनों उसके परिवार को धमकाते रहे....

श्री ग्रध्यक्ष : सरकार की तरफ से कोई लापरवाही रही हो तो वह बतायें।

श्री भगवानदास शास्त्री : लापरवाही तो यह है कि जो दोनों व्यक्ति थे, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी उसके बाद में ग्रापके द्वारा जो सरकार उत्तर ग्राया वह यह है कि जो कातिल हैं या जिन्होंने मारा है या जिन्होंने हत्या की है उनको बन्दी बना लिया गया है। राज्य सरकार से यह कहना है कि वे एक नहीं हैं दो हैं। ग्रध्यक्ष महोदय, वे एक नहीं दो हैं। ग्रापने उनको बन्दी बनाया है उससे पहले तो वह चैलेंज देते थे कि बाकी के 9 को भी वह मार डालेगा....

श्री ग्रध्यक्ष : यहां पर जो हत्या हुई है उसके बारे में राज्य सरकार से जो गलती रही है वह बतायें।

श्री भगवानदास शास्त्री : मुझे ग्रासन से बोलने का समय नहीं मिल रहा है लेकिन राजस्थान में लॉ एण्ड ग्रॉर्डर की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि उस व्यक्ति ने भय के कारण ग्रपने परिवार के साथ जयपुर छोड़ा। ग्रपनी बहू ग्रादि को ग्रजमेर भेजा, कुछ को जोधपुर भेजा। यह राज्य सरकार के लिये बड़े शर्म की बात है कि एक परिवार की ग्राप सुरक्षा नहीं कर सकते है ..

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री भगवानदास शास्त्री : ग्राप कहते हैं कि 20 तारीख तक जांच करा देंगे। मैं

(श्री भगवान दास शास्त्री)

कहना चाहता हूं कि ऐसे आदमी के आप बाल बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, उसकी सम्पत्ति की रक्षा नहीं कर सकते हैं। खैर, सम्पत्ति को तो हिन्दू कभी इतना महत्व नहीं देता है, कम से कम उनकी जान की सुरक्षा राज्य सरकार को करनी चाहिए। आज जो राज्य सरकार के द्वारा, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री भगवानदास शास्त्री : सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जो बाहर से आते हैं उनकी अपने यहां भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है....

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ। कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है।

श्री भगवानदास शास्त्री : उनको सुरक्षा व्यवस्था दी जाये और उन लोगों....

श्री अध्यक्ष : आसन की अवहेलना कर रहे हैं, कृपया बैठ जायें।

एक माननीय सदस्य : मेरे इलाके की बात है, आपकी अनुमति से ...

श्री अध्यक्ष : यह कोई विचारणीय विषय नहीं है। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नन्दलाल मीणा, श्री हरीश शर्मा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव....

श्री महाराम चौधरी : आपने कहा था, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं ? आप कहना क्या चाहते हैं....

श्री महाराम चौधरी : मैं यह कहना चाहता हूं, झोला है जो अकाल से....

श्री अध्यक्ष : झोला के बारे में, फसलों के नष्ट होने के बारे में....

श्री महाराम चौधरी : हां, अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिये चिन्ता की बात है। इससे अकाल पड़ेगा....

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुन लें, कृपया बैठ जायें। फसल नष्ट होने के बारे में, वर्षा के अभाव के बारे में विचार का आज समय निश्चित किया है, इसलिये ही मांग रखी है। इस तरह के सभी प्रस्तावों पर उस वक्त माननीय सदस्य यहां पर बहस कर सकते हैं। इस वक्त मैं आपको अवसर नहीं दूंगा।

श्री महाराम चौधरी : एक मिनट के लिये दे दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, दो मिनट झोला लग गया तो अब वी में कोई तम्बू तो लागे कोनी।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 24 घन्टे से लगातार वर्षा होती रही, पर एक घन्टा भी झोला लग जायेगा तो वह जमीन के नीचे 7 हाथ नीचे चलता है और फसलों का सत्यानाश हो जाता है। सरकार को इसके लिये कुछ करना चाहिए...

श्री अध्यक्ष : सरकार को बड़ा तम्बू बनाना चाहिए और खेतों के ऊपर उसको लगा देना चाहिए। खुली हवा आती है उसको तो रोक नहीं सकते हैं।

श्री महाराम चौधरी : सुझाव यह देना चाहता हूं कि सरकार सर्वे कराके किसानों को कुछ रियायत देने की व्यवस्था करें। सरकार को यह करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इसलिये ही निवेदन किया कि मांग के ऊपर आज विचार होगा उस समय आप ज्यादा विस्तार से फर्मा सकते हैं।

श्री महाराम चौधरी : कृषि विभाग किसलिए है। शीत लहर चलती है या दूसरी तरह से कुछ हो जाता है तो लाखों करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर देती है। इस झोला के सम्बन्ध में भी कुछ जानकारी करनी चाहिए और जानकारी करने के साथ-साथ कुछ उपाय भी ढूंढने चाहिए। उपाय ढूंढकर किसानों को राहत देने की घोषणा करनी चाहिए। इस साल तो बड़ी मुश्किल से समय पर बरसात हुई थी। बरसात होने के साथ-साथ किसान जिस फसल पर मेहनत करते हैं, उसमें जब इतने बड़े-बड़े सिट्टे सूखते हैं और उन सूखे सिट्टों के अन्दर एक भी दाना नहीं होता है तो किसान को कितना दुख होता है। इस दुख को दूर करने के लिये ज्यादा नहीं तो सरकार को कुछ न कुछ तो घोषणा करनी चाहिए। इस पर सरकार का कोई वक्तव्य आता और सरकार सर्वे कराकर कोई राहत देने की व्यवस्था करती। यह एक तहसील में नहीं पूरे जिले में है। काश्तकारों की जो बाजरे की फसल थी उसका तो सत्यानाश हो ही गया है। बाजरे का एक तरह से जो ठूठ होता है वह पशुओं के खाने के काम आता है। वह भी पशुओं के खाने के योग्य नहीं रहा है। जो पीछे की है ग्वार है, मूंग है, मोठ है इन फसलों के अन्दर एक भी दाना होने की सम्भावना नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से कृषि मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वे कराकर, काश्तकार को जो नुकसान हुआ है उसका पता लगाकर उनको राहत देने की कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो ये बाजरे के सिट्टे मैं सदन के पटल पर रख दूं।

श्री अध्यक्ष : यहां कहां रखेंगे आप अपने पास ही रखें।

श्री महाराम चौधरी : मेरे पास कोई ताला तो है नहीं, कहां रखूं।

श्री अध्यक्ष : तो हम भी कहां रखें, इसको लेकर क्या करेंगे।

श्री महाराम चौधरी : यह मन्त्री महोदय को बता दें। उनको जानकारी तो होगी, लेकिन थोड़ी सी जानकारी होगी। माननीय सदस्यों को भी पता लगेगा।

श्री अध्यक्ष : मुझे ज्ञान है।

श्री महाराम चौधरी : इस प्रकार तो मुझे भी ज्ञान है, लेकिन माननीय सदस्यों....

श्री अध्यक्ष : उसे चेम्बर में बता दें यहां पर रखने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री महाराम चौधरी : सदन के बहुत से माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए....

श्री अध्यक्ष : सदन में मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बीज निगम द्वारा वितरित किये गये शंकर ज्वार बीज का अंकुरित न होना व बीज निगम द्वारा बरती गई अनियमितताएं

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत। इस प्रश्न के लिये आधे घन्टे का समय प्रस्तावित किया गया है। माननीय सदस्य, श्री बन्शीलाल पटवा, श्री रघुवीरसिंह कौशल, श्री हीरालाल आर्य, श्री गुलाबचन्द कटारिया का ध्यानाकर्षण एवं अन्य प्रस्ताव थे, अगर माननीय सदस्य चाहें तो कोई एक माननीय सदस्य पहले 4-5 मिनट में ध्यान आकर्षित करें फिर मन्त्री महोदय का वक्तव्य होगा। उसके बाद स्पष्टीकरण करना चाहें तो उसके लिये समय दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : पहले जवाब आ जाये।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण तो करना ही होगा। मन्त्री महोदय को पता ही नहीं होगा तो क्या जवाब देंगे।

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शंकर बीज उत्पादित करने की दृष्टि से नर-नरी बीज वितरण किया जाता है जो भीलवाड़ा में वितरित किया गया है। उसके सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करता हूं, उसमें हुई अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदया।

श्रीमती कमला (कृषि मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो बीज के उत्पादन, एक बीज पैदा करने के लिये बीज के वितरण का कार्यक्रम होता है। जो आपने ध्यानाकर्षण दिया है वह बीज

(श्रीमती कमला)

उत्पादन कार्य के सम्बन्ध में नहीं है, वह बीज वितरण नहीं किया इस संबंध में है, इसलिए वह यह नहीं है। इस प्रकार की अनियमितताएं हुई थीं यह अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : उत्पादन करने के बारे में है। इस तरह का है। इसको मैंने पढ़ा है।

श्रीमती कमला : विधान सभा से जारी किया हुआ है उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है। उत्पादन के क्रम में....

श्री अध्यक्ष : आपके विभाग को भेजा गया होगा उसके बाद 6–7 और इस प्रकार के प्रस्ताव आये हैं उनके लिये भी यह रखा गया है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो बीज पैदावार के लिए बितरण किया गया उसके सम्बन्ध में सूचित करना चाहती हूं।

1981–82 में कृषि विभाग द्वारा 6 हजार क्विन्टल ज्वार बीज की मांग जनवरी 1982 में प्राप्त हुई।

(1.00 म० प०)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

जो बाद में बदलकर 4734 कर दी गयी। इसमें ज्वार सी. एस. एच–1 215 क्विन्टल, सी एस. एच–5,4285 क्विन्टल एवं सी. एस. एच-6,125 क्विन्टल एवं एस. पी. बी. 110 क्विन्टल इंगित की गयी थी।

राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा वर्ष 1981 में ज्वार बीज का जो उत्पादन कार्यक्रम लिया उसके अनुरूप 108.14 क्विन्टल सी. एस. एच.-5 एवं 145.86 क्विंटल सी. एस. एच.-ज्वार प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त ज्वार सी. एस. एच.-5 की मांग को पूरा करने के लिए 4037.49 क्विंटल सी. एस. एच-5 ज्वार के बीज की प्राइवेट उत्पादकों से खरीद की गयी। इस ज्वार की खरीद हेतु निगम द्वारा निविदायें जनवरी, 1981 में आमंत्रित की गयी थीं। जिसमें छः पार्टियों द्वारा निविदायें दी गयी हैं। प्राप्त निविदाओं के आधार पर ज्वार सी. एस. एच.-5 का बीज न्यूनतम भाव वाली पार्टियों राज सुपीरियर, श्री कलाहस्ती, विजय सीड्स, जालना एव कृषिदान सीड्स, जालना से क्रमशः 2500,1000 व 500 क्विंटल ज्वार का बीज सप्लाई करने हेतु आदेश दिये गये। इसके पेटे राज सुपीरियर श्री कलाहस्ती, 2547.49, विजय सीड्स, जालना 990·09 क्विंटल एवं 500.00 क्विंटल कृषिदान सीड्स, जालना से उपलब्ध कराया अर्थात 4734 क्विंटल की विभागीय मांग

(श्रीमती कमला)

के पेटे 4684 क्विंटल उपलब्ध कराया गया।

ज्वार बीज की राज्य में अधिकतम मांग कोटा सम्भाग, भरतपुर, भीलवाड़ा एव चित्तौड़ जिलों में रही। ज्वार सी. एस. एच-1 एवं सी. एस. एच-6 की मांग केवल भीलवाड़ा जिले में सीमित है जबकि बाकी जिलों में सी. एस. एच-5 की मांग थी। मांग के आधार पर बीज विभिन्न जिलों में निगम द्वारा जून के अन्तिम सप्ताह तक उपलब्ध करा दिया था, किन्तु वर्षा देर से होने के कारण ज्वार की बुवाई राज्य में इस वर्ष जुलाई के द्वितीय सप्ताह में प्रारम्भ की गयी जिसके परिणाम स्वरूप 1982 की खरीफ की 1612 क्विंटल ज्वार का ही वितरण किया गया जिसमें 1366 क्विंटल ज्वार सी. एस. एच-5 एव 256 क्विंटल सी. एस. एच-1 का बीज वितरित हुआ।

ज्वार बीज के अंकुरण के बारे में निगम के पास कोटा संभाग से शिकायत जुलाई के तृतीय सप्ताह में प्राप्त हुई। ज्वार के बीज के 5 लाट्स के नमूने कृषि विभाग द्वारा इसके पूर्व ही जुलाई के द्वितीय सप्ताह में राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा जयपुर को भिजवाये जा चुके थे। जिसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रयोगशाला द्वारा 21 जुलाई को उपलब्ध करवायी गयी। 5 लाट्स में से लाट नम्बर 0572, जिसमें 114.24 क्विंटल बीज की मात्रा थी जिसका वितरण कोटा जिले के बारां क्षेत्र में किया गया था, की अंकुरण क्षमता प्रयोगशाला द्वारा 55 प्रतिशत बतायी गयी, जो कि अमानक था अतः यह सूचना प्राप्त होते ही इस लाट की बिक्री बन्द कर दी गयी एवं ये निर्देश प्रदान किये गये कि जिन कृषकों को इस लाट का बीज दिया गया है उन्हें निःशुल्क नया बीज तुरन्त उपलब्ध करा दिया जाये ताकि वे समय रहते बुवाई कर सकें। यहां यह बताना आवश्यक है कि उपरोक्त लाट की अंकुरण क्षमता बीज प्रमाणीकरण संस्था, आंध्र प्रदेश द्वारा 77 प्रतिशत आंकी गयी थी जिसके आधार पर इसकी खरीद की गयी थी। शेष ज्वार का बीज जो निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश से खरीदा गया, आन्ध्र प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा 75 प्रतिशत व उसके अधिक बताई गयी।

जिन कृषकों द्वारा कोटा क्षेत्र में ज्वार के बीज की अंकुरण शिकायत थी उनकी जांच निगम एवं कृषि बिभाग द्वारा तुरन्त प्रारम्भ कर दी गयी थी। विजय सीड्स के प्रतिनिधि को भी कृषकों के खेतों का निरीक्षण कराया गया। उनका यह कहना था कि यह बीज आन्ध्र की संस्था द्वारा उन्नत किस्म का घोषित किया है एवं अंकुरण क्षमता सही कायम की हुई है अतः वे राज्य सरकार की जांच को सही नहीं मानते हैं। इसलिए लाट 0572 एवं अन्य लाट्स के 57 नमूने राष्ट्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली एवं राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा को भिजवाये गये ताकि सही स्थिति का पता लग सके। परीक्षण रिपोर्ट आने

(64)

(श्रीमती कमला)

पर सप्लायर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। फिलहाल ज्वार बीज सप्लायर का बकाया 5 प्रतिशत भुगतान रोक लिया गया है और बैंक गारन्टी 5 प्रतिशत अॉपरेट कर ली गई है।

भविष्य के लिए इस प्रकार की स्थिति के निराकरण हेतु निम्न निर्णय लिये गये हैं :—

बीज निगम द्वारा स्वयं की बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाये ताकि बाहर से खरीद जाने वाले बीज को, वहां की राजकीय संस्थाओं द्वारा प्रमाणित बीज का भी पुनः खरीद से पहले परीक्षण किया जा सके एवं उनकी अंकुरण क्षमता के बारे में आश्वस्त हो सके।

यह प्रयोगशाला रबी की फसल आने के पूर्व स्थापित कर दी जावेगी। वर्ष 1983-84 में कोटा, श्री गंगानगर एवं सूरतगढ़ विधायन केंद्रों पर भी छोटी प्रयोगशाला स्थापित कर दी जावेगी....

सूचना प्राप्ति प्रश्न

श्री शिवचरण माथुर, मुख्य मन्त्री का इस्तीफा

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन।

एक बजे की रेडियो न्यूज में आया है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री, श्री शिवचरण माथुर ने दिल्ली में इस्तीफा पेश कर दिया है। राज्य सरकार अब कोई भी कार्यवाही करने, उत्तर देने निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, इसलिए विधान सभा की कार्यवाही स्थगित की जावे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : व्यवस्था दीजिए।

श्री सभापति : माननीय अध्यक्ष के आने तक इस व्यवस्था को रिजर्व रखा जाता है।

एक माननीय सदस्य : एक जिम्मेदार सदस्य कह रहे हैं। मुख्य मन्त्री ने इस्तीफा दे दिया है, सरकार नहीं रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसको कन्फर्म होने दीजिए।

(1·07 मं. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

एक माननीय सदस्य : राजस्थान के मुख्य मन्त्री, श्री शिवचरण माथुर ने त्यागपत्र दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

मैंने सुन ली आपकी बात। बिना किसी गठित सरकार के कभी विधान सभा की बैठक नहीं होती। मान लो मुख्य मंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो इस्तीफा स्वीकार किया जाता है, अगर स्वीकार हो जाता है तो आल्टरनेटिव व्यवस्था की जाती है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस सदन की कार्यवाही नहीं चले।

आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : बाई जी इसलिए विराज रही हैं कि पहाड़िया जी की समर्थक हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। आर्डर प्लीज। उत्तर देने दीजिए। मैंने व्यवस्था दे दी है।

बीज निगम द्वारा वितरित किये गये संकर ज्वार बीज का अंकुरित न होना व बीज निगम द्वारा बरती गई अनियमितताएं

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कार्य सूची के अन्दर लिखा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उसमें तो था नहीं। आपने निर्देश दिया कि उत्पादन कार्यक्रम भी शामिल हैं। तो उत्पादन कार्यक्रम के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य ने पूछा था, उसका भी थोड़ा सा विवरण देना चाहूंगी। माननीय सदस्य ने खास तौर से भीलवाड़ा जिले में खरीफ-1982 में जो उत्पादन कार्यक्रम दिया गया, उसके बारे में कुछ जानकारी चाही है।

वर्ष खरीफ 1982 में अजमेर यूनिट (जिला भीलवाड़ा एवं अजमेर) के संकर ज्वार सी० एस० एच०–1 एवं सी० एस० एच०-5 के उत्पादन लक्ष्य क्रमशः 28 एवं 50 हैक्टेयर रखे गये थे। प्लान्ट इन्चार्ज, अजमेर को इस कार्यक्रम हेतु निम्न मात्रा में आधार बीज उपलब्ध कराया गया—

	नर	मादा
सी. एस. एच-1	1.00 क्वि	2.14 क्वि.
सी. एस. एच-5	1.00 ,,	2.00 ,,

उक्त प्रमाणित आधार बीज राष्ट्रीय बीज निगम से प्राप्त किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले में 30 हैक्टेयर में सी० एस० एच. 1 एवं 22·8 हैक्टेयर में सी० एस० एच. 5 का उत्पादन कार्यक्रम लिया जा सका। सी० एस० एच०-1 का उत्पादन कार्यक्रम ग्वार उत्पादकों को दिया गया है, जब कि सी०

(श्रीमती कमला)

एस० एच. 5 का उत्पादन कार्यक्रम सब उत्पादकों को दिया गया है। इस कार्यक्रम हेतु उत्पादन क्षेत्र में आवश्यक न्यूनतम पृथककरण दूरी का ध्यान रखते हुए ही उत्पादकों का चयन किया जाता है। पृथक करण दूरी ज्वार के लिए 200 मीटर रखी जाती है।

निगम द्वारा फील्ड् सलेक्शन में कोई अनियमितता नहीं बरती, न ही नर मादा बीज के वितरण में पक्षपात किया है। ज्वार का आधार बीज 1:2 नर व मादा के अनुपात में बोया जाता है। इसी के अनुरूप आधार बीज का वितरण किया गया है, संलग्न सूची से स्पष्ट है। उपरोक्त 18 उत्पादकों का चयन इसी मानदण्ड के अनुसार किया गया है।

बीज वितरण में अनियमितता अथवा अंकुरण के बारे में किसी भी उत्पादक से कोई शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। इस बाबत फसल का प्रथम निरीक्षण किया जाकर फसल की स्थिति अच्छी बताई गयी है।

(1·09 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जिन्होंने पहले प्रस्ताव दे रखे है प्राथमिकता के आधार पर, दो-दो मिनट में डाइरेक्ट प्रश्न पूछ लें, स्पेसिफिक प्रश्न पूछ लें।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : माननीय सभापति महोदय, भीलवाड़ा का सवाल है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पहले उनका प्रश्न हो जाये। उनके बाद ही आपके....

श्री नानूराम कुमावत (आसीन्दा) : सभापति है महोदया, मैंने उनसे पूछ लिया वह स्वयं एग्री हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें, चेयर, द्वारा व्यवस्था दी जा चुकी है। माननीय सदस्य, पहले श्री पटवा बोलेंगे,

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय सभापति महोदया जी, माननीय मंत्री महोदया ने ज्वार के बीज के बारे में और संकर ज्वार बीज उत्पादन की दृष्टि से नर और मादा के बारे में कुछ डेटाज देकर सारी बातें रखीं। जो आंकड़े और फिगर्स माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, वह सत्य से परे हैं। जो कुछ भी बातें उन्होंने बताई है, फैक्ट्स के आधार पर, नीति के आधार पर सकर बीज उत्पादन जो किया जाता है उसमें कितने मीटर की दूरी होनी चाहिये इस तरह की कुछ बातें कहीं गईं। मैं अपने जिले की दृष्टि से निवेदन

(श्री बंशीलाल पटवा)

करूंगा, मेरे क्षेत्र में जो संकर ज्वार बीज उत्पादन की दृष्टि से नर और मादा दोनों वितरित किये गये हैं, उसमें इर्रेगुलेरिटीज भी काफी वरती गई हैं। राजस्थान सीड्स कार्पोरेशन का जो दफ्तर हमारे भीलवाड़ा का है वह अजमेर में लगता है। उसके इन्सपेक्टर मिस्टर गर्ग और एक देवपुरा है। यह दोनों कृषकों को बुलाकर अजमेर ले गये। अजमेर में उन्होंने दो सौ रुपये प्रति व्यक्ति से लीज की दृष्टि से वहां पर जमा कराया। उसके साथ-साथ इन लोगों ने पहले इस तरह का एक कार्यक्रम दिया, जिसके कारण कृषि विभाग ने सारी सूचना एकत्रित करके, उसकी सूची प्रस्तुत की, लेकिन कृषि विभाग द्वारा आज दिन तक भी बीज उन्हें वितरित नहीं किया गया है। न उनको सूचना ही दी गई। जिन लोगों के पैसे उनके पास डिपोजिट किये गये उनको बीज नहीं दिया और रातों-रात आकर कुछ पार्टियों से मिल कर मिली भगत के आधार पर ऐसा अरेन्जमेन्ट किया कि कुछ गिनती के ही आदमियों को बीज वितरित कर दिया और चले गये। जहां तक नियम की बात है वैसे मैं पूर्णतया कृषक नहीं हूं थोड़ी सी जमीन होने के नाते अनुभव है कि किस तरह से खेती होती है, माननीय कृषि मंत्री महोदया खुद खेती से सम्बन्धित हैं उन्हें किसानों की खेती का काफी अनुभव है। पिछले सत्र में बीज निगम की अनियमितताओं को स्वयं स्वीकार कर चुकी हैं। आज भी प्रतिशत के बारे में उन्होंने सारी बातें कहीं, लेकिन जो बीज नर और मादा, वितरित किया, देवपुरा इन्सपेक्टर ने इस तरह के सीड का सलेक्शन किया जिसके आधार पर पड़ोस में ग्रूव नहीं होना चाहिये, ज्वार की खेती नहीं होनी चाहिये। लेकिन पैसा खाकर, घूस लेकर उस इन्सपेक्टर ने ऐसे व्यक्तियों के सीड का सलेक्शन किया जिसके पास पड़ोस में ग्रूव हैं। आज भी यदि माननीय मंत्री महोदया चलें तो मैं चलकर दिखा दूं पड़ोस में ज्वार की खेती है, ऐसी स्थिति में एक तो वह कारण है।

दूसरा कारण सीड्स सलेक्शन का है। सभापति महोदया, ज्वार जहां नहीं वहां पर भी इसका अंकुरण नहीं हुआ, परीक्षा की गई आन्ध्र-प्रदेश में लेकिन प्रयोगशाला में इसका पता नहीं इसके फैक्ट्स एण्ड फिगर्स माण्डल कांस्टीट्यूएसी में जाकर देख लें वहां पर अंकुरण नहीं हुआ। इस तरह से भीलवाड़ा कांस्टीट्यूएंसी में जहां बीज दिया है संकर बाजरे का बीज....

श्रीमती कमला : सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्य से,

श्री बंशीलाल पटवा : भीलवाड़ा में आपके....

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य एक सैकण्ड। मैं चाहती हूं कि 18 में कृषकों के नाम दिये हैं उनमें से सचमुच में किसी की शिकायत हो कि इस तरह की गड़बड़ी हुई है या ऐसे कृषक थे जो बीज लेना चाहते थे लेकिन उन्हें बीज नहीं दिया गया है,

Page No 68

68

(श्रीमती कमला)

यह आप बता दें उस पर मैं उत्तरोत्तर कदम उठाऊंगी। जनरल बात कहेंगे तो मैं कुछ नहीं पकड़ पाऊंगी।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं संक्षेप में अर्ज करता हूं। मेरे पास कुछ शिकायतें आई हैं, उन्हें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। आपके दफ्तर में भी शिकायतें आई हैं।

मेरे कहने का आशय यह है कि इस तरह से बीज का अंकुरण नहीं हुआ। ज्वार का बीज दिया गया उसका अंकुरण नहीं हुआ। इस तरह से प्रति वर्ष किसानों के साथ धोखा-धड़ी होती है। संकर ज्वार का जो बीज दिया गया उसका भी अंकुरण नहीं हुआ, बाजरे का बीज दिया गया उसका भी अंकुरण नहीं हुआ, मक्का का दिया गया उसका भी अंकुरण नहीं हुआ।

चार वर्ष से पूरा अकाल है राजस्थान में। इस वर्ष थोड़ी सी वर्षा हुई थी और किसानों के मन में आशा जगी थी। उन्होंने कोशिश करके, प्रयत्न करके जैसे तैसे,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

व्यवस्था की। उसके बाद जो बीज वितरित किया गया वह अंकुरित नहीं हुआ। किसानों के साथ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में अपनी बातें कहें....

श्री बंशीलाल पटवा : किसानों को बहुत बड़ा लॉस हुआ उस लॉस के हर्जाने की पूर्ति कौन कर सकता है? माननीय मन्त्री महोदया ने कह दिया किया कि बीज दूसरा सप्लाई कर दिया जाय। बीज तो आप दूसरा सप्लाई कर देंगे लेकिन सवाल इस बात का है कि आपके विभाग और राजस्थान सीड्स कॉर्पोरेशन द्वारा अनियमिततायें बरती जा रही हैं, जो करप्ट प्रेक्टिस हो रही है जो बीज वितरित किया गया उसमें यहां तक हुआ कि आटे का भूसा भी मिला हुआ था। आपको बताऊं, जहाजपुर में तो बीज नर और मादा के देने के बजाय कहीं नर नहीं दिया गया, कहीं मादा नहीं दिया गया। यह इर्रेगुलेरिटीज बरती गई। फिर कहते हैं कि संकर बीज का उत्पादन अच्छी तरह से हो। सीड्स सलेक्शन में अनियमिततायें की गई तो बीज कैसे उत्पादन होगा। यह सारी बातें हैं। आज लाखों करोड़ों रुपया कृषि विभाग पर खर्च किया जाता है फिर भी सीड्स कार्पोरेशन यह यह काम करता है। यह आपका दफ्तर किस लिये है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और सीड्स कार्पोरेशन में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। सारे काम कृषि विभाग देखता है, कार्य सूची वह बनाता है, क्षेत्र में वह घूमता है। नियम बना रखे हैं कि ग्राम सेवक 8 दिन में एक बार कृषकों से सम्पर्क करेगा। यह क्या झमेला है, इतना बड़ा खर्चा होता है राजस्थान में....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करिये।

श्री बंशीलाल पटवा : संक्षेप में, माननीय मन्त्री महोदया जी इतना ही निवेदन है कि आपने जिन कृषकों को बीज दिया, संकर बीज उत्पादन करने के लिये नर और नरी बीज दिया गया, कहीं बाजरे का दिया गया कहीं मक्का करा दिया गया, कहीं संकर बीज ज्वार का दिया गया। इसका आप असेसमेंट करवायें किसी उच्च अधिकारी से, आपके कृषि मन्त्रालय से। सीड्स कार्पोरेशन, राजस्थान सीड्स कार्पोरेशन और बीज निगम ये बहुत बड़े करप्शन के अड्डे हैं, भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। प्रत्येक वर्ष लाखों रुपयों का घपला होता है। माननीय मन्त्री महोदया ने जो बातें कहीं, वह तो पेपर लैंग्वेज में है। पेपर लैंग्वेज में कुछ भी कहा जा सकता है वह तो मैं भी कह सकता हूं। इस पर मत जाइये किसानों के हितों के बारे में सोचिये। कोई काम्पीटेन्ट अथोरिटी हो या इस तरह की व्यवस्था हो जो कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ा सके, राजस्थान में इस तरह की व्यवस्था करने की कृपा करें,

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करिये।

श्री बंशीलाल पटवा : बस मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : रघुवीरसिंह कौशल।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : माननीय सभापति महोदय, जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं अधूरा किसान हूं। मैं पूरा किसान हूं और स्पेसिफिक चार्ज लगा रहा हूं। मैंने पिछली बार भी संकर ज्वार के बारे में शिकायत की थी और आपने निर्देश दिये थे। आप निर्देशों की पालना का बात करती हैं तो मैं गत सत्र में आपके द्वारा दी हुई स्पीच के अंश पढ़ कर सुनाता हूं। "निगम को निर्देश दिया गया है कि परीक्षण के आधार पर अंकुरण नहीं होना प्रमाणित हो चुका है, उन किसानों को मुआवजा दिया जायगा।" क्या आप उत्तर दे सकती हैं कि कितने कितने किसानों को अब तक मुआवजा दिया गया ? क्या आपके निर्देशों की पालना सीड कार्पोरेशन ने की ? मुझे ऐसा लगता है कि आप मजबूर हैं, जो एक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितनी मजबूर हैं, यह आपकी स्पीच से मैं सिद्ध करना चाहता हूं। आपने भाषण दिया पिछली बार, "इस सम्बन्ध में शिकायतें मुझे खुद को भी मिली थीं। कम अंकुरण के सम्बन्ध में कोटा संभाग के अधिकारियों से बीज की शिकायतें, एक रीजनल लेवल आफिसर्स की कान्फ्रेंस उस समय हुई थी उस वक्त भी कुछ और अधिकारियों ने शिकायतें की थीं उनको मैंने इकट्ठा करके चेयरमैन सीड कार्पोरेशन, जो एग्रीकल्चर सैक्रेटरी भी हैं, को भेज दी हैं।" आप हैल्पलैस हैं, आप मजबूर हैं। उनकी शिकायतों की जांच आप उनसे ही करवाना चाहती हैं। जो सीड कार्पोरेशन की प्रॉब्लम है, चेयरमैन एग्रीकल्चर सैक्रेटरी भी है,

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

इस बात को आप भी स्वीकार कर रही हैं। आपने पिछली स्पीच में यह भी कहा था, "जरा सुनिये" आपने ऐसे ही शुरू किया था, "जरा सुनिये," मतलब एग्रीकल्चर सैक्रेटरी से नहीं, मैंने स्वयं ने इस बारे में महसूस किया है कि एक ही व्यक्ति चेयरमैन हो, एम० डी० हो और वही व्यक्ति डिपार्टमेन्ट का सैक्रेटरी हो तो कार्पोरेशन में बहुत ही असुविधा होती है, बल्कि विभाग को शिकायत करने में भी संकोच होता है और अधिकारी शिकायत नहीं कर पाते।" आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, क्या आप इस बात में असमर्थ हैं कि सीड कार्पोरेशन के चेयरमैन को हटा दें। संकर ज्वार के कम अंकुरण की सारी प्रॉब्लम है। सीड कार्पोरेशन के चेयरमैन एग्रीकल्चर सैक्रेटरी भी हैं। नेशनल सीड कार्पोरेशन से आपने ज्वार नहीं खरीदी क्योंकि वहां से कमीशन नहीं मिल सकता था। कर्नाटक सीड कार्पोरेशन से ज्वार नहीं खरीदी, आन्ध्र प्रदेश सीड कार्पोरेशन से ज्वार नहीं खरीदी, महाराष्ट्र कार्पोरेशन से आपने ज्वार नहीं खरीदी क्योंकि कमीशन नहीं मिलता। जो सरकारी संस्थायें हैं, जो आटोनामस बॉडी हैं उनसे नहीं खरीदी। खरीदी किससे? प्राइवेट लोगों से। क्या आप सिद्ध कर सकती हैं कि आपकी लेबोरेट्री में गलत परीक्षण हुआ है? यदि गलत परीक्षण हुआ है तो क्या राजस्थान स्टेट सीड कार्पोरेशन का ही हुआ है? नेशनलसीड कार्पोरेशन के बारे में जो रिपोर्ट आई है उनकी अंकुरण क्षमता देखिये—"माइको प्राइवेट कम्पनी है 476 नम्बर का जो लॉट है उसका परीक्षण 70 पर्सेन्ट, पर्सेन्ट 90 उसका दूसरा जो 454 नम्बर का लॉट है 80 पर्सेन्ट, 83 पर्सेन्ट नेशनल सीड कार्पोरेशन का 86 पर्सेन्ट, 87 पर्सेन्ट। वह लेबोरेट्री इनका ठीक परीक्षण कर देती है। लेकिन राजस्थान सीड कार्पोरेशन के बारे में इन्होंने कहा है 60 पर्सेन्ट से ऊपर किसी का नहीं है, 53 पर्सेन्ट, 55 पर्सेन्ट। आपने बड़े गौरव से कहा है कि उनको ज्वार बदल दी गई। जुलाई के लास्ट वीक में सोइंग है। उसमें ज्वार नहीं उगे और आप अगस्त में ज्वार के बीज को बदल कर दें तो क्या सम्भव है कि लोग ज्वार की खेती करेंगे।

पिछले साल का जो लॉट यहां आया था सैम्पल में, जिनका कम अंकुरण सिद्ध हो चुका है क्या, मन्त्री महोदय, आपने उनको मुआवजा दिलवाया? क्या मैं आपको रिकार्ड से सिद्ध करूं कि कोटा में ज्वार बिलकुल नहीं उगी? मैं आपको डिप्टी डाइरेक्टर, जिससे आपने रिपोर्ट मांगी थी, की रिपोर्ट पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने स्पष्ट लिखा है पत्र में, "इनमें से एक राज्य बीमा निगम को छोड़कर अन्य का किसान को जो वितरित किया गया, संकर बीज उस के सम्बन्ध में कम अंकुरण की शिकायत नहीं आई है।" यह मैं रिपोर्ट से सिद्ध कर रहा हूं। आपके डिप्टी डाइरेक्टर ने पत्र लिखा है, "केवल स्टेट सीड कार्पोरेशन को छोड़कर किसी की भी शिकायत नहीं आई कि उसका बीज कम अंकुरित हुआ है। विभिन्न अधिकारियों द्वारा लिये गये संकर

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

बीज के नमूनों में अवमानक नमूने राज्य बीज निगम के ही पाये गये जिनकी सूचना समय-समय पर दे दी गई।" वह आगे लिखते हैं, "जिला कृषि अधिकारी बारां, क्षेत्रीय प्रबन्धक राज्य बीज निगम कोटा द्वारा सामूहिक रूप से क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थिति का पता लगाया गया, कृषकों की शिकायतें सही पाई गई।" यह आपके डिप्टी डाइरेक्टर एग्रीकल्चर लिख रहे हैं कि कृषकों की शिकायतें सही पाई गई कम अंकुरण की। पत्र में आगे लिखते हैं, "इसी प्रकार से सांगोद और अन्ता क्षेत्रों में भी बीज की निरन्तर शिकायतें आ रही हैं।" इन्होंने जो सामूहिक भ्रमण किया है उनकी रिपोर्ट पढ़िये, आप के पास होगी, आप यहां बतायेंगी नहीं। वन-बाई-वन में पांच पौधे आये हैं, जबकि 15 से 20 पौधे होने चाहिये। इससे ज्यादा आपको क्या प्रमाण चाहिये कि कोटा में एक भी किसान के खेत में ठीक अंकुरण नहीं हुआ। इसी प्रकार से बारां के प्रधान ने आपको पत्र लिखा, आपके नाम भी लिखा है, मुझे पता है, मुझे बताया था था उन्होंने कि 20 प्रतिशत से ज्यादा अंकुरण संकर ज्वार का कहीं भी नहीं हुआ जो स्टेट सीड कार्पोरेशन का बीज है। जो माइको का बीज है उस बीज का अंकुरण ठीक हुआ है, इसके पीछे रहस्य क्या है ? इसके पीछे रहस्य यही है कि यह ज्वार खरीदी तब लोगों को मालूम पड़ गया था कि ज्वार में फ्राड हुआ है। यह राजस्थान के किसानों के साथ भारी धोखा हुआ है। जब बीज नहीं बिका....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदया, मेरा विषय है, मैं कम बोलता हूं। मैं किसानों की समस्या बता रहा हूं, रिकार्ड से सिद्ध कर रहा हूं, कि किसानों के साथ फ्राड हुआ है। मन्त्री महोदय इसकी जांच करायें तो फ्राड सिद्ध होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : संक्षेप में, बहुत संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं।

माननीय मन्त्री महोदय, जब यह बीज नहीं बिका तब क्या रास्ता अपनाया गया। डिप्टी डाइरेक्टर झालावाड़ ने, सब जिला अधिकारियो, कृषि अधिकारियों को पत्र लिखा। एग्रीकल्चर सैक्रेटरी भी यहां मीटिंग में थे इन्होंने जो आदेश दिया, उस आदेश के अनुसार डिप्टी डाइरेक्टर झालावाड़ पत्र लिखते हैं अपने ए. ई. ओज और डी. ई. ओज को, "आप अपने क्षेत्रों में ध्यान रखें कि नेशनल सीड कार्पोरेशन या किसी प्राइवेट कम्पनी की ज्वार नहीं बिके। यदि कोई बेच रहा हो तो उसका सैम्पल लें और छापा मारकर उसके स्टाक को सीज कर दें।,, मार्केटिंग सोसाइटीज के ऊपर को-ऑपरेटिव के अधिकारी जा बैठे, आप अपने यहां केवल स्टेट सीड कार्पोरेशन की

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

ज्वार ही बेचेंगे, दूसरी ज्वार बेच नहीं सकते । इस बात का प्रमाण यह है कि आज मार्केटिंग सोसाइटीज में दो-दो सौ क्विन्टल ज्वार पड़ी हुई है जो दो लाख की होती है । मार्केटिंग सोसाइटीज के दिवाले निकल गये, क्योंकि वह बीज बिका नहीं । यह एक तरीका, एक रास्ता आपने अपनाया । मैं दावे से कह सकता हूं कि संकर ज्वार के मामले में जितना फ्राड हुआ है, अगर उसकी ईमानदारी से जांच करें तो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, जो सीड कार्पोरेशन के चेयरमेन भी हैं, को बर्खास्त कर देना चाहिये और आपमें नैतिकता हो तो इस्तीफा देना चाहिये इस बात पर कि सैंकड़ों किसानों के साथ जो धोखा किया गया उसके जिम्मेदार आप हैं । मैंने पिछली बार सारा स्पष्टीकरण किया था, आपने स्वीकार किया था । किसानों के साथ यह एक बहुत बड़ी धोखा घड़ी है और मन्त्री महोदया कुछ नहीं कर सकीं । आप हैल्पलैस हैं, आपकी डिपार्टमेंट में चलती नहीं, आपके निर्देशों का पालन नहीं होता और किसान पिस रहे हैं । इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सीड कार्पोरेशन को ताला लगाने से पहले आप इसमें चेयरमैन बना दें । यह देखिये, मैं आपको सारे समाचार पढ़ देता हूं, बीज निगम को 70 लाख का घाटा । यह 13 अगस्त का है । यह घाटा कहां से हो रहा है । आपने कितनी ज्वार मंगाई, कितनी ज्वार आपको वितरित हुई, कितनी ज्वार बची । आप अभी एस० पी० वी० 245 की बात कर रहीं थीं उसके लिये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एस.पी.बी आपने बेची है, झालावाड़ में 64क्विन्टल दी है । क्या झालावाड़ के 16 ए० ई० ओज ने लिखकर डिप्टी डाइरेक्टर को नहीं दिया कि 64 क्विन्टल में से एक दाना भी नहीं उगा है । मैं चैलेन्ज करता हूं, यदि आप कहती हैं, 16 ए० ई० ओज. ने लिखकर नहीं दिया, 64 क्विन्टल ज्वार के लिए । एक-एक को चार-चार क्विन्टल ज्वार दी गई, 16 ए० ई० ओज० ने रिपोर्ट दी है कि एक भी दाना नहीं उगा । कोटा डी० ई० ओ० ने लिखकर दिया है कि यह ज्वार उगने योग्य नहीं है, आप एस० पी० बी० 245 की बात कर रही हैं, उसकी मैं आपको बता रहा था । आप जांच कर लीजिये । झालावाड़ में आपका एक भी बीज नहीं उगा । मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप देख लें अगर एक भी बीज उगा हो । उसके बाद भी आप यदि मन्त्री बनी रहती हैं तो यह हमारे लिये शर्म की बात है । आपने किसानों के साथ धोखा किया है । आपकी यदि मिलीभगत है फिफ्टी-फिफ्टी की, यदि आप मजबूर हैं तो इन दोनों स्थितियों में आपको इस्तीफा दे देना चाहिये । किसानों का बीज बरबाद गया, पैसा बरबाद गया, समय बरबाद गया, खाद बरबाद गई, खेत खाली गये । क्या आप किसानों को विश्वास दिलायेंगी ? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने स्टेट सीड्स कार्पोरेशन को 16 रिमाइण्डर दिये, इस बात को आप बतलायेंगी ? पिछली बार जो नमूना खराब हुआ उससे किसानों का हर्जाना हुआ, कितना चुकाया गया । किसान को

(श्री रंघुवीरसिंह कौशल)

आपका विभाग क्या जबाव देगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कोई 16 रिमाइण्डर आने के बाद उत्तर नहीं आया, यह क्या सिद्ध करता है ? आप हमको धोखा देना चाहती हैं। आप यहां केवल झूठे आश्वासन दे सकती हैं कि हम किसानों को मुआवजा देंगे। किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। आज किसान का स्टेट बीज निगम से विश्वास उठ गया है। जो कुछ हुआ आप उसकी ईमानदारी से जांच करवायें। आप किसानों की हितैषी होने की बात करती हैं, आप हमसे मत मिलिये, हमको आप विरोधी कहेंगी, आप कांग्रेस के प्रधानों से मिलें जिन्होंने आपको कई पत्र और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भी भेजी है। इतना बड़ा फ्राड हुआ है और आप चुपचाप बैठी रहें, इससे ज्यादा हम लोगों के लिये दुःख की बात क्या हो सकती है। आप किसानों की बात करती हैं लेकिन स्टेट सीड्स कार्पोरेशन का बीज नहीं उगा। हमारी मिनिस्टर, जो किसानों की बात करती है, किसान के खेत में आकर नहीं देख नहीं सकतीं। जो संकर ज्वार आपका बच गया है उसका अगले साल आप क्या करेंगी ? क्या वह अगले साल किसानों को देंगी ? आपने इस तरह का आदेश निकाला 7 पर्सेन्ट एनमूयेन का। 70 प्रतिशत आपका ज्वार बचा, मन्त्री महोदय, संकर ज्वार के जितने नमूने हैं, 50 हैं। 70 पर्सेंट का रिजल्ट आया, उसमें एक का भी अकुरण नहीं हुआ। 60-61, 55-53 और संस्थाओं के ज्वार का क्या हुआ, केवल स्टेट सीड्स कार्पोरेशन की ज्वार का रिजल्ट आया। इसके पीछे क्या बात है। यह जो ज्वार आपका बचा है उसका अगले साल क्या करेंगी, इसको तो कोई खा नहीं सकता, क्योंकि यह बीज है। भगवान के नाम पर इसको कुओं में डाल कर कुएं बन्द करवा दीजिये, वरना स्टेट कार्पोरेशन उसको फिर अगले साल वितरित करवायेगा। मन्त्री महोदया, जब आप जवाब देंगी तो आप आश्वासन दें कि हम एस० बी० डी० 245 की जांच करवायेंगे। लेकिन आप चाहते हुये भी कुछ नहीं करवा सकेंगी, मुझे तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। किसानों का कम अंकुरण हुआ : आप उनको शीघ्रातिशीघ्र मुआवजा दिलायें।

श्री सभापति : माननीय हीरालाल आर्य।

अगर माननीय सदस्य, दो माननीय सदस्यों से अलग हट कर कुछ नई चीज बताना चाहें तो बोलें।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था और अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी....

श्री सभापति : मैं, माननीय सदस्य, आपका ध्यानाकर्षण कर रही हूं।

श्री महाराम चौधरी : मेरे पास स्थगन प्रस्ताव की कापी है। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि दूसरों के साथ मुझे भी बोलने का मौका दिया जायेगा। सरकार से जवाब

74

(श्री महाराम चौधरी)

मंगाया है जवाब के साथ यह कहा था कि आपको भी बोलने का मौका दिया जायेगा। मैं सिर्फ दो मिनट ही बोलूंगा।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय सभापति महोदया, संकर बीज के प्रति किसानों का लगाव बढ़ता जा रहा है और उसके उत्पादन को देखते हुए, किसान अधिक से अधिक अपने खेतों में संकर बीज का ज्वार उगाना पसन्द करता है। संकर बीज के प्रति एक तरफ तो किसानों की यह उत्सुकता और दूसरी तरफ जो बीज निगम है और आपका कृषि विभाग है, किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसके बारे में मैं आपके माध्यम से कुछ शब्द कह कर माननीय मन्त्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

संकर बीज का सी० ए० टी० एस० नम्बर 45 बीज था। यह कोटा जिले में और राजस्थान के दो जिलों में वितरित किया गया। हमारे पीपल्दा के क्षेत्र के किसानों ने भी यह बीज खरीदा। बीज खरीदने के बाद जब किसानों ने उसे बोया और वह उगा नहीं तब लोग मेरे पास और कहने लगे कि हमने वह बीज बोया और उगा नहीं। हमने तब कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना दी कि बीज नहीं उगा। सूचना कृषि विभाग के पास पहुंची तो कृषि विभाग के अधिकारियों ने मार्केटिंग के माध्यम से उन किसानों को बुला-बुला कर दूसरा बीज देना शुरू किया।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब किसानों ने बोया और वह नहीं उगा तो दोबारा बीज देने का क्या अर्थ है? किसनों ने एक बार उस बीज को अपने खेतों में बो दिया, क्योंकि इस साल निरन्तर वर्षा हुई और जो दुबारा बीज देने की प्रक्रिया आपने की, वह अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए की थी। लेकिन जो बीज किसानों को दिया गया था, जो उगा नहीं उसकी कीमत किसानों को लौटायी जाये।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि फसल बर्बाद हो गई. किसानों के खेत पड़त पड़े है और उसकी वजह से उनकी फसल बिलकुल नष्ट हो गई, उनको फसल का मुआवजा भी दिया जाये। क्योंकि हमारे गांव के किसान खेती पर निर्भर करते हैं इसके अलावा कोई अन्य चारा उनके पास नहीं है, उनका जीवन बर्बाद होने को है। मैं यह निवेदन करूंगा कि उनको अपनी फसल का मुआवजा दें, जो बीज खराब गया, नहीं उगा, उसकी कीमत तुरन्त लौटाई जाये। साथ ही, सभापति महोदया मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो अधिकारी इस बीज को लाने के दोषी हैं, पिछले साल भी इस तरह की राजस्थान में शिकायतें आई थीं कि बीज खराब हो गया, उगा नहीं और मन्त्री महोदया ने घोषणा की थी कि हम उनको मुआवजा दिलायेंगे, लेकिन किसानों को आज दिन तक मुआवजा नहीं दिया गया

(श्री हीरालाल ग्रार्य)

किसानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उन अधिकारियों के खिलाफ, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कार्यवाही की जाये।

श्री सभापति : श्री भूपालसिंह। ग्राप एक मिनट में इससे हट कर नयी बात बोलें।

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : मेरा ग्रर्ज करना यह है कि यह तो निर्विवाद मन्त्री महोदया ने मान लिया कि बीज खराब था ग्रौर उस बीज के बजाय दूसरा बीज उनको दिलाने की बात हो चुकी है। इस पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं। ग्रब सवाल यह है कि वह बीज खराब था, यही नहीं ग्रौर भी कई तरह की बातें ऐसी चल रही हैं, इसको रोका कैसे जाये। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीज खरीदा जाता है, वह सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थायें हैं, उनसे नहीं खरीद कर प्राइवेट फर्मों से खरीदते हैं, इसको ग्रगर बन्द कर दिया जाये तो यह घोटाला ग्रपने ग्राप खतम हो जाये। वैसे इसके लिए ग्रापके पास मिलावट ग्रौर क्वालिटी एक्ट है, उसके तहत ग्रापने केस क्यों नहीं चलाया? यदि ग्रापके पास यह ग्रधिकार नहीं है तो इस ग्रधिकार को ग्रापने क्यों नहीं लेना चाहा? इस कृषि प्रधान देश के ग्रन्दर ऐसा बीज दें किसानों को, जिसका ग्रंकुरण न हो। किसान के 10 रुपये बीज के साथ एक हजार रुपये का नुकसान हो जाता है, यानि 100 गुना इसकी व्यवस्था ग्रगर मन्त्रीजी नहीं कर सकें फिर यह कृषि प्रधान देश कहने के हकदार नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि ग्रगर उस एक्ट में ग्रापको ग्रधिकार नहीं है तो लेना चाहिये। मेरी जहां तक जानकारी है ग्रापको ग्रधिकार है, लेकिन ग्राप उसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि ऊपर से नीचे तक एक ऐसी सीढ़ी बनी हुई है। ग्राज ग्रापके कृषि विभाग में ग्राम सेवक से लेकर जिला लेवल तक ऊपर के ग्राफिसर्स के संरक्षण में नकली बीज किसानों को भेजे हैं। इसको रोकने के लिये ग्रापको कदम उठाने चाहिये। इससे काम नहीं चलेगा कि ग्रापने 5 प्रतिशत, जिसको ग्रापने बीज दिया उसका ग्रापके पास डिपोजिट रिसीट था, वह जब्त कर लिया। बस, यही सजा ग्रापने उसको दे दी। बाजार में जो 1॥ रुपये किलो ज्वार मिलती है वह ग्रापने 6), 8) या 10) में किसानों को दी। वह क्या 1॥ रुपये किलो ज्वार नहीं खरीद सकता था? उन्होंने 8) ग्रौर 10) रुपये में खरीदी इसलिए कि उनका सोइंग हो। ग्रगर उसमें धोखा हुग्रा है तो उस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? मुकदमा ग्रापने इसलिये नहीं चलाया कि ग्राप उससे बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं ग्रौर लीपापोती करके उसको खतम करना चाहते हैं।

मेरा सुझाव है कि जब ग्रापने बीज उत्पादकों में सदस्यता, ले बीज के रुपये जमा करवा लिये हैं, ग्रापके पास हजारों रुपये जमा हैं इस संस्था के, तो राज्य लेवल

(श्री भूपालसिंह)

और जिला लेवल पर चुनाव करा कर और बीज उत्पादकों का संगठन क्यों नहीं करते हैं ? संगठन को दबा रखा है; क्योंकि सरकारी अफसरों के भरोसे इसको छोड़ दिया। इसका अर्थ है, जन प्रतिनिधियों को आप समझना नहीं चाहते, किसानों के हित की रक्षा नहीं करना चाहते। केवल सरकारी अफसरों को सौंप कर किसानों को लूटना चाहते हैं।

मन्त्री महोदय, मेरा अर्ज करना यह है कि इस तरह से बीज में ही नहीं, हर प्रकार के बीज में, खाद में, दवाइयों में, सब में मिलावट होकर किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए आप इन सभी तरफ ध्यान लगायें और इन फर्जी दवाइयां वेचने वालों, कम खाद देने वालों, फर्जी खाद देने वालों को पकड़ कर उसका चालान करें। आपने आज तक कोई चालान नहीं किया, इसका मतलब यह है कि जितनी खाद आती है, पूरी प्योर आती है, पूरी सही आती है, पूरा वजन आता है, यह आपने तसल्ली कर रखी है। लेकिन ऐसा नहीं है, बेचारे किसान भोले-भाले हैं, जल्दी-जल्दी में जिसको जो मिलता है वही काम में लेते हैं, समय-समय पर इसका ब्लैक होता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री भूपालसिंह : बस हुकम, मैं तो यही सुझाव देने वाला था और कोई....

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य, आप एक मिनट में अपनी बात कहेंगे।

श्री नानूराम कुमावत : सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे एक मिनट दिया।

श्री सभापति : एक मिनट का मतलब एक मिनट ही होना चाहिये।

श्री नानूराम कुमावत : जैसा अभी कृषि मन्त्री ने बीज के बारे में स्टेटमेंट दिया उस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने ज्वार के बारे में कहा. मन्त्री महोदया, आप नोट कर रही हैं, लेकिन इसको थोड़ा सुनें। सी. एस. एस.-1 और सी. एस. एस.-5। यह तरह-तरह के बीज अपने भीलवाड़ा जिले में दिये, ठीक है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, इसमें जो 77 प्रतिशत जर्मिनेशन होता है क्या 25 प्रतिशत जर्मिनेशन हुआ है इसका ? एक चीज। दूसरी चीज, आपके पास जो आंकड़े कृषि विभाग वालों ने और सीड कार्पोरेशन वालों ने भेजे हैं, यह बिलकुल गलत है। मैंने स्वयं ने ज्वार बोई है, मैं काश्तकार हूं, आप भी किसान हैं, राजस्थान ही नहीं में बल्कि हिन्दुस्तान में 80 प्रतिशत किसान रहते हैं, किसान का प्रतिनिधि होने से मन में थोड़ी पीड़ा हुई। इसलिए सच्ची बात कहता हूं वहां पर 25 प्रतिशत ज्वार का जर्मिनेशन नहीं हुआ। एक-एक

(श्री नानूराम कुमावत)

काश्तकार ने तीन-तीन, चार-चार बार ज्वार का बीज बोया, मक्की का बीज बोया उसके बाद जर्मिनेशन नहीं हुआ।

श्री सभापति : आप रिपीट कर रहे हैं जो पहले ही माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

स्थान ग्रहण करें।

श्री नानूराम कुमावत : भीलवाड़ा जिले के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। दूसरी चीज एक और निवेदन करना चाहता हूं। लास्ट ईअर भी मैंने एक प्रश्न उठाया था यहां पर, उस समय मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि अगर बीज निगम ने जो बीज दिया वह नहीं उगा तो उसके खिलाफ जांच की जायेगी, सजा दिलाई जायेगी और किसान को मुआवजा दिलाया जायगा। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या आज, मन्त्री महोदया, आप आश्वासन देंगी कि जो इस प्रकार का गलत बीज दिया गया उसका किसानों को मुआवजा मिलेगा? अगर पहले आपने सदन में आश्वासन दिया, उस पर कार्यवाही नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई?

श्री सभापति : निवेदन हो चुका, स्थान ग्रहण करें।

श्री नानूराम कुमावत : एक और चीज निवेदन करना चाहता हूं। पहले लास्ट ईअर भी सड़ा-गला बीज कई सोसाइटी को दिया, जो आपने कृषि विभाग के माध्यम से नहीं दिया, केवल सोसाइटीज को दिया, उसका पैसा ले लिया। जो सड़ा-गला बीज था, किसानों ने वापस दिया कि यह सड़ा-गला है इसको नहीं बोयेंगे और सोसाइटी के हैड क्वार्टर पर पहुंचा दिया। सारा पैसा, सोसाइटी का पैसा ब्लाक हो गया। क्या सरकार इस पर विचार करेगी? लास्ट ईअर भी आपने आश्वासन दिया था कि वह बीज, बीज निगम को वापस देंगे, उसके बावजूद आज तक उस बीज को बीज निगम ने वापस नहीं लिया। क्या बीज निगम उसको वापस लेगी? इस बारे में, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि तत्काल बीज, जो सोसाइटी के हैड क्वार्टर पर पहुंचा है, वापस बीज निगम को दिया जाय। सोसाइटीज का पैसा जो ब्लाक हो गया उस पैसे को वापस रिफण्ड कराया जाय, यह मेरा सुझाव है।

श्री सभापति : मन्त्री महोदया।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, इस तरह की सूचना चेयर को उपलब्ध नहीं है कि आपको भी आश्वासन दिया गया हो।

श्री महाराम चौधरी : आधे मिनट में कह देता हूं। सीधी बात कहता हूं, शंकर बीज के सम्बन्ध में और वितरण के सम्बन्ध में जितनी अनियमितताएं हुई उन अनियमितताओं की जांच अधिकारियों से

(श्री महाराम चौधरी)

नहीं करवा कर काश्तकारों की कमेटी बना कर जांच कराई जाय जिससे यह पता लगे कि कितने किसानों के साथ अन्याय हुआ है।

दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं, यदि गांव में बैठे कोई काश्तकार ने किसी काश्तकार को भीगा हुआ बीज दे दिया या देने की परम्परा चली आ रही है तो उस आदमी के साथ उन गांव वालों की यह व्यवस्था होती है कि उसको गांव से अलग कर दिया जाता है। सरकार जैसी संस्था गलत बीज भेज दे और 25 पर्सेन्ट ही उगे तो सरकार के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। सिर्फ हर्जाने से ही काम नहीं चलना चाहिए।

श्री सभापति : इस बात को आप भी भी कन्सीडर करें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री महाराम चौधरी : मेरा सुझाव है....

श्री सभापति : यह आपका अधिकार है। कृपया स्थान ग्रहण करें। मन्त्री महोदय।

श्री महाराम चौधरी : सिर्फ एक चीज। इस साल बाजरे का बीज कतई समय पर नहीं आया, न आने की वजह से बगैर प्रमाणित किया हुआ अंकुरित होने वाला बीज बाजरे का हमारे जिले में वितरित हुआ है....

(1.46 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : ज्वार का सवाल है, बाजरे का सवाल नहीं है।

श्री महाराम चौधरी : मेरा स्थगन प्रस्ताव था, बाजरे के बीज का और आपने....

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं है। कृपया समय न लें। आर्डर प्लीज। बैठ जाइए।

श्री महाराम चौधरी : बाजरे के घोटाले की पूरी जांच कीजिये।

श्री अध्यक्ष : समय ज्यादा हो गया है। चर्चा समाप्त की जाती है। मन्त्री महोदय।

श्रीमती कमला (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बीज उत्पादन कार्यक्रम के बारे में माननीय श्री पटवा साहब ने कहा, आपने बहुत मोटी मोटी बातें तो बता दी कि इतनी जगह छोड़नी चाहिये, यह सिद्धान्त है, यह नीति है, लेकिन सूक्ष्म में आपने नहीं बताया। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहती हूं

(श्रीमती कमला)

कि जिन 18 कृषकों को कृषि बीज उत्पादन के लिये फाउंडेशन सीड दिया गया था उनको कितनी कितनी जमीन में वह सीड तैयार करना था, कितना-कितना नर और कितना कितना मादा सीड दिया गया था, उनकी तरफ से मेरे पास कोई शिकायत आई नहीं। मैंने जो विवरण आपको दिया है उसमें आप जानना चाहें कि किसको दिया, तो श्री मान्नू पुत्र नाथू; जिसके पास में दो एकड़ जमीन थी उसको 3 किलो दिया नर और 6 किलो दिया मादा। दूसरा, श्री शंकर पुत्र हजारी, दो एकड़ जमीन में 3 किलो दिया नर और 6 किलो दिया मादा। इस तरह से 18 के 18 काश्तकारों का पूरा विवरण मैं आपको पेश कर रही हूं। उनकी तरफ से आपके पास में कोई शिकायत हो, क्योंकि हमारे पास तो उनकी तरफ से कोई शिकायत आई नहीं, तो मैं जरूरी तौर पर आपसे लेना चाहूंगी और उसके बाद कोई कार्यवाही करना चाहूंगी।

दूसरी बात आपने यह कही है कि उसमें भ्रष्टाचार करके, किसानों से पैसा खाकर कुछ को फाउन्डेशन सीड बोने के लिये दे दिया, कुछ को नहीं दिया। मैं निवेदन करना चाहती हूं, फाउन्डेशन सीड पैदा करने के लिये किसानों का बहुत मोटीवेशन करना पड़ता है। बहुत कम लोग बाजरा और ज्वार का फाउन्डेशन सीड लेने के लिये तैयार होते हैं क्योंकि 200-200 मीटर उन्हें अपने खेत के चारों तरफ जगह छोड़नी पड़ती है जिससे कि पास के खेत की बोई हुई फसल है उसको इन्फेक्शन लगकर उसकी क्वालिटी डेटिरियोरेट न हो जाय। तो बहुत काश्तकार हेजीटेट करते हैं, इसलिये जिनको बुलाया, उनको बहुत मोटिवेशन करने के बाद दिया गया। 200) जो उनसे लिया गया है, 100) उससे लिया है, रजिस्टर्ड सीड ग्रोउर्स, उनका रजिस्ट्रेशन होता है। मैं आपसे यह कहना चाहती हूं, अगर कोई काश्तकार लेना चाहते थे, उनको तो नहीं मिला है और जिनको दिया उनका सही फाउन्डेशन तैयार नहीं है। उसकी आप विस्तृत जानकारी दें। हमारे पास जानकारी आई है उसके ऊपर हम कार्यवाही करेंगे। लेकिन अभी तक जिनकी सूचना नहीं आई उनके लिये कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि सूचना आने पर कार्यवाही की जावेगी।

दूसरी बात, जो शंकर बीज वितरण किया गया है उसमें अंकुरण के बारे में शिकायत आई है। सबसे पहले मैं पिछले साल जो शिकायतें आई, उनके बारे में जो कार्यवाही की गयी उसको बताना चाहती हूं। माननीय सदस्य कौशल जी ने जो उदाहरण दिया वह बिलकुल सही है। मैंने जो शिकायत आई थी उसको जांच कराने के लिये भेजा। जांच करने के बाद काश्तकार का उन्होंने 60 प्रतिशत से ऊपर, 70 प्रतिशत और 72 प्रतिशत का अंकुरण बताया, बाकी आम तौर पर यह कह दिया कि यह 60 प्रतिशत है जो कि मिनिमम है। अगर इसके नीचे अंकुरण पाया जाता है तो यह माना जाता है कि बिलो स्टैण्डर्ड है। जो लेबोरेट्री में भेजा

(श्रीमती कमला)

गया उसमें इन्होंने ज्यादा को 60 प्रतिशत बताया। मैंने सोचा, कहीं इसके पीछे यह कारण तो नहीं है कि निगम को मुग्रावजा देना पड़ेगा इसलिये यह 60 प्रतिशत ज्यादा बताया है। मैंने इसीलिये इसको राष्ट्रीय लेबोरेट्री में भेजा। हमारे यहां राज्य की जो लेबोरेट्री है उसकी जांच के अनुसार ज्यादातर 60 प्रतिशत बताया गया है इसमें मुझे शंका हुई कि ग्राम तोर पर 60 प्रतिशत कैसे लिखा गया जो कि मिनिमम माना जाता है। यह 60 ही क्यों आया, 62 क्यों नहीं आया, 66 प्रतिशत क्यों नहीं आया। इसलिये मैंने इसको केन्द्रीय लेबोरेट्री में भेजा। इसकी जांच होकर आने के बाद सही 3 मानक का पता चलेगा। अगर उनकी भी जांच में 60 प्रतिशत आता है, जो अंकुरण की क्षमता मानी जाती है तो ठीक है। उससे नीचे आता है तो उन काश्तकारों को मुग्रावजा दिया जायेगा। इस सब की मैंने जांच कराई है।

यहां यह बात भी कही गयी कि भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में शिकायतें आई थीं सन् 1979-80 में, नेशनल सीड कार्पोरेशन के बीज के बारे में। उसकी हमने जांच कराई तो यह प्रमाणित पाया गया कि वह अंकुरण क्षमता से कम था। हमने नेशनल सीड कार्पोरेशन को लिखा है इसके लिये। काश्तकारों को सीड दिया गया था वह अंकुरित नहीं हुआ, यह बिलो स्टैण्डर्ड पाया गया है इसका मुग्रावजा काश्तकारों को दिया जायेगा। पिछले मामले जो सामने आये थे उनके बारे में कार्यवाही की गयी। मैं समझती हूं कि हम यह मानने को तैयार हैं कि जो राष्ट्रीय प्रयोगशाला सीड देती है उसकी रिपोर्ट को हम सही मानेंगे। उसके लिये हमने यह कार्यवाही की। मैं तो चाहती हूं कि वह गलत निकले जिससे काश्तकारों को मुग्रावजा मिले। अभी जो बीज दिया गया है उसके बारे में आपने यह कहा, यह तो आपने मान ही लिया कि जितना संकर बीज दिया गया है वह खराब ही निकला। सो यह बात नहीं है। मैंने एक ऐसा पर्टीक्यूलर लॉट नम्बर बताया है जो किसी एक विजय एजेन्सी का है, उसके माध्यम से लिया गया था। उस पर्टीक्यूलर लॉट का अंकुरण खराब पाया गया। कितना खराब पाया गया है वह भी मैंने आपसे निवेदन किया है। उसके बारे में कार्यवाही की जा रही है। पिछली बार चूंकि कोटा इलाके की शिकायतें आई थीं तो विभाग की तरफ से वहां के जो अधिकारी हैं उनको तैनात किया था कि कोई लॉट का जैसे ही आपको पता लगे कि अंकुरण नहीं हो रहा है तुरन्त आप उसको सब्सटीट्यूट करिये। उसके साथ-साथ यह भी कहा कि बीज की बिजाई से पहले ही हमने बीज के प्रथम लाट को प्रयोगशाला में भेज दिया था कि कहीं फिर पिछले साल की तरह गलती नहीं हो। इसलिये जैसे ही काश्तकार ने बीज बोया तो कहा कि पांच या सात दिन में पौधा दिखना चाहिये। उसका अंकुरण नहीं हुआ तो हम तुरन्त उस नस्ल को लेकर विजय एजेन्सी के जो प्रतिनिधि थे उनको मौके पर ले गये। उनको दिखाया कि देखिये

(श्रीमती कमला)

आपने जो लाट दिया है उसका बिलकुल ही अंकुरण नहीं हुआ है। उन्होंने इसका प्रतिवाद किया और कहा कि आपकी जांच से क्या होता है, हमने इसको लेबोरेट्री से जांच करायी है। अंकुरण एक्चुअली फील्ड में नहीं निकला था। उनको कहा कि देखिये यह अंकुरण नहीं निकला, आप काश्तकारों को इसका मुआवजा दीजिये। उन्होंने कहा, यह आन्ध्र प्रदेश जहां से यह बीज दिलाया गया, में इसकी रिपोर्ट 77 प्रतिशत बीज अंकुरण की ही क्षमता की है, जांच कराई है। आपके इस रिजल्ट से क्या होता है, हम आपके इस रिजल्ट को नहीं मानते हैं। उसका प्रतिवाद करने के बाद में राष्ट्रीय प्रयोगशाला में भेजा और पूछा कि दरअसल में इसका अंकुरण कितना है, हालांकि फील्ड में इसका अंकुरण नहीं दिखाई दे रहा है। अगर एजेन्सी राजी-खुशी नहीं मानती है तो हमारे पास में कानूनी कार्यवाही के अलावा कोई जरिया नहीं है। अभी उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे हम उनके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकें। दस प्रतिशत जो उनका पैसा हमारे पास जमा था वह तो हमने रोक लिया है बाकी पैसा वसूल करने के लिये हमें उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी, वह हम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोयय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि मैं हाल ही में दिल्ली गयी थी वहां पर हमारे भारत सरकार के जो कृषि मन्त्री हैं राव वीरेन्द्र-सिंहजी, उनसे मिली। खास तौर पर एक मुख्य पाइन्ट जो उनके सामने मैंने रखा कि आपके जो बीज का केन्द्रीय एक्ट है उसमें आप जल्दी से जल्दी यह प्रावधान कीजिये कि कोई भी प्राइवेट पार्टी, जो कि आथोराइज्ड नहीं है, इस तरह से अन-आथोराइज्ड सीड्स की विक्री नहीं करे। इसके लिये आप समुचित कार्यवाही करने के लिये इस एक्ट में प्रावधान करावे। दूसरा, काश्तकारों को मुआवजा सिर्फ बीज का ही नहीं मिलना चाहिये, बल्कि उसकी बीज के जरिये जो फसल नष्ट हो गयी, उसकी जो कमाई होती, उसका भी उसको मुआवजा दिया जाना चाहिये। यह प्रावधान अभी नहीं है, यह प्रावधान इसमें अब रखा जाना चाहिये। और जो लोग गलत सीड देते हैं उनसे रिक्वरी करने का प्रावधान भी रखा जावे। मैंने यह भी सजेस्ट किया कि जो पैसे हम उसको एडवान्स में, 90 प्रतिशत देने के लिये बाध्य है, उस 90 प्रतिशत पैसे को बैंक में जमा कराया जाय, उसमें हम बैंक को यह लिखेंगे कि जब तक हम उनको नहीं लिखें तब तक आप इस पैसे को रिलीज नहीं करें, इसको नहीं दिया जाय, इस तरह के प्रावधान आप इसमें कराने की व्यवस्था करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की जरूरी पाबन्दी हमको उनके उपर लगानी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह बताया है। इसके अलावा माननीय सदस्यों ने जो एतराज उठाये हैं उसमें एक तो यह है कि पिछली बार आपने कहा कि आपके नियम

(श्रीमती कमला)

का मैनेजिंग डाइरेक्ट और वहां के चेयरमैन आपके कृषि सचिव ही हैं, इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को लिखा तो जांच पड़ताल के बाद यह सामने आया कि सरकार उसके लिये अपनी तरफ से डाइरेक्ट कार्यवाही नहीं कर सकती है। उनका जो बोर्ड है वह अपने बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में यह प्रस्ताव पास करें कि हमारे आर्टिकल्स में यह संशोधन किया जावे। उसके बाद गवर्नमेन्ट उसमें संशोधन करके नोमिनेट कर सकती है। मैंने कुछ समय पहले बोर्ड को यह हिदायत दी थी कि आप अपने बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग बुलाकर इसमें यह प्रावधान करिये। सरकारी और गैर सरकारी अधिकारी नामजद करके बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग बुलाकर उस मीटिंग में यह प्रस्तावित करावें, उसके बाद सरकार इसके उपर कार्यवाही करेगी।

एक सवाल यहां पर आ सकता है माननीय सदस्यों का जिसको मैं एन्टीसिपेट करते हुए यह कहना चाहती हूं। सवाल है कि आपने इतने दिन तक इसकी कार्यवाही क्यों नहीं की। मेरा यह निवेदन है कि सरकार जब नामजद कर सकती है तो सरकार यह भी कर सकती है, यह बाद में हमें पता चला। यह आर्टिकल हमारे ध्यान में नहीं आया कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स इस बात के लिये प्रस्ताव करें। अब बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स को हिदायत दे दी है। हमें इस बात पर आपत्ति नहीं है कि एग्रीकल्चर सचिव ही उसका एम. डी. रहे या उसका चेयरमैन रहे। हम तो किसी को भी बनाने को तैयार हैं। माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें सरकारी आफिसर ही भरे पड़े हैं और गैर-सरकारी सदस्य नहीं हैं। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह कहना चाहती हूं कि निगम के आर्टिकल्स में प्रावधान है उसके अन्तर्गत अब गैर सरकारी सदस्यों की नामजदगी कर दी गयी है। रजिस्टर्ड सीड ग्रोअर्स है उनके अन्दर से भी हमने उनके अनुपात से सीड ग्रोअर्स की नामजदगी कर दी है, हमने इस प्रकार का बोर्ड बना दिया है। जो दूसरे प्रतिनिधि यूनिवर्सिटी वाले, गैर-सरकारी व्यक्तियों को नामजद किया है। बोर्ड अध्यक्ष के अलावा बाकी सारे गैर सरकारी लोगों को नामजद कर दिया गया गया है। जहां तक माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने आदेश जारी कर दिये और जितने ए० एस० सी० का प्राइवेट पार्टीज जो सीड वितरित करती है, उसको रोक दिया गया है। उनके यहां पर छापे मारे हैं। मेरा यह निवेदन है कि हमारे यहां जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर हैं उनको यह काम करने के लिए अधिकृत कर रखा है कि जैसे ही उनको पता लगे कि यहां पर किसी डीलर के पास अनधिकृत बीज है या सब-स्टेण्डर्ड बीज है, वह बेच रहा है तो बीज जब्त करके उसकी जांच की जाये। जांच करने के बाद अगर कोई गड-बड़ी पाये जाये तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये, यह उसको अधिकार है। हमने अपने अधिकारियों को सतर्क कर रखा है,

(श्रीमती कमला)

उन्हे यह आदेश दिया है कि वह अपने इलाके में जागरूक रहें, बार-बार जाकर देखें कि कोई माल खराब तो नहीं आ गया है। उसके सैम्पल लेवें। अगर सब-स्टेण्डर्ड का माल निकले या नकली हो तो उसके खिलाफ में कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों ने सीड कार्पोरेशन के नकल लेबल लगाकर, ठप्पा मार कर माल को बेचना शुरू कर दिया है। दुर्भाग्य की बात तो यह है अध्यक्ष महोदय, जो हमारे मैनेजर्स हैं, हमारी सोसाइटीज के मैनेजर्स, हैं वह दूसरी कम्पनी के लोगों से कमीशन खाकर उनका माल बेच देते हैं। जिन एजेन्सीज को हम कमीशन देते हैं उनके माल को सोसाइटीज के मैनेजर्स नहीं बेचते हैं? इस तरह के कई मामलों की शिकायत आई तो उन अधिकारियों को जागरुक रहने के लिये कहा गया और जांच करने के लिये कहा गया। उनसे यह भी कहा गया कि वह जाकर छापा मारे और देखें कि कोई सब स्टेण्डर्ड माल तो वहां नहीं पड़ा है अगर हो तो उसकी लेबोरेट्री में जाकर जांच करावे। अगर नकली साबित हो जाये तो उनके खिलाफ कार्यवाही करें। यदि वह माल सही पाया जावे तो उसको छोड़ दिया जाये। यह बात सही नहीं है कि हम दूसरे माल को बेचने ही नहीं देना चाहते हैं। वैसे तो यह कायदा है कि एन० एस० सी सीड कार्पोरेशन को को-आर्डिनेट करे और जिस-जिस किस्म के सीड जितनी-जितनी मात्रा में सीड कार्पोरेशन और स्टेट को चाहिए उतना वह हमको प्रोवाइड करे। वह खुद एक वितरक एजेंसी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि प्रावधान है, तरीके से वह इस बार कम्पिटीशन में आये, तो हमने कहा ठीक है, बेचिये लेकिन सब-स्टेन्डर्ड बीज कोई भी बेचे तो उसको रोकने का और उसके खिलाफ कार्यवाही करने का हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है इसलिए हमने यह कार्यवाही की।

इसके अलावा आपने कहा कि जो आपने सीड दिया उसका जर्मिनेशन ज्यादा नहीं हुआ। वह तो मैंने खुद स्टेटमेन्ट में कहा है कि जितना सीड मांगा गया, जितना बीज अवेलेबल कराया गया और जितना बीज बांटा गया उसके अन्दर फर्क है। आपको मालूम है कि इस राज्य के अन्दर इस बार बरसात बहुत लेट आई। बरसात लेट आने के वक्त हमने विभाग की तरफ से काश्तकारों को लिखित में, रेडियो से और दूसरे माध्यमों से भी यह आगाह किया था कि जहां-जहां रेन्स बहुत लेट हुए हैं वहां बाजरा, ज्वार, मक्की वगैरह ज्यादा बोने के बजाय आप पल्सेस और आइल सीड ज्यादा बोइये क्योंकि उनको मौका नहीं मिलेगा कि इतने शार्ट पीरियड में पक कर तैयार हो जाये। रेन्स बहुत लेट हो गये। इसके बावजूद काश्तकारों ने अपनी मर्जी से लेट रेन्स में भी बुवाई की है तो उसका फर्क पड़ा है। जितना वितरण करना चाहिए था उतना इस सीड का वितरण नहीं हो पाया।

(84)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एस०बी०बी० 245.

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : बाकी ग्रॉइल सीड तो हो जाते इस माहोल में। कम बरसात हुई इसलिये ग्रापने इन्सट्रक्शन्स दिये कि ग्रॉइल सीड बोना चाहिये। इस बार बरसात नहीं हुई है फिर भी उसकी फसल हो जाती ?

श्रीमती कमला :....ग्राम तौर पर रैन लेट होती है तो ग्वार भी पक जाती है, मक्का भी हो जाती है, चौला भी हो जाता है, तिल भी हो जाते हैं। लेकिन लेट रैन होती है तो उसमें मक्का, ज्वार, बाजरा नहीं होता, यह ग्राप ग्रौर हम सब जानते हैं। इसलिए हमने काश्तकारों को हिदायत देते के लिए लिखा था। हमें मालूम है कि जितना सीड चाहिए उतना इस बार उठेगा नहीं। तो यह एक्सपेक्टेड चीज नहीं थी। हम इसको ले नहीं पाये।

श्री यदुनाथसिंह : एस० बी० बी० 245।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। इतने विस्तार में नहीं जा सकते।

श्रीमती कमला : इसके ग्रलावा जो ग्रासींद से ग्राने वाले माननीन सदस्य हैं....

श्री ग्रध्यक्ष : संक्षेप में कहें, मन्त्री महोदया। समय हो गया है।

श्रीमती कमला : बस मैं ग्राखिरी बात कह रही हूं।

माननीय सदस्य जो ग्रासींद से ग्राते हैं उन्होंने यह कहा है कि हमारे भीलवाड़ा की सोसाइटी में जो भी बीज पड़ा हुग्रा है, न तो उसका मुग्रावजा मिला ग्रौर न बीज वापस लौटाया गया है। वह एन०एस०सी का बीज है, उनसे हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वह हमारी बात को मानेंगे क्योंकि वह बीज देते हैं उसमें मुग्रा-देने का भी खर्च काटकर फिर हमको देते हैं, तो उनके लिए पाबन्दी है। इसके लिए वह व्यवस्था करेंगे।

बाकी, मैं माननीय कौशल जी से निवेदन करूंगी कि ग्रौर डिटेल में जानकारी करना चाहें तो वह मुझ से मिल लें, मैं जरूर बताऊंगी। ग्राप भी मुझे ग्रवगत करायें जिससे कि कार्यवाही करने में ग्रौर तत्परता बरती जा सके।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर। ग्रॉर्डर चर्चा चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दूंगा, बहुत समय ले लिया इसने। सभी प्रश्नों के उत्तर इस माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकते।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायं। माननीय सदस्य, अब मैं इजाजत नहीं दूंगा किसी प्रश्न की।

आर्डर प्लीज, माननीय मन्त्री जी द्वारा वक्तव्य। बांसवाड़ा के सम्बन्ध में वक्तव्य।

श्री हीरालाल आर्य : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : चर्चा का यों कोई अन्त नहीं होता।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। अलग से प्रश्न उठायें। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मन्त्रीजी द्वारा वक्तव्य।

शासकीय वक्तव्य

बांसवाड़ा में गत माह हुए साम्प्रदायिक दंगे

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान देश के उन गिने चुने प्रदेशों में है जहां साम्प्रदायिक सद्भावना प्रारम्भ से ही बनी हुई है। इस सद्भावना को बनाये रखने में प्रदेश के राजनीतिक दलों ने अपना सक्रिय सहयोग दिया है। यद्यपि समय-समय पर कभी-कभी छुट-पुट घटनाओं को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उस स्थिति में कुछ असामाजिक तत्व सोहार्दपूर्ण वातावरण को कलुषित करने में सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन शीघ्र ही सामान्य स्थिति स्थापित हो जाती है।

बांसवाड़ा में भी कुछ छुट-पुट घटनाओं को लेकर साम्प्रदायिक तनाव हुआ। दिनांक 5-8-82 को विनोद टाकीज में आखिरी शो के समय कुछ व्यक्तियों की आपस की कहा-सुनी को लेकर साम्प्रदायिक कटुता उत्पन्न हो गयी। जिला प्रशासन द्वारा अशान्ति फैलाने वाले व्यक्तियों को 151 जा०फो० में गिरफ्तार कर नगर में पूर्ण शान्ति स्थापित की गयी और 8 तारीख तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटी।

लेकिन दिनांक 9-8-82 को पुनः दोनों सम्प्रदाय के कुछ लोगों में आपस में 40 रु० की वसूली को लेकर मारपीट हो गयी। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने दोषी व्यक्तियों को तुरन्त गिरफ्तार कर लिया। इस घटना की सूचना मिलते ही सिन्टेक्स मिल के मजदूर मिल को बन्द कर विरोध स्वरूप अलग-अलग जुलूस बनाकर, नगर की ओर रवाना हो गए। जुलूस के आने की सूचना मिलने पर एक सम्प्रदाय

(86)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

के लोग अपने मोहल्ले में एकत्रित हो गये तथा दुकानदारों ने अपनी दुकानें बन्द कर दीं।

जिला प्रशासन ने जुलूस के नेताओं को समझाकर उसे नगर की ओर जाने से रोककर, वापस मिल की ओर लौटा दिया। तनावपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका क्षेत्र में उस ही दिन से 144 जा०फो लागू कर दी गयी तथा विभिन्न मोहल्लों में पुलिस गश्त चालू कर दी गयी।

दिनांक 9-8-82 की शाम को ही जब सिन्टेक्स मिल के कुछ मजदूर मिल कॉलोनी की ओर शेर निवास पहाड़ पर चढ़ कर जाने लगे तो दूसरे सम्प्रदाय के कुछ लोगों ने उन पर आक्रमण कर दिया। जिसमें एक मजदूर की मृत्यु हो गयी और कई अन्य घायल हो गए।

इस घटना को लेकर नगर में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ गया और बाजार बन्द रहे। जिलाधीश बांसवाड़ा ने विभिन्न दलों के व्यक्तियों से सम्पर्क कर शान्ति–व्यवस्था कायम करने के प्रयास किये। राज्य सरकार को सूचना प्राप्त होने पर पुलिस मुख्यालय से एडिशनल आई० जी० पी०, सी० आई० डी० (सी. बी.) एवं रेलवे को दिनांक 10-8-82 को भेजा गया तथा अतिरिक्त फोर्स भी भेजी गयी।

मृतक की हत्या के सम्बन्ध में पुलिस ने अधिकतर आक्रमणकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। नागरिकों के सहयोग से एवं जिला प्रशासन द्वारा हमलावरों के विरुद्ध की गयी प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप दिनांक 16-8-82 को बाजार भी खुल गये और जन जीवन सामान्य हो गया तथा 144 जा०फो० भी उठा ली गयी।

अभी तक इस घटना में 25 अभियोग पंजीबद्ध किये जा चुके हैं जिनमें दोनों समुदायों के 55 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अनुसंधान प्रगति पर है। इस समय नगर में जन जीवन सामान्य है और स्थिति पूर्ण नियन्त्रण में है।

श्री अध्यक्ष : मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इस पर भाषण वगैरह नहीं होंगे। कोई लापरवाही रही हो सरकार की ओर से, अन्य कोई बात हो तो उससे बारे में स्पष्टीकरण के तौर पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो झगड़ा हुआ है इसका इतिहास बहुत पहले से शुरू हो चुका था, लगभग होली के समय। बांसवाड़ा सिन्थेटिक्स मिल में भारतीय मजदूर संघ मान्यता प्राप्त है। 1850 मजदूरों में से 1800 उसके सदस्य है। एक दूसरी यूनियन को बनाने के लिए वहां प्रयत्न चल रहे थे। इस बात को लेकर गेट पर गेट मीटिंग हुई। कुछ चन्दे को लेकर भी उस समय झगड़ा हुआ

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

था। इस झगड़े के तीन केसेज पहले से रजिस्टर हुए थे, इस घटना का प्रारम्भ उस समय हुआ। अगर उस समय दोनों ग्रुपों के साथ एक सा वर्ताव किया जाता, जिन लोगों के साथ झगड़ा हुआ उनके साथ समान वर्ताव किया जाता तो झगड़ा बढ़ते-बढ़ते इस सीमा तक आकर नहीं पहुंचता कि एक व्यक्ति की हत्या तक हो जाती पहले झगड़ा हुआ था-उसमें भी यद्यपि इन्टक के लोगों ने पैसे छीने सब, कुछ हुआ लेकिन केस बना था 379 का वह हीरालाल और मनोहरसिंह के ऊपर बना था। दूसरी बार फिर एक केस बना था 107 और 116 का, वह भी वी०एम०एस० का अध्यक्ष है श्यामसिंह, उसके नाम से बना। तीसरा केस और बना, वह भी इसी प्रकार से एक व्यक्ति विशेष और ग्रुप विशेष का बना, इसके कारण से लोगों के मनों में एक पीड़ा धीरे-धीरे बढ़ती चली गयी। श्रीमान, यह सारी बातें चल रही थीं और काफी एडजस्टमेंट हो गया था। जो विनोद टाकीज वाली बात आपने कही इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। साधारण सी बात थी। बाजार के बीच में झगड़ा हुआ उस समय झगड़े में भी एक ही ग्रुप के लोगों को पकड़ा गया और उनके खिलाफ केस दर्ज हुए। दूसरे लोग जो झगड़े में थे उनके खिलाफ न केस दर्ज हुए और न किसी प्रकार की गिरफ्तारियां हुईं। इस बात को लेकर कुछ छात्रों ने विरोध प्रकट किया। विरोध स्वरूप तारीख 7 से बांसवाड़ा बन्द हो गया। श्रीमन्, हत्या की घटना 9 तारीख की है। आपको इसमें प्रशासन की एफीसियेन्सी का अन्दाजा लग रहा होगा। 7 तारीख से बांसवाड़ा नगर इस कारण से बन्द हुआ। व्यापारियों ने महज एक बात कही कि जो भी लोग सम्मिलित हैं, उन सभी के साथ एक सा बर्ताव होना चाहिये। एक व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष और एक संगठन विशेष के खिलाफ कार्यवाही उचित नहीं है। क्योंकि झगड़े में दोनों ही लोग सम्मिलित थे इसलिये सब के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। 7 तारीख को बांसवाड़ा बन्द रहा, 7 के बाद 8 की रात्रि के वक्त भी समय-समय पर इन झगड़ों की सूचना वहां के लोग पुलिस और कलेक्टर को देते रहे।

8 तारीख को एक सम्प्रदाय विशेष के 200-250 लोगों ने एक जगह बैठकर मीटिंग की। रात को हथियार बांटे और 9 तारीख को प्रातःकाल सवेरे 4-00 बजे हत्या हुई। मैं इसलिये बता रहा हूं कि पुलिस अगर एफीसियेन्सी से काम करती तो यह झगड़ा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता था और इसमें हत्या होने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। ऐसा भी नहीं मालूम होता कि वहां कोई साम्प्रदायिक तनाव है। श्रीमन्, सवेरे साढ़े आठ बजे फिर, एक छोटी सी घटना इसी झगड़े के रेफरेन्स में हुई। एक सम्प्रदाय के कुछ लोगों ने होटल के अन्दर घुसकर होटल के पार्टनर, उसके पिताजी और नटवर सिंह, जो वहां का कर्मचारी था, की पिटाई की और उसको ले जा करके अस्पताल में भर्ती करवाया। उसके खिलाफ चूंकि 107, 191 के मुकदमे पहले से ही दर्ज थे और 10 हजार की

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जमानत पर वह रिहा हुआ था इसलिये वह वहां से जाते ही थाने में बैठ गया कि आप फिर मेरी जमानत जब्त करोगे। इसके बाद उसने इस झगड़े की नामजद रिपोर्ट बताई लेकिन उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। 11-00 बजे मजदूर इस बात की नाराजगी प्रकट करने के लिये जुलूस लेकर आये तो उनको चुंगी नाके पर रोक दिया। जुलूस समाप्त हो गया, वे वापस चले गये। लेकिन कुछ लोगों की कोर्ट में पेशी थी। वे लोग कोर्ट की पेशी करने के लिये जब 11-00 बजे वहां आये तो दूसरे सम्प्रदाय के लोगों के समूह ने इसकी योजना पहले से बना ली थी कि जो चुंगी नाका है, वहां से पुलिस आने जाने से रोक रही है तो निश्चित रूप से पीछे वाले रास्ते से जायेंगे। 11-00 बजे पुलिस को यह भी बता दिया था कि एक सम्प्रदाय के लोग हथियार लेकर मोहल्ले में घूम रहे हैं। 11-00 बजे बता दिया था और चार बजे, जो लोग थे, कर्मचारी थे, अपनी उस सिन्थेटिक मिल में जाने के लिये पीछे से बढ़े, गांव के पीछे से उसका रास्ता है, वहां एक मजार है और थोड़ा सा जंगल है, उसके बाद वह कॉलोनी आती है। इसकी सूचना पहले ही दे दी थी, वहां 150-200 लोग हथियार लेकर जंगज की पहाड़ी में छिपे हुए हैं। जैसे ही लोग आये, उनके साथ मार-पिटाई शुरू कर दी। इसकी सूचना भी आध घंटे पहले टेलीफोन से कर दी थी। जब ये लोग आगे बढ़े और हमला हो गया। टूट पड़े तो, श्रीमन्, उनमें से कुछ लोग भागने में सफल हो गये। नन्द सिंह, जिसका मर्डर किया वह कुछ दिन पहले बीमारी से उठा था, वह भागने में सफल नहीं हो सका तो वह और उसका एक साथी रह गया। उनकी जमकर पिटाई हुई। अध्यक्ष महोदय, जो पिटाई की गई वह वास्तव में बहुत ही दर्दनाक पिटाई हुई थी। एक रघुनाथसिंह था और एक उसका साथी चन्दन सिंह था जिन दोनों ने पहले थाने में रिपोर्ट लिखाई थी, उनके दोनों हाथ- पैरों पर दो-दो लोगों ने बैठकर बाद में तलवार से जैसे काटा जाता है उसी तरह एक-एक अंग को तलवार लगा कर काटा मैं इसलिये कह रहा हू, श्रीमन्, यह केवल पुलिस की नासमझी के कारण, पुलिस की गलती के कारण, और मैं यहा तक कह रहा हूं, उनकी मिली भगत के कारण हुआ। अगर पुलिस चाहती तो, मैं पूछना चाहता हूं, तारीख 7 से यह झगड़ा प्रारम्भ हो रहा है और 11 तारीख तक जब तक जयपुर से मैसेज नहीं गया और मि० मिश्रा, उप डी. आई. जी, नहीं भेजे गये, उदयपुर के एस० पी०, श्री दुग्गड़ नहीं भेजे गये तब तक एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। एफ. आई. आर. में नामजद रिपोर्ट है। एफ आई. आर. में सारे नाम लिखकर दिये थे। उस एफ. आई. आर. की नकल आपको पढ़कर सुना दू....

श्री अध्यक्ष : आप कह रहे हैं, हम मान लेते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : श्रीमन्, नामजद रिपोर्ट है लेकिन उन लोगों को 11 तारीख की सायंकाल तक क्यों नहीं गिरफ-

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

तार किया गया। कौन व्यक्ति पर्दे के पीछे खेल-खेल कर इस तरह काज हर घोल रहा है? श्रीमन्, यही नहीं वहां की नागरिक समिति ने भी अलग से अपना एक प्रतिवेदन मुख्य मंत्री जी को भेजा है। मैं उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जिससे आपको पता लगे कि किस तरह की घटना वहां घटी है।

श्री अध्यक्ष : मैं पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

कोई रेलेवेन्ट पोर्शन हो तो वह देख लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसका रेलेवेन्ट पोर्शन ही पढ़ कर सुना रहा हूं इस अशान्ति के वातावरण में नगर में पुनः शान्ति कायम करने श्री पी० सी० मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस महा निरीक्षक, राजस्थान एवं श्री अरुण दुगड़, कार्य वाहक पुलिस महा निरीक्षक, उदयपुर ने यहां आकर बिगड़ती हुई स्थिति का जिस कुशलता से संचालन किया व शहीद श्री नाहरसिंह चूंडावत हत्यारों को पकड़ कर कार्यकुशलता का जो परिचय दिया, वह प्रशंसनीय है।

आगे लिखा, जिला प्रशासन ने, दिनांक 6-8-82 को जो घटना घटी उस पर सतर्कता नहीं बरती एवं दिनांक 9-8-82 से होने वाली घटना क्रम का पूर्वाभास समझा होता तो बांसवाड़ा नगर की शान्ति भंग नहीं होती एवं एक निरपराध व्यक्ति की हत्या नहीं होती। जिला प्रशासन शुरू से ही एक पूर्व धारणा के आधार पर चला, फलस्वरूप सम्पूर्ण कार्यवाही एक तरफा की व एक वर्ग को संरक्षण दिया व दूसरे वर्ग को दोषी करार दे कर नागरिकों को क्षुब्ध एवं असुरक्षित, भगवान के आधार पर छोड़ दिया व अपनी अकार्यकुशलता का परिचय दिया। अतः बांसवाड़ा के नागरिक ऐसे निकम्मे जिला अधिकारियों को तुरन्त हटाने की मांग करते हैं।

"इस घटना क्रम में बांसवाड़ा के विधायक एवं भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री हरि देव जोशी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री दिनेश जोशी व कुछ साथी वार्ड मेम्बर्स ने जो गलत भूमिका अदा की वह गहरे दुःख का विषय है। इस क्षेत्र के विधायक एवं नगरपालिका अध्यक्ष ने पूरे घटना क्रम के दौरान न तो नागरिकों से मिलने की कोशिश की व न ही शान्ति बनाये रखने हेतु मोहल्लों व बाजारों का दौरा किया।"

श्री अध्यक्ष : आप तो पूरा पढ़ रहे हैं....

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

(90)

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : यह नागरिक समिति है या भारतीय जनता पार्टी है ?

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त कीजिये। आप भाषण कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं भाषण नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह भाषण ही कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं पूछना चाहता हूं, श्रीमान, जो मन्त्री लोग यहां से 10-11 तारीख को गये हैं उन्होंने क्या प्रयत्न किया शान्ति स्थापित करने के लिए ? श्री गोविन्द सिंह आमलिया....

श्री अध्यक्ष : आप अपनी राय दे सकते हैं। दूसरों की क्या राय है उसको पढ़ने से क्या लाभ है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, श्रीमन्....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वे इस सदन के सदस्य नहीं है। सदस्य तो आप हैं। आप उनकी राय बताये तो कोई फायदा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : श्रीमन्, जोशी के साथ में त्रिपुरा सुन्दरी व माही-डैम घूमने के अलावा नागरिकों से मिलने की फुर्सत ही नहीं थी....

श्री अध्यक्ष : मैंने पढ़ने से मना कर दिया। ऐसा है, अपने नियमों में कोई पुस्तक अथवा अखबार या अन्य किसी तरह का पत्र पढ़ने का प्रावधान नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य को स्वयं के विचार अपनी भाषा में रखने होते हैं इसलिये आप अपनी बात कह दीजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं अपनी बात कह रहा हूं। अधिकारियों का दोष था, उनकी गलती थी इसलिये तत्काल उन्हें सस्पेंड किया जाय। ये शब्द मेरे नहीं हैं, श्रीमन्, जो यहां से गये हैं, मुख्य मन्त्री ने जिसको नियुक्त किया वह है आपके के० सी० जैन, जो महा मन्त्री हैं, उन्होंने भी अपने....

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया, आप जो महसूस करते हैं और आपकी जो जानकारी है उसको अपनी भाषा में कहिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : श्रीमन्, मैं सच्चाई अर्ज कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : उनकी सच्चाई के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। चूंकि आप माननीय सदस्य हैं और यहां यह मानकर चला जाता है कि जो कुछ माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य सदन में कहते हैं, उसको सत्यापित करते हैं। यह मूल प्रश्न है ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पुलिस की ना समझी के कारण, नेगलिजेन्सी के कारण हालांकि इस बात की ताईद है फिर भी वहां पुलिस की लापरवाही के कारण, पुलिस की मिली भगत होने के कारण और दोषी लोगों को असामाजिक तत्वों के साथ सांठ-गांठ होने के कारण समय पर दण्डित नहीं किया, समय पर एक्शन नहीं लिया। उनको पता था कि हथियार लेकर लोग इकट्ठे हो रहे हैं जब उन को सूचना दी गई तो कहा गया कि गश्त लगा रहे हैं। आधे घण्टे पहले फोन से सूचना कर दी कि हथियार लेकर लोग इकट्ठे हुए हैं उसके बाद फिर मर्डर हो गया, उसका भी पता नहीं लगा सके। मैं कहना चाहूंगा कि दोनों अधिकारियों, कलेक्टर और एस० पी० की नैतिक जिम्मेदारी थी। 5 दिन से लगातार आपका बांसवाडा बन्द है, जिसके कारण अशान्ति है, उस बात को आप सम्भाल नहीं सके। अगर आप समय से सम्भालते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। यह मेरा आरोप है। माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय, उन दोनों अधिकारियों को निलम्बित करें जिनके कारण से राजस्थान के माथे पर यह कलंक लगा है, जहां यह साम्प्रदायिक तनाव और झगड़े होते हैं, यह किन्हीं स्वार्थी लोगों द्वारा कुछ गुण्डों को पाल कर कराये जाते हैं। अगर उसको समय रहते दबाया जाता तो शायद यह स्थिति नहीं होती। मैं आपसे फिर यह आग्रह कर रहा हूं, राज्य मंत्री महोदय, इसके बारे में आप स्पष्टीकरण दें।

श्री अध्यक्ष : अन्य कोई माननीय सदस्य ? श्री कमलेन्द्र सिंह। कृपया केवल कुछ जानकारी के तौर पर ही पूछ सकते हैं।

श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभनगर) : आप माननीय सदस्य की तरफ से नागरिक समिति का जो बयान आया था, वह तो सदन के सामने आया....

श्री अध्यक्ष : आया नहीं, अधूरा ही आया है। मैंने इजाजत नहीं दी उसकी।

श्री कमलेन्द्र सिंह : बांसवाड़ा के अंजुमन इस्लामिया की तरफ से जो बयान है, उसके बारे में मैं दो शब्द कहता हूं। तारीख 5 अगस्त, 82 को विनोद टाकीज में एक घटना घटी थी, उसमें एक दारू की की बोतल फेंकी गयी थी और साम्प्रदायिक तनाव उस दिन से ही बना था। उसमें, खास एक्टर, काम करने वाला, दारू फेंकने वाला, श्री भवानी, जो भाजपा के नगरपालिका के पार्षद हैं, थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर जितने भी अल्पसंख्यक सिनेमा हाल में बैठे थे, उनके साथ

92

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

जवानों नाली गलौच की और उसके बाद 6 तारीख की सुबह को एक महबूब पहलवान को आजाद चौक में उन्होंने मिलकर पीटा। उसके बाद जब तनाव बढ़ा तो प्रशासन का यह काम था कि तनाव को प्रशासन रोकता, उनको दो बार संकेत मिल गया था। प्रशासन को 5 तारीख को संकेत मिल गया था और 6 तारीख की सुबह भी संकेत मिल गया था कि साम्प्रदायिका तनाव बढ़ रहा है। प्रशासन चुप बैठा रहा। आपने कहा है, 158 में लोगों को गिरफ्तार किया लेकिन मैं कहता हूं गिरफ्तार करके उनको छोड़ दिया गया। किन्तु 6 तारीख को अफवाह फैलायी गयी और 6 तारीख को ही बाजार बन्द कर दिया गया। 7 और 8 तारीख को उस क्षेत्र के विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष श्री इन्द्र सिंह जी गढ़ी ने आकर 2 दिन तक बांसवाड़ा में रह कर यह योजना बनायी कि तनाव को कैसे फैलाया जाय। श्री इन्द्र सिंह जी गढ़ी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। अप्रैल के महीने में डूंगरपुर में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे. उसके चार दिन पहले इन्द्र सिंह जी गढ़ी गये और उत्तेजित भाषण दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर दंगा हुआ। इसी हालत की उन्होंने तीन तक बांसवाड़ा में रहकर तैयारी की। इसके बाद 9 तारीख को 3 जगह इन घटनाओं का विस्फोट हुआ। सर्वप्रथम तो सुबह को एक साइकिल वाले मुसलमान की दुकान पर उन्होंने झगड़ा किया जिसमें आर.एस.एस. के कार्यकर्ता भी थे। वह सब शाखा से आते ही साइकिल वाले पर टूट पड़े और उससे तनाव बढ़ा। दूसरे, 12 बजे पांच सौ आदमियों ने सिन्टेक्स मिल के पृथ्वी गंज मोहल्ले में, जिसमें केवल मुसलमान रहते हैं अटेक किया। मोहल्ले में जितने आदमी थे, वह सब बाहर थे, नौकरी पर जा चुके थे, बहुत सी मजदूरिनों ने आकर उनकी औरतों और बच्चों को बुरी तरह से घायल किया। उसके बाद 10 तारीख को 2 आदमियों पर और हमला हुआ। धारा 106 शहर में लग गयी थी, उसके बाद भी 4 इन्सीडेंटस हुए हैं, जिसमें चारों केवल मुसलमानों को चोट आयी है। धारा 144 केवल मुसलमानों के मोहल्ले में लगी थी, मुसलमान बाहार नहीं निकल सके थे, डर के मारे वह बाहार नहीं निकले। दूसरी ओर हिन्दुओं के मोहल्लों में और आम बाजार में सब घून रहे थे। बाजार के दो उदाहरण आपके समाने रखना चाहूंगा कि 10 तारीख को सुबह श्री अब्दुल कादिर, जो मास्टर है, अपने घर की तरफ पृथ्वी गंज की तरफ जा रहे थे। उन पर कातिलाना हमला हुआ और उनको बहुत जोर से चोट आयी थी। उसके बाद 12 बजे मास्टर हाफिज जी अपने स्कूल की शिफ्ट करके घर जा रहे थे, उन पर हमला किया गया। उसके बाद एक बजे सौ आदमियों ने इकट्ठा होकर मुसलमानों की झोंपड़ियों पर, जो बांसवाड़ा के दक्षिण की ओर हैं, अटेक किया। पुलिस टाइम पर पहुंच गयी और उनका नुकसान नहीं हुआ किन्तु मुसलमानों को वहां से ट्रकों में भरकर पृथ्वी गंज मोहल्ले में पहुंचा गयी क्योंकि पुलिस उस जगह प्रोटेक्शन नहीं दे सकती

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

थी। इसलिए यह प्रशासन की कमजोरी है कि जिस मोहल्ले में वह लोग रहते हैं, वहां तो प्रोटेक्शन नहीं दिया और वहां से बाल बच्चों को उठाजर दूसरे मोहल्लों में ले जाना पड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय. यह जो घटनाक्रम हुआ है इसके पीछे उन शक्तियों का हाथ है जिन शक्तियों ने भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में घृणा फैला रखी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस घटना क्रम के पीछे उन पार्टियों का हाथ है जिन्होंने मुसलमानों को भयभीत रखने को योजनाबद्ध राजनीति बना रखी है। माननीय अध्यक्ष महोदय. मुसलमानों की एक पूरी पीढ़ी ऐसी निकल गयी है राजस्थान में, जिन्होंने आज तक साम्प्रदायिक दंगे नहीं देखे। वह इस बात पर कि राजस्थान धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहां मुसलमान आत्मसम्मान से सिर ऊंचा करके घूमते हैं। उनको सबक सिखाने के लिए यह सब योजनाबद्ध तरीके से उन पर हमला किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में आपसे यही अर्ज करना चाहूंगा कि विश्व हिन्दू परिषद् ने हिन्दुस्तान के लिए एक आगामी प्रोग्राम बनाया है, उस आगामी प्रोग्राम के अन्तर्गत खूनी एलान किया है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जिस जगह 30-40 साल से कभी साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए, उस जगह भी उन्होंने पैर रखा और साम्प्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि इस विश्व हिन्दू परिषद् के जहर को फैलने से रोकने के लिए आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं? आप साम्प्रदायिक तनाव को कैसे खतम करेंगे? आपसे यही पूछकर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जोशी जी।

श्री हरिदेव जोशी (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जिस घटना की चर्चा की जा रही है, उस दुर्घटना ने बांसवाड़ा के नाम के ऊपर कलंक लगाया है। 30-40 वर्ष ही नहीं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के सम्पूर्ण इतिहास के अन्दर कभी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हुई, जैसी कि इस बार हुई। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य ने सदन को मिसलीड करने की कोशिश की है, यह कह करके कि मजदूरों के बीच तनाव के कारण इसका इतिहास शुरू होता है। मगर, अध्यक्ष महोदय, यह तनाव शुरू हुआ है, अखिल भारतीय विश्व हिन्दू परिषद् ने भारतीय एकता का जो पखवाड़ा मनाया था. दक्षिण में जो कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद में। उस दिन से विश्व हिन्दू परिषद् के द्वारा, जैसे हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में प्रदर्शन किए गए, दीवारों नारे लिखे गए और दूसरे धन्धे किए गए, उसी तरह से बांसवाड़ा में किए गए, डूंगरपुर में भी किए गए। बांसवाड़ा के मुस्लिम मेरे पास आए। उन दिनों मैं वहीं था। दूसरी जगह किया या नहीं किया, मैं नहीं जानता, मगर ट्रकों में भर कर विश्व

(94)

(श्री हरिदेव सिंह जोशी)

हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता उन दिनों में पहुंचे थे। इस घटना के कई महीनों पहले की बात है। मुस्लिम मोहल्लों में प्रदर्शन किया और नारे लगाए कि हिन्दुस्तान में रहना है तो हिन्दू हो करके रहना है। मैंने उस समय अधिकारियों से निवेदन किया और उनसे चाहा कि वे इस पर कार्यवाही करें। मैं अधिकारियों की एफीशियेंसी अथवा इण्टेग्रिटी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस झगड़े का मजदूरों के आपसी यूनियन्स के झगड़ों से कोई लेना-देना नहीं है। स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय, कि 5 तारीख की रात को विनोद टाकीज में बालकोनी में दो लोग बैठे हुए थे। कहा यह जाता है कि वे शराब पी रहे थे। शराब पीकर आधा-पउआ उन्होंने नीचे फेंक दिया। उस पउए में से शराब नीचे बैठे दो मुस्लिम लड़कों पर जा गिरी। उन्होंने आसपास देखा, कुछ पूछना चाहा। पास के लोगों ने दबा दिया, देखने हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, सुनने दो, सिनेमा देखने में इंट्रस्टेड थे लोग बाग। सिनेमा छूटने के बाद में, अध्यक्ष महोदय, वे लड़के भागे और भाग चौकीदार से पूछा कि ऊपर कौन बैठा है। चौकीदार ने बतला दिया कि दो ही आदमी थे। दोनों आदमियों के नाम बता दिए कि अमुक-अमुक बैठे थे। पच्चीस कदम की दूरी पर जाकर के उन लोगों को दोनों लड़कों ने पकड़ा की उन्होंने कहा कि तुमने हमारे पर शराब क्यों फेंकी। उनमें आपस में बातचीत हुई, झगड़ा हुआ। दो चार थप्पड़ उसने मार दी, दो चप्पड़ इसने मार दी। उस समय तक हिन्दू-मुसलमान की कोई गन्ध नहीं थी, शराब की गन्ध थी। दूसरे दिन सवेरे कुछ लोगों ने इसके अन्दर कदम रखा और इसको साम्प्रदायिक रूप दिया क्योंकि शराब जिनके ऊपर पड़ी थी वे लड़के मुसलमान थे। उन्होंने कहा कि तुमने शराब क्यों फेंकी उन लोगों के साथ में विवाद हो गया। दूसरे दिन उन मुसलमान लड़कों को बुलाया गया और उनको पीटा गया, तब तक भी ऐसी कोई चीज नहीं थी। नगर पालिका के बी. जे. पी. के एक सदस्य हायर सैकण्डरी स्कूल पहुंचे। वहां घण्टी बजा करके लड़कों को बाहर किया और बाहर करके जुलूस निकाल कर गांधी मूर्ति तक आए। पुलिस को इसका पता चला, पुलिस ने उसको रोक दिया और शहर में नहीं जाने दिया। मगर वे लोग दूसरी तरफ से भाग कर शहर की तरफ जाने की कोशिश करने लगे, दुकानें बन्द कराने की कोशिश करने लगे। इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा। जैसी अफवाहें फैलाने के लोग आदी हैं उस प्रकार की चीजें करने लगे। पुलिस इधर दौड़ रही है, पुलिस उधर दौड़ रही है, यह सब कुछ होने लगा। 8 तारीख की सवेरे एक लड़का, जो बांसवाड़ा सिंथेटिक्स में काम करता है नटवरसिंह नाम का, साइकिल किराये पर ली थी और उसको शाम को साइकिल जमा करानी थी। मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, एक्चुअल फिगर नहीं है। मान लीजिए,

(श्री हरिदेव जोशी)

उसने सवेरे साइकिल किराये पर ली। दिन भर के लिए। शाम को किराया दो रुपया चुकाना चाहिए, शाम को उसने जमा नहीं करा कर सवेरे जमा कराई तो साइकिल लेने वाला नटवरसिंह था और साइकिल का दुकानदार मुसलमान था, सवेरे वह साइकिल देने के लिए गया। मान लीजिए कि वह दो रुपया देने गया। उसने कहा कि दो नहीं तीन लूंगा क्योंकि तुम ने शाम को जमा नहीं कराई। उसने कहा कि मैं तो दो ही लूंगा। इस बात पर विवाद हुआ और इस विवाद में ये लोग, झगड़ रहे थे, वहीं पार्षद महोदय जिनकी दुकान उस स्थान पर थी जैसे अपने यहां से असेम्बली के गेट के बाहर निकलते हैं, उतनी दूरी पर थी...

श्री भैरों सिंह शेखावत : कम है।

श्री हरिदेव जोशी : थोड़ी कम होगी। भाग करके वहां पर गए और बदफैल शब्द कहे जिससे वहां पर झगड़ा फैल गया। किसने किसको मारा है, किसने किसको नहीं मारा है, इस मारपीट में, मैं नहीं कहता, वह नटवर सिंह भाग करके सिन्थेटिक्स में गया। सिंथेटिक्स में रिकग्नाइज्ड यूनियन बी० जे० पी० है, भारतीय मजदूर संघ की है, मिल में से लाठियां, जिसको वे कहते हैं कि हमारे झण्डे के डण्डे थे, वे डण्डे लेकर वे बी० जे० पी० वाले भाग कर आए। इस बीच में पुलिस को इत्तला पहुंच गई और पुलिस ने भाग कर सर्किल चौराहे पर, बी० जे० पी० के आने वाले लोगों जो जुलूस बना कर शहर में जाना चाहते हो, को रोक दिया। उनको वहां पर रोका। पुलिस वहां लाइन लगा कर खड़ी हो गई। घण्टे भर तक यही चलता रहा, तनाव बढ़ता रहा। इनमें से कुछ लोग भाग कर मजदूरों में गए और शहर में पहुंच गए। शहर में जा करके साइकिलों से उन्होंने दुकान बन्द कराने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, आज की टेंडेंसी क्या है कि 25 आदमी भी इकट्ठे हो जावें तो दुकानदार उसको रेलिश नहीं करता यह सोच करके कि मेरी दुकान के कांच के शीशे फोड़ देंगे, दूसरा सामान खराब कर देंगे। लोगों ने धड़ाधड़ दुकानें बन्द कर दीं। अफवाह फैल गई, यह हो गया, वह हो गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह सकता हूं कि चाहे विकास के साथ में कुछ भी नहीं हुआ हो परन्तु एक चीज हुई है कि बांसवाड़ा के अन्दर बांसवाड़ा वालों ने नहीं बाहर से आने वालों ने झगड़ा कराया चाहे वह व्यापारी हों, मजदूर हों, चाहे राजनीतिज्ञ हों और लोगों की जान को हैरान किया। यह स्थिति नहीं है कि बांसवाड़ा का हर मुसलमान और हिन्दू हमला करने वाला था। अध्यक्ष महोदय, गधारवाड़ी मुसलमानों का जत्थे वाला मोहल्ला है। इसके पास ही दूसरे हिन्दू रहते हैं। न हिन्दुओं ने कुछ किया न मुसलमानों ने कुछ किया। अध्यक्ष महोदय, सूरजपोल के अन्दर बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है वहां भी न हिन्दुओं ने

(श्री हरिदेव जोशी)

कुछ किया, न मुसलमानों ने कुछ किया। मिल के पास में जहां पर मजदूर कालोनी है, वहां पर जो लोग रहते हैं, उन्होंने इस सारे झगड़े की शुरुआत करवाई है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अध्यक्ष महोदय। उन लोगों के इतिहास को, जो पहले वहां रहते थे, देखने की कोशिश की जावे कि पहले उनका इतिहास क्या रहा है जो आज झगड़े में अगुआ हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय भैरोंसिह जी भी गए थे, मैं भी तीन-चार बार गया हूं। घनश्याम जी ने अभी कहा है कि मैंने वहां कुछ नहीं किया शान्ति कराने के लिए....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने नहीं कहा।

श्री हरि देव जोशी : I am sorry. गुलाब चन्द जी ने कहा था कि मैंने शान्ति करवाने के लिए कुछ नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : गुलाब चन्द जी वहां गये थे क्या दौरे पर ?

श्री हरिदेव जोशी : गए होंगे। भैरोंसिह जी के साथ गये हों तो मुझे एतराज नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है अध्यक्ष महोदय, यह सारा झगड़ा, इतनी हैसियत मैं कभी इन्द्रजीत सिंह जी की कहीं मानता कि केवल वे ही सारा नेतृत्व कर सकें। परन्तु आग में पूला डालने का काम तो वे कर ही सकते हैं और उन्होंने किया है आग में पूला डालने का काम। अध्यक्ष महोदय, कुल

(व्यवधान)

मिलाकर स्थिति यह है कि कमलेन्द्र-सिंह जी की पार्टी के आदमी भी वहां पर गए थे और स्टेटमेंट दिए हैं कि किसने क्या-क्या किया, क्या-क्या नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, शरारत करने वालों में हिन्दुओं की भी कमी नहीं है, शरारत करने वालों में मुसलमानों की भी कमी नहीं है। मगर इस सारे झगड़े की जड़ बी० एम० एस० और आर० एस० एस० है। कैलकुलेटेड वे में, उन सब कालोनी के अन्दर जहां कांग्रेस का बहुमत है, वहां मुसलमानों को आतंकित करने दूसरी तरफ हिन्दुओं की कालोनी में तनाव पैदा करने, भड़काने और भड़का कर साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

कुछ लोग विश्व हिन्दू परिषद के नाम पर बूढ़े-बूढ़े लोगों को उसमें लेकर हिन्दू साम्प्रदायिकता की ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं। जवानों को बी० जे० पी० में लाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को आर०एस० एस० में लाने की कोशिश करते हैं, मजदूरों को बी०एम०एस० में लाने की कोशिश करते हैं और एक प्रकार भारत की राजनीति के ऊपर छाने की कोशिश करते हैं। मैं यह

(श्री हरिदेव जोशी)

निवेदन करना चाहता हूं कि अगर शराब पीकर फेंक देने वाले लड़के और उस लड़के के बीच कोई तनाव आया होता, उस समय समय अगर कोई तनाव था तो उसी दिन, वहीं पर भड़क जाता, मगर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद साइकिल वाले और उसके बीच कुछ हुआ होता तो वहीं पर उस साइकिल वाले को पीटते या उसका मर्डर कर देते, वहां भी कुछ नहीं हुआ। मगर कुछ लोग इस बात पर आमादा थे, और आमादा आज भी हैं, कि बांसवाड़ा जैसी जगहों के अन्दर, या ऐसी जगहों के अन्दर वहां पर अमन है, अमन नहीं रहे और भारत के अन्दर अशांति पैदा हो, देश के अन्दर अशान्ति पैदा हो, एक दूसरे सम्प्रदाय के लोग इस तरह के वातावरण में पलें। यह बात है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह झगड़ा मजदूरों का नहीं है, यह झगड़ा सम्प्रदायों का भी नहीं है। यह उन लोगों का झगड़ा है, यह उन लोगों के द्वारा पैदा किया हुआ विवाद है जो देश के अन्दर अशान्ति पैदा करना चाहते हैं, यह निर्विवाद रूप से सत्य है।

दरअसल आज हमारे यहां यह स्थिति हो गई है, 2–4 आदमी पूरे के पूरे शहर को अंगुली पर उठाकर नचा लेवें और हम कुछ कर न पायें ऐसा हम खुद प्राय: महसूस करते हैं, यह हालत है। बांसवाड़ा में अगर 15 आदमी कब्जे में किये जायें, 15 आदमी, तो निश्चित रूप से वहां अमन शान्ति रहे, इसके सिवा कुछ नहीं है, अध्यक्ष महोदय। बांसवाड़ा का ऐसा ही उदाहरण है। लुहारवाड़े के अन्दर दो मुसलमान परिवार रह रहे थे। उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, पूरे मोहल्ले ने एक होकर ट्रक में बैठा कर उन लोगों को वहां से बाहर भेज दिया। कोई सारे के सारे हिन्दू हमलावर हों, ऐसी बात नहीं है। जो प्रेसीडेंट का मोहल्ला कहा जाता है, प्रेसीडेंट के लोगों ने उस लड़के का मर्डर किया है उस मजदूर का मर्डर किया है। उस मोहल्ले के अन्दर इतने से हिन्दू रहते हैं, दस घर अगर मुसलमानों के हैं तो एक घर हिन्दू का है। तेली वहां रहते हैं, कलाल वहां रहते हैं और दूसरे लोग वहां रहते हैं लेकिन वहां कोई अशान्ति नहीं है। जो लोग बाहर से आये हैं वह गड़बड़ी पैदा करना चाहते हैं। आज भी, अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कुछ मजदूर नेता बांसवाड़ा में कैम्प किये हुए हैं, उदयपुर, रतलाम और दूसरी जगह से से जाकर। वह सारे अशांति को भड़काना चाहते हैं। वह लोग बी०एम०एस० से सम्बन्धित हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह झगड़ा यूनियन्स का नहीं है, यह झगड़ा उन बेचारों का है जो साम्प्रदायिक और असाम्प्रदायिक लोगों के बीच में हैं। यह चीज है इसको हमको स्पष्ट समझना चाहिये। हमें खेद है, वहां पर एक आदमी की मृत्यु हो गई जिसको इन सब चीजों से कोई लेना-देना नहीं था। मगर इस प्रकार की घटनाओं के अन्दर वे ही आदमी मारे जाते हैं जो सावधान नहीं होते हैं। और जो सावधान रहकर हमला करते हैं वह आदमी निश्चित रूप से लोगों को नुकसान पहुंचा जाते हैं। यही निवेदन करना है।

(98)

श्री अध्यक्ष : आपका अन्तिम भाषण होगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की ओर से माननीय राज्य मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया....

श्री अध्यक्ष : अब तो दो-दो भूतपूर्व मुख्य मन्त्री दे रहे हैं तो राज्य मन्त्री की क्या बात है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हम तो, अध्यक्ष महोदय, दोनों भूतपूर्व हैं।

श्री अध्यक्ष : भूतपूर्व भी स्टेट मिनिस्टर के बराबर तो हो ही जाते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। यह भूतपूर्व की तो लाइन बनती जा रही है, हम करें क्या ? मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय राज्य मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया उस वक्तव्य में अधिकांश तथ्य हैं। उन तथ्यों के बारे में मुझे किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम को सरकार की ओर से ठीक प्रकार से इस सदन में रखा गया, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बिलकुल, जब मैं कह रहा हूं। उन्होंने जो कुछ कहा उसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है कि हम उसको और ज्यादा विस्तार से कह सकें। पूरा घटनाक्रम दिया है। अध्यक्ष महोदय, इस घटनाक्रम के सम्बन्ध में जोशी जी ने भी एक वक्तव्य दिया है। मैं ऐसा समझता हूं, उन्होंने भी तथ्यों को ज्यादा तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश नहीं की।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, वह यदि इसके पीछे मोटिव्ज इनपुट नहीं करते तो, मैं ऐसा समझता हूं उन तथ्यों के आधार पर जो कुछ घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं का सही चित्रण हमारे सामने उपस्थित हो जाता। अध्यक्ष महोदय, जोशी जी ने इस बात को स्वीकार किया है, सरकारी वक्तव्य में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि सिनेमा में जो घटना हुई, उस घटना का सम्बन्ध 9 तारीख को जो घटना हुई उससे नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं। 5 तारीख को सिनेमा में शराब फेंकने की जो घटना हुई, उस घटना के दूसरे दिन आपस में मारपीट की घटना हुई यह दोनों बातें, जहां तक मेरी जानकारी है, 6 तारीख के बाद में यह घटना लोगों में चर्चा का विषय जरूर रही होगी लेकिन इस घटना के कारण से लोगों में किसी प्रकार का रोष हो या लोग किसी प्रकार

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

शान्ति भंग करने के लिये उतारू हों, इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। यह बात भी निश्चित है कि इस घटना को लेकर काफी अफवाहें फैलीं। आम तौर पर इस प्रकार की घटनाओं के बाद ऐसी अफवाहें फैलती हैं, वह फैली। लेकिन उसके बाद सिनेमा की घटना लोगों के मस्तिष्क में नहीं रही और उस घटना को लोग करीब-करीब भूल गये। अब घटना 9 तारीख की है। अध्यक्ष महोदय, 9 तारीख की घटना का चित्रण जैसा माननीय जोशी जी ने रखा मैं उसमें कुछ एड नहीं करना चाहता हूं। एक साइकिल के रुपये का चुकारा या उधार की मांग को लेकर एक प्रश्न खड़ा हुआ, रुपया चुकाने के लिये झगड़ा हुआ, उस साइकिल वाले को जिसने रुपये देने थे, उसी के झगड़े में उसको पीटा, यह भी सही है। मैं समझता हूं, ना सरकारी वक्तव्य से कोई मतभेद है, ना जोशी जी की बात से किसी प्रकार का मतभेद है। यह बात भी सही है कि जब मजदूरों को पीटा तो दूसरे मजदूरों ने उसका विरोध किया और विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया। अध्यक्ष महोदय, आज एक विद्यार्थी से किसी प्रकार की हरकत कर लें मानलो एक विद्यार्थी को जौहरी बाजार, चौपड़ पर कोई आदमी पकड़ लेता है या मार देता है और वह विद्यार्थी यदि अपने कालेज और होस्टल में जाकर कहता है तो उसकी सहानुभूति में सारे विद्यार्थी निकलते हैं, आन्दोलन भी होता है, प्रदर्शन भी होता है, सरकारी अधिकारी के पास भी लोग जाते हैं। यह टेण्डेन्सी विद्यार्थी में ही हो, ऐसी बात नहीं है। मजदूरों में और समाज के अन्य वर्गों में भी है। जिस वर्ग के किसी एक प्रतिनिधि को पकड़ लिया जाय, पीट दिया जाये तो उसकी सहानुभूति में वह कोई ना कोई कार्यवाही करेगा। उसमें प्रदर्शन निकालें....

श्री खेतसिंह राठौड़ : अपने में कहां है ? अपने में तो नहीं है। आप कहते हैं, सब वर्गों में इस तरह की यूनिटी है। अपना भी एक वर्ग है अपने में कहां है ?

श्री अध्यक्ष : थोड़ा समय का ध्यान रखें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरे कथन को आप कुछ उसमें रख रहे हो वैसा मुझे लग रहा है। मैंने कभी यह नहीं कहा। मैंने यह कहा, जब वह दोनों आपस में लड़ रहे थे, तीसरा आदमी, उस समय वहां पर पीछे-पीछे सदस्य भाग कर गये और उससे तनाव आया है, मैंने यह कहा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बिलकुल आपने जो बात कही मैं उससे इंकार नहीं कर रहा हूं। जिस व्यक्ति को पीटा गया....

श्री हरिदेव जोशी : मैंने यह नहीं कहा, उसको पीटा है। मैंने यह नहीं कहा, उनमें आपस में झगड़ा हुआ है। किसने किसको पीटा, मुझे क्या मालूम मैं तो वहां पर था नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, झगड़ा हुआ, जोशीजी केवल इतना ही कहना चाहते हैं, आगे उनको संकोच है।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, संकोच नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह कह सकता हूं, क्योंकि मैं वहां पर 2–3 बार गया हूं। मगर मैं किसी के नाम में नहीं पड़ना चाहता, कहीं उससे और ज्यादा एग्रेवेट नहीं हो और नुकशान न होवे बाकी जो फैक्ट्स हैं वह रखे है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि झगड़ा हुआ और उसमें जिसको पीटा गया, जोशी जी भी स्वीकार करें कि पिटने वाला मजदूर था।

श्री हरिदेव जोशी : सबसे पहले दुकानदार को पीटा, उसके बाद मजदूर को पीटा गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो भी हो, अध्यक्ष महोदय, तफसील उन्होंने बता दी पहले दुकानदार पीटा गया, दुकान पर वह पीटा गया उसकी सहानुभूति में आस पास के दुकानदार इकट्ठे हुए। जिस व्यक्ति का नाम आप ले रहे, शायद भवानी के बारे में आप कह रहे है, भवानी को पीटा और उसके बूढ़े पिताजी को भी पीटा, यह तथ्य है, इनके बारे में इन्कार नहीं कर सकते। एक मजदूर को पीटा, उसकी सहानुभूति में एक कौंसलर गया उसको पीटा, उसको बचाने के लिये उसका बूढ़ा बाप गया, उसको भी पीटा।

श्री अध्यक्ष : यह आर्गुमेंट बढ़िया बताया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं फैक्ट्स रख रहा हूं, तीनों की पिटाई की गई।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वकील होते तो काफी कामयाब होते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वकील हूं या नहीं, इनको क्यों परेशानी हो रही है मेरी वकालत की। आपकी तो शेरमद में भी वकालत नहीं चली। मैं केवल तथ्य बताना चाहता हूं, जिसमे किसी प्रकार का भ्रम न रहे। इन तीनों की पिटाई की सूचना मजदूरों को मिली, और जोशी जी कह रहे हैं वह सही है, उन्होंने प्रदर्शन किया, हमारे साथी को पीटा गया है। प्रदर्शनकारी जुलूस आया, जगह का मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक कर कहा कि चले जाइये, यहां पर जो मारपीट हुई है उस पर जो भी वाजिब एक्शन लेना है वह लेंगे, जिसको गिरफ्तार करना है, करेंगे, आप डिस्पर्स हो जाओ। मजदूर वहां से डिस्पर्स हो गये वहां पर धारा 144 लगा दी।

श्री हरिदेव जोशी : डिस्पर्स नहीं हुए, वे शहर में गये, प्रदर्शन किया, दुकानें बन्द कराईं, लोगों को पीटा, पूरे दिन लोग पिटते रहे उन मजदूरों के द्वारा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, जोशी जी को अपनी पुलिस पर तो विश्वास होगा....

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से आप दोनों मेरे चेम्बर में पधार जायें। वहां यह बात कर लें। सरकार के उत्तर से तो आप संतुष्ट हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, जोशी जी ने कहा कि जुलूस डिस्पर्स नहीं हुआ, बाजार में गया, प्रदर्शन किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहां पुलिस काफी संख्या में मौजूद थी, धारा 144 लगा दी गई फिर बाद में प्रदर्शन किया, दुकानें बन्द कीं, क्या पुलिस ने, राज्य मन्त्री जी बैठे हैं, इस बात को अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि डिस्पर्स नहीं हुए? क्या उन्होंने स्वीकार किया है कि जुलूस बना कर लोग बाजार में चले गये? क्या पुलिस ने इस बात को स्वीकार किया है कि दुकानें बन्द करवा दीं? मैं, जोशी जी, आपकी बात का खण्डन नहीं करता। माननीय राज्य मन्त्रीजी कागजात देख लें, पुलिस रिपोर्ट में उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया है, जब प्रदर्शनकारियों पर धारा 14 लगा दी, कह दिया कि डिस्पर्स होकर चले जाओ, वहां से डिस्पर्स हो गये, कोई प्रदर्शन नहीं निकला, कोई दुकानें बन्द नहीं हुई, न लाठियां चलीं, न लोगों को डराया, यह मैं नहीं कहता, पुलिस की रिपोर्ट कहती है। अब विवाद कहां हुआ? अधिकांश मजदूर चले गये, उनके जाने के अलग-अलग रास्ते हैं। एक रास्ते से कुछ मजदूर गये, और जिस रास्ते से जाना चाहते थे असलियत यह है वहां एक ऊंची पहाड़ी है, नाम तो मुझे पता नहीं, जोशी-जी बताएंगे, वहां से मजदूर निकलने लगे। उसके नीचे मुसलमानों का मोहल्ला है, उनमें चर्चा चली कि ये मजदूर हम पर हमला करेंगे जिससे उनमें थोड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने देखा, कहीं ये हम पर हमला न कर दें, मजदूर अपने मकानों को जा रहे थे, इस वहम में। आप एक बात स्वीकार करेंगे कि कुछ व्यक्तियों के पास जीप थी, जीप में लाठियां भी थीं माननीय राज्य मन्त्रीजी स्वीकार करेंगे। एस. पी. साहब ने में जीप में बैठे हुए लोगों से कहा कि आप जीप लेकर मत जाओ, इससे लोगों में वहम हो रहा है, इसको दूसरे रास्ते से ले जाओ या जीप को यहां खड़ी कर दो, शहर में घुमाओ मत। वे जीप लेकर गये, जब लोगों को वहम हुआ और जब वापस आ रहे थे....

श्री अध्यक्ष : ऐसी पंचतन्त्र में कहानी है, दो दोस्त थे एक बैल और एक सिंह, उनके बीच में इस तरह का झगड़ा हुआ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह यही हुआ। मैं नहीं चाहता, किसी प्रकार का झगड़ा फैले, मैं नहीं चाहता इस झगड़े में किसी प्रकार से दोषी व्यक्ति बच जांय। मैं निवेदन कर रहा था, वे जब आये इस जीप में से उतर कर, उन्होंने मजदूरों का पीछा किया और तीन मजदूर उनकी गिरफ्त में आ गये। एक, जिसका नाम नाहरसिंह है, वह टी०बी० पेशेन्ट था, उसको पकड़ कर मारा और वहां पर दो मजदूर जो और पकड़े गये उनकी जबर्दस्त पिटाई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हुई। यह सारा घटनाक्रम है जिसके बारे में माननीय जोशीजी भी स्वीकार करेंगे और माननीय राज्यमन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ। अब केवल एक निवेदन करना चाहता हूं, जोशी जी और जनता पार्टी के नेता ने वक्तव्य देकर कहा कि वहां पर सारी घटना विश्व हिन्दू परिशद और बी०एम०एस के कारण से हुई, भा. ज. पा. के कारण से हुई। यह बात सही है कि हिन्दुस्तान में आज इंटक के बाद मजदूरों का सबसे बड़ा संगठन भारतीय मजदूर संघ है। इस बात को मैंने नहीं, भारत सरकार के रजिस्ट्रार ने स्वीकार किया है कि भारतीय मजदूर संघ की सहस्य संख्या इंटक के बाद दूसरे नम्बर पर है। अब इंटक वहां नहीं पनपे और भा. म. सं. वहां पनपे, यह सारा दोष हम पर नहीं हो सकता। यह तो जोशी जी की एफिशियेंसी है कि वहां पर इंटक नहीं पनप रही और बी०एम०एस० का नाम लेकर उसको फंसाना चाहते है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते है। बी०एम०एस० के प्रति इनकी तो दुर्भावना है ही लेकिन उनका जो संठन है, जोशी जी, आप कितनी ही कोशिश करों, वह बांसवाड़ा में जम गया, आप चाहे कितना ही नाम लगाओं, वह वहां से उखड़ने वाला नहीं। मैं वहां पर व्यापारियों, शहर के हिन्दू प्रतिनिधियों से मिला हूं और मुसलमानों के मोहल्ले में स्वयं जाकर वहां के मुख्याकाजी जी से बात की। उन्होंने मुझे दास्तान बताई कि कुछ असामाजिक तत्व हिन्दुओं में भी हैं और कुछ मुसलमानों में भी हैं। सारे हिन्दु-मुसलमानों में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है। आपस में कुछ इस प्रकार के तत्व हैं जिनके खिलाफ यदि पुलिस समय पर कार्यवाही कर लेती तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती। मैंने जिलाधीश और एस.पी. से भी बातचीत की और उनसे केवल एक बात कही कि आपने धारा 144 लगा दी, तो उसके कुछ परिणाम होते हैं, उससे एक वार शहर में हवा फैलती है कि धारा 144 लगी, उसके पीछे कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है। मैंने उनसे पूछा कि जिस समय धारा 144 लगाई उस समय शहर में जो भी वीक पाइन्ट थे, जहां पर झगड़ा हो सकता था वहां पुलिस थी या नहीं थी। उन्होंने एडमिट किया कि वहां पुलिस नहीं भेज पाये। अगर धारा 144 लगाने के साथ ही पुलिस पहुंच जाती तो झगड़ा नहीं होगा। यह पुलिस की जबर्दस्त इनएफिशियेंसी रही इसे माननीय जोशी जी स्वीकार करेंगे। चाहे कर्फ्यू लगायें या धारा 144, उसके पहले आपको पूरी फोर्स अलग-अलग स्थानों पर निपुक्त करनी पड़ेगी क्योंकि इससे जो रिपर्कशस होते हैं, उनके कारण आपस में तनाव पैदा नहीं होता और हो जाय तो भी आपस में झगड़ा नहीं होता। इस प्रकार की स्थिति में पुलिस ने वहां पर कोताही की। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां जनता पार्टी के नेता के बारे में कहूं, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, उन्होंने यहां पर एक पक्ष रख दिया, अच्छी बात है। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि गढ़ी राव साहब को इसमें क्यों खींचा ? मैं समझता हूं, जोशीजी भी उनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि वह किस टाइप के आदमी है।

श्री हरिदेव जोशी : वे विश्व हिन्दू परिषद के नेता की हैसियत से नहीं अपने स्वभाव के कारण ही ऐसे हो गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अच्छी बात कही, वे विश्व हिन्दू परिषद के नेता के रूप में नहीं व्यक्तिशः इसप्रकार के हैं और व्यक्तिशः होंगे। जोशीजी, जब से आप राजनीति में हैं तब से वे आपका विरोध करते आये हैं। जब से चुनाव लड़ा है तब से आपका विरोध करते आये हैं।

श्री हरिदेव जोशी : कभी नहीं। यह आपका भ्रम है। उन्होंने कभी चुनाव में विरोध नहीं किया, सिवाय 1977 के, जब मैं वह हो गया और आज भी मैं जरा सा संकेत कर दूं तो कल चले आयेंगे। यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, अध्यक्ष महोदय, मैं समझ गया। 1977 के पहले गढ़ी राव साहब बहुत अच्छे थे क्योंकि इनके साथ थे। ज्योंही इनका साथ छोड़ा कि वे साम्प्रदायिक हो गये।

श्री हरिदेव जोशी : वे तो आज भी मेरे घर पर आते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आदमी का मापदण्ड किसी आदमी का साथ देता है और किसी आदमी का साथ नहीं देता है, यह मापदण्ड नहीं होता। मैंने यह बात जान बूझकर कही थी क्योंकि जोशीजी रिएक्शन में यह कहने वाले थे कि गढ़ी राव साहब मेरे साथ थे।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कभी भी यह नहीं कहा। आपको एक ही बात कह रहा हूं और वह यह है कि विश्व हिन्दू परिषद देश के अन्दर तनाव पैदा कर रहा है। मैं जान बूझकर इसको एग्रेवेट नहीं करना चाहता। अध्यक्ष महोदय, देव झूलनी एकादशी के दिन जहां रेवड़ियां ले जाई जाती हैं वह मुसलमानों के मोहल्ले में से होकर के लायी जाती हैं, मुसलमानों ने वहां पर इन लोगों का स्वागत किया। इन सारे हिंदू लोगों का इत्तर पान वगैरह से स्वागत हुआ और विश्व हिन्दू परिषद, बी० एम० एस० के नेता लोगों ने वहां पर मुसलमानों पर गुलाल, हालांकि गुलाल मुसलमान नहीं लगाते है, उन्होंने जोर-जोर से गुलाल लगायी। फिर मस्जिद में स्वागत करने के लिये ले गये। उस समय उसमें से कुछ लोगों ने "हिन्दुस्तान में रहना है तो हिन्दू होकर रहना होगा" इस प्रकार के नारे लगाये। अब आप उनके मोहल्ले के अन्दर बैठ करके, इस प्रकार से उनकी मस्जिद में नारे लगावें। मैं आपको, भैरोंसिंहजी, कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी गुड विशेज का उपयोग करना चाहते हैं, गुड विल का उपयोग करना चाहते हैं, तो उन लोगों से कहिये जो आपकी पार्टी में है कि मेहरबानी करके इस प्रकार का धन्धा मत करो। वहां पर हजार के करीब मुसलमान थे, दो-चार-पांच हजार हिन्दू भी थे, अगर वहां पर झगड़ा हो गया होता तो ? थोड़ा सा सोच लें। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि बांसवाड़ा

(श्री हरिदेव जोशी)

में आगे तनाव न रहे, इसलिए इसको रोकिये।

श्री अध्यक्ष : अब आप जल्दी समाप्त करें। समय बहुत हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समय तो हो गया। बोल तो वे रहे हैं। मैं तो बोल नहीं रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

एक माननीय सदस्य : दाढ़ी में तिनका।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तिनका तो अपन निकालते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आखिर जोशीजी ने असली बात कह दी। असली बात कह दी कि जिस समय जन्माष्टमी के अवसर पर देव झूलनी ग्यारस के दिन ठाकुरजी की जो रेवड़ियां निकली थीं तो उस समय कुछ लोगों ने मुसलमानों के गुलाल लगायी। मैं समझता हूं, जोशीजी, अपनी पुलिस बहुत सतर्क है। पुलिस ने सरकार को रिपोर्ट की होगी कि मस्जिद में गुलाल लगायी गयी और मस्जिद में इस प्रकार के नारे लगाये गये। यह रिपोर्ट तो की होगी? आखिर आप तो जानते हैं इस प्रकार की घटना हो जाये और पुलिस ने सरकार को रिपोर्ट नहीं दे या वहां के इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेंट इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं करे, यह तो आप स्वीकार करते हैं?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी निश्चित जानकारी है कि रिपोर्ट की है।

श्री अध्यक्ष : मेरे खयाल में चर्चा बहुत लम्बी हो रही है। आर्डर प्लीज। अब आप दो मिनट में समाप्त करें, विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन यह कर रहा था कि अगर इस तरह की रिपोर्ट पुलिस ने की तो पुलिस को चाहिए था कि तत्काल लोगों को गिरफ्तार करती। गिरफ्तार करना चाहिये था चाहे वे विश्व हिन्दू परिषद के नेता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे भारतीय मजदूर संघ के हों। यदि मस्जिद में जाकर इस प्रकार की हरकत करते हैं तो पुलिस ने उनके साथ रियायत क्यों की? उस समय सरकार को जानकारी मिल गयी थी कि वहां पर गुलाल डाली गई है, वहां पर इस प्रकार के नारे लगाये गये हैं, मस्जिद में इस प्रकार की हरकत हुई है तो पुलिस ने उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया, मेरा सवाल है? आपकी बात सही है या गलत, यह आप जानें, बांसवाड़ा के लोग जानें या पुलिस जाने। लेकिन उसी समय सरकार ने अपना दबाव क्यों नहीं डाला कि गुलाल लगायी गयी है, इस प्रकार के न

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लगाये गये हैं इसलिए उनके खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन लिया जाये। अध्यक्ष महोदय, उस समय एक्शन नहीं लिया गया। अब मैं एक लाइन में यह कहना चाहता हूं, विश्व हिन्दू परिषद की बात खास तौर पर यहां पर कही गयी है कि जब से हिन्दुओं को मुसलमान बनाया जाने लगा है विश्व हिन्दू परिषद एक्टिव हो गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि इस कन्वर्शन के मामले को हम ही कन्डेम कर रहे हों, यह बात नहीं है। आपकी, देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी कन्वर्शन की बात को कन्डेम किया है। उन्होंने यह कहा है कि कन्वर्शन की जो हवा चल रही है उसके कारण हिन्दू-मुस्लिम तनाव पैदा हो सकता है। अगर आप यह कहते, चाहे हिन्दू को मुसलमान बनाया जाये, चाहे मुसलमान को हिन्दू बनाया जाये, इन दोनों को आप, जोशीजी, कन्डेम करते तो मैं समझता कि आप बिलकुल निष्पक्ष होकर बात कह रहे हैं। लेकिन एक तरफ....

श्री हरिदेव जोशी : आप मेरे कथन को डिस्टॉर्ट करेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं कहा कि कन्वर्शन अच्छा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब इस आधार पर विश्व हिन्दू परिषद की आलोचना की जाये। विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष महाराणा, उदयपुर हैं। वे कोई छोटी-मोटी हस्ती हैं नहीं। अब महाराणा, उदयपुर ने किसी चुनाव के अन्दर किसी एक पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में अपील नहीं निकाली और विरोध में निकाल दी तो इससे आप महाराणा, उदयपुर को कन्डेम करने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : हमने कभी नाम नहीं लिया, महाराणा का। आप जबर्दस्ती नाम ले रहे हैं। आप इसका पॉलिटिकलाइजेशन कर रहे हैं। आपको और कुछ नहीं मिला तो इसके अन्दर महाराणा उदयपुर का नाम ले आये। क्या कमाल करते हैं आप, भैरोंसिहजी, महाराणा साहब को तो हमने 77 के चुनाव में देख लिया, अभी के चुनाव में भी देख लिया।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, अब समाप्त करें।

दोनों ही नेता विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि गढ़ी राव के सम्बन्ध में जोशीजी ने सर्टिफिकेट दे दिया। महाराणा साहब के विषय में वे नहीं कहना चाहते थे....

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का दिल तो है खराब। अभी दुरुस्त करा कर आये हैं फिर भी खराबी मालूम पड़ती है। मैंने कभी नहीं कहा यह।

106

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, विश्व हिन्दू परिषद कैसी संस्था है, जोशीजी के प्रति मेरी श्रद्धा है, जोशीजी के पिताजी के मैं भी पांव छूता हूं। लेकिन, जोशीजी, आपके पिताजी भी विश्व हिन्दू परिषद के सदस्य हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पिताजी हैं इससे आपको एतराज है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एतराज नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पिताजी विश्व हिन्दू परिषद के सदस्य कभी नहीं रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनके पिता हैं, उसी नाते मैं उनके चरण छूता हूं, मैं उन से आशीर्वाद लेता हूं और मैं समझता हूं कि इनके पिता हैं तो मेरे भी पिता तुल्य हैं। वह पिता तुल्य विद्वान व्यक्ति यदि विश्व हिन्दू परिषद के सदस्य बनते हैं....

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इनका दिल खराब है और नीयत भी खराब है। अध्यक्ष महोदय, अगर इनकी नीयत खराब न होती तो मेरे पिताजी, जो बीमार हैं गत दो वर्ष से, न वे बोल पाते हैं और न कुछ कर पाते हैं, बीमारी में जाकर पांव छू आवें, मैं किस को कहूं कि आप मत करो, मैं आपको एक बात कहता हूं, आप पिताजी का नाम लेकर मुझसे यह कहलवाना चाहते हैं कि विश्व हिन्दू परिषद ने साम्प्रदायिकता नहीं फैलाई है, तो वह सम्भव नहीं है। मेरे पिताजी, अध्यक्ष महोदय, गत ढाई वर्ष से अस्पताल में पड़े हुए हैं और उनका इस सारे झगड़े से कोई लेना-देना नहीं है। भैरोंसिंह जी, न आपकी राजनीति से उनका कोई लेना-देना है और न मेरी राजनीति से उनका कोई लेना-देना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिताजी का नाम ले लिया। मैं उनके बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस झगड़े से उनका कोई लेना-देना नहीं है। कोई लेना-देना आपके पिताजी का इस झगड़े से नहीं है, यह मैं आज मन्जूर करता हूं। यह भी मैं निवेदन कर दूं कि वे अस्वस्थ हैं इसलिये मुझे उनके बारे में किसी प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिये थी। मैं हार्ट-पेशेन्ट हूं और दो-तीन बार मेरी बीमारी की बात की गयी, मैं बीमार हूं यह कहा गया, इसलिये उनके पिताजी का नाम मैंने लिया है। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने यहां कहा, 12-15 वर्षों से मैं उनके चरण छूकर हमेशा आशीर्वाद लेता हूं, अगर उनके खिलाफ भी एक्शन लेता हूं तो उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति हैं वे कि जोशी जी आयें या मैं, दोनों को आशीर्वाद देने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : महाभारत में जो आदर द्रोणाचार्य और भीम को था उसी प्रकार मेरे पिताजी भी पूजनीय हैं।

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं,

(श्री अध्यक्ष)

आसन पैरों पर है। समय बहुत हो गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, बस खतम कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रसंग के अन्दर क्या हुआ, क्या नहीं, मैं जोशी जी की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि बांसवाड़ा में किसी प्रकार का भी साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई लीपापोती नहीं होनी चाहिए, जिन पुलिस अधिकारियों ने ठीक ढंग से कार्यवाही नहीं की है उनके खिलाफ निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक बात और जोशी जी की स्वीकार कर ली जाये कि बांसवाड़ा के अन्दर जितने भी लोग बाहर से आ गये हैं उनको, जैसे आराम से बाहर निकालने की बात की जा रही है, उसी प्रकार बांसवाड़ा से निकाल दिया जाय। इस बात से तो आपको इन्कार नहीं है ना?

श्री हरिदेव जोशी : यह तो काम आप ही करते हैं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, बस दो ही मिनट।

अध्यक्ष महोदय, मुझ पर जिस प्रकार के आरोप लगाये हैं उन सारे आरोपों की सफाई में तो मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता के मामले में किसी जाति के व्यक्ति हों, किसी धर्म को मानने वाले लोग हों अगर हमने इसमें एक दृष्टिकोण बना लिया एक ही पक्ष की सुनते रहे और दूसरे का विरोध करते रहे तो शान्ति स्थापित नहीं होगी बल्कि आप अशान्ति के बीज बो देंगे, इससे अशान्ति के बीज पैदा होंगे। यह काम चाहे डी० एम० एस० और विश्व हिन्दू परिषद करती हो, आर० एस० एस० करती हो, चाहे तो कांग्रेस के लोग करते हों, मुस्लिम लीग करती हो, प्रशासन को निष्पक्ष होकर उसके लिये जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। इस प्रकार के दृष्टिकोण को सरकार अपनायेगी तो निश्चित रूप से कहीं पर कोई किसी प्रकार का साम्प्रदायिक दंगा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सरकार इस प्रकार का व्यवहार करेगी और जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाये हैं उनका चालान नहीं होगा और जो दोषी हैं उनका निश्चित रूप से चालान होगा, यह मैं मांग करता हूं।

व्यवस्था

कार्य सूची में संशोधन

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

सदन के सामने विचारणीय विषय आयेंगे—अनुपूरक अनुदानों की मांग 82-83 और अतिरेक अनुदान की मांग 75-76। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपकी अनुमति से संशोधन करना चाहूंगा कि आज जो कार्य-सूची वितरित की गयी है उसमें अनुपूरक अनुदान की मांगों और अतिरेक की मांगों का अलग-अलग समय दिया है। मैं चाहता हूं कि यह दोनों एक

(108)

(श्री अध्यक्ष)

साथ ही प्रस्तुत की जायं। साथ ही उन पर मतदान करवाया जायेगा और तत्सम्बन्धी विधेयक एक साथ प्रस्तुत किये जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और जितने कटौती प्रस्ताव हैं वे प्रस्तुत किये हुए समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : हां, और अभी कटौती प्रस्ताव किये हुये माने जायेंगे। अब मैं नाम पुकारता हूं। श्री हेमाराम चौधरी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : मुख बन्द कितने बजे होगा ?

श्री अध्यक्ष : आवश्यक समझेंगे उसी समय कर लेंगे या अभी साढ़े चार बजे का समय निश्चित कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख बन्द तो होता ही रहता है, मुख खोलें, इसकी आवश्यकता है।

एक माननीय सदस्य : पांच बजे के बाद नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आधा घन्टा पहले बता दूंगा और उस वक्त मुख बन्द का प्रयोग कर लेंगे।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मेरी वैधानिक आपत्ति है, अतिरेक की मांगों के सम्बन्ध में संवैधानिक आपत्ति है....

श्री अध्यक्ष : यहां पर वे ही वैधानिक आपत्तियां सुनी जा सकती हैं जिनका इस सदन संचालित करने से सम्बन्ध है। बाकी संवैधानिक आपत्तियां तो अदालतें ही सुनती हैं।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, संविधान के अन्तर्गत हमें यह सदन चलाना है, रूल्स के अनुसार चलाना है तो ठीक है और नहीं चलाना है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपत्ति बता दें।

श्री राजबहादुर : मेरा कहना यह है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आर्टिकल 205 के अन्तर्गत यह जो विधेयक लाया गया है वह....

श्री अध्यक्ष : अभी कहां ? वह तो बाद में। अभी तो मांगें प्रस्तुत की जायेंगी।

श्री राजबहादुर : आप दोनों को साथ-साथ ले रहे हैं ना ?

श्री अध्यक्ष : अभी तो इस पर चर्चा समाप्त होगी उसके बाद जब मन्त्री का जवाब आ जायेगा तो मांगों पर मतदान होगा और उसके बाद में विधेयक आयेंगे।

श्री राजबहादुर : ठीक है, मैं अपनी आपत्ति उस समय प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी।

अनुपूरक अनुदान की मांग
(वर्ष 1982-83)

मांग संख्या 34–प्राकृतिक आपदाओं से राहत

श्री परसराम मदेरणा (अकाल राहत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,25,80,000 रुपये (तेरह करोड़ पच्चीस लाख अस्सी हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, एक और है।

अतिरेक अनुदान की मांग
(वर्ष 1975-76)

मांग संख्या 21–सड़कें एवं पुल

श्री चेतराम मीणा (राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,11,966 (बारह लाख ग्यारह हजार नौ सौ छियासठ रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 34 मुख्य शीर्षक प्राकृतिक आपदाओं से राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

1. कोलायत तहसील में पशुओं को चारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

2. बीकानेर में आवंटित बाढ़ सहायता राशि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में व्यय नहीं की जाकर बाढ़ अप्रभावित क्षेत्र में व्यय की गई, इस पर चर्चा के लिये।

3. बीकानेर में पुरानी गिन्नाणी, माजीसा का बास, हनुमान हत्था मेहरों का बास में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

4. गत वर्ष कोटा जिले में प्रलयंकारी बाढ़ तथा अतिवृष्टि होने से हुए नुकसान पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री भगवानदास शास्त्री
(अजमेर पश्चिम)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री जीतमल जैन (अलवर)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

5. गत वर्ष की बाढ़ के बकाया जीर्णोद्धार कार्यों में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

6. सीकर जिले में गत बाढ़ से बिगड़ी सड़कों के पूर्ण निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

7. सवाई माधोपुर जिले के नागरिक जो बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित हुए उन्हें उचित सहायता न देने एवं गत बाढ़ के कारण टूटी हुई सड़कों को ठीक न कराने पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

8. जयपुर नगर में बाढ़ से बिगड़ी सड़कों के जीर्णोद्धार के नाम पर सड़कों को चौड़ा करने बाबत चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

9. गत बाढ़ के बकाया जीर्णोद्धार कार्यों में व्याप्त घोटाले पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

10. अकाल की भीषण स्थिति में चारा समय पर उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोड़ारायसिंह)

11. टोड़ारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र में चारे की व्यवस्था नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

12. गत वर्ष आई बाढ़ के बकाया कार्यों का समय पर जीर्णोद्धार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

13. जयपुर शहर में आई बाढ़ से हुई हानि के बारे में चलाये गये राहत कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल)

14. माण्डल निर्वाचन क्षेत्र में, पशुओं के लिये चारे का प्रबन्ध करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई)

15. भीषण अकाल की स्थिति होने पर भी मवेशियों को चारे की समुचित व्यवस्था नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर)

16. जैसलमेर में भीषण अकाल की स्थिति होने पर भी मवेशियों को उचित मात्रा में चारा पहुंचाने एवं वितरण किये जाने में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :—

17. वर्षा के अभाव में भीलवाडा तहसील व जिले में चारे की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा
(उदयपुर ग्रामीण)

18. उदयपुर संभाग में वर्षा के अभाव की भीषण स्थिति पर चर्चा के लिये।

19. उदयपुर सम्भाग में अभावग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी व चारे की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टौंक)

20. टौंक शहर में बाढ़ के कारण हुई क्षति की पूर्ति नहीं करने एवं सड़कों का पुनः निर्माण व टूटे हुए तालाब की मरम्मत नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. बाढ़ के कारण कुए और जमीन खराब एवं मकान आदि नष्ट हो गये हैं, उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

22. तालाब जो कि पिछले वर्ष बाढ़ के कारण नष्ट हो गये हैं, उनकी मरम्मत नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूसिंह गुर्जर (सारची)

23. राहत कार्य के तहत बकाया जीर्णोद्धार के अधूरे कार्यों को पूरा कराये जाने पर चर्चा के लिये।

24. देवली आडवा गांव के पास बाढ़ बचाव हेतु दीवार बनाई जाने पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

25. बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में अधूरी सड़कें जिन पर माल साइड पर खराब हो रहा है उसको मरम्मत कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री ग्रमीन खां)

26. बाड़मेर-जैसलमेर में पांचवा अकाल पड़ने पर भी चारा उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

27. बाढ़ से बिगड़ी सड़कों व सिंचाई निर्माण कार्यों के जीर्णोद्धार में भरतपुर जिले की उपेक्षा पर चर्चा के लिए।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

28. जोधपुर सम्भाग में अकाल राहत के अन्तर्गत सिंचाई के कार्यों का जीर्णोद्धार समय पर नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा)

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

29. बाढ़ से बिगड़े सिंचाई विभाग के निर्माण कार्य तथा सड़कों के अधूरे कार्य को पूरा कराने बाबत चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

30. प्राकृतिक आपदा से राहत के तहत शुरू किये गये सड़कों के निर्माण में बरती गयी ढिलाई एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

31. बाढ़ से अटरू क्षेत्र के गांवों में हुई क्षति से राहत कार्य खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

32. बाढ़ से अटरू क्षेत्र के रहलाई गांव में हुई क्षति से राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

33. बाढ़ से अटरू क्षेत्र के कदाई व सालपुरा गांव मे हुई क्षति से राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

34. कोटा जिले में आई बाढ़ से हुई क्षति के तहत राहत नहीं पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

35. बाढ़ से पीपल्दा क्षेत्र में खातौली गांव में हुई क्षति से राहत नहीं पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 21 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक सड़कें और पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

1. बीकानेर से रणजीतपुरा सड़क को बीकमपुर तक रख-रखाव डामरीकरण नहीं करने पर चर्चा के लिए।

2. जिला बीकानेर में दांतोर-जगासर सड़क को करणीसर, भगनवाला, भूरासर, मुंसेवाला, रसूलपुर तक का कार्य पूरा नहीं करने पर चर्चा के लिए।

3. जिला बीकानेर में राजस्थान मुख्य नहर आर. डी. 837 से नोरूवाला, बिजेरी, भलूरी, गोकुलछीला, करमीर, से बरसलपुर तक सड़क का कार्य पूरा नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

4. कोलायत क्षेत्र में सड़क का रख-रखाव व मरम्मत कराने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

श्री छीतरलाल आर्य (पीपल्दा)

श्री जीतमल जैन (अलवर)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

5. सीमावर्ती सड़क की मरम्मत एवं निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

6. सवाई माधोपुर से श्यामपुर तक निर्मित सड़क के मध्य पुलियाओं का निर्माण न करने एवं क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत नहीं कराने पर चर्चा के लिए।

7. ग्राम माडोती से ग्राम खिरनी होती हुई बौंली जाने वाली सड़क लम्बे समय से अपूर्ण एवं रख-रखाव न होने पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

8. सड़क व पुल निर्माण कार्यों एवं मरम्मत में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

9. अधूरी सड़कों को पूरी करने तथा लूणी नदी पर बालोतरा के समीप सड़क की मरम्मत व पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री चतुर्भुज (टोड़ारायसिंह)

10. ग्राम जंवरिया से मोर मालेड़ा से बांसू वाया नाजदड़ा सड़क की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

11. सांगानेर क्षेत्र की टूटी सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं किये जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

12. जयपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सड़कों का रख-रखाव नहीं होने पर चर्चा के लिए।

13. जयपुर रामगढ़ सड़क पर ढूंढ, सूगली व लाली नदियों पर बने पुलों की मरम्मत नहीं होने से हुई दयनीय दशा पर चर्चा के लिए।

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

14. बोहड़ा, आटूज, खैराबाद, सांगानेर, ढींकोला, घुमाडास, बड़ा महुआ की सड़क ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

15. उदयपुर जिले में सड़कों का रख-रखाव न होने से जनता को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिए।

16. उदयपुर-रतनपुर रोड पर किये गये मरम्मत व निर्माण कार्य में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल)

17. माण्डल निर्वाचन क्षेत्र की सड़कों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिए।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई)

18. भरतपुर जिले में अधूरी एवं रद्दी सड़कों की मरम्मत नहीं करने पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर)

19. जैसलमेर जिले की खराब पड़ी सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं कराने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिए।

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

20. भीलवाड़ा तहसील में नई सड़कें टूट चुकी हैं, उनकी मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिए।

(श्री बन्शीलाल पटवा)

21. राज मार्ग नम्बर 19 के भाग इन्द्रगढ़ से इटावा की मरम्मत कराने व कच्चा मार्ग को पक्का करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

22. भीलवाड़ा जिले व तहसील में सड़कें व पुलों की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

23. भरतपुर जिले की सड़कों का सही रख-रखाव व मरम्मत नहीं होने के कारण हो रही दुर्दशा पर चर्चा के लिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

24. टोंक में स्थित पक्के बांध पर टूटी हुई सड़क की मरम्मत न होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

25. कोटा–मांगरोल सड़क से कोयला ग्राम की सड़क की मरम्मत न होने से दुरावस्था की चर्चा के लिए।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

26. बारां-अटरू मार्ग पर बारां-मण्डोला के बीच की सड़क का रख-रखाव व पुलिया की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

27. कोटा-खातोली मार्ग पर काली सिन्ध नदी पर पुलिया की मरम्मत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34

एवं

अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 21 पर विचार

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसी न किसी हिस्से में हर साल अकाल पड़ता है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, शेरगढ़, जोधपुर हिस्से में पिछले तीन-चार सालों से लगातार भयंकर अकाल पड़ रहा है।

(3·17 म० प०)

(श्री अहमद बक्श सिन्धी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और कहीं-कहीं तो पांच सालों से लगातार अकाल है। इस साल भी वर्षा समय पर नहीं होने की वजह से सारी फसल नष्ट हो गयी हैं। अभी तीन-चार दिन पहले मैं बाड़मेर जाकर आया था वहां की सारी फसल जल चुकी थी, न वहां पर घास है,

(श्री हेमाराम चौधरी)

न फसल है, न पीने को पानी की व्यवस्था है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले तीन साल से भयंकर अकाल पड़ा था, यह चौथा अकाल है यह भी भयंकर है। कहीं-कहीं पर तो पांचवां अकाल है। पूर्व में बराबर वर्षा होती थी किसान फसल की बुवाई करता था, इस साल तो तीन बार बुवाई की लेकिन फिर भी एक भी दाना उनके हाथ में नहीं लगा। इस तरह से बार-बार फसल की बुवाई में भारी खर्च वहन करना पड़ता है। पिछले पांच सालों में लगातार बुवाई कर रहा है। अभी भी बुवाई की पर उसको उसके बदले में कुछ नहीं मिला है। किसान की हालत बहुत दयनीय हो चुकी है। आज किसान के पास एक मुट्ठी अनाज खाने के लिए नहीं है, उसके पास पशुओं के लिए बिलकुल चारा नहीं है, न उसके पास पीने के पानी का कोई इन्तजाम है। इस तरह से उसकी हालत बहुत दयनीय हो चुकी है। आज लोगों को समय पर भोजन नहीं मिलता है. लोगों की हालत इस तरह की हो गयी है कि उनको बाजरे का दलिया बना कर पीना पड़ता है। पिछले तीन सालों में हमारे यहां पर जो अकाल के काम खोले गये थे सरकार की तरफ से, उससे मदद रही और जो तीन साल हमारे निकले उसमें लोग इसी कारण जिन्दा रहे वरना लोग मर जाते, यह बात ठीक है। लेकिन, श्रीमान्, सम्वत् 2036, 37 और 38 के मजदूरों में से कुछ को आज तक भी पैसा नहीं मिला है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि संवत् 2036 में मजदूरों को पैसा नहीं मिला है, वह अन-पेड है, उनको आप भुगतान दिलायें संवत् 2037 के अन्दर काम करने वाले बहुत से मजदूर आज भी अन-पेड हैं, उनका बाकी पैसा उन लोगों को नहीं मिला है। संवत् 2038 पिछले वर्ष के अन्दर जिन्होंने फेमिन में काम किया था, उनको अभी तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। अकाल राहत कार्यों के तहत नाड़ियां बनाने पर जिन श्रमिकों को लगाया गया था, उनको भी आज तक भुगतान नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जबकि अकाल राहत कार्य 31 जुलाई को बंद हो चुके थे, उसके बाद में इतना समय हो चुका है, फिर भी आज दिन तक उन अकाल राहत कार्यों में लगे मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। वहां श्रमिक ने जो मजदूरी की, उसके लिए वह मजदूरी का इन्तजार कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से जब उनको इतने समय के बाद भी मजदूरी नहीं मिली, काम उन्होंने किया, सरकार ने मदद पहुंचाने की नीयत से अकाल राहत कार्यों पर उन्हें लगाया, उनको रोजगार दिया, लेकिन मजदूरों का भुगतान समय पर नहीं होता है तो उनके साथ क्या गुजरती होगी। आज एक कर्मचारी को दो महीने की तनख्वाह नहीं मिले तो उसकी क्या हालत हो जाती है। जबकि हमारा किसान निरन्तर अकाल से पीड़ित है, किस तरह से अकाल का

(श्री हेमाराम चौधरी)

मुकाबला कर रहा है, किस तरह से लोग-बाग जी रहे हैं, कल्पना नहीं की जा सकती। उपाध्यक्ष महोदय फिर समय, पर मजदूरी का पैसा भी नहीं मिले। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह जल्दी से जल्दी जो, बहुत पुराना बकाया पैसा है, अनपेड है, उसको तो कम से कम चुकाने की व्यवस्था करें। उपाध्यक्ष महोदय, समय पर मजदूरी का पेमेंट नहीं होने की वजह से मजदूर लोग लम्बे समय तक इन्तजार नहीं कर सकते और उनको दूसरी जगह अपनी मजदूरी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता है जिसकी वजह से कई बार पीछे से पेमेंट आता है, उनको नहीं मिलता है और अनपेड रह जाता है। जो पेमेंट एक बार अनपेड रह गया, जाने के बाद वापस जमा हो गया, वह आज दिन तक कभी मिला नहीं। जो अनपेड पेमेंट है उसकी वहां जो पटवारी हैं, ग्राम सेवक लगे हुए हैं, किसी के जरिए से व्यवस्था करवाइये। जब एक बार पैसा अनपेड रह गया, इसका मतलब यह समझ लिया जाये कि उसको पैसा नहीं मिलने वाला है? यह बहुत बड़ी त्रुटि है, मैं निवेदन करूंगा कि इसकी तरफ तो ध्यान दीजिए। दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वहां चारे का भी भयंकर अकाल है इस साल बिलकुल ही चारा नहीं है। वहां इतना भयंकर अकाल है और....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटा)

अभी तक 4 मिनट हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : 7 मिनट हो गये। I will stick to time limit.

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा टाइम दें। अभी तक तो पिछले अकाल की चर्चा की है, आने वाले अकाल के बारे में कुछ कहने दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, तो इस साल 5 वां जो भयंकर अकाल पड़ने वाला है, उसके लिए मैं यह चाहूंगा कि सरकार उसके लिए अभी से व्यवस्था करने की कृपा करे। अभी से उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी तो हालत बहुत नाजुक हो जायेगी। लोग भूख से मर जायेंगे, मवेशी भूख से मर जायेंगे। अगर लोगों को, मवेशियों को बचाना है तो अभी से उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। गिरदावरी अक्टूबर में जाकर होती है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि गिरदावरी किस बात की है? खेतों के अन्दर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है तो गिरदावरी किस बात की? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गिरदावरी की आवश्यकता नहीं है। जिलाधीश से रिपोर्ट मंगा लीजिए की वहां फसलें हैं या नहीं। शीघ्र अकालग्रस्त घोषित करके सरकार को लोगों को बचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, चारे के लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर और राजस्थान के बाहर, जहां कहीं भी सरकार चारे की व्यवस्था कर सकती है, करे। इस तरह की जानकारी जिला प्रशासन को भी दी जाये कि वहां पर चारे की व्यवस्था कर दी गयी है, वहां पर चारा है, अपने पशुओं को

118

(श्री हेमाराम चौधरी)

वहां ले जावें, उनकी व्यवस्था सरकार की तरफ से है, इस तरह से पशु बच सकते हैं। वाड़मेर के अन्दर बाहर से चारा लाने की व्यवस्था नहीं की जा सकती क्योंकि ट्रान्सपोर्टेशन का खर्चा इतना हो जाता है कि सरकार उसको वहन नहीं कर सकती। यदि उसका भार उन पर डाला जाता है, तो चारा इतना महंगा पड़ेगा कि लोग उसको खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके से व्यवस्था करें, चारे की व्यवस्था करनी होगी। यदि आप व्यवस्था नहीं करें तो, पशुधन है, वह किसानों की रीढ़ की हड्डी है, उसके ऊपर किसान अपना जीवन चला रहा है, वह सारा का सारा मर जायेगा, किसान फिर सम्भल नहीं सकेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चारे की तरफ विशेष ध्यान दें। पीने के पानी के बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि पीने के पानी की वहां पर बहुत भयंकर समस्या पैदा हो गयी है। निरन्तर अकाल होने की वजह से कुओं का पानी नीचे चला गया है। बरसात नहीं होने की वजह से नालों में पानी नहीं है, टांके खाली पड़े हैं। इस तरह से पीने के पानी की भयंकर समस्या पैदा हो गयी है, उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल के तहत पीने के पानी के लिए विशेष प्रबन्ध किया जाये। मैं तो यह कहूंगा कि इस अकाल के तहत पेयजल योजनाओं को हाथ में लिया जाये, रूरल वाटर सप्लाई स्कीम को हाथ लिया जाये। उनके द्वारा स्थायी हल किया जाये, जिससे कि जो क्षेत्र अकाल से निरन्तर पीड़ित रहता है, वहां इस समस्या का स्थायी हल सके। टैंकरों के जरिये से पानी पहुंचाया जाता है तो उसके ऊपर सरकार को लाखों-करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। उसके बावजूद पीने के पानी का स्थायी हल आज तक नहीं निकला है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि सरकार पीने के पानी का स्थायी इंतजाम करे जिससे जब अकाल पड़े उस समय लोगों को कम से कम पीने का पानी तो मुहैया हो सके। आज इतना समय बीत जाने के बाद भी पीने का पानी हम उस क्षेत्र को नहीं पहुंचा सके, जहां निरन्तर पीने के पानी का अभाव रहता है, लोग उसका हमेशा से मुकाबला करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत कार्यों के अन्दर जिस तरह से पेमेंट समय पर नहीं होता है, उससे मजदूरों को बहुत भारी परेशानी होती है। वे मजदूर पिछले तीन साल से सरकार से बार-बार निवेदन करते आये हैं। वहां पर अकाल राहत कार्य खोले जाते हैं, लाखों मजदूर लगाने पड़ते हैं, लाखों मजदूर लगाकर भी उनकी व्यवस्था उस तरह से, उसी ढंग से नहीं होती है, जो राहत आप देना चाहते हैं, वह उनको नहीं मिल पाती, इसलिए बार-बार निवेदन किया है कि।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां के लोग संवत् 2025

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य । ज्यादा समय ले लिया ।

श्री हेमाराम चौधरी : जिस तरह से संवत् 2025 और 2026 में आपने वहां के लोगों को आर्थिक सहायता दी थी, नकद रुपए, आधा सब्सिडी और आधा लोन के रूप में, उस तरह की व्यवस्था करें, लोगों की मदद करें । हम यह बार-बार, पिछले तीन सालों से निवेदन करते आये हैं, लेकिन व्यवस्था सही नहीं होने की वजह से जिस तरह सहायता मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पायी है । उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा यह चौथा अकाल है, उस समय संवत् 2025 और 2026 में लगातार दो बार अकाल पड़ा है । लेकिन इस चौथे अकाल से, कहीं-कहीं पांचवा अकाल है, लगातार अकाल पड़ रहा है, किसान की बुरी हालत हो जायेगी । जो कुछ किसान जमीन के अन्दर बोता है, जमीन में ही रहता है, उसकी कीमत भी नहीं मिलती है । आप कल्पना कर सकते हैं, उनकी हालत क्या होगी । उसके मवेशी नहीं बचे तो किसान बिखर जायेगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि इस बार इस तरह रोकड़ी पैसा देवें-आधा पैसा सब्सिडी और आधा पैसा अनुदान के रूप में । 25 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह देने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वहां का इंसान इस साल नहीं बच सकता, मवेशी भी नहीं बच सकता । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : हरिसिंह महुआ ।

बैठ जायें माननीय सदस्य । I cannot allow You more than ten minutes. you have taken 14 minutes please sit down.

(व्यवधान)

आपकी बारी आयेगी,

बैठ जाइये ।

श्री महुआ ।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से मैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

बैठ जाइये ।

श्री हेमाराम चौधरी : एक निवेदन कर दूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे वहां पर अकाल राहत कार्य होते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आपके बाद वाले भी बोलेंगे, बैठ जायें, आप ।

श्री हेमाराम चौधरी : सरकार को चाहिए कि उसके लिए टैक्निकल आदमियों की जांच कमेटी मुकर्रर की जाये ।

(120)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, ताकि शीघ्र निपटारा हो सके। अकाल राहत कार्यों के अन्दर मजदुरों को मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ, वह मामला जांच के अन्दर लटका हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के कार्यों की मजदूरी बाकी है, यह बात बिलकुल सही है, अगर यह झूठ हो, तो जो भी सजा सरकार देगी वह मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मामला लटका दिया जाता है, मामलों की जांच कभी होती नहीं है, इसलिये मैं चाहूंगा कि टेक्निकल आदमियों से इसकी जांच करवाकर उनका भुगतान जल्दी से जल्दी करवायें, लोग बेचारे भुगतान की ओर देख रहे है,

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि जो कोई भी शिकायत हो, तो उसकी टेक्निकल आदमियों से जांच करवा सकते हैं, और जिससे हैं उनसे करवाई जाय, क्या सरकार के पास ईमानदार, एक्स०ईएन, एस०ई०, चीफ इंजीनियर आदि नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये,

श्री हेमाराम चौधरी : क्या मैंजरमैन्ट के बारे में कोई नहीं जानता है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप मन्त्री जी से मिल लीजियेगा उनके चैम्बर में जाकर,

श्री हरिसिंह, (महुवा).

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पक्ष को भी बोलने का मौका दीजिये.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इतनी बेसब्री न दिखायें, मैं आपको मौका दूंगा, माननीय सदस्य, आप बैठिये,

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सर्वप्रथम इस वर्ष हो....

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह, महुवा

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष मुझे ही कह रहे है—

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हाउस में इस तरह से दूसरे माननीय सदस्य के नाम पर बोलने के लिये खड़े हो जायेंगे, तो बड़े अफसोस की बात होगी....

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय उपा-

(श्री हरिसिंह)

ध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि कट-मोशन इन्हीं का है। गलती से कुम्हेर की जगह महुवा हो गया है अतः इन्हें ही बोलने दिया जाय,

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि महुवा की जगह कुम्हेर कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है, आप बोलिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इह वर्ष भरतपुर जिले में और विशेष तौर से मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो अतिवृष्टि के कारण जन और धन की हानि हुई, श्रीमन्, उसकी ओर आपका और आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राजस्थान में इस वर्ष, जैसा कि मन्त्री महोदय ने अपना प्रतिवेदन दिया है और उसके साथ जो शिड्यूल दिया है, 6 जिलों में अधिक वर्षा हुई। सामान्य वर्षा से अधिक वर्षा जिन 6 जिलों में हुई है-भरतपुर, बून्दी, डूंगरपुर, जयपुर और टौंक, प्रतिवेदन में अधिक वर्षा का जो वर्णन दिया है उसके अनुसार भरतपुर में 197.2 मिली मीटर अधिक वर्षा हुई, बून्दी में 79.9 मिली मीटर अधिक वर्षा हुई, डूंगरपुर में 3.6 मिली मीटर अधिक वर्षा हुई, जयपुर में 17.9 मिली मीटर अधिक हुई और टौंक में 15.0 मिली मीटर अधिक वर्षा हुई। ये तथ्य जो राज्य सरकार ने स्वयं प्रस्तुत किये हैं इनसे यह स्पष्ट है, श्रीमन्, इस वर्ष भरतपुर जिले में सामान्य वर्षा से 197.2 मिली मीटर अधिक वर्षा हुई। और, श्रीमन्, 31-8-1982 से 24-8-1982 तक 11 इंच वर्षा हुई, तीन दिनों में, उस वर्षा के कारण यह हुआ कि हमारे गांव के अन्दर पानी भर गया, मकानों के अन्दर पानी भर गया, मकान गिर गये, लोगों की मौतें हुई और आवागमन के साधन बन्द हो गये। गांव के और मुख्य सड़क के बीच में जो एप्रोच रोड्स थीं उनके ऊपर एक-एक मीटर पानी था। अभोरा, लखन, कूमा इन गांवों में, श्रीमन्, आने जाने के साधन बन्द हो गये थे, मकान गिर रहे थे, बीमारी फैल रही थी, पशु मर रहे थे।

इस सम्बन्ध में मैंने प्रशासन से निवेदन किया कि गांवों के हालात निम्न प्रकार हैं, गांवों की जो स्थिति है वह जाकर देख लीजिये। गांवों और मुख्य सड़कों के बीच में जो एप्रोच रोड्स है, उन पर एक-एक मीटर पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा और यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के नाकारा और निकम्मे प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और लोग परेशान होते रहे।

(श्री हरी सिंह)

इससे भी ज्यादा अफसोस मुझे यह है कि सरकार की ओर से जो प्रतिवेदन यहां पर प्रस्तुत किया गया है उसमें इस बात का जिक्र तक नहीं है कि भरतपुर जिले के अन्दर कितने कच्चे मकान गिरे हैं। कितनी मौतें हुई हैं। एक मौत तो मैं बता सकता हूं। अभोरा गांव में रेशम वाइफ ऑफ गिर्राज की कच्चे मकान गिर जाने से डेथ हुई है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि राज्य सरकार के सामने न कच्चे मकान गिरने की कोई रिपोर्ट है, न किसी के मरने की कोई रिपोर्ट है। श्रीमन्, मैं बता सकता हूं, भरतपुर जिले के अन्दर एक हजार कच्चे मकान गिरे हैं, जो अनुसूचित जाति और गरीब तबके के मकान हैं, कई हजार की फसल खतम हुई है, कई पशुओं की डेथ हुई है। जहां तक रिकार्ड का प्रश्न है, मालूम पड़ा है कि राज्य सरकार के पास या तो निल है। अगर है तो मन्त्री महोदय ने हमें जो प्रतिवेदन दिया है उसमे शुमार नहीं किया गया है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भरतपुर जिले के अन्दर जितने लोगों के कच्चे मकान गिरे हैं उन्हें मुआवजा दें। इस प्राकृतिक विपदा के अन्दर जिन किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं उनका लगान माफ करें।

श्रीमन्, पिछले साल की अभाग्य की स्थिति की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां तक अकाल राहत का सम्बन्ध है भरतपुर जिले की पूर्णतया उपेक्षा की गई है, किसी गांव को या जिले को अकालग्रस्त घोषित करना किसी कर्टसी पर डिपेन्ड नहीं करता है। अकाल घोषित होता है वहां के रेवेन्यू के रिकार्ड के आधार पर, 70 से 75 पर्सेन्ट तक फसल नष्ट हो जाती है तब अकाल घोषित करते है। भरतपुर जिले में जब इतने पर्सेन्ट फसल नष्ट हुई थी तब आपने भरतपुर जिले में अकाल घोषित किया था, लेकिन अकाल राहत के नाम पर कोई कार्य शुरू नहीं किये गये है।

श्रीमन् भरतपुर जिले की 19 लाख की आबादी है। 19 लाख की आबादी के क्षेत्र में या तो कहिये कि अकाल नहीं था और जब राज्य सरकार ने अकाल घोषित किया तो इस 19 लाख की आबादी के क्षेत्र में 1-4-81 से 31-7-1981 तक, जो आपने आंकड़े दिये हैं प्रतिवेदन में उसके अनुसार, 29 लाख 19 हजार रुपए का काम किया है। इतनी ही आबादी वाले अन्य जिलों में ज्यादा काम हुआ। इस बात की कोई मुझे नाराजी नहीं है कि उन जिलों में काम क्यों हुआ। यदि वहां जरूरत थी तो वहां पर काम हुये और काम करना चाहिये था। लेकिन उतनी ही जरूरत हमारे यहां पर भी थी, हमारे यहां पर भी काम होने चाहिये थे। प्रतिवेदन में जो आंकड़े दिये हैं, उनके अनुसार आप

(श्री हरिसिंह)

जिलों का मुकाबला करें, कितना पैसा खर्च हुआ है।

आप भीलवाड़ा को देखिये, जहां की आबादी 13लाख 8 हजार है। वहां पर आपने 21 करोड़ 40 लाख के काम किये हैं। आप बाड़मेर को देखिये, जहां की आबादी 11 लाख है, वहां पर आपने 12 करोड़ 23 लाख के काम किये हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं अभी दो मिनट में समाप्त कर देता हूं।

जोधपुर, जहां की आबादी 16 लाख है, वहां पर आपने 12 करोड़ 28 लाख का काम किया है। उदयपुर, वहां की आबादी 23 लाख है वहां पर आपने 14 करोड़ 64 लाख के काम किये हैं। इसलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां की आबादी 18 लाख 79 हजार है वहां पर आपने कुल 24 करोड़, 21 करोड़, 12 करोड़ के मुकाबले में 29 लाख के काम किये हैं। क्या रोजगार देंगे? भरतपुर जिला कोई इण्डस्ट्रियल जिला नहीं है। वहां के अधिकतर लोग किसान हैं, खेती का काम करते हैं....

एक माननीय सदस्य : मजदूर हैं।

श्री हरिसिंह : नहीं, मजदूर नहीं हैं, खेती करते हैं। उन लोगों को रोजगार देने के क्या काम किये आपने? आप कह सकते हैं कि लोग काम पर नहीं आते हैं लेकिन मैंने प्रश्न पूछा है असेम्बली में और आपने अपने जवाब में बताया है कि 9 निर्वाचन क्षेत्रों में से 6 के अन्दर काम नहीं किये गये हैं। आपने अकाल के अन्दर भरतपुर जिले में काम नहीं किया, ग्रामीण योजना के अन्दर कोई काम नहीं किया। आपने इस प्रकार की कार्यवाही करके भरतपुर जिले की पूर्ण उपेक्षा की है। अतः मेरा आपसे यह निवेदन है कि आपको रवैया बदलना पड़ेगा। इतना ही मेरा निवेदन है,

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में 1981-82 में जो अकाल राहत कार्य....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, 5 मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अकाल राहत कार्य कराये गये, जो राहत कार्य मन्जूर किए गए उनकी ओर मैं माननीय वित्त मन्त्री और राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमने बार-बार यह निवेदन किया कि पी०डब्ल्यू०डी० वाले कतई रुचि नहीं लेंगे और यह कार्य शुरू नहीं होगा। परन्तु वित्त मन्त्री जी ने छाती ठोक कर कहा था कि कैसे नहीं

(श्री देवीसिंह भाटी)

करेंगे। हम यह आदेश देते हैं अगर वे नहीं करेंगे तो हम उनको सस्पैण्ड कर देंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। परन्तु मैं अकाल राहत मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहता हुं, उदाहरण के तौर पर, एक तो राजस्थान कैनाल आर. डी. 837 से शेरूवाला तक सड़क स्वीकृत थी, उसके लिए पिछले साल भी और इस साल भी हमने प्रयास किया परन्तु पी. डब्ल्यू. डी. का एक भी अधिकारी नहीं पहुंचा और न वहां राहत कार्य चालू हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं मन्त्री महोदय को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी भविष्य के लिए पी. डब्ल्यू डी. को तो कम-से-कम हमारे क्षेत्र से दूर रखियें। आप चाहें तो इसके लिए अलग से सैल स्थापित कर दें, आप पंचायत राज संस्थाओं से यह कार्य करवायें परन्तु पी. डब्ल्यू. डी. तो दूर दराज के गांवों में कतई रुचि नहीं लेता और न लेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी अन्य एजेन्सी से इसकी व्यवस्था करवाइये जिससे लोगों को मजदूरी मिले और वास्तव में राहत कार्य हों।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार बीकानेर जिले में एन. आर. ई. पी. के तहत 60 लाख का निर्माण कार्य हुआ है ग्राम पंचायतों के द्वारा। किन्तु 60 लाख में से उपाध्यक्ष महोदय, आज तक मजदूरों को एक पैसा भी नहीं मिला है। यह कैसी निकम्मी सरकार है। उस बीकानेर जिले के मजदूर, जो अपना दूसरा धन्धा छोड़कर जहां आज अकाल पड़ा हुआ है वहां मजदूरी पर लगे, को मजदूरी का एक पैसा नहीं मिला और जिस सरपंच ने कहीं से उधार लेकर, अपनी जेब से पैसा लगाकर गांव में, पंचायत घर में निर्माण कार्य करवाया, पैसा लगाया उसको आज की तारीख तक एक पैसा भी नहीं दिया गया। 60 लाख एन. आर. ई. पी. के तहत बकाया है, उपाध्यक्ष महोदय। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए शीघ्र प्रयास करें और मजदूरों की जो भी बकाया राशि है उसका भुगतान करें। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक और पिछली घटना याद दिलाऊं कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री पहाड़िया जी जब बीकानेर पधारे मीटिंग जहां हमने यह मसला उठाया, के अन्दर वे टीबों में बसते हैं कहा कि हमारे जो दूर दराज के गांव हैं वहां टैंकर पहुंच नहीं सकते। चार बाई चार के टैंकर इनके पास नहीं हैं, इसलिए जिनके पास डेढ़ सौ फीट से कम गहरे कुए हैं उनको आप अनुदान राशि की स्वीकृति प्रदान करें। उस वक्त भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री पहाड़िया जी ने चीफ सैक्रेटरी को कहा और चीफ सैक्रेटरी ने उस वक्त तत्काल मीटिंग के अन्दर कलेक्टर को निर्देश दिये और कलेक्टर ने लिखकर निर्देश जारी करके ग्राम पंचायतों को कहा कि फलां-फलां कुए चालू कर दो। कोलायत तहसील के दस बारह गांव ऐसे हैं जिनको पिछले साल और दो साल पूर्व की अनुदान राशि का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। आज भी वे बेचारे भुगत रहे हैं और तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं। इसलिये मैं

(श्री देवीसिंह भाटी)

कहना चाहूंगा इसके बारे में उस वक्त जो मुख्य मन्त्री जी थे उन्होंने यह निर्णय लिया और उन्होंने निर्देश दिये, चीफ सैक्रेटरी ने निर्देश दिये, कलेक्टर ने लिखित में निर्देश दिये और कलेक्टर अब भी बार-बार राज्य सरकार को लिख रहा है कि जो डेढ़ सौ फीट से कम गहरे कुए हैं, मुख्य मन्त्री जी के मौखिक निर्देशानुसार हमने चालू करवाये इसलिए उनका तुरन्त भुगतान करवाया जाय। परन्तु अभी तक राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज एक और सुझाव देना चाहूंगा कि दूर दराज का जो हमारा टीबों का इलाका है, जहां आपके सिविल टैंकर पहुंच नहीं सकते, पेय जल की अन्य कोई व्यवस्था नहीं है, खारे पानी के कुए हैं इसलिए मैं चाहता हूं, आप विशेष तौर से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों के अन्दर चार बाई चार के टैंकर की व्यवस्था करवाइये। वहां कहीं भी ऐसा स्रोत नहीं है जहां पेय-जल की सुविधा हम उन्हें अन्य किसी तरीके से उपलब्ध करा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर शहर में पिछले साल, हालांकि जयपुर कैपिटल है इसलिए यहां की बाढ़ का ज्यादा प्रचार हुआ, में बहुत भयंकर बाढ़ आई। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से जो सहायता राशि मिली थी उसमें से एक करोड़ रुपया बीकानेर को आवंटित किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। परन्तु मेरी बार-बार शिकायत के उपरान्त और लिखित में इस मामले को सभा में भी उठाने के बाद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जो वास्तव में बाढ़-प्रभावित क्षेत्र थे, उनके अन्दर एक पैसा नहीं लगा, राशि का दुरुपयोग होकर दूसरे इलाकों में जहां अधिकारियों ने चाहा या अन्य किसी ने चाहा वहां वह पैसा लग गया। आज दिन तक हनुमानसिंह जिन्मोणी, माजी सा का बाग और अन्य दूसरे जो बाढ़-प्रभावित क्षेत्र थे उनमें न तो सड़क का राहत कार्य हुआ और न मरम्मत हुई। जहां भी चाहे पुलिया थी, चाहे नाले थे, चाहे स्कूल भवन थे, चाहे गांव की सड़क ढह गई, आज भी वहां सड़के टूटी-फूटी पड़ी है, आज भी, बाढ़ की स्थिति जैसी उस दिनों बनी थी वैसी की वैसी है। ऐसे एक करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ। उसके उपरान्त भी आज तक, मन्त्री महोदय, न तो कोई जांच हुई, न उसके लिए अलग से राशि दी गई। इसके लिए हमारे वर्तमान मुख्य मन्त्री जब बीकानेर पधारे तो हमने इनको निवेदन किया कि जो कुछ भी अधिकारियों ने किया सो किया, उसकी तो आप अलग से जांच करते रहे परन्तु वर्तमान में आप जब बीकानेर पधारे हैं, वास्तव में स्थिति देखी है, बाढ़ का जायजा इस क्षेत्र का लिया है, इसके लिए अलग से राशि हमें आवंटन कर दें। जिलाधीश महोदय ने तुरन्त, उसी वक्त 8 लाख 36 हजार रुपये के प्रपोजल मुख्य मन्त्री के निर्देशानुसार बना कर राज्य सरकार को भेजे हैं, परन्तु वह कभी फाइनेन्स में लटक रहे हैं, कभी फैमिन डिपार्टमेंट में लटक

126

(श्री देवीसिंह भाटी)

रहे हैं। वह पता नहीं कब होगा ? सड़कों की हालत खराब है। मन्त्री महोदय से मैं चाहूंगा, जिलाधीश, बीकानेर ने जो प्रपोजल भेजे हैं वह कृपया ग्राप स्वीकृत कर दें। इतना इस क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ। बाढ़-प्रभावित क्षेत्र है उसके अन्दर आज मरम्मत का कार्य हो जाय तो मैं आपको दुवारा धन्यवाद देने के लिये पर्सनली एक पत्र लिखूंगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री रघुवीर-सिंह।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में बाढ़ का प्रकोप प्रायः नहीं होता है बारां नगर को छोड़कर। किन्तु छबड़ा, छीपा बड़ौद, अटरू, किशनगंज, शाहबाद में जो बाढ़ का दृश्य दिखाई दिया उससे कोटा जिले में बाढ़ की कल्पना हुई। मैं 24 तारीख को सुबह ही जब कवाई में पहुंचा और वहां की जो स्थिति देखी उससे मुझे, बाढ़ से क्षति कितनी हो सकती है उसकी कल्पना हुई। जयपुर की बाढ़ के तो समाचार पढ़े थे लेकिन जो आंखों से देखा, उससे यह पता लगा कि वहां के लोगों में उस समय इतना भय व्याप्त था कि वे बात करने में हिच-किचाते थे, बात करते समय कांपते थे। एक ऐसा भय व्याप्त था, ऐसा लगा कि सारे लोग बरबाद ही चुके हैं। किन्तु उस समय कोटा से स्पेशल ट्रेन नावें लेकर पहुंच गई, लोगों में आशा बनी कि हमारी तरफ सरकार का ध्यान गया है। उसके थोड़ी देर बाद ही मुख्य मन्त्री और अकाल राहत मन्त्री हेलिकाप्टर से पहुंचे। लोग हेलिकोप्टर की तरफ आंख लगाये देखते रहे। उसमें से पूड़ियां डालीं, लोग झपटे पूड़ियों की तरफ। पूड़ियां खाकर उन्होंने अपना पेट भरा अठारह घण्टे बाद। मैं इस बात के लिए मुख्य मन्त्री जी और अकाल राहत मन्त्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस स्थिति में उन लोगों को ढांढस बंधाया। उनमें एक विश्वास जगा कि सरकार आज भी लोगों की सुध लेती है। किन्तु इन्होंने वहां के बाढ़ के जो आंकड़े मंगवाये हैं, जो पटवारियों से गिरदावरी करवाई है उसके आधार पर यदि बाढ़ का हिसाब लगायेंगे तो कोई ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं वहां गया, वहां के कितने कुए क्षतिग्रस्त हुए, कितनी सड़कें कट गईं, गांवों का आवागमन बन्द हो गया, यह बातें पढ़ने से नहीं, कहने से नहीं, केवल आंखों से देखने से मालूम पड़ सकती हैं। मैं, रेवेन्यू मन्त्री महोदय, अकाल राहत मन्त्री जी, आपको जहां इस बात का धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने उन्हें ढांढस बंधाया, हैलिकाप्टर से जाकर वहां की जनता की हालत देखने का कष्ट किया, वहीं यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि आपके सरकारी कर्मचारियों के जो आंकड़े आये उनको एक तरफ रख कर यदि वहां के किसी एक गांव को भी जाकर देखें तो सही-सही मालूम हो सकेगा कि उस क्षेत्र को बाढ़ ने कितना तबाह किया। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूं कि पटवारियों की गिरदावरी

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

की जो रिपोर्ट है, उसके अलावा वहां के सारे सरपंच और प्रधान ने छबड़ा, छीपा बड़ौद की जो सूचना दी है, जो उन्होंने स्वयं ने गिरदावरी की है, जो जांच की है, उनकी सारी फाइल मेरे पास मौजूद है उनके अनुसार आज वहां की चार हजार हेक्टेयर भूमि तबाह हो गई, तीन सौ मकान क्षतिग्रस्त हो गये या पूरे ध्वस्त हो गये या आंशिक रूप से ध्वस्त हो गये। चार हजार मवेशी बह गये जब कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल चार सौ मवेशी बहे। मवेशी कितने थे उस समय, उसकी रिपोर्ट मेरे पास है। 600 कुए या तो ध्वस्त हो गये या गिर गये या उनमें मिट्टी भर गई, । 32 सार्वजनिक कुए, किसी गांव में एक, किसी में दो, नष्ट भ्रष्ट हो गये और 17 स्कूल गिर गये। इस प्रकार कुल मिलाकर दस करोड़ से भी ज्यादा की वहां क्षति हुई। और पटवारी लिखते हैं कि केवल तीन मकान गिरे हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं, वहां के प्रधान ने जाकर उनकी जो रिपोर्ट तैयार की है उसके आधार पर आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, जब इस बात पर विवाद हुआ कि गिरदावरी सही है या वहां के प्रधान की रिपोर्ट सही है, तो कोटा जिले के जिला प्रमुख स्वयं उसको देखने गये। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है जिला परिषद की मीटिंग में, वह माननीय अकाल राहत मन्त्री महोदय, आप पढ़ें तो आपकी आंखें खुल जायेंगी। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने कई गांव देखे, विशेष तौर से माबासा गांव में 15 मकान गिरे, किन्तु पटवारी लिखता है कि तीन मकान गिरे जब कि मैं स्वयं 15 मकान गिरे देख कर आया हूं। यह जिला परिषद की मीटिंग में उन्होंने कहा है और पटवारी ने तीन की रिपोर्ट दी है। लेकिन वास्तव में वहां 15 मकान गिरे हैं। एक-एक गांव की गिरदावरी की स्थिति यही है। स्वयं जिला प्रमुख कह रहे हैं, मैंने स्वयं वहां जाकर देखा, लोगों के घर टूट गये हैं, मवेशी सड़ रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की। यह जिला प्रमुख ने लिखकर दिया, सी० एम० एच० ओ० को, वहां दवा-दारू की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे अकाल राहत मन्त्री जी और सरकार कैसे जिला प्रमुख की रिपोर्ट पर विश्वास कर लेती है ? पटवारी की जो रिपोर्ट होती है उस पर विश्वास करना चाहिये। वहां पर गांवों में सड़कों की स्थिति यह हो गई है, उपाध्यक्ष महोदय, वह जगह-जगह से टूट गई है। बैलगाड़ी तो क्या, आदमी पैदल चल कर भी एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकता। उन्होंने लकड़ियों के पुल बना रखे हैं, किसी-किसी खेत के दो टुकड़े हो गये हैं, वहां खड्डे बन गये हैं। उस गड्डे से आगे खेत नहीं जोत सकते। उपाध्यक्ष महोदय, वहां रहने वाले जो लोग हैं उनके घरों में पीने को पानी नहीं है। बीमारियां फैल रही हैं, उनके मवेशी मर रहे हैं। उन्होने अपने मवेशियों को अपने रिश्तेदारों, जो दूर गांवों में रहते हैं, के यहां भेज दिया है। उनके लिये उन गांवों में कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरे गांवों में उन्होंने अपने घर के लोगों को भेज दिया

(128)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

है, जिससे वह वहां पर वह अपना पेट भर सकें। ऐसी स्थिति वहां पर पैदा हो गई है। उन गांवों में पीने के कुए या तो भर गये हैं या ध्वस्त हो गये हैं। यह जो छबड़ा और दीगोद के बीच का क्षेत्र है, वह एस० टी० क्षेत्र है, वहां ज्यादातर मीणे रहते हैं। वहां पर गरीबी ऐसी है कि उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। पांच नदियां उस क्षेत्र में बहती हैं, तीन नदियों में बाढ़ आई और तीनों नदियां मिलकर एक हो गईं जिससे वहां भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। मैं स्वयं वहां जाकर देखकर आया हूं। आपने हेलीकॉप्टर में जाकर लोगों का जो विश्वास जगाया था वह विश्वास अब हिल रहा है। आज फिर उनमें भय जाग्रत हो रहा है कि अब हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। जो खाद, बीज उन्होंने अपने खेतों के लिये रखे थे वह बीज अकाल मन्त्री जी खा गये। एक महीना 6 दिन यानि 36 दिन लगातार वर्षा हुई। आठ घण्टे में वहां पर 300 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इससे लोगों का जन-जीवन असामान्य हो गया। वहां 36 दिन तक वर्षा होने के बाद अब 36 दिन वर्षा नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जहां इस साल राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप जैसे समझदार, पढ़े-लिखे व्यक्ति को बोलने में 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मुझे ज्यादा बोलने देने के लिये आप मुझे नासमझ मान लें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, वहां अगर अकाल राहत मन्त्री जाकर देखें तो उन्हें मालूम पड़ जायेगा कि कैसे उन लोगों का जन-जीवन असामान्य हो गया है। खरीफ की फसल नष्ट हो चुकी है, रबी की फसल बोने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि उनको बीज वितरित नहीं किया गया, खाने के लिये अनाज का वितरण नहीं किया गया, कोई लोन नहीं दिया गया तो वहां से लोगों को पलायन शुरू हो जायेगा। इसलिये मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप तुरन्त वहां पर व्यवस्था करें। अगर छबड़ा की स्थिति ऐसी हो जायेगी तो वहां पर सिवाय अमीर लोगों के कोई नजर नहीं आयेगा। बाढ़ से जो मकान गिर रहे हैं उनको तो आप राहत दे रहे हैं, लेकिन अतिवृष्टि से जो क्षति हुई है उसके लिये भी आपने विचार किया या नहीं किया? कोटा जिले के सारे अखबार, राजस्थान और दिल्ली के सारे अखबार यह घोषणा कर रहे हैं, कई लोगों ने इस बीच में एडिटोरियल भी लिखे हैं कि सरकार क्यों उनके साथ भेदभाव कर रही है। जहां

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

बाढ़ से जो क्षति हुई है यह तो प्राकृतिक विपदाओं में से है, ईश्वर प्रदत्त है उसके बारे में सरकार को कुछ करना चाहिये। जिनके खेत नष्ट हो चुके हैं, जिनका सब कुछ नष्ट हो चुका है उनको भी राहत दी जाये। उनको बैंकों से लोन दिया जाये, सब्सिडी दी जाये। यही मेरा अकाल राहत मन्त्री जी से आग्रह है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सक्षेप में दो-तीन बातें उठाना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि अगर आप आंकड़े देखें जो सरकार ने दिये हैं, इस वर्ष और पिछले वर्ष, जहां तक मैं समझ पाया हूं, आपकी सीमा निधारित की गई थी सैण्टर-असिस्टेन्स की 62.33 करोड़। 14.11.81 और 30.3 81 को आपने ज्ञापन दिये थे। जो खर्चा हुआ, अक्टूबर, 80 से मार्च, 81 तक, वह 15 करोड़ 14 लाख और अप्रैल, 81 से सितम्बर, 81 तक 63.50 करोड़, कुल 78.79 करोड़। इसी प्रकार से संवत 2037 में, जैसा आपने स्वयं कहा है, 157 तहसीलों में 21395 गांव प्रभावित हुए। पॉपुलेशन का हिसाब अपने आप लगा लें। दूसरे साल सम्वत 2038 में 171 तहसीलों में 23241 गांव प्रभावित थे। इस वर्ष भी सीमा थी 69.5695 करोड़ और एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ आपका 74.82 करोड़, जो आपने आंकड़े दिये हैं उसके हिसाब से। 75 करोड़ 70 करोड़ का औसत आप न मानें साल में लेकिन यह निश्चित बात है कि जब से राजस्थान बना सन् 56 से, बल्कि 49 से तब से लेकर आज करीब 30 बरस हो गये, अगर 50 करोड़ का भी एवरेज रखें फेमिन के ऊपर और डेजर्ट के ऊपर, ड्राट के ऊपर तो निश्चित रूप से 15 अरब रुपये खर्च हो गये हैं। 15 अरब खर्च होने पर वहां पर, ग्राम पर क्या है? मैं तो यह जानना चाहता हूं कि हर अकाल राहत कार्य होता है और हर साल खर्च होता है, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि वेस्टेड इंट्रेस्ट नहीं हो गया? जो एम्प्लायमेन्ट जनरेट करते हैं जो मस्टर रोल्स बनते हैं, जो पैसा खर्च होता है, मैटिरियल लगता है इसका कोई चैक है कहीं भी? एक बात दूसरी बात यह है कि 50 करोड़ या 60 करोड़ एवरेज है एक साल का अगर फेमिन के ऊपर, जो 10-12 डिस्ट्रिक्ट हमारे फेमिन के ट्रेडिशनली शिकार हैं, 12 होंगे 14 होंगे। बाकी भार कौन उठाता है? वह इलाके उठाते हैं जहां थोड़ी-बहुत बारिश हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आपके यहां पैसा खर्च होता रहे, रीक्लेमेशन के ऊपर, फेमिन के ऊपर और बाकी राजस्थान उसको भुगतता रहे। आप जो सिंचाई के लिये पानी ला रहे हैं, मैंने एक प्रश्न किया था जब मौका आयेगा, कोट करूंगा, सिंचाई की आपकी क्या कीमत पड़ती है भाखड़ा से, माही से और दूसरी जगह से, और कितना आप आबियाना या इरिगेशन सैस लेते हैं? अगर उसमें अन्तर है तो फिर

130

(श्री राजबहादुर)

पूरी कोस्ट मीट नहीं कर सकते तो उसका खर्चा किस पर पड़ता है? वह दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स पर पड़ता है। इसका मतलब यह है कि जो विकास हमारे उन डिस्ट्रिक्ट्स का है जहां फेमिन एरिया नहीं है, या डेजर्ट एरिया नहीं है उनका विकास हमेशा अवरुद्ध रहेगा We are hostages. our future development are taken hostages for the reclamation and meeting of the famine disasters yearly recurring. मतलब यह हो जाता है कि हमारा सारा जो कुछ भी होगा हमें बोझ बदर्शित करना पड़ेगा। इसलिये बार-बार आपसे कहता हूं कि कोई कुछ ऐसा करिये जिसकी वजह से इसका स्थायी हल निकल जाये। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर नेशनल गंगा वाटर फ्लड कण्ट्रोल अथारिटी है, सैण्ट्रल वाटर कमीशन की अथारिटी हमारे राजस्थान में जो मरुभूमि है अधिकांश इसके लिये नेशनल बेसिस के ऊपर मेरी मांगें कई वर्ष से चलती रही हैं, जब से मैं आया हूं इससे पहले भी कि एक नेशनल अथोरिटी होनी चाहिए जो डेजर्ट रीक्लेमेशन और फेमिन कंट्रोल को देख सके। उसका पूरा दायित्व सेन्टर का होना चाहिये। अगर सेन्टर चाहता है यह पार्ट बराबर हो जाय डवलपमेंट में और सारे देश के साथ चले, अगर यह चाहता है कि देश एक जुट हो, जाय इसके साथ अगर रीक्लेमेशन होता है डेजर्ट का। और देशों ने किया है ऐसा, डेजर्ट रिक्लेम हुआ है। रूस में हुये हैं और दूसरे देशों में हुए हैं। अगर वहां पर हो सकता है और किया जा सकता है तो नेशनल आथोरिटी फार फेमिन, फार डेजर्ट रिक्लेमेशन एण्ड फेमिन कन्ट्रोल, इस बारे में कोई प्रस्ताव हो तो उस पर सोचना होगा कि आगे के लिये बनायेंगे या नहीं। यह इसलिये बनायें क्योंकि आपने इतना खर्चा कर दिया, 2 हजार करोड़ चाहे 1 हजार करोड़ खर्चा हुआ है या बहुत बड़ी रकम खर्च हो चुकी है लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा है। राजस्थान नहर और दूसरी चीजें हैं, उनको कन्ट्रोल कर पायेंगे या नहीं। जहां तक मेरी जानकारी है जो इंजीनियर्स द्वारा दी हुई है। हमारी 26.4 मिलियन हैक्टेयर जमीन ऐसी है जो आरेबल है, जिस पर काश्त हो सकती है, उसमें से सारे साधन इर्रिगेशन के लगाने के बाद आप कवर कर पायेंगे केवल 6 मिलियन हैक्टेयर। मतलब ओनली 20 पर्सेन्ट। बाकी 20 मिलियन हैक्टेयर्स ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। उसको कन्ट्रोल करने के लिये आपके पास साधन नहीं होंगे। You will be a deficit State. हमेशा running on overdraft and all this. इनडिसीजन का हाल दूसरा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं केवल एक दो बातें चाहता हूं। एक बात है पर्मानेन्ट रेमेडी अकाल राहत कार्य से मिलेगी या नहीं? अपने पिछले दो साल में, आंकड़ों के आधार पर बताऊंगा, लगभग 75 करोड़ रुपया खर्च किया है अकाल राहत पर। इसका मतलब है दो साल में

(श्री राज बहादुर)

150 करोड़ करेंगे। 150) करोड़ पर ग्रांट क्या है। पर्मानेन्ट बेसिस पर मीट करने के लिये क्या कर रहे हैं ? क्या कोई योजना है, क्या कोई विजन है, क्या कोई एप्रोच है जिससे पर्मानेन्ट हल हो सके।

दूसरी बात जो मैटीरियल इस्तेमाल हो रहा है आपके कामों में, अभी दूसरे मन्त्री ने डिमांड रखी सीमावर्ती सड़कों की और सामरिक महत्व की सड़कों की, 3.34 करोड़ ले रहे हैं उसके लिए लेकिन मुझे जानकारी यह मिली है, कुछ फेमिन रेगुलेशन के नाम से कुछ और नाम से मजदूरों को पैसा मिल गया होगा लेकिन जहां तक मैटीरियल का सवाल है उसकी बड़ी शिकायतें थीं। उसकी शिकायतें गवर्नमेन्ट के पास पहुंची तो उन्होंने बड़े सीनियर ऑफिसर्स से इन्क्वायरी करवाई। उसमें सारे फैक्ट्स मालूम नहीं हुए, न मालूम हो सकते हैं, न मालूम करने की चेष्टा की। मैं उनमें से नहीं हूं जो सरकारी कागजों में घुसूं, लेकिन जो बाजार में चर्चा होती है वह मेरे कान तक पहुंच जाती है, वह रेस्पान्सिबल क्वार्टर्स से ही नहीं बल्कि रेस्पान्सिबल पर्सन्स से आती है। मैं पूछना चाहता हूं क्या यह सही नहीं है कि आपकी सड़कों पर मैटीरियल घटिया किस्म का लगाया ? उसकी आप इन्क्वायरी करते हैं और कर रहे हैं उसमें क्या पाया गया क्या नहीं ? आप यह बतायें। यह मैंने इसलिये कहा चाहे सिंचाई के काम हों, चाहे अकाल राहत के काम हों, उनमें जिस तरह से घोटाला होता है, वह आप देख सकते हैं।

मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं। फ्लड आर्या और वहां आया जहां आम तौर पर नहीं आता है। जयपुर में इतना फ्लड भीड़ ही आता है ? आपने केन्द्रीय सरकार से मांगा 394.33 करोड़। मिला क्या ? 45.056 करोड़। 4000 में से लगभग 45 करोड़ या 50 करोड़ मिला और वह भी आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। जो 1981-82 में खर्चा करना था वह 1982-83 में खर्च होगा, अगर हो सकता तो। इतनी बड़ी डिमांड के बाद, आपके जब तक इनहैरेन्ट खुद के रिसोर्सेज नहीं होंगे, जब तक आपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, तब तक यह चुनौती आप सब के सामने होगी। इसकी जवाबदारी आने वाली संतति, आने वाली पीढ़ियां, आने वाली पोस्टेरिटी मांगेगी। जो आज यहां पर बैठे हैं वह यह सोच सकते हैं कि कल का इन्तजाम करना है लेकिन 20 वर्ष बाद की नहीं सोच सकते हैं तो माफ करें पोस्टेरिटी के लिये आप कुछ छोड़ नहीं जायेंगे तो पोस्टेरिटी कोई ट्रिब्यूट पे करने वाली नहीं है। ऐसी हालत में जैसा मैंने कहा think in an original way, act with initiative and vision and get something done. जिससे आप लाइफ टाइम में कह सकें कि हमने यह किया था। यही मेरी विनती है आपसे। Thank you.

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरू सिंह गुर्जर।

(132)

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची) : माननीय उपाध्यक्ष जी, 18 अगस्त, 1982 का वह दिन....

श्री उपाध्यक्ष : दोनों मांगों पर बोलें ।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : पहले एक पर बोलूंगा फिर दूसरे पर बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों मांगें हैं । आपको 5 मिनट दिये हैं ।

श्री परस राम मदेरणा (सिंचाई मंत्री): जिस मांग को पास कराना चाहते हैं वह फ्लड पर एक्सेस खर्च के लिये है । इस पर विचार करने के लिए टाइम एक्सटेन्शन की बात कही है । अकाल के सम्बन्ध में जो जो बात है उसके लिये बी. ए. सी. में हो गया था कि उस सम्बन्ध में कहा जा सकता है । इसलिये माननीय सदस्य कह सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : जयपुर में खर्चा करने जा रहे हैं । मैं उस सम्बन्ध में बोलना चाहूंगा ।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : बाद में बोल लेना ।

मैं निवेदन कर रहा था, 15 अगस्त, 1982 का वह दिन था जिस दिन जैसी बरसात खारची क्षेत्र में हुई वैस पहली बरसात उस क्षेत्र में हुई है । हमारी सरकार ने कोटा में बाढ़ आती देखी और क्षेत्रों में भी बाढ़ आती देखी है लेकिन खारची क्षेत्र में सर्वप्रथम इतना पानी बरसा कि वहां पर कम से कम 3–4 तो सड़कें टूट गईं, सैंकड़ों बीघा जमीन पानी का रास्ता बदलने के कारण खराब हो गई, जिस जमीन में किसान खेती करता था । सैंकड़ों कुएं टूट गये । मैं मन्त्री महोदय का इस ओर ध्यानाकर्षण करता हूं कि जिला प्रशासन को लिखा भी लेकिन अभी तक न तो तखमीने बनाये जा रहे हैं न सुनवाई की जा रही है । किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं । एक दिन की अतिवृष्टि में काफी नुकसान हो गया । मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस ओर तत्काल ध्यान देकर किसानों को, गरीब लोगों, जिनका नुकसान हुआ है, को राहत दिलाई जाय ।

सबसे बड़ा नुकसान हुआ है मारवाड़ रानावास सड़क का । पी. एच. डी. की पाइप लाइन टूट गई, रेलवे लाइन पर पानी आ गया । उसका एक मात्र कारण था, मन्त्री महोदय, आपके पास सिंचाई विभाग है. नरसिंहपुरा गांव है खारची तहसील में उसके अन्दर जो एनीकट बनाया जा रहा है उस एनीकट का प्रस्ताव न गांव की जनता ने दिया न सरपंच ने दिया, न विधायक ने दिया, न सांसद ने दिया, न आपकी सरकार ने भेजा लेकिन मात्र सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने अपने ससुर की जमीन को फायदा पहुंचाने के लिए एनीकट बनवा दिया । उसकी वजह रानावास में आने वाले नाले में 6-6 फीट पानी भर गया, 4-4 दिन मार्ग अवरुद्ध हो गया, पी. एच. डी. की

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

लाइन जो उस क्षेत्र में आती है, टूट, गई और मारवाड़ जक्शन जैसे महत्वपूर्ण कस्बे में 10 दिन तक पानी नहीं मिला। मन्त्रीजी, इतना ही नहीं उस एनीकट के कारण रेल मार्ग अवरुद्ध हो गया। आप गंभीर रूप से जांच करायें कि एनीकट किस वजह से बनाया गया, उसका क्या महत्व है और मैंने जो बातें बताई हैं वह सच्ची है या नहीं।

उपाध्यक्ष जी, आपने दोनों मांगों पर बोलने के लिये कहा है। मुख्य मांग है, सड़कों और पुलों की। अभी एशियाड खेल होने जा रहे हैं। उसमें काफी खेल तो दिल्ली में होंगे लेकिन तैराकी का जयपुर में जमवा रामगढ़ बांध पर होगा। उसके लिये जयपुर से जमवा रामगढ़ तक सड़क बनाई जा रही है। जो सड़क बनाई जा रही है उस सड़क की प्रापर वर्क आर्डर तक नहीं हुआ है। उस सड़क पर एक तरह से सीधे काम न चला कर टुकड़ों में काम दिये गये हैं। कहीं डिपार्टमेंट काम कर रहा है, कहीं ठेकेदार को दिया गया है। आप जांच करें; मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, केवल एक टेंडर नव ज्योति में निकाला गया था बाकी कोई टेंडर नोटिस नहीं निकाला। सारे के सारे इन लोगों ने मिल कर अपने हितैषी ठेकेदारों को काम दे दिये और आज काम चल रहे है। टेंडर नोटिस एग्जी क्यूटिव इंजीनियर ए. एस. प्रवासी के नाम से निकला, नव ज्योति में टेंडर नोटिस निकला था, डेट मुझे याद नहीं, उसमें अंतिम दिनांक नहीं था। अखबार की कटिंग मुझे नहीं मिली लेकिन उस टेंडर नोटिस में अंतिम दिनांक नहीं था, किस अंतिम दिनांक तक टेंडर भेजा जाय। वह काम हो गया, बिल पहुंच गये, बिल पास होने जा रहे हैं और भ्रष्ट अधिकारी, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सड़क के काम पर लगे हुए हैं। एस० ई० ने अपनी मनमानी से वर्क आर्डर दिया है। ऊपर से आकाओं के इशारे पर ठेकेदारों को ठेका दे दिया गया, उसका नतीजा यह निकला कि एक ठेकेदार ने एक ठेका मिलते ही फियेट गाड़ी खरीद ली। वहां के सहायक अभियन्ता ने सिविल लाइन्स में 15 लाख की कोठी काम शुरू होने के बाद बनाई है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं स्पेसिफिक पाइंट है, जांच करा लीजिए। सार्वजनिक निर्माण मन्त्री आप यह नहीं सोचें कि आपके खिलाफ बोल रहा हूं। मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं मैं उन अधिकारियों के खिलाफ बोल रहा हूं जो अधिकारी भ्रष्टाचार पनपा रहे हैं। जोधपुर के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का मामला आया था, पाली जिले में जो सड़क बना रहा है तब आपने कहा मेरे खिलाफ बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो उस दिन घोषणा की थी कि जांच करायेंगे तो आपने किस पुलिस अधिकारी से जांच कराने के आदेश दिये हैं, वह बताया जाय।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप रामगढ़ पर

(134)

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

बोलते-बोलते जोधपुर जिले में कहां पहुंच गये ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, आप ऐसा अन्याय मेरे साथ नहीं कर सकते। मैं सही बातें बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अन्याय तो किसी के साथ कर ही नहीं सकता।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : आप अन्याय तो कर ही नहीं सकते, यह तो मैं मानता हूं। आप तो बहुत ही भले है।

मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप समय का ध्यान रखिये, माननीय सदस्य। आज मुख बन्द भी है।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, जो जमवा रामगढ़ में सड़क बन रही है।

(समय-समाप्ति चक्र घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मुझे चार मिनट ही हुए हैं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जमवा रामगढ़ के लिये जो सड़क बनायी जा रही है उसके किये जो कांक्रीट और ग्रिड लाई जा रही है या मंगायी जा रही है उस कांक्रीट व ग्रिड की 75 लाख रुपये की खरीद की गयी है, ऐसा कहा जाता है। अगर आप जाकर उसको देखें तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 45 लाख रुपये की कोंक्रीट ग्रिड वगेरह आई है और बाकी तीस लाख रुपये अधिकारी लोग अपनी जेब में लेकर चले गये हैं। 15 लाख रुपये में तो एस० ई० साहब का बंगला बन रहा है और, उपाध्यक्ष महोदय, ठेकेदार ने कार खरीद ली। उपाध्यक्ष महोदय, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर ने बिना किसी नोटिस के टैन्डर दे दिये, एक्सिएन ने बिना नोटिस के काम के आर्डर दे दिये और ए०ई एन० ने कार्य शुरू करा दिया है। आप उनके क्रिया कलापों की जांच करावें। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जांच कराने की आज ही सदन में घोषणा करें और बतायें कि किससे जांच करायेंगे।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन प्रश्न और पूछ रहा हूं उनके भी मन्त्री महोदय मुझे उत्तर देने की कृपा करें।

पहला तो प्रश्न यह है कि जमवा रामगढ़ सड़क के लिये कितने वर्क आर्डर दिये और आपके बिभाग ने किन ठेकेदारों को आर्डर दिये ? नम्बर दो, कितने वर्क कहां कहां पर आपके डिपार्टमेन्ट से करायै जा रहे हैं ? इसके अलावा, ठेकेदारों से जो

(श्री भैरूं सिंह गुर्जर)

वर्क कराये जा रहे हैं उनके टेन्डर नोटिस कब निकले थे ? अगर टेन्डर नोटिस निकले तो किस अखबार में कौनसी डेट को निकले ? यह भी बतावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह। देखिये, आज देवीसिंह जी ने अपनी स्पीच पांच मिनट में समाप्त करके सदन में मिसाल कायम की है।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां की समस्या अलग है।

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय. मैंने तो चार मिनट में ही समाप्त कर दी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। No talk माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे भरतपुर के क्षेत्र में लगभग हर साल बाढ़ आती है। उपाध्यक्ष महोदय, लगभग हर वर्ष राज्य में सूखा और बाढ़ दोनों के ऊपर हम यहां पर बैठ कर विचार करते हैं। हम लोग यहां पर बैठ कर इकट्ठे होते हैं और यहां जो हाल बना हैं जो कि सर्दियों में गरम और सर्दियों में ठण्डा रहता है उसमें हर साल बैठ कर सूखे और बाढ़ की समस्या के बारे में विचार करते हैं और फिर चले जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, असलियत बहुत ही कड़वी होती है। हमारे यहां हर साल सूखा पड़ता है और बाढ़ आती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसी विडम्बना है कि यहां पर एक तरफ तो बाढ़ आती है, तबाही करके चली जाती है और दूसरी तरफ एक बून्द भी पानी लोगों को पीने को नहीं मिलता है। इससे हमारे प्रदेश के हजारों लोग मरते हैं और हजारों की तादाद में पशु मरते हैं। हमारे यहां की यह कैसी प्लानिंग है। हमारी प्लानिंग फेल्योर है। हमारे देश में इतना पानी मौजूद है कि बिजली के लिए जितने पानी की जरूरत होती है वह पूरी तरह से मौजूद है। यहां पर टयब वेल से सिंचाई हो सकती है। पानी की क्षमता हमारे यहां पर है। हमारे यहां पर 400 मिलियन मीटर पानी मौजूद है। इतने पानी को अगर अच्छी तरह से चैनेलाइज किया जाय तो हमारे देश की भूमि सारी की सारी सिंचित हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहां पर एक तरफ तो बाढ़ से तबाही होती है और दूसरी तरफ सूखे की वजह से हर साल लोग मरते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन आया उसने हमें इस मद में सिर्फ सात करोड़ रुपये दिये हालांकि हमारे यहां की सरकार ने बहुत पैसे की मांग की थी। राजस्थान सरकार ने यह भी कहा था कि हमें सूखे की मद के लिये इतने करोड़ रुपये की आवश्यकता है और इतने करोड़ रुपये की हमको बाढ़ के लिये आवश्यकता है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जो टोटल पैसा देना था उसका हमें सिर्फ 1.5 प्रतिशत पैसा मिला। जो असि-

(136)

(श्री यदुनाथ सिंह)

स्टेंन्स इससे मिलेगी वह 1·1 प्रतिशत होगी। दुर्भाग्य यह मैं कि हमारी न तो कोई केन्द्र में लॉबी है और न ही हमारी केन्द्र के आफिसर्स में लॉबी है। इसके अलावा हमारी कोई पोलिटिकल लाबी भी नहीं है जो कि हमारे हितों की दिल्ली में रक्षा करे। आज स्थिति यह है कि हमारा पानी आज पंजाब काम में ले रहा है और हमारे पानी को पाकिस्तान काम में ले रहा है। हमारे राज्य के लोग तो सूखे की स्थिति में पानी के लिये एक तरफ तड़फ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पानी का आनन्द ले रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर पिछले चार वर्ष से लगातार सूखा पड़ रहा है। उपाध्क्ष महोदय, आप अन्दाज लगा सकते हैं कि हमारे यहां की स्थिति क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के लोग बड़े ही स्वाभिमानी हैं। उनका स्वाभिमान ऐसा है कि उनकी भीख मांगने की आदत नहीं है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे राजस्थान के लोगों को मैंने दूसरे प्रान्त में जाकर अपने पेट को भरने के लिये भीख मांगते हुए देखा है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा हमारे लिये शर्म की बात क्या हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन है कि वह हमारे यहां पर ऐसी योजनायें बनाये जिससे हमारे यहां के लोग दूसरे प्रान्तों में जाकर भीख नहीं मांगें। क्या कारण है कि इतने लम्बे अर्से के बाद भी हम सूखे का कोई पर्मनिन्ट इलाज नहीं कर सके? क्या कारण है कि हम बाढ़ का कोई पर्मानिन्ट इलाज नहीं कर सके? हमने ऐसी कोई योजना नहीं बनायी जिससे जो बाढ़ का पानी हमारे यहां पर आता है उस पानी को सिचाई के प्रयोग में ला सकें। आज तक हम हमारे राजस्थान के पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं कर सके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल जो बाढ़ आई उससे राहत के लिये जो कार्य चले उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जो कार्य चले थे वह खास तौर से भरतपुर के क्षेत्र में राजनैतिक भेदभाव से चलाये गये। यह भेदभाव इसलिये रखा गया क्योंकि नयी सरकार, जो कि माथुर सरकार आयी थी, को पहाड़िया सरकार से विशेष तौर से नफरत हो सकती है। पहाड़ियाजी ने अपने यहां पर बहुत काम कराये होंगे पर हमारे को तो, उपाध्यक्ष महोदय, पहाड़ियाजी ने भी पीटा और अब जो नयी सरकार आई है वह भी हमें दबोच रही है। अगर आप वहां पर अस्पताल बनाते और यह भी घोषणा कर देते कि सिर्फ कांग्रेस वालों का ही इलाज हो सकता है तो भी कोई बात नहीं पर, उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा और मैं समझता हूं कि जब आप सदन के बाहर जाते हैं तो यह कहते भी हैं कि जनता पार्टी के राज्य में काम हुआ था जनता पार्टी के राज्य में असैट्स बने थे। अभी आपने जो भी योजनायें बनायी हैं उनसे न तो कोई पर्मानेन्ट असेट्स बनी हैं, न आपकी योजनाओं में पंचायतों का इन्वाल्वमेन्ट है।

(श्री यदुनाथ सिंह)

दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि भरतपुर में मजदूर नहीं मिलते हैं तो वहां पर काम कैसे कराये जायं। उपाध्यक्ष महोदय, जब तक जनता का काम जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, उनकी एजेन्सी के माध्यम से नहीं होगा, जब तक आप ब्यूरोक्रेसी के हाथ से काम करायेंगे तब तक आपके यहां पर काम नहीं हो सकेगा और आपकी नीतियां जमीन पर नहीं चलेंगी बल्कि कागजों में जमीन के ऊपर ही चलेंगी। हर साल यहां पर हर नेता अच्छे भाषण देता है और यहां पर अच्छी-अच्छी योजनायें बनायी जाती हैं, अच्छी-अच्छी योजनाओं की घोषणायें की जाती हैं पर उनका कोई असर नहीं पड़ता है। हमारे देश की भुखमरी बढ़ रही है। राजस्थान के गांव-गांव से लोग भूख के मारे पलायन कर रहे हैं, वह लोग दूसरे प्रान्तों में जा रहे हैं। यह हमारी राजस्थान सरकार के लिये बड़ी शर्मनाक बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि हमारे यहां पर सूखे की समस्या से निबटने के लिये कोई पर्मानेन्ट योजना बनायी जाय और बाढ़ से निबटने और उसका कोई पर्मानेन्ट इलाज करने की योजना बनायी जाय। उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर में प्रति वर्ष बाढ़ आती है। प्रति वर्ष हमारे यहां पर बाढ़ से तबाही होती है। हर साल हजारों लोग मरते हैं, पशु मरते हैं। इसके अलावा आप भरतपुर वालों से पानी का आबियाना भी लेते हैं और कहते हैं कि हमने आपको पानी दिया है अतः आप हमे पानी का आबियाना। दो मेरा यह निवेदन है कि आपने यह दुधारी तलवार भरतपुर वालों के ऊपर चला रखी है। आप पूंजीपतियों से तो जीत नहीं सकते पर गरीब लोगों को बरबाद कर रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप ऐसे कार्य चलायें जिनसे कि आपकी असैट्स क्रियेट हों जैसी कि जनता पार्टी के राज्य में हुई थी। फूड फार वर्क प्रोग्राम के काम खोलें। चारे की हमारे यहां पर बहुत कमी है इसलिये आप फोडर बैंक खोलें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पहाड़ियाजी, आपके यहां बहुत काम करा गये हैं। काम तो हुए हैं।

श्री राजबहादुर : कोई काम नहीं हुआ है।

श्री यदुनाथ सिंह : पहाड़ियाजी ने अपने यहां पर काम कराये तो आपने उनको हटा दिया। हमारे यहां नदबई में कोई काम नहीं खुला।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : क्या डिस्पेन्सरीज भरतपुर में नहीं खुलीं ?

श्री यदुनाथ सिंह : मेरे यहां पर नहीं खुलीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री यदुनाथ सिंह : जो, उपाध्यक्ष महो-

138

(श्री यदुनाथ सिंह)

दय, मेरा निवेदन है कि आप फूड फोर वर्क प्रोग्राम में काम खोलें और ऐसी योजनायें बनायें जिससे राजस्थान में सूखे की स्थिति नहीं आवे। जब मेरे यहां पर बाढ आई तो मैंने सिंचाई मन्त्रीजी को पत्र लिखे। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा सुना है कि सिंचाई मन्त्री जी पत्र का जबाब जल्दी देते हैं पर मेरे दो पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया। हमारे यहां पर हर साल बाढ आती है। अभी गम्भीर नदी और दूसरी नदी में बाढ आई तो एक तरफ तो हरियाणा का इन्तजाम हो गया पर कोई पर्मानेन्ट इलाज नहीं हुआ। इन दोनों नदियों से हर साल तबाही मचती है किन्तु सरकार के पास कोई उसका इलाज नहीं है। भरतपुर में बाढ़ नहीं आये, इसके बारे में आपके विभाग में क्या योजना है, उसकी आप निश्चित घोषणा करें। आप बांदीकुई के पास कोई डैम बनाइये, उससे पानी चैनेलाइज होगा, पानी रुकेगा। भाखड़ा की तरह यहां भी बनाइये। आपकी तो हमारे साथ, उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा से दुर्भावना रहती रही है, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं। पश्चिमी राजस्थान के लोग कहीं इसका बुरा न मानें. हम पूर्वी राजस्थान के लोग यह महसूस करते हैं कि हम राजस्थान में नहीं होते तो हमको गंगा-यमुना का पानी मिला होता। जैसा हमारे पास में आगरा और मथुरा का सारा इलाका सिंचित है उसी तरह से हमारी जमीन भी सिंचित होती। फिर एक बार उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हुआ मैं चाहूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई ठोस योजना प्रस्तुत करे।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये बोलिये आप बोलिये बारी बारी से। I am doing justice to all.

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई जस्टिस नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी नजर में नहीं होगी यह।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक नजर इधर भी।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये ना आप।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे जिले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जालोर जिले में गत वर्ष भी काफी क्षेत्र में अकाल था और इस वर्ष भी पूरा जालोर अकाल की चपेट में आ चुका है। अकाल के काले बादल छाये हुए हैं। हमारे यहां के पशुपालकों को गत वर्ष अकाल के समय काफी पशुधन से हाथ धोना पड़ा था। इस वर्ष एक तरह से अकाल के काले बादल छाये हुए हैं। कोई कुदरत का, बरसात का सहारा नहीं हुआ तो ऐसा भयंकर अकाल पड़ जायेगा कि जिससे किसानों को खेती और पशुपालकों के पशुओं को बचाना मुश्किल हो जायेगा। अब मानसून

(श्री रतनाराम चौधरी)

राजस्थान से रूठ भी गया है और बरसात होने की उम्मीद भी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का इस ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे जालौर जिले में एकमात्र स्थाई समाधान अकाल का निकल सकता है परन्तु इसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। हमारे जालौर जिले में बहुत सी नदियां बारहों मास बहने वाली नदियां हैं। जैतपुरा नदी बारहों मास बहती है, काफी समय से वहां डैम बनाने की योजना विचाराधीन है किन्तु अभी तक उसका काम चालू नहीं किया गया है। जैतपुरा नदी का पानी गुजरात में जाता है। गुजरात सरकार उसका सर्वे करा रही है। राजस्थान सरकार ने समय पर जैतपुरा नदी पर बांध या डैम बनाने की योजना हाथ में नहीं ली तो गुजरात सरकार उस पानी को रोक लेगी और राजस्थान उस पर डैम बांधने से वंचित रह जायेगा।

ऐसी की ऐसी एक स्कीम जसवन्तपुरा पंचायत समिति में बोडी सेंदड़ा पर बांध बनाने की पांच साल से विचाराधीन है परन्तु न मालूम वह फाइल कहां कैद कर दी है कि अभी तक उस पर कोई निर्णय राज्य सरकार नहीं ले पा रही है। हमने ऐसा सुना है कि वह स्कीम राजस्थान सरकार ने सैन्ट्रल सरकार को मूव कर दी है क्योंकि वह बहुत बड़ी स्कीम है। बोडी सेंदड़ा पर बांध बनाने की एकमात्र स्कीम जल्दी से जल्दी चालू कर दी जाये तो हमारे क्षेत्र में कम से कम आधा जिले की सिंचाई उस बांध से हो सकती है और अकाल का स्थायी समाधान हो सकता है।

दूसरा जालौर जिला एक कृषि प्रधान जिला है। सबसे ज्यादा पम्पिंग सैट हमारे जिले में क्रूड आइल से चलते हैं। आधे क्रूड आइल की खपत तो पूरे राजस्थान में थी और आधे डीजल की खपत अकेले हमारे जालौर जिले में थी इस हिसाब से कि वहां के किसानों के बहुत से वेरे हैं। बिजली के अभाव के कारण उनको सिंचाई से हाथ धोना पड़ता है किसानों को अकाल से जूझने और पशुधन को मरने से बचाने के लिए एक मात्र यही उपाय है कि बिजली कम से कम 8-10 घन्टे किसानों को मिलती रहे। इससे अकाल का सामना किसान कर सकते हैं।

एक तरफ तो अकाल पड़ता है और दूसरी तरफ क्षेत्र में महीने भर पहले इतनी बरसात हुई कि वहां 8 इंच बरसात करीब 6 घण्टे में हुई। उससे काफी गांवों में बाढ़ आ गयी। बाढ़ आने से जाखड़ी-रतनपुरा की रेलवे की पुलिया टूट गयी और 15 दिन रेल बन्द रही। राज्य सरकार ने बेचारे गरीबों को थोड़ी-बहुत सिर्फ 300 रुपये की राहत पहुंचाई है....

एक माननीय सदस्य : बाकी के लिए चैम्बर में मिल लेना।

(140)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री रतना राम चौधरी : हां, मिला था। उनके द्वारा थोड़ी बहुत राहत दिलवायी गयी है। राहत दी उसके लिए तो मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए ।

श्री रतनाराम चौधरी : धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, उनके बाद आपका नम्बर है ।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :.... हम तो गांव वालों की बात बोलते हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उसके बाद में बोलिये । बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, टाइम खराब न कीजिए ।

(व्यवधान)

कृपया बैठिये ।

सूचना

लापता चार हरिजन महिला

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, चार हरिजन महिलाओं को कोई ट्रक में बैठाकर ले गया । वह मिल नहीं रही है....

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम नहीं है मेरी लिस्ट में ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : मेरी बात सुनिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर नगरपालिका के आयुक्त हैं, मिस्टर चड्ढा पुलिस आफिसर हैं, चार हरिजन महिलाओं को उन्होंने कल चांदपोल से उठाया है। उनकी जीप में गुण्डे और दो-तीन सिपाही थे । अब तक चार महिलाओं का कहीं पता नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : महिलाओं का कहीं पता नहीं है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में प्रावधान है उसके अन्तर्गत उठाइये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : चार हरिजन महिलायें कल से लापता हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों में प्रावधान है....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनको अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनका कहीं पता नहीं है।

श्री गोपाल पचेरवाल :...यह सरकार क्या कर रही है। चार हरिजन महिलायें लापता हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाधा न डालें। नियमों के अन्तर्गत मुझे पुकारना पड़ेगा। कृपया बैठ जाइये। जिसका नम्बर है वह बोलें। यह कोई डेलीगेशन आफ पावर नहीं है।

श्री गोपाल पचेरवाल : उपाध्यक्ष महोदय, चार महिलायें कल से लापता हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कायदे-क़ानून जानते हैं, माननीय सदस्य। कृपया बाधा न डालिये।

श्री गोपाल पचेरवाल : बिल्कुल बाधा नहीं डाल रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, उन महिलाओं का पता नहीं है।

(व्यवधान)

चार महिलायें किस थाने में गई हैं, कोई पता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : स्कूल के बच्चों की तरह न डाटें।

142

श्री राज बहादुर : मैं आपसे विनती करूंगा कि चार महिलाओं की बात है जो लापता हैं....

श्री उपाध्यक्ष : किस रूल के मुताबिक ?

श्री मेघराज तावड़ : रूल्स बताने वाले आये हैं।

श्री राजबहादुर : चार महिलायें लापता हैं। माननीय सदस्य उनका नाम बता देंगे। उनके बारे में सरकार कुछ बता दे तो मामला खतम हो जायेगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल से वे महिलायें लापता हैं। हरिजन महिलायें हैं। न तो उनको किसी थाने में भेजा गया है, न उनको जेल में भेजा गया है। आप बता दें वे कहां पर हैं?

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस मामले को रखा था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अभी जो चर्चा चल रही है वह अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चल रही है। कोई नया मामला इमर्जेन्सी का हो, उसके लिये नियमों में प्रावधान है, आप उसके मुताबिक मामला उठा सकते हैं You are welcome यह नहीं हो सकता कि जो चर्चा चल रही है उसको मैं समाप्त कर दूं। कोई बतायें नियम under which I can do it.

श्री गोपाल पचेरवाल : जो गरीब लोग हैं, आप उन्हें पकड़ें, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, जेल में डालें, थाने में भी भेजें। आपकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उन चार महिलाओं का पता तो लगायें कि कहां ले जाई गई है। न अदालत में हैं, न थाने में हैं, न जेल में हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वे महिलायें हैं कहां, मुझे यह बता दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं असमर्थ हूं।

(व्यवधान)

मुझे कोई नियम आप बता दीजिये कि इस चर्चा को रोक कर.... ।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : मुझे आप सरकार से यह नियम बतवा दें कि वे लापता कैसे हैं? चार महिलायें दो दिन से लापता हैं। उनके साथ कुछ भी किया जाय लेकिन मालूम तो पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे नियम बता दें।

श्री गोपाल पचेरवाल : नियम हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई नियम नहीं।

श्री चन्द्रवीर सिंह।

श्री नाथूसिंह (वांदीकुई) : ऐसा है, आप सरकार से जानकारी कर लीजिये और फिर आप हमें बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप लिखकर दे दीजिये, मैं जानकारी कर लूंगा।

श्री चन्द्रवीर सिंह।

(व्यवधान)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 व अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 21 पर विचार

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले में जो इस वर्ष भीषण अकाल की स्थिति बनी उससे माननीय मन्त्री महोदय बहुत भली भांति परिचित हैं। भीषण अकाल की स्थिति के बावजूद मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि इतने कम राहत कार्य खोले गये हैं कि मजदूरों को 30-30, 40-40 मील दूर राहत कार्यों पर रोजी-रोटी कमाने जाना पड़ता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि जिला उदयपुर में 98,347 मजदूर अकाल राहत कार्य से रत हैं। जिला भीलवाड़ा में 72,220 मजदूर अकाल राहत कार्य के तहत काम कर रहे हैं....

(व्यवधान)

नहीं, नहीं-मुझे मालूम है जन संख्या।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय फर्मा रहे है इसलिये मैं जोधपुर के ही आंकड़े लेता हूं 92,757....

(व्यवधान)

1981 में 8177 और जोधपुर में ओनली 998....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वहां आदमी थोड़े होंगे।

श्री चन्द्रवीर सिंह : ये फर्जी आंकड़े हैं। इतने लोग अकाल राहत कार्य के तहत नहीं लगे। वहां पर भयंकर घोटाला हुआ है, फर्जी मस्टर रोल बनाये गये हैं और सरकारी कर्मचारियों ने पैसे खाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य भी ताईद करेंगे, मुझे विश्वास है। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत में जो मजदूरों को मजदूरी मिली है किसी को 80 पैसे, किसी को एक रुपया, किसी को दो रुपया। जब आपके नियम है कि 7) रु० प्रति व्यक्ति अकाल राहत कार्य में मजदूरी देंगे तो मैं निवेदन करूंगा, यह कम मजदूरी मिलने का क्या कारण है। मैं आपसे अनु-

(144)

(श्री चन्द्रबीर सिंह)

रोध करना चाहता हूं कि ग्राप इसका स्पष्टीकरण करें।

एक माननीय सदस्य : मेंजरमेंट से देते हैं।

श्री चन्द्रबीर सिंह : मालूम है मुझे, मेजरमेंट से देते हैं लेकिन 80 पैसा ग्रौर एक रुपया तो मिनिमम फिर भी है। क्या ग्रापके बाड़मेर में ऐसा नहीं हुग्रा है? उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा भारी घोटाला है। सी.बी.ग्राई. मामले को सीज करके ग्राई है। 80 लाख का घोटाला हो चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले में इस वर्ष में घास की कोई व्यवस्था नहीं है। 2,4,5 डिपो खोल दिये ग्रौर सरपंच से कह दिया यहां से घास उठायें। ग्रगर ग्रापको जरूरत है तो जाकर बेचिये। पांच हजार की हम ग्रापको धनराशि बिना ब्याज देते है लेकिन ट्रान्सपोर्टेशन ग्रापको करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, नतीजा यह हुग्रा जो घास सस्ती दर पर उपलब्ध होनी चाहिये थी वह पंचायतों ने 70) रु० क्विन्टल, 80) रु० क्विन्टल में बेची। पांच वर्ष कन्टीनुग्रस ग्रकाल से जूझती जनता क्या खरीद के लिये सक्षम थी?

जहां जिलाधीश महोदय को जगह पसन्द ग्राई वहां सैन्टर खोल दिया ग्रौर जहां पसन्द नहीं ग्राई ग्रौर जन प्रतिनिधियों ने कहा, यहां खोलिये तो उन्होंने कह दिया कि हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, ट्यूब वैल्स से पानी सप्लाई होता है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। काफी संख्या में गायें उनका पानी पी सकती हैं लेकिन उन ट्यूब वैल्स की कोई सुचारु व्यवस्था नहीं है। ग्रापने विद्युत सप्लाई में कट कर दिया। तब, माननीय मंत्री महोदय, हमें खुशी हुई थी कि कम ट्यूब वैल तो चलेंगे। विद्युतीकरण में ऐसा हुग्रा, एक तो वैसे ही बिजली खराब होती रहती है दूसरे जो इलेक्ट्रिक पोल लगाये हैं वे ऐसे हैं कि ग्रांधी ग्राती है तो गिर जाते हैं। 4-5 दिन तक पानी की सप्लाई नहीं होती है। नतीजा यह है कि 30 हजार मवेशी जो एकत्रित होते हैं वे पानी के ग्रभाव में प्यासे मरते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वाटर टैंकर के बारे में माननीय मंत्री महोदय कहते है कि जैसलमेर को हमने सबसे ज्यादा ग्रलाट किये हैं। मैं उनका बहुत शुक्र गुजार हूं कि इस मामले में तो कम से कम जैसलमेर को ग्रागे लाये। ग्रब माननीय मंत्री महोदय कहते हैं 64 टैंकर दे रखे है। मैं मानता हूं सबसे ज्यादा हैं लेकिन उन टैंकरों में से सही कितने हैं। जनरेटिंग सैट्स का जैसलमेर में कब्रिस्तान बना दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा एक ग्रौर मसला है, जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी ग्राई है वहां वहां पर जो जनरेटिंग सैट्स थे वे सब जल चुके हैं। हमें यह कहा गया था कि ग्रापके यहां चम्बल ग्रौर भाखड़ा से बिजली नहीं भी ग्रायेगी तो हम इन

(श्री चन्द्रबीर सिंह)

जनरेटिंग सेंट्स से पावर जनरेट करके देंगे लेकिन आज एक भी उनमें से सक्षम नहीं है। इस तरह से तो आप 64 क्या 200 टैंकर अलाट कर दीजिये लेकिन उनमें से 20 भी नहीं चले तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ी विडम्बना होगी। उपाध्यक्ष महोदय, 64 टैंकर वहां पर हैं किन्तु उनमें से 10-25 टैंकर ही हमेशा चलते हैं आधे टैंकर तो खराब हैं। फिर यह कहते हैं कि सबसे ज्यादा टैंकर दे रखे हैं। मैं कहता हूं इस तरह से तो 200-300 टैंकर और देकर उनका भी हमारे यहां कब्रिस्तान बनवा दें। लोगों को समय पर जल उपलब्ध कराया जा सके, इसकी कोई समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और भयंकर समस्या है। जैसलमेर शहर में पशुधन की मात्रा काफी है। आसपास का ऐसा एरिया है कि एक तरफ तो एयरफोर्स ने तारबन्दी कर दी, एक तरफ बी.एस.एफ. ने तारबन्दी कर दी, एक तरफ पुलिस लाइन बन गयी, एक तरफ आर्मी का बड़ा भारी एरिया बन रहा है और एक साइड और है, उपाध्यक्ष महोदय, उसे भी आर्मी लेने जा रही है। अब हमारे मवेशी कहां चरेंगे ? अकाल के समय जैसलमेर शहर में यह हालत हो गयी कि मवेशी को खाने के लिए घास नहीं, दाना नहीं और पीने के लिए पानी नहीं। पानी की व्यवस्था के लिए आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने वहां धरना दिया। क्या कारण है, उपाध्यक्ष महोदय....

एक माननीय सदस्य : सक्षम हैं।

श्री चन्द्रबीर सिंह : जी, क्या फर्माया। उपाध्यक्ष महोदय, सक्षम सारे अधिकारी हैं। आपके एडमिनिस्ट्रेशन पर आपके अधिकारी, जिलाधिकारी इतने हावी हो गये हैं कि जनप्रतिनिधियों की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। यही कारण था कि आपके अध्यक्ष को वहां धरने पर बैठना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष फिर भीषण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आपने जो यह आंकड़े दिये हैं, इनको मैं इसलिए सही नहीं मानूंगा, मन्त्री महोदय, क्योंकि जैसलमेर में पानी को मेजर करने के इंस्ट्रूमेन्ट सिर्फ 3-4 जगह हैं। 16 हजार वर्ग मील में 3 जगह के आंकड़े बरसात के देते हैं। खैर, इनके आंकड़े में भी माइनस 12 पर्सेन्ट बरसात हुई है जैसलमेर में। बाजरे का हाल तो यह है कि एक खेत में बाजरे का एक दाना मिल जायेगा तो मैं सोचूंगा, बड़ी भारी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि गिरदावरी अक्टूबर में होती है। तो जब फसल ही नहीं हुई तो किस चीज की गिरदावरी करा रहे हैं आप ? क्या आवश्यकता है ? दीजिए, बाड़मेर की रिपोर्ट। इन दोनो इलाकों में, मैं कह सकता हूं, अगर आपने तुरन्त फेमिन वर्क चालू नहीं कराये, व्यवस्था नहीं करायी तो भारी मात्रा में पशुधन ही नहीं आदमी भी मरेंगे और उसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा। इतना ही कह कर मैं निवेदन करता हूं कि मन्त्री महोदय इस ओर सावधान रहें।

Page No 146

श्री उपाध्यक्ष : महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी(नागौर): उपाध्यक्ष महोदय, अकाल और बाढ़ की भयंकरता की बात को तो सभी जानते हैं....

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : नाम की जरूरत नहीं है, आपकी दृष्टि पड़नी चाहिए।

श्री चन्दनमल बैद : आपकी दृष्टि पड़ गयी तो बचोगे ही नहीं।

श्री रामसिंह विश्नोई : लेकिन कोप दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं। टाइम नहीं लेंगे मेरा।

श्री उपाध्यक्ष : चलिये।

श्री महाराम चौधरी : बाढ़ और अकाल की भयंकरता को देखते हुए सरकार ने उसके उपचार के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सीमित साधनों से जो भी व्यवस्था की, उस के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वह इतनी मात्रा में नहीं थी कि लोगों को राहत मिले। जो कार्य कराये वह एजेन्सियों ने सुचारु रूप से नहीं चलाये। आप देखेंगे कि सड़कों की स्वीकृति समय पर नहीं भेजी और आखरी दिनों में भेजी तो जो थोड़ा बहुत पैसा लगा उसकी भी कोई उपयोगिता नहीं रही। वहां साइड मार्ग बनाकर हमारे मार्गों को भी अवरूद्ध कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्यों के जो हमारे सीमित साधन हैं उनका भी उपयोग ठीक ढंग से हम नहीं कर सकते हैं तो लोगों को राहत अकाल नहीं मिलती है। अकाल मन्त्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों या जिलों में की घोषणा अकालकी भयंकरता को ध्यान में रख कर की जाय। उसमें भयंकर अकाल-ग्रस्त गांवों को प्राथमिकता को दी जाय। यह परम्परा है कि जिन जिलों में अकाल-ग्रस्त लोग जाकर अपना पेट पालते हैं उन सभी गांवों को अगर एक साथ अकाल में ले लेंगे तो वास्तविक अकालग्रस्त लोग राहत से महरूम रह जायेंगे और उनके साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अकालग्रस्त गांवों या जिलों की घोषणा करने से पहले गिरदावरों को नहीं भेजा जाय। गिरदावर क्या करते हैं, यह सब जानते हैं। राज्य सरकार की मन्शा के अनुसार पटवारी को आदेश दिये जाते हैं कि इस इस गांव की इस तरह से गिरदावरी करके गैरअकालग्रस्त घोषित कर देना है। अध्यक्ष महोदय, फेमिन कोड के आधार पर जिन गांवों को अकालग्रस्त घोषित करते हैं, वह फेमिन कोड बहुत पुराना है। जब तक तक उसमें आज के जमाने के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से तब्दीली नहीं करेंगे तब तक अकालग्रस्त गांवों का

(श्री महाराम चौधरी)

सही चयन नहीं हो सकता है और सही काम नहीं हो सकता है....

(4. 47. म. प.)

(श्रीमती विद्यापाठक, सभापति, पदासीन)

और फिर वहां अकाल राहत कार्यो की सुविधा किस तरह से प्राप्त हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं पश्चिमी राजस्थान के जिलों की बात करूंगा। इन जिलों में हमेशा ही किसी क्षेत्र में अकाल पड़ता रहता है। अब लगातार 4 साल अकाल पड़ते हो गये और यह पांचवां साल है। अब परिस्थितियां ऐसी हो गयी हैं कि इससे निपटने के लिए यदि सरकार योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही न करके कच्चे काम करके उनकी उपयोगिता सिद्ध करना चाहती है तो सफल नहीं हो सकती। मेरा सरकार से निवेदन है कि राजस्थान कैनाल को कई वर्षों से लिए बैठे हैं। इस अनुभव से हमें जान लेना चाहिए कि नौकरशाही से राजस्थान नहर का काम कतई सम्पूर्ण नहीं हो सकता। इनके भरोसे रहने से न तो पश्चिमी राजस्थान को पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा और न आगे पर्याप्त उपलब्धि होगी, इस लिए जिन जिलों में यह कहत साली है उन जिलों की पंचायतों को यह काम सुपुर्द कर दिया जाय...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैंने तो अभी अपनी बात शुरू ही नहीं की।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में अपनी बात शीघ्र समाप्त करें।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, अकाल में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिन एजेन्सियों के जरिये काम कराये जा रहे हैं, मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि पिछले साल अधिकारियों के भरोसे जो काम कराये गये हैं, उनकी जांच करनी चाहिए जिससे यह पता चले कि यह गलती रही है और अगले साल कराये जाने वाले काम सुचारु रूप से हो सकें। सभापति महोदय, जिन एजेन्सियों ने काम किये हैं, उनमें अधिकारियों ने प्राथमिकता को ध्यान में कतई नहीं रखा है। हमारे यहां सबसे भयंकर समस्या पीने के पानी की है। अकालग्रस्त, समस्याग्रस्त और अभावग्रस्त गांवों को मद्दे नजर रखते हुए अधिकारी पीने के पानी की समस्या को प्राथमिकता देकर योजना बनाते तो काफी गांवों में पीने के पानी की और पिलाई को व्यवस्था टैंकरों से करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अधिकारियों ने इस तरफ कतई ध्यान नहीं दिया। बहुत से लोगों को पीने के पानी की परेशानी उठानी पड़ी। सभापति महोदय, इसी तरह से अगर प्राथमिकता रखी जाती....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री महाराम चौधरी : जिन गांवों में बिजली पहुंच गयी है....

(4-50 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : वहां कुओं को विद्युतीकृत कर देते तो शायद गांवों में न तो पिवाई देनी पड़ती और न टैंकर से पानी पहुचाना पड़ता लेकिन प्राथमिकता की शुरू से ही अवहेलना की गयी है। इन बातों पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्यों में....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप तो आते ही, साहब, घण्टी बजाने लगे। नजर थोड़ी ठण्डी रखें।

इसी तरह से....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत टाइम ले लिया।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जिन गांवों के अन्दर लगातार तीन-चार सालों से कहतसाली पड़ती आ रही है फिर भी सरकार न तो उनको पानी उपलब्ध करा सकी है, न पशुओं के लिए चारे की समुचित व्यवस्था कर सकी है। विशेष तौर पर मैं तो यह कहूंगा कि इस साल की पहली बरसात तो ठीक हो गई थी ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री महाराम चौधरी : अगर सरकार सतर्क रहती, समय पर उनको बीज खाद, कोई आर्थिक सहायता देती। वह तो दूर रहा, यहां तक कि उनका खुद का तो बीज खत्म हो चुका था, गये सालों में कहतसाली होने से उनके यहां और बीज तो हो नहीं सका लेकिन बीज की कोई व्यवस्था भी नहीं हो सकी। जो थोड़ा-बहुत बीज उपलब्ध भी हुआ वह बीज उपज नहीं सका। उपाध्यक्ष महोदय, कहतसाली वाले गांवों की ऐसी हालत हुई है। इन चीजों की बरसात होने से पहले तैयारी रखनी चाहिये थी। अब जो काम कराये जावें, उनमें पक्के कामों की तरफ विशेष ध्यान दिया जावे। हाल ही गिरदावरी जल्दी से जल्दी करवा कर जिन गांवों में अकाल की समस्या बनी हुई है उनमें तुरन्त काम शुरू किया जावे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दोनों एप्रोप्रियेशन बिल पास हों तब तक के लिए बढ़ा दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से जब तक दोनों अनुपूरक अनुदानों के एप्रोप्रियेशन बिल पास नहीं होते तब तक के लिये समय बढ़ाया जाता है।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : अनुमति लीजिए सदन से।

श्री उपाध्यक्ष : अनुमति ले ली सदन से।

श्री यदुनाथसिंह : हमें आप पर विश्वास है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री त्रिलोकसिंह।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 एवं अतिरिक्त अनुदान की मांग संख्या 21 पर विचार

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की हालत के बारे में आये साल हम एक दस्तूर यहां अदा करते हैं, राजस्थान में अकाल है, राजस्थान में बाढ़ है। यह क्या है? यह कांग्रेस की हकूमत की दुकान है जिसके जरिये से वे मुल्क की दौलत को लूट कर खा जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 35 साल के अर्से में राजस्थान की क्या हालत हुई, कोई तब्दीलियां आयी। हमारा प्रदेश सूखा है, हमारा इन्सान पानी के बिना तड़फ रहा है। लुहारू से लेकर पाकिस्तान तक लाखों लोग, जिनको पीने का पानी नहीं मिलता....

सूचना

लापता चार हरिजन महिलाएं

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं।

श्री त्रिलोकसिंह : अभी जो....

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना दे रहा हूं कि अभी जो हरिजनों का जुलूस यहां पर आया था....

(व्यवधान)

सदन के बाहर हरिजनों का जुलूस आया था, पुलिस निर्ममतापूर्वक उस पर लाठी चार्ज कर रही है। लाठी चार्ज यहां पर ही नहीं हुआ बल्कि दूर-दूर तक गलियों में महिलाओं के मारने के लिए पुलिस पीछे दौड़ती चली जा रही है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं और आपके माध्यम से सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि पददलितों की वकालत करने वाली सरकार कम से कम ऐसे हरिजनों, जिनका कि मूलभूत अहिंसात्मक सत्याग्रह चल रहा है, अहिंसा-

(150)

(व्यवधान)

त्मक आन्दोलन चल रहा है, पर हो रहे लाठी चार्ज को रुकवाने की कार्यवाही करे। मैं आपसे पुरजोर शब्दों में पुनः निवेदन करता हूं कि लाठी चार्ज को तुरन्त बन्द करवायें और पुलिस को वापस बुलायें। पुलिस गलियों में भाग रही हैं। महिलाएं आगे-आगे भाग रही है और पीछे-पीछे पुलिस भागती हुई चली जा रही है। आपसे मेरा निवेदन है कि तुरन्त लाठी चार्ज को रुकवाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्री त्रिलोकसिंह : मैं तो अभी बोल ही रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Sorry.

श्री दाऊदयाल जोशी : आप इसकी जांच करवा लीजिए, उपाध्यक्ष महोदय। यह मेरी आंखों से देखी हुई बात है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों पर लाठी चार्ज हो रहा है और हम चुपचाप बैठे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह बिलकुल सही है। नीचे धारा 144 नहीं लगी हुई है। धारा 144 नहीं लगी हुई है फिर भी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह कोई आकेजन नहीं बोलने का।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आकेजन कैसे नहीं है। महिलाओं पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। गरीबों को मारा जा रहा है ...

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : हरिजनों पर पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, नीचे लाठी चार्ज हो रहा है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है....

(व्यवधान)

बैठ जाइये, माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा :XXX

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

(व्यवधान)

बैठ जाइये। आप बिराज जाइये, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है....

XXX माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान)

प्लीज, माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण कीजिए। नियमों में प्रावधान है उसके अनुसार कार्यवाही करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों पर लाठी चार्ज हो रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दे सकता इस तरह से। मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री त्रिलोकसिंह ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : एक सूचना माननीय सदस्य ने दी है, आप कृपया उनसे नहीं कहें ट्रेजरी बेंचेज बता तो दें कि क्या बात है। थोड़ी देर में बता दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं पर लाठी चार्ज हो रहा है, पुरुषों पर तो हो लेकिन महिलाओं पर लाठी चार्ज हो रहा है।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : ये हमेशा सदन का समय खराब करते है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री शिवचरण माथुर

मुख्य मन्त्री का इस्तीफा

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन को गुमराह किया। इन्होंने यहां पर आ करके इन्फार्मेशन दी कि उन्होंने एक बजे के रेडियो पर यह सुना कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : इन्होंने ही नहीं सुना, आपने भी सुना है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ने इस्तीफा दे दिया है। यह बात बिलकुल गलत है। इन्होंने सदन को गुमराह किया है। हमने इसके बारे में रेडियो वालों से भी मालूम कर लिया। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई खबर न्यूज बुलेटिन में नहीं दी गई। जिस आधार पर इन्होंने यह सूचना यहां दी है वह बिलकुल गलत है। इस प्रकार की बात माननीय सदस्य को हाउस में कभी नहीं कहनी चाहिये। हमारे मुख्य मन्त्रीजी वे हैं, वे हमारे नेता हैं और सदन के नेता हैं।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय,

152

(श्री देवीसिंह भाटी)

(व्यवधान)

मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं डेढ़ बजे की न्यूज सुन कर आया हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने जो सूचना दी है उसके बारे में तो आप बता दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैंने जो सूचना दी है कि हरिजनों को पुलिस मार रही है उसके बारे में भी तो बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मैंने जो सूचना दी थी उसके बारे में भी बता दें कि पुलिस मार रही है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं नाम से पुकारूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : मुझे स्पष्टीकरण देना है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आपने क्या ऐसी बात कही है। अगर कही है....

श्री देवीसिंह भाटी : यह नहीं कहा था। मैं अब नाम ले देना चाहता हूं कि शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने स्वयं मुझसे कहा कि शिवचरणजी माथुर ने इस्तीफा दे दिया है। यह एक बजे की रेडियो न्यूज में आया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैंने कतई गलत सूचना नहीं दी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह मैंने कहा है?

श्री देवीसिंह भाटी : हां, आपने कहा है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अगर ऐसी सूचना दी गई है तो यह बड़ी अफसोसनाक बात है। सदन को गुमराह नहीं करना चाहिये था।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : सदन में कुछ भी कह देते हैं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ट्रेजरी बैंचेज के मुख्य सचेतक महोदय नेXXX शब्द का प्रयोग किया। आप सदन की कार्यवाही में से निकलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : निकाल दीजिये इसXXX शब्द को।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : राजस्थान में भयंकर अकाल है। लगातार तीन साल से अकाल है। लोग अकाल से बेहाल हैं। हमारे खेत बिलकुल सूखे रहते हैं और अकाल पड़ता रहता है। लोगों को रोजी-रोटी नहीं मिलती, पीने का पानी नहीं मिलता, यह हमारी स्थिति है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डिस्टर्ब मत कीजिए। माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : आप कार्यवाही देखेंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री खेतसिंह राठोड़ : आपको शर्म आनी चाहिए। आपने किस बेसिस पर यह बात कही।

श्री देवीसिंह भाटी : आपके कहने के आधार पर।

श्री खेतसिंह राठोड़ : मेरी तुम्हारी कभी बात ही नहीं हुई।

श्री देवीसिंह भाटी : आप मुंह सम्भाल कर बात करें।

श्री खेतसिंह राठोड़ : जुबान सम्भाल कर बात कर।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : बोलने का तरीका नहीं है।

श्री खेतसिंह राठोड़ : आजा इधर।

श्री देवीसिंह भाटी : आ।

श्री खेतसिंह राठोड़ : निकल बाहर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठोड़ : तमाशा करने वाला बड़ा आया है।

श्री देवीसिंह भाटी : आकर देख।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय देवीसिंहजी। माननीय देवीसिंह, सदन से बाहर चले जाइये। चले जाइये आप।

(व्यवधान)

बहुत गलत तरीका है, आपका। जूता दिखाना बहुत गलत तरीका है।

एक माननीय सदस्य : सदन से बाहर निकाला जाये।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपा०

(एक माननीय सदस्य)

ध्यक्ष महोदय, यह कैसे कह दिया उन्होंने XXX

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माफी मांगें सदन से, XXX जैसे शब्द कहे....

श्री उपाध्यक्ष : वह निकाल दिया है मैंने। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : पहले खेतसिंहजी को बाहर निकाले आप। खेतसिंहजी ने XXX शब्द का प्रयोग किया है।

एक माननीय सदस्य : वह माफी मांगें इस बात की।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा): +++

(व्यवधान)

श्री कमलेन्द्रसिंह (वल्लभनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। जिन शब्दों को श्री खेतसिंहजी ने कहा है....

श्री उपाध्यक्ष : वह शब्द निकाल दिया गया।

श्री कमलेन्द्रसिंह। रिकार्ड पर रहने देना चाहिए ताकि पिछले और आने वाले सब देख सकें कि यह कैसे शब्द काम में लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये। त्रिलोक सिंह।

श्री खेतराम मीणा (राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण) : माननीय सचेतक महोदय को इन्होंने एक पैर का जूता उठा कर के दिखाया है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने उसकी भर्त्सना की है। That I have condemned.

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य ने पैर दिखाया है और पैर में जूता था।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : औरXXX क्या करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री त्रिलोकसिंह।

(व्यवधान)

XXXशब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

+++माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान)

आप इसको सपोर्ट करते हैं। माननीय सदस्य, यह अच्छी बात है ?

श्री त्रिलोकसिंह।

एक माननीय सदस्य : इनको बाहर निकाला जाये। सदन में कभी ऐसा नहीं हुआ।

एक माननीय सदस्य : उत्तेजित किसने किया, इस पर विचार करना पड़ेगा।

श्री शिवराम शर्मा (बनी पार्क) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गलत परम्परा डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय त्रिलोकसिंह। आर्डर प्लीज।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 व अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 21 पर विचार

श्री त्रिलोकसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के बारे में मुझे यहां पर सदन से बहस करनी है। राजस्थान अकाल का घर है और मेरा यह कहना है जब तक कांग्रेस की हकूमत रहेगी तब तक अकाल का राजस्थान में राज रहेगा। जब तक यह कांग्रेसी हकूमत रहेगी तब तक राजस्थान में अकाल बरकरार रहेगा। आज 35 साल का इतिहास बता रहा है, अकाल क्या है। इस कांग्रेसी हकूमत की दुकान है। आज लाखों रुपया 35 साल में कांग्रेस के मिनिस्टर, कांग्रेस के लीडर अकाल के नाम पर खा गये। गांवों में एक पैसा नहीं दिया जाता है। यह मेरे कहने की बात नहीं है, यह सदन के हर मैम्बर की बात है। बाड़मेर, जैसलमेर को ले लीजिए, कांग्रेस के सदस्यों ने बार बार भाषण किया है, वहां के हालात काफी खराब हैं। न आदमी की रोटी का जुगाड़ है न मवेशी के लिए चारे का जुगाड़ है। यह हालत बीकानेर, जोधपुर और चूरू की है और नागौर की हालत भी यही है। मेरे जिले में 840 गांव हैं। सीकर जिले में 840 गांव हैं वहां गत साल भयंकर अकाल था। मैं दावे से कहता हूं एक आदमी को काम नहीं दिया गया। वित्त मन्त्री सीकर गये थे तब मैंने एक शिकायत दर्ज करायी थी कि एक बड़ा अधिकारी है जांब खां है जो तहसील में नहीं है, माननीय परसराम मोर्दिया की तहसील में है, उसने बड़ी लूट मचायी है। 300 हरिजनों को तो महीने भर का एक भी पैसा नहीं दिया गया है। यह सरकार क्या है, यह डकैत है। उन गरीब लोगों के भूखे पेट को काटने वाली डकैत है। मेरे जिले में 840 गांव में से 640 गांवों में अकाल की भयंकर हालत है। मैं दावे से कहता हूं, मेरे इलाके में ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां इन्सान पानी नहीं पी सकता है। मेरी तहसील फतेहपुर, जो सीकर जिले की है, के एक किसान चौधरी पीटूराम ने 16 दिन तक क्लेक्टोरेट के सामने भूख हड़ताल की। वह राज नहीं मांगता,

156

(श्री त्रिलोकसिंह)

था, वह बगावत नहीं करता था, वह कहता था पीने को पानी दें। 16 दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद भी उस गांव को एक छटांक पानी नहीं दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, यह करोड़ों अरबों रुपया पानी के नाम से कहां खर्च हो रहा है? जब कोई सरकार आती है तो यह कहती है गांवों को पानी देंगे। वह पानी किसको दिया, मैं पूछना चाहता हूं। मेरी तहसील में 114 गांव हैं, 114 गांवों में से एक गांव में भी 35 साल के अर्से में पानी की व्यवस्था नहीं हुई। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या हम पाकिस्तान में रहते हैं? यह सरकार गांवों से टैक्स लेती है किन्तु गांवों में स्कूल नहीं हैं। कल यह जिक्र हो रहा था कि गांवों में स्कूल नहीं खोलेंगे, तहसील हैड क्वार्टर पर खोलेंगे। गांवों में किसान बसता है अगर सरकार वहां स्कूल नहीं खोलेगी तो फिर कौन खोलेगा? अरे, दुनियां में दुनियां की जनवादी सरकारों ने अपने मुल्क का नक्शा सब चेंज कर दिया। अकाल को हमेशा के लिये झकझोर दिया। रशिया की गवर्नमेंट ने आबू दरिया को पकड़ कर चार हजार माइल गोजगा दरिया से मिला सकती है, चाइना की सरकार दुनिया की खूंखारवादी सरकार है, वह खेतों में पानी लेजा सकती है पर हमारी नालायक सरकार हमारे खेतों को पानी नहीं देती है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : वैस्ट बंगाल में क्या हो रहा है?

श्री त्रिलोकसिंह : बंगाल की बात छोड़ दीजिये। आप लोग नहीं देने देते पानी। दिल्ली में आप बैठे हो। तानाशाही बैठी है, आपकी तानाशाह देवी बैठी है जो कुछ भी नहीं करने देती है। बिहार में प्रेस के लिये एक्ट बना सकते हो, प्रेस का गला घोट सकते हो, मजदूरों के लिए एक्ट बना सकते हो पर खेत में पानी नहीं देना चाहते। मैं पूछना चाहता हूं, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, जो करोड़ों इन्सानों को तबाह कर सकती हैं का क्या पानी राजस्थान में नहीं दिया जा सकता? अगर नहीं दिया जा सकता तो यह सरकार खावड़ो तोड़ो की है। वह जमाना दूर नहीं जब यहां जनता की सरकार आयेगी और इस सरकार को लोग खतम कर देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसका कमर कस कर मुकाबला किया जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं जब हरियाणा में गंगा यमुना का पानी आ सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं आ सकता है? यह सरकार नालायक और निकम्मी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोलने दें साहब।

श्री त्रिलोकसिंह : क्या वजह है कि गंगा और यमुना का पानी लुहारू में, भिवानी में हरियाणा ला सकता है तो आप राजस्थान के चूरू, सीकर, नागौर, जोधपुर

(श्री त्रिलोकसिंह)

ग्रोर बाड़मेर में नहीं ला सकते हैं, जैसलमेर को नहीं दे सकते हैं ?

ग्ररे, दिल्ली में ग्राप समर्थ लोग बैठे हैं, दिल्ली में ग्रापकी तानाशाह देवी बैठी है वह यह काम नहीं करने देती। ग्राप घुटने टेकते हो, ग्रापकी सरकार घुटने टेकती है, भीख मांगने को झोली पसार कर, एक नहीं हजारों बार। मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि गंगा ग्रोर यमुना का पानी सीकर, झुन्झुनू, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर ग्रोर बाड़मेर को दो, लाखों करोड़ों लोगों का उत्थान होगा। ग्ररे, यह सरकार भी डूबने से बचेगी। यह पानी क्यों नहीं देना चाहते ? मैं सरकार पर इल्जाम लगाता हूं, यह किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार में वे लोग बैठे हैं जिनका करेक्टर एन्टी पीपुल, एंटी किसान, एंटी प्रोलिटेरियट है। मैं इल्जाम लगाता हूं यह सरकार किसानों की दुश्मन है, राजस्थान प्रदेश की दुश्मन है। हमारा पानी पंजाब को बेच कर खा गये, इनको शर्म से डूब जाना चाहिये। हमारा पानी दिल्ली ग्रोर हरियाणा रोक सकते हैं, पंजाब ले ले ग्रोर गंगानगर की राइस ग्रोर कपास की फसल बर्बाद कर सकते है किन्तु सरकार यहां बैठी रहती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइये।

श्री त्रिलोकसिंह : मुझे बोलने दीजिये। यह राजस्थान की जिन्दगी का सवाल है, राजस्थान को पानी देने का सवाल है, हमारी खेती को पानी देने का सवाल है।

एक माननीय सदस्य : वैस्ट बंगाल की सरकार ग्रादमखोर है।

श्री त्रिलोकसिंह : इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं, बिलकुल ग्रादमखोर सरकार है। ग्ररे, हरियाणा की सरकार गंगा, यमुना का पानी ले सकती है फिर क्या वजह है कि हमारी सरकार पानी नहीं ले सकती ? इससे साफ जाहिर है कि इनका करेक्टर सामंती, ग्रादमखोर, ग्रवाम का दुश्मन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा निवेदन सुनिये, ग्राप बैठ जाइये। समाप्त कीजिये ग्राप।

श्री त्रिलोकसिंह : जब हम किसानों के बारे में, राजस्थान के बारे में बोलते हैं तो कोई मेहरबानी से नहीं बोलते हैं, मुझे राजस्थान के किसानों ने इसीलिये भेजा है। ग्रापका दोष नहीं है भाटी साहब, यह तो ग्रापके करेक्टर का दोष बोलता है, ग्रापने जिन्दगी भर किसानों का खून पिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्राप मेरा निवेदन सुनिये, कृपया बैठ जाइये। You have said enough.

श्री त्रिलोकसिंह : इसीलिये मेरा सदन को सुझाव है कि गंगा, यमुना ब्रह्मपुत्र का

(158)

(श्री त्रिलोकसिंह)

पानी लावें, राजस्थान को पानी दें नहीं तो नाकाबिले बर्दाश्त होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल इस प्रान्त में कोई नई बात नहीं है। मैं ज्यादा कहना भी नहीं चाहता क्योंकि अकाल के विषय में कई बार चर्चा हो चुकी है और आज भी काफी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। मैं सबसे पहले तो यह बात निवेदन करना चाहूंगा, अकाल के बारे में कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि अकाल में सरकार ने कहीं परवाह नहीं की और लोग तंग हुए। मेरे ख्याल से सरकार ने जितना भी इन्तजाम किया वह माकूल इन्तजाम किया और अकाल की वजह से एक भी आदमी भूख से नहीं मरा। अकाल की बात हरएक लोग काबलियत से करते हैं मगर अकाल का अड्डा वहां है जिस जगह हम रहते हैं। हमारे जिले में बार बार अकाल पड़ता है। सरकार ने लाखों मजदूरों को लगाया है, हर इन्तजाम भी किये हैं मगर यह बात जरूर है कि सालों-साल लाखों मजदूर लगाने के बावजूद इस साल जो हालत हो रही है उसके बारे में, मन्त्री महोदय, मैं आपको ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता क्योंकि आप खुद चप्पे-चप्पे से वाकिफ हैं।

(5.15 म. प.)

(श्री तकीउद्दीन अहमद, सभापति, पदासीन)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : बताने की जरूरत ही नहीं है तो आप विराज जाइये।

श्री अमीन खां (शिव) : आपको क्यों तकलीफ होती है?

अकाल के बारे में, मन्त्री महोदय, मैं तो समझता हूं, सरकार ने एक गलती की है जिस पर सरकार अब सख्ती से कदम उठावे नहीं तो सरकार की हालत खराब होगी और लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। वह गलती यह है कि हर आदमी महसूस करता है कि लोग सरकार पर ताकत डाल कर, जबर्दस्ती प्रेशर डाल कर जहां अकाल नहीं होता है वहां भी अकाल घोषित करा लेते हैं। इस प्रकार गलत अकाल घोषित होने से सरकार पर ज्यादा वजन पड़ता है और सरकार बार बार तबाह होती है। मैं कहना चाहता हूं, सरकार को उसी जगह अकाल मानना चाहिये जिस जगह जमीन पर एक भी हरा पेड़, पत्ता आंख से देखने को नहीं हो। जमीन पर टीबे ही टीबे हों, घास का निशान नहीं हो, कोई उद्योग नहीं हो, इन्डस्ट्रियल एरिया नहीं हो, जहां 3-4 बार हल चलायें तो भी जमीन सफेद होती जा रही हो, हरियाली का नाम नहीं हो, अकाल वहां होता है। राजस्थान में कई इलाके ऐसे हैं जहां इस प्रकार के हरियाले

(श्री अमीन खां)

पेड़ छाये हुए हैं कि इन्सान एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर नहीं जा सकता, वह इलाके भी अकाल ग्रस्त घोषित हो जाते हैं। इसको हम सरकार की लापरवाही या कमजोरी समझते हैं। बाकी सरकार ने कोई कसर आज तक नहीं रखी, अकाल के नाम पर जैसा कि जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि जैसलमेर जिले के साथ मन्त्री जी ने फेमिन वर्क में न्याय नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसलमेर जिला एक मात्र ऐसा जिला है जिसमें 87 लाख की पी० एच० ई० डी० ने स्कीम पास की है। राजस्थान के किसी जिले में इतनी बड़ी स्कीम पास नहीं की है। हमारे बाड़मेर जिले की 12 लाख की पापूलेशन है वहां भी नहीं की है। 12 लाख आदमी बाड़मेर में हैं वहां 30-35 पानी के टैंकर हैं और जैसलमेर में 64 टैंकर है। मेरा निवेदन है, ढाई लाख के लिये 64 टैंकर नहीं हो सकते 12 लाख के लिये ज्यादा टैंकर देने पड़ेंगे। किन्तु फिर भी वे आपको बदनाम करते हैं। आपको इन्साफ से चलना चाहिये, आपको किसी की बात की परवाह नहीं करनी चाहिये। ढाई लाख और 12 लाख के लिये एक ही क्राइटेरिया तो नहीं होना चाहिये। 12 लाख वालों को जो सुविधा मिले वह ढाई लाख वालों को नहीं मिलनी चाहिये। हम कहते हैं हिसाब से, चाहे पांच पैसे भी मिलते हैं, वह जायज हैं, इन्साफ है। मन्त्री महोदय, अब पांचवां अकाल सीमावर्ती इलाके में छा गया, बरसात का टाइम भी खतम होने वाला है और बरसात की कोई उम्मीद भी नहीं है, यह मैं मेरे विवेक से महसूस करता हूं। पिछले साल भी बाड़मेर के सारे विधायकों ने और सांसद ने मुख्य मन्त्री जी को और पार्टी मीटिंग में भी निवेदन किया था कि बाड़मेर में मीलों तक पानी का जरिया नहीं है। आप वहां मजदूर लगाएंगे तो कम से कम एक लाख मजदूर लगाने पड़ेंगे। मशीनरी को कन्ट्रोल करने में भी कई दिक्कतें आती हैं। एक रुपया गरीब आदमी को सही रूप से देने के पीछे सरकार को 10 रुपये मजदूरन खर्च करने पड़ते हैं। इसलिये हमारा सुझाव था, अब भी सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को बदनामी से बचाना है और लोगों को सन्तुष्ट रखना है, तो चाहे आप और किसी ढंग से पैसा न दे सकें, तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति लोन के हिसाब से दे दो और जमाना आने पर वसूली कर लो। जमाने तक बिना ब्याज रहे और जमाने के बाद कोई आदमी अदा नहीं करता है तो उससे आप ब्याज भी वसूल कर लो। इस साल भी बाड़मेर जिले में 10–12 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। हमने जो सुझाव दिये थे उस हिसाब से पैसा देते तो 7–8 करोड़ रुपये ही खर्च होते और बदनामी से भी बचा जा सकता था। अब भी कई लोग कहते हैं कि अकाल में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। एक ओवरसियर की केपेसिटी 500 लेबर संभालने की होती है। जब अचानक राहत कार्य खोल दिये जाते हैं, हुक्म हो जाता है, हम भी कहते हैं, जिला प्रशासन भी कहता है कि कोई बिना रोजगार के न रह जाये उस स्थिति में उसके

(160)

(श्री ग्रमीन खां)

पास पांच हजार लेबर लग जाती है जिसको सम्भालना उस ग्रोवरसियर के बश की बात नहीं होती । सही टाइम पर वह नहीं सम्भाल सकता है इस कारण से घोटाला हो जाता है । ग्रन्त में उसकी चैकिंग होती है । कोई बेगुनाह सरकारी नौकर मारा जाता है तो वह नहीं मारा जाना चाहियें, सरकार बदनाम होती है वह भी नहीं होनी चाहिये । फेमिन के टाइम पर गाड़ियां नहीं मिलती हैं, साधन नहीं मिलते हैं ग्रौर लेबर को सम्भालने के लिये मशीनरी भी नहीं होती है, इस कारण घोटाला हो जाता है ग्रौर लोगों को सही टाइम पर पैसा नहीं मिलता है । इसलिये हमारा निवेदन है कि बहुत से काम होते हैं, सड़कों के काम होते हैं हम राहत के नाम पर धन, पैसा चाहते हैं । हमारे इलाकों में जो मगरे हैं ग्रौर मारवाड़ में जो तालाब हैं, गोचर भूमि है, जहां 6 से 12 महीने तक तालाब में पानी ठहरता है, उस तालाब की ग्राप योजना बनावें ग्रौर उसको सिंचाई विभाग से पूर्ण करावें । जो ग्रापके प्लान के ग्रन्दर ग्रधूरी सड़कें हैं उनको ग्राप फेमिन में शुरू करावें । इसके ग्रलावा ग्राप कोई सब्सिडी न दें, लोन दें । राजस्थान कैनाल पर लेबर का इन्त-जाम करें तो ग्रापकी बदनामी नहीं होगी ग्रौर गवर्नमेन्ट का पैसा भी हम कम खर्च करेंगे । मन्त्री महोदय, मैं सुझाव देने की जरूरत नहीं समझता हूं क्योंकि हमारे इलाके के चप्पे-चप्पे से ग्राप वाकिफ हैं ग्रौर ग्राप ज्यादा सोच सकते हैं । हमारा इतना ही कहना है कि ग्राप ग्रभी से एक प्लान बना लें, जैसे; कितने पशुग्रों को मध्य प्रदेश भेजा जायेगा, राजस्थान के फारेस्ट में कितने भेजे जायेंगे, कहां कहां पशुग्रों को भेजना है । यह प्लान ग्राप ग्रभी से तैयार कर लें क्योंकि ऐन वक्त पर न तो ग्राप जगह बता सकेंगे ग्रौर न पशुपालकों को रास्ता मिलेगा, तो पशु मर जायेंगे ग्रौर व्यवस्था ग्रस्त-व्यस्त हो जाएगी जिससे लोगों में ग्रसन्तोष होगा । मेरा ग्रापसे निवेदन है कि फेमिन में पशुग्रों के लिये चारा ग्रगर ट्रान्सपोर्टेशन के जरिये पहुंचाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, न समय पर घास पहुंचेगा ग्रौर न ही लोग मवेशी को बचा सकेंगे । राजस्थान के फारेस्ट में जहां जहां घास है वहां पर मवेशी भेज कर बचा सकते हैं । गोदाम के ऊपर जो डिपो लगाने का सुझाव है उससे कोई पशुपालक मवेशी को नहीं बचा सकता है । इक्की-दुक्की दुधारू गाय को तो बचा सकते हैं परन्तु जो टोड़े वाली मवेशी है उसको बाहर भेजने के ग्रलावा कोई इलाज नहीं है । इसलिये ग्रभी से सरकारी ग्रधिकारियों को यह प्लान दे दें कि डेजर्ट इलाके के राजस्थान में कितने पशु रखे जायेंगे, गुजरात में कितने भेजे जायेंगे ग्रौर मध्य प्रदेश में कितने भेजे जायेंगे । वहां की सरकारों से ग्रभी से बात कर लें कि वे कहां कितने कितने मवेशी ले सकती हैं ।

दूसरा, मेरा यह सुझाव है कि परमा-नेन्ट काम हों । तालाबों से ग्राप, मन्त्री महोदय, खुद ही वाकिफ हैं । ग्रभी बिजली वालों की हड़ताल हुई जिसके कारण गडरा रोड की स्कीम दो महीने से बन्द रही ।

(श्री अमीन खां)

हरसाली तालाब और बेतानी तालावों में मई की बरसात में पानी आ गया जिससे 150 गांवों की मवेशी बच सकी और हमारी और आपकी लाज रह गई वरना कोई वचने का सवाल नहीं था। तालाब के कामों को भो आप फेमिन में अवश्य लें क्योंकि आपकी पी. एच. ई. डी. की योजना की पूर्ति यह तालाब कर सकते हैं। जो बड़े-बड़े बांध हैं उनके लिये भी आप योजना बना लें कि फेमिन में उन पर इतना लगायेंगे बाकी राजस्थान कैनाल पर मजदूरों का इन्तजाम करो, लोन का इन्तजाम करो, यह मेरा आप से अनुरोध है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे सुझावों की कद्र करते हुए उनको मानेंगे।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बिहारीलाल।

माननीय सदस्य, आपका भी नम्बर आयेगा।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, इसके बाद मेरा नाम था।

श्री सभापति : आपका भी नम्बर आ जायेगा। बैठिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : मेरी प्रार्थना है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमको अवसर नहीं देते हैं।

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, बहुत देर से अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 21 और 34, रखी गई हैं। इस प्रकार की मांग पहले रखनी चाहिये थी। मैं कोई विरोध की बात नहीं कह रहा हूं।

मुझे बड़ा बुरा लगा। माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो विरोधी पक्ष के सारे सदस्य हंस रहे थे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का राज तीस साल रहा और आज हम को बोलना सिखाया है। हिन्दुस्तान की जो तरक्की हुई है वह इस पार्टी ने की है। ढाई साल राज इनके हाथ में आया इन्होंने क्या किया? हमारी नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो अनाज इकट्ठा किया था उसको इन्होंने लुटाया। आपको सुनना चाहिये। जब आप बोलते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलता हूं। मेरी विनम्र प्रार्थना है, वास्तव में स्थिति यह है कि जनता के प्रतिनिधि और राज्य के अधिकारी सजग नहीं होते तो राजस्थान के विकास में गति नहीं आती। मैं व्यवस्था चाहूंगा....

(व्यवधान)

दिल की बात है, दिल की बात कहना चाहता हूं। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है,

162

(श्री बिहारीलाल पारीक)

हम विधान सभा में लाखों रुपया खर्च करके चुन कर आये हैं। हमारे क्षेत्र की जनता यह चाहती है कि राज्य से हिस्सा लेने के लिये हमारा प्रतिनिधि कितना प्रयास करता है। उसके लिये हमें बोलने दिया जाये। सभापति महोदय, आपकी मार्फत मेरी विनम्र प्रार्थना है जब काल नहीं था तब सारा धन लुटाया गया। रोड बनी। मैं भी सरपंच था। मैं जानता हूं क्या स्थिति रही। हमने भी क्या क्या करना चाहिये....

एक माननीय सदस्य : दो-चार हजार रुपये खाये होंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री बिहारीलाल पारीक : जनता पार्टी का राज जब गया तब पहाड़ियाजी के नेतृत्व में हमारे दल का राज आया। पहाड़ियाजी के समय भीलवाड़ा में बहुत ज्यादा लेबर लगी। उस समय एक लाख लेबर लगी थी और जब माथुर सरकार आयी तब 70 हजार लेबर रह गयी, 30 हजार लेबर कम लगी। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा निवेदन है कि वास्तव में लेबर कम लगाई गई है। मैं यह आंकड़ों के हिसाब से बोल रहा हूं। पहले एक लाख लेबर थी जब पहाड़िया जी थे और अब जब कि शिवचरणजी आये, मुख्य मन्त्री भीलवाड़ा के बने तब वहां तीस हजार लेबर कम लगी। यह आंकड़े हैं जो आपने दिये है।

मेरी विनम्र प्रार्थना है, मैं तो मांग पर दो-चार बात कहना चाहता हूं। एक तो गये साल जो तकलीफ थी उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं उसी पर आ जाता हूं। मेरी विनम्र प्रार्थना है, काफी काम हुआ है और काफी लेबर भी लगी है, यह सही है। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि राज्य के अधिकारियों को काम ज्यादा दे दिया। इसलिये उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यह उनकी ड्यूटी थी, जिनके पास काम था उनको सोच कर करना चाहिये था। बहुत बड़ी अनियमितताएं हुई हैं, यह मैं जानता हूं। हमें मौका मिला, हमारे क्षेत्र के हम विधायक बने तो यह हमारी ड्यूटी थी, हमारा कर्तव्य था कि हम रात-दिन लगे रहते। हम स्थिति को जानते हैं। बहुत बड़ी अनियमितताएं हुई हैं। यह जो रोड बनी हैं, मैं आज भी कह सकता हूं, वहां पर 4-5 दिन बरसात हुई, उस रोड पर जानवर नहीं चल सकते हैं। कोई पक्का काम नहीं हुआ है।

मैं लम्बी बात कहूंगा तो समय ज्यादा हो जायेगा इसलिये मैं जिले की बात न कह करके अपने क्षेत्र की बात ही कह रहा हूं। मेरे क्षेत्र में पक्का काम नहीं हुआ है। मैं एक रोड की मिसाल दे रहा हूं। जो रोड वहां पर बनी है उस पर रोलर चले हैं। आप देख लीजिये, वहां पर बस नहीं जा सकती है, आदमी नहीं जा सकता है। जगह-जगह से वह कट गई है। पुलिया नहीं बनायी गई इसलिये चार-पांच दिन की बरसात में सारी रोड कट गयी। मेरी विनम्र प्रार्थना है, तमाम रोड पर गिट्टी पड़ी हुई

(श्री बिहारीलाल पारीक)

है, तमाम रोड पर मैटीरियल पड़ा हुआ है, अब व्यवस्था कीजिये। अकाल तो है ही, भयंकर अकाल है। चार-पांच दिन ही भीलवाड़ा जिले में बरसात हुई है। मेजा डैम बना किन्तु उस क्षेत्र के लोगों को कोई लाभ नहीं है। आज भयंकर अकाल है, अकाल की स्थिति में काम चलाये जाय। मैं यह विनम्र प्रार्थना करूंगा कि पहाड़ियाजी के टाइम में हमने मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था तो वे वहां पर गये थे परन्तु इस साल भर के पीरियड में जो काम चला है उसमें कोई मन्त्री वहां पर नहीं गया है। वास्तव में लेबर को क्या रेट मिली, कौनसा मैटीरियल कहां पड़ा है अधिकारी जो रिपोर्ट इनको दे देते हैं उस पर ही ये आंकड़े बनते हैं। इसलिए मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, काफी तादाद में मैटीरियल पड़ा हुआ है, व्यवस्था करें। 40.60 के रेश्यो में कच्चे-कच्चे काम रह गये हैं। हमने जिला प्रशासन को काफी कहा है, जो पी० डब्ल्यू. डी० के अध्यक्ष हैं उनसे भी मिले हैं। मैं सब से मिला हूं। आपने एक अनुपूरक अनुदान की डिमांड तो इस साल की रखी है और एक अतिरेक का अनुदान की डिमान्ड् 75-76 की रखी हैं। दो वर्ष की मागें रखी हैं। मैं निवेदन करूंगा यह व्यवस्था हो कि ठीक काम हो सकें। गये साल भी हमारे यहां पर भयंकर अकाल था। पी. डब्लू. डी. और सिचाई विभाग के जो भी काम चले उनकी रेट्स कम मिली थीं। अभी कई माननीय सदस्य बता रहे थे कि क्या रेट मिली थी-80 पैसे 90 पैसे। हमारे यहां पर डेढ़ दो रुपया या तीन रुपया ही मिला इससे ज्यादा प्राप्त नहीं हुये और उसमें भी भयंकर अनियमितताएं हुई। आप लोगों ने क्या किया कि कोई मेजरमेन्ट ही नहीं किया। जो उस समय अकाल राहत मन्त्रीजी थे, हनुमान प्रसाद प्रभाकर, उनको मैं अपने क्षेत्र में ले गया, जो उनकी व्यवस्था थी उसकी वजह से तीन चार महीने तक तो रेट ठीक रही किन्तु बाद में रेट कम होती गई, दो रुपया की रेट से मंजदूरी दी गई। मैं जानता हूं, आज भी वहां पर बहुत सी अनपेड लेबर हैं, उनके पैसे बकाया है और पेमेंट की शिकायत आती रही है। यह सही है कि काम ज्यादा हुआ है और पेमेंट कम हुआ है। इसलिये पेमेंट की व्यवस्था की जाये। यह बात सही है कि जब ज्यादा काम लेते हैं तब पेमेंट की व्यवस्था होती है। वहां पर काफी अनपेड लेबर है। मैं निवेदन कर रहा हूं, जो भी बकाया है, चाहे वह सिंचाई विभाग का हो, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. का हो उसका भुगतान उनको दिलवाया जाय। सिंचाई विभाग का काम तो चला परन्तु पी.डब्ल्यू.डी. का काम बंद हो गया। उसमें कई अनियमितताएं हुई। बहुत सी पालें अधूरी पड़ी हैं। रोड्स का काम हो रहा था वह भी अधूरा रह गया है। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जो अधूरे काम हैं उनको पूरा किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, वहां पर खाखला एक रुपया किलो के हिसाबसे बेचा गया है, ऐसी अव्यवस्था हुई है। एक रुपये किलो का भाव

164

(श्री बिहारीलाल पारीक)

था, इस भाव से लाखला मिला था। हालत इस साल भी खराब है। इस साल भी घास नहीं होगी, इसलिये आपका ध्यान आकर्षित किया है कि आप चारे की व्यवस्था करें। पिछले साल भी आपने मध्य प्रदेश से घास मंगवायी थी,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वही व्यवस्था अबकी बार करें। पिछले साल हमने सहकारी समितियों के माध्यम से व्यवस्था की थी, रुपया उधार मंगाया था और बड़ी तरकीब से काम चलाया था। इस साल भी, मैं समझता हूं, रबी की फसल नहीं होगी। हालत खराब है, इसलिये अभी से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि कोई न कोई व्यवस्था करें नहीं तो जैसा अभी कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि पिछले अकाल के कारण आधे पशु रह गये हैं इस साल भी नहीं रहेंगे। तीन साल पहले जो पशु 2000 हजार में बिका था, मैं पशु मेलों में गया हूं जो पशु 2000-2200 में बिका है इस साल उसकी हालत और भी खराब है। पशु तो रहे ही नहीं हैं। इस साल भी अकाल है, भयंकर अकाल है। मैं सच कह रहा हूं वास्तव में अकाल है। मेरी प्रार्थना है, केवल 14 अगस्त, 17 और 18 अगस्त को बारिश हुई थी और जुलाई के लास्ट में बरसात हुई थी, वैशाख में बरसात शुरू हुई थी और भादवे में बंद हो गई तो, अध्यक्ष महोदय, हिसाब लगाकर देख लें कितनी बरसात हुई है। वहां पर बुवाई की भी हालत खराब है। सवेरे कृषि विभाग की बात कही गई थी कि जो बीज उठाया है उससे फसल नहीं हुई है। यह सही है ज्वार की फसल नहीं हुई है। ज्वार नहीं हुई है तो पशुओं के लिये चारा भी नहीं है। चारे की हालत खराब है।

एक माननीय सदस्य : हाँ ठीक है, फिर ...

श्री बिहारी लाल पारीक : देखोXXX बीच में बोलते हो तो मैं भूल जाता हूं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे आप बोलने दें। क्यों बोलते है, आप ? तो मैं निवेदन कर रहा था....

(व्यवधान)

XXX क्यों बीच-बीच में बोलते है ? मैं बोलना चाहता हूं तो बीच में काट देते हैं।

(व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : यहXXX शब्द क्या है।

श्री सभापति : आप तो बाधा मत डालें।

श्री नंदलाल मीणा (प्रतापगढ़) :-सभापति महोदय, येXXXशब्द का उपयोग कर रहे हैं।

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। यह अच्छा तरीका नहीं है।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने XXX शब्द का प्रयोग किया है। यह कोई कांग्रेस (आई) का दफ्तर नहीं है यह राजस्थान विधान सभा का प्रांगण है और यहां पर कुछ नियम, कायदे हैं उनके अनुसार ही हमको बोलना पड़ता है। यह कोई कांग्रेस (आई) का दफ्तर नहीं है।

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर) : आप बात तो सुनें।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री दुलाराम : सभापति महोदय, इनको आपकी सुरक्षा चाहिए।

श्री बिहारीलाल पारीक : मेरा, सभापति महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैं इस तरह से तो बोल नहीं सकता हूं। माननीय सदस्यों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जिस तरह माननीय सदस्य अफवायें उड़ाते हैं और अफवाहें उड़ा कर हमारे मुख्य सचेतक जी को XXX कुछ का कुछ बोल सकते हैं, बोल जाते है मैं तो ऐसे बोल नहीं सकता हूं। मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं मेरे क्षेत्र के लिये बात कह सकता हूं। मेरा यह कहना है कि वास्तव में कांग्रेस (आई ही एक ऐसी पार्टी है जो कि व्यवस्थित तरीके से अच्छी तरह से काम कर सकती है और कर रही है। माननीय सदस्य जो विरोध पक्ष में बैठते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं। वे बराबर यही करते आ रहे हैं जो आज कर रहे हैं। बार-बार व्यवधान डाल रहे हैं। हमारे क्षेत्र की बात हम नहीं कह सकते हैं? विधान सभा का समय नष्ट कर रहे हैं। मैं आपसे भी व्यवस्था चाहूंगा कि जो लोग व्यवधान करते हैं उनको रोका जाय।

मैंने पी. डब्ल्यू. डी. की बात कही है, जो काम अधूरे रहे हैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि उनको इस साल पूरा किया जाय।

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, आज जो दो मांगें हैं उन पर चर्चा चल रही है। अकाल का महत्वपूर्ण विषय आया है, अकाल की मांग है। माननीय सभापति महोदय, हर साल पूरे राजस्थान में न केवल अकाल की स्थिति पैदा होती है बल्कि बाढ़ की भी स्थिति पैदा होती है। मैं नहीं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार इस स्थिति को रोकने में समक्ष नहीं है लेकिन मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार के पास अकालग्रस्त क्षेत्रों में हमेशा के लिए अकाल दूर करने का कोई प्लान नहीं है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जो बाढ़ आती है उसको रोकने के लिये और सूखे इलाकों को पानी देने के लिये सरकार के पास कोई योजना

XXX शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

166

(श्री मेघराज तावड़)

नहीं है। माननीय सभापति महोदय, केवल राजस्थान की सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। केन्द्रीय सरकार को भी वर्ल्ड बैंक का मुंह ताकना पड़ता है और वर्ल्ड बैंक अमेरिका के इशारे पर चलता है। अमेरिका इशारा नहीं करता है तो वह पैसा नहीं देता है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन का ज्यादा समय इस बात में नहीं लेना चाहता केवल इशारे के तौर पर कहना चाहता हूं कि राजस्थान नहर को पूरा करने के लिये राजस्थान सरकार को स्वयं के साधन जुटाने चाहिए। केवल राजस्थान नहर से ही पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू आदि को पानी दिया जा सकता है लेकिन यह पैसे की कमी की बात करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, राजस्थान में अकाल की भयंकर स्थिति है। गत वर्ष जिस तरह से अकाल पड़ा था वह तो कुछ ही गांवों में था....

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, यह जो व्यवधान डाल रहे हैं उनको रोकें....

श्री सभापति : कौन व्यवधान डाल रहा है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। उधर कुछ रबर जलने की खुशबू आ रही है, दिखवा दें कहीं गड़बड़ न हो जाय।

श्री सभापति : सार्जेण्ट साहब, आप देखें।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदय, गत वर्ष जो अकाल पड़ा था, जो अकाल की परिस्थिति थी आप जानते हैं राजस्थान में काफी भयंकर अकाल था। माननीय सभापति महोदय, गये साल जो अकाल की स्थिति थी उससे कहीं भयंकर स्थिति इस साल है। इस साल अकाल की भयंकर स्थिति है। उदयपुर डिवीजन में दो तीन दिन ही बरसात हुई है। डूंगरपुर में ज्यादा बरसात हुई है वह भी एक ही बार हुई है। फसल कोई उससे को फायदा नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, उदयपुर डिवीजन पहाड़ी इलाका है, वहां पर पीने के पानी की समस्या आने वाली है। गत वर्ष यह हाल था कि वहां पर कुओं में पानी नहीं था। यहां तक मैं राज्य सरकार पर आरोप लगाता हूं कि मेरे गोगुन्दा जहां से मैं चुनकर आता हूं, में अकाल घोषित नहीं किया गया था। मैंने इसके लिये माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कहा जब वे उदयपुर में आये तो उन्होंने कहा, एल. आर. सी. के अन्तर्गत काम चलाये जायेंगे। मैंने कहा कि मेरे इलाके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है गोगुन्दा में अकाल होते हुए भी अकाल घोषित नहीं किया गया है। सभापति महोदय, अफसोस इस बात का है कि

(श्री मेघराज तावड़)

राजस्थान में कहीं भी किसी जगह इस तरह से उपेक्षा की स्थिति नहीं थी अगर थी तो मेरे क्षेत्र के साथ थी, गोगुन्दा के साथ थी जहां से मैं चुनकर आता हूं। माननीय सभापति महोदय, कोई काम नहीं किया गया है केवल पंचायत समिति को जो काम करना था उसके लिए एक लाख रुपये मिले जो कि दूसरी पंचायत समितियों की तरह ही हमको मिले थे। मैं माननीय अकाल राहत मन्त्री जी से निवेदन करूंगा और आपने स्पेशल तौर पर कहूंगा कि मेरे गोगुन्दा क्षेत्र के बारे में पहले भी मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था कि सावड़ा करदा में तीन-तीन दिन में पानी मिलता है।

मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था उसके बावजूद हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये, माननीय सभापति महोदय, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। माननीय मदेरणा साहब, मैंने आपको लेटर लिखा था, उसके बाद हैण्ड पम्प के लिए मुझे भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, इससे ज्यादा उपेक्षा की बात क्या हो सकती है कि एक जन-प्रतिनिधि विधान सभा में जो बात उठाये उसकी क्रियान्विति नहीं हो। मैं भूख हड़ताल पर बैठा, उस समय मन्त्री महोदय को लेटर लिखा, मुख्य मन्त्री महोदय को टेलिग्राम दिया, माननीय राज्यपाल महोदय को लेटर दिया। जब मैं तीन दिन तक भूख हड़ताल पर बैठा, कलेक्टर ने आकर नहीं पूछा कि क्यों बैठे हो, कैसे बैठे हो। माननीय सभापति महोदय, यह जन-प्रतिनिधि की मान्यता है। मैं फिर कहना चाहता हूं, माननीय अकाल राहत मन्त्री जी, मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता था। आप जैसे जागरुक, समझदार, किसान के बेटे से मैं यह उम्मीद नहीं करता था। आप अकाल राहत मन्त्री भी हैं और राजस्व मन्त्री भी हैं। मेरे क्षेत्र के साथ गत वर्ष भी यही निर्णय लिया गया था। जिन्सवारी हुई उस समय जान-बूझकर कह दिया गया कि बहुत पैदावार हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, औसतन आधा बीघा जमीन है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, क्या मन्त्री महोदय जवाब देते समय आश्वासन देंगे कि इस तरह का भेदभाव नहीं किया जायेगा? आज भी मैंने गोगुन्दा क्षेत्र में....

(5.40 म. प.)

(श्री पूनम चन्द बिश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

(व्यवधान)

उदयपुर जिले के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। पीने का पूरा पानी नहीं है, उसकी व्यवस्था करेंगे। जहां हैण्ड पम्प नहीं लगे हैं वहां हैण्ड पम्प लगवायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं दूसरी मांग पर सवाल करना चाहता हूं। एक तो अकाल राहत मन्त्री जी पीने के पानी के लिए, अकाल राहत

Page No 168

(168)

(श्री मेघराज तावड़)

कार्यों के लिए यह आश्वासन देंगे कि भेद-भाव नहीं होगा। जिन्सवारी हो रही है उसमें कोई अन्य पिछले दरवाजे से यह मत कह देना कि अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है, जैसे गत वर्ष कहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, पी. डबल्यू. डी. के बारे में कहना चाहता हूं, सार्वजनिक निर्माण मन्त्रीजी यहां हैं, मैंने अपने इलाके के गोगुन्दा से जालौर वाया बगून्दा रास्ते के लिए लिखा था लेकिन मन्त्रीजी ने उत्तर दिया कि वहां तो तुम्हारी आबादी पूरी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, पता नहीं किसने गलत आंकड़े दिये थे। मन्त्री जी, इस इलाके में 5 पंचायतें आती हैं, पहाड़ी इलाका है, तमाम लोग आते जाते हैं, 10-15 हजार की आबादी है इसलिए गोगुन्दा से जालौर वाया बगूंदा रोड का प्लान बनाकर काम शुरू करें। दूसरे, गोगना परावली, जहां पर पूरी की पूरी तहसील है, की उपेक्षा न करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से उपेक्षा की जा रही है उसके लिये मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं। पहले भी पीने के पानी, हैण्ड पम्प के लिए मुझे भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। पिछले वर्ष स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया जब मैंने रिक्वेस्ट की, सरकार से जवाब मांगा फिर भी अभी तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। करतार में हैण्ड पम्प लगे नहीं केवल गड्ढे खोदकर पाइप डाल दिये गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और सवाल करना चाहता हूं माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी से, जो उदयपुर से डूंगरपुर नेशनल हाइवे नं. 8 है, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी तो सुन नहीं रहे हैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो उदयपुर से डूंगरपुर नेशनल हाइवे नं. 8 है, मेरी बात का जवाब देंगे, उदयपुर से 12-13 किलोमीटर दूर गूंगावेला पुलिया है उस पुलिया का सर्वे कितने साल से हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक्सीडेण्ट होते हैं। अभी गये महीने में 7-8 दिन तक रास्ता अवरुद्ध हो गया। तीन-तीन गाड़ियां गिरीं। एक निकली वह गिरी, दूसरी गिरी। लोगों को उदयपुर आना-जाना पड़ता है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि आपका सर्वे कब से चल रहा है? उसकी जांच करवा कर सर्वे करा कर जल्दी से जल्दी पुलिया को चौड़ी करवाने की कृपा करें। या वन वे ट्रैफिक करें जिससे दुर्घटना कम हो। अब तक 6 लोगों की मृत्यु हो गई।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मुख बन्द का समय आ रहा है।

श्री मेघराज तावड़ : एक लास्ट और अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : कितना भी हो, मैं मेरी पार्टी की तरफ से अकेला हूं। अकालग्रस्त इलाकों में आज हर तरह की वसूलियां, सहकारी समितियों की, भूमि विकास बैंक की, पेनल्टी की, नाजायज कब्जे की पेनल्टी की कुड़की करके नीलामी करके की जा रही हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर भी घोषणा करे कि अकालग्रस्त इलाकों में वसूलियां नहीं होंगी। यही मेरा कहना है।

धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

मुखबन्द का समय

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि मुखबन्द का प्रयोग मांगों के पारण हेतु साढ़े 6 बजे किया जायेगा। सवा छः या छः दस के लगभग सरकार की ओर से उत्तर प्रारम्भ होगा। इसलिये जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूं, वे 5-5 मिनट में अपनी बात समाप्त करने की कृपा करें।

श्री नानूराम।

ऐसा है, माननीय सदस्यों को कुछ गलतफहमी है। मुखबन्द का प्रयोग होने के पश्चात् दो विनियोग विधेयक सदन में पारण हेतु प्रस्तुत होंगे, उन पर चर्चा होगी इसलिए जिन माननीय सदस्यों को अवसर इस वक्त नहीं मिलता है, वे माननीय सदस्य उस वक्त बोल सकेंगे।

श्री नानूराम।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : मेरा इलाका बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित इलाका है, राज्य सरकार की रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष : हमारे वहां बरसात हो नहीं हुई, बाढ़ वाली बात समझ में नहीं आती।

श्री नानूराम।

व्यवस्था का प्रश्न

लापता चार हरिजन महिलाएं

श्री गोपाल पचेरवाल (बाटन) : पाइंट आफ आर्डर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अभी सदन में एक निवेदन किया था कि कल से 4 हरिजन महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, न अदालत में पेश किया गया है, न जेल में भेजा गया है। अभी, अध्यक्ष महोदय, इतना जबर्दस्त लाठी चार्ज किया गया है, आपने देखा होगा आपकी जानकारी में आया होगा, कई मासूम बच्चों के गम्भीर चोटें आयीं, महिलाओं के हाथ पैर टूट गये, कई जख्मी हो गये। थोड़े

170

(श्री गोपाल पचेरवाल)

चढ़ाकर जबर्दस्त लाठी चार्ज कराया गया है। आप मुआयना फर्मायेंगे 200-250 साइकिलें पढी हुई हैं; ढेर सारी चप्पलें पड़ी है, महिलाओं की चूड़ियां पड़ी हैं, पुलिस से जबर्दस्ती लाठी चार्ज कराया गया है। मैं कहता हूं कि जयपुर के इतिहास में ही नहीं, राजस्थान के इतिहास में पहली बार इतनी जबर्दस्त घटना शिवचरण माथुर की सरकार ने की है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज तक उन 4 महिलाओं का पता नहीं है। कल पुलिस ने चांदपोल, इण्डिया रेस्टोरेन्ट के पास से उनको उठाया है, न जेल में रखा गया है न अदालत में पेश किया गया है। आज स्थिति यह है, श्रीमान्....

श्री अध्यक्ष : 4 महिलाओं के सम्बन्ध में और विधान सभा के समक्ष यदि कोई लाठी चार्ज हुआ है, तो उसके सम्बन्ध में सरकार कल वक्तव्य देगी।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 व अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 21 पर विचार

श्री नानूराम (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 21 और 34 के सबंध में विचार हो रहा है। जैसा आपने समय के बारे में कहा था उसके आधार पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं दो-तीन बातों की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। जैसा कि मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया इस समय राजस्थान में हालात बहुत खराब हैं, कुछ भगवान की कृपा नहीं होने की वजह से हमारे यहां पर हमारी सारी फसलें सूख रही हैं। मैं इसके बारे में मेरी जो एक जानकारी है, उसके आधार पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस साल जो आप फेमिन के कार्य चलायें उनमें जहां-जहां सारी फसलें नष्ट हो गई हैं उस जगह फेमिन कार्य चालू किए जायं। दूसरी चीज, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, जैसे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे उस समय विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने शोरगुल, हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया उनको एक बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि विरोधी पक्ष के लोगों को सरकार चलाना आता नहीं और हम लोगों को विरोध करना आता नहीं। यह बात सच है कि हम विरोध की बात बोल नहीं सकते हैं, यह सरकार चलायें तो चला भी नहीं सकते हैं जैसा कि उन्होंने दो ढाई साल में किया। जो लगातार 30-34 साल तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह बीच-बीच में बार-बार बाधा उत्पन्न करते हैं....

(व्यवधान)

तो, मैं निवेदन यह कर रहा था कि इस साल कुछ भगवान की कृपा नहीं होने

Page No 171

(श्री नानूराम)

की वजह से कहीं-कहीं पर ज्यादा वर्षा हुई और कहीं पर वर्षा नहीं हुई । मैं मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, आसीन्द का आप रिकार्ड उठाकर देख लें, आप तहसील का रिकार्ड उठाकर देख लें, आप जिले का रिकार्ड उठाकर देखें लें आप राजस्थान का रिकार्ड उठाकर देख लें, सब से कम वर्षा मेरी आसीन्द तहसील में हुई है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : कितने मिली मीटर वर्षा हुई है ?

श्री नानूराम : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 8 इंच वर्षा हुई है ...

एक माननीय सदस्य : यह तो बहुत ज्यादा है ।

(व्यवधान)

श्री नानूराम : अध्यक्ष महोदय, आज लगातार 11 रोज से आसीन्द में पीने का पानी नहीं मिल रहा । वहां पर जो ट्यूब वेल लगाया था डिपार्टमेंट ने उसका पानी सूख गया । डिपार्टमेंट के 3 कुए थे उनका पानी सूख गया । हैण्ड पम्प का पानी सूख गया । माननीय मदेरणा साहब, ने मेहरबानी करके हमारे यहां पर कल पानी की अन्य व्यवस्था कर दी इसलिए 9 दिन बाद में वहां पर पानी मिलना संभव हुआ है । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यहां पर फेमिन के कार्य जल्दी से जल्दी चालू करवाये जायं ताकि लोगों को राहत मिल सके-पहला नम्बर । दूसरी चीज और निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : मैं समझा आपने समाप्त कर दिया ।

श्री नानूराम : दूसरी चीज यह निवेदन कर रहा हूं कि, अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले के लिये जो अनाज दिया गया था पूरे साल में, और माण्डलगढ़, शाहपुरा जहाजपुर, बनेड़ा और आंपर भीलवाड़ा के लिये सरप्लस अनाज कलेक्टर साहब अलाट करा कर ले गये फिर भी अनाज की इतनी डिमाण्ड है और लोगों के खाने के लिए अनाज नहीं है, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर अनाज की और व्यवस्था कराई जाय । दूसरी चीज एक और निवेदन करना चाहूंगा कि इस साल जो फेमिन के काम चले उन कामों में हमारे यहां पर 2-4 काम बहुत ही महत्वपूर्ण हुये हैं । खारी डैम बना जिससे करीब 3-4 तालावों में पानी आ गया, इससे हमारी 2-3 फसलें अच्छी हुई हैं । देवगढ़ का तालाब टूट जाने की वजह से खारी डैम में और पानी आ गया जिसकी वजह से 5-7 गांवों में भी कुछ फसल हुई है बाकी कहीं पर फसल

(श्री नानूराम)

नहीं हुई है । अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री नानूराम : दूसरी चीज एक और निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यहां बिजली डिपार्टमेंट की अच्छी मेहरबानी हुई जिसकी वजह से बिजली दस पन्द्रह रोज से नहीं मिली । इसलिए मैं चाहता हूं कि जो हमारी फसलें सूख रहीं है उससे तो कम से कम हमें बचाये । बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वह तो किसानों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुये है । वे किसानों को समय पर बिजली नहीं देते हैं । राज्य सरकार ने 4-4 और 6-6 घण्टे बिजली देना तय किया है लेकिन बिजली विभाग एक घंटा भी बिजली नहीं देता है । अध्यक्ष महोदय,यह फैक्ट के आधार पर निवेदन कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री नानूराम : लास्ट में फेमिन के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । लास्ट ईयर जो फेमिन के कार्य चले वे कागजों की लोट-फेर में बीच में ही गड़बड़ हो गये । माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आण्डलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, ने कहा, कहीं पर रोड्स पर पत्थर पड़े हुये हैं, बजरी पड़ी हुई है,कहीं पर ग्रेवल पड़ी हुई है, तो मेरा इसमें सुझाव है कि इस साल जो फेमिन के नये कार्य चलें उनके सम्बन्ध में अभी मास्टर प्लान बना लें कि किस रोड को बनाना है, कौन सा एनीकट बनाना है, कहां कहां पर फोरस्ट का कार्य करना है, कहां कहां पर पानी की व्यवस्था करनी है, कहां पर हैण्ड पम्प लगाने हैं, जिससे हम गांवों की अच्छी सेवा कर सकें ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री नानूराम : सिर्फ एक बात और निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष : बार बार मैं आपको मना करता रहूं और आप एक मिनट एक मिनट करते रहें ।

श्री नानूराम : सिर्फ उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं । पी० डब्ल्यू० डी० का मामला ले लीजिये, सब उच्च अधिकारी यहां पर बैठे हुये हैं, कागजों में लोट-फेर कर रहे हैं । कभी कहते हैं कि 60 पर्सेन्ट लेबर कम्पोनेन्ट हो कभी कहते, है 40 पर्सेन्ट लेबर कम्पोनेन्ट हो । कभी तो कहते हैं कि मार्च से काम शुरू किये जाय, कभी कहते हैं जनवरी से शुरू किये जायं और कभी कहते हैं सैक्शन हो तब शुरू किये जायं । सिर्फ कागजों में लोट-फेर हो रही है, काम पूरे नहीं हो रहे हैं । मेरा निवेदन है, जहां पर साइड पर पत्थर रह गये हैं, चूना रह गया

(श्री नानूराम)

है, केवल रह गया है उस काम का पहले टेक-ग्रोवर कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। श्री रूभं लाल मीणा।

श्री भेरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी आज की चर्चा में मांग संख्या में 21 और 34 पर बोलने की मांग की है। अध्यक्ष महोदय, उदयपुर क्षेत्र की जो स्थिति है वह मैं छोटे रूप में बताऊंगा और मांग करूंगा कि कुछ माननीय सदस्य जाकर उदयपुर क्षेत्र का दौरा करें और अपनी रिपोर्ट लाकर दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह आदिवासी इलाका है। अकाल होने की वजह से आदिवासियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वास्तव में अकाल के बहाने उनसे जो काम लिया जाता है, मैं ऐसा समझता हूं कि राजा-महाराजाओं के समय में जो बेगार ली जाती थी वह बेगार आज भी उनसे ली जा रही है। अकाल की स्थिति में उनसे एक रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये में काम लिया जाता है किन्तु उसका भुगतान भी समय पर नहीं किया जाता है, कई बार तो चार-चार पेशी तक हो जाती हैं। ऐसी हालत में, अकाल के नाम पर जो राजनैतिक दृष्टि से अकाल राहत कार्य चालू कर दिये जाते हैं वह केवल नाममात्र के लिये होते हैं यह मैंने स्टडी कर के देख लिया है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि विधान सभा के माननीय सदस्य उदयपुर को जाकर देखें और उस क्षेत्र को जाकर देखें जहां आदिवासी लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तभी विधान सभा को मालूम होगा उनकी हालत क्या है, ज्यादा बोलने से पता नहीं लगने वाला है।

अभी 10-11 तारीख को मैंने सारे क्षेत्र का दौरा करके देखा है, कार्यकर्ताओं से भी मिला हूं। वहां की फसल में बिलकुल निकस नहीं होगी। लोग देखकर आ जाते हैं और कहते हैं कि यहां तो अच्छी फसल है और अकाल से वंचित करके अकालग्रस्त घोषित नहीं करते हैं। आफिसरों को मालूम नहीं होता। जब अकाल पड़ता है तब गरीबों का नुकसान होता है। यहां आफिसर्स लोग बैठे हुये हैं, उनको अकाल का पता नहीं है। आपके सामने हैं, देख लीजिये, कैसे लाल चट हो रहे हैं और हमारी शक्ल देख लीजिये आपको आदिवासियों की शक्ल का पता लग जायेगा। वास्तव में ये लोग काम नहीं करना चाहते, आदिवासियों के लिये कोई योजना नहीं बनाना चाहते। आदिवासियों के नाम से उदयपुर में जो जनजाति विकास निगम बना रखा है उसने भी कोई विकास का काम नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंगकुमार।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरपाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल और बाढ़ की मांगों पर विचार हो रहा है। मैं संक्षेप में झालावाड़ जिले के बारे में ही निवेदन

(श्री अनंगकुमार जैन)

करूंगा। स्वयं सरकार की ओर से रिपोर्ट दी गई है उसमें भी इन्होने यह माना है कि बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कोटा....

श्री अध्यक्ष : यहां इतनी बरसात हो गई इसलिए आगे बढ़ी ही नहीं दूसरी जगह।

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, उससे भी काफी तबाही हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा जैसा कि इनके ही दल से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी अभी निवेदन किया था कि आप जब भी बाढ़ और अकाल की सहायता पहुंचायें तो पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आवें बल्कि वास्तव में जिन क्षेत्रों में नुकसान हुआ है उन क्षेत्रों में ईमानदारी से बिना राजनैतिक भेदभाव के बजट अलॉट किया जाय। जहां वास्तविक रूप से नुकसान हुआ है और लोगों को नुकसान पहुंचा है वहां उन लोगों को राहत पहुंचावें। माननीय अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले के अन्दर इस वर्ष जो नुकसान हुआ है 8465 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, धराशायी हो गये हैं। जमीन सफेद हो गई है। 975 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 22 एनीकट्स और सिंचाई के बांधों को काफी नुकसान पहुंचा है। पंचायत समितियों के 104 बांधों और तालाबों में क्षति हुई, यह रिपोर्ट स्वयं सरकार ने स्वीकार की है। कुछ दिन पूर्व झालावाड़ के जिलाधीश ने जो रिपोर्ट भेजी उसमें भी इस वर्ष अनुमानित लागत 1 करोड़ 62 लाख रुपये की सड़कों और पुलों का नुकसान उन्होंने बताया और राज्य सरकार को लिखा है कि यह अनुमानित क्षति बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण हुई है। इसके अलावा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि झालावाड़ जिले के अन्दर यह क्षति जिला प्रशासन द्वारा आंकी गई है जिस के अन्दर फसलों की क्षति शामिल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण झालावाड़ जिले के अन्दर करीब सात सौ आठ सौ गांवों के अन्दर खरीफ की सारी फसल नष्ट हो चुकी है। और करीब दस करोड़ की हानि फसलों की हुई है अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने उत्तर के अन्दर वे स्पष्ट रूप से बतावें कि यह जो क्षति मैंने बताई है, मकानों की पशुओं की, बांध की, फसल की उसके लिये झालावाड़ जिले के बारे में क्या विचार रखते हैं, सरकार की क्या नीति है? क्या वास्तव में सरकार जैसी घोषणा करती है उसी प्रकार से झालावाड़ जिले को बजट अलॉट किया जायगा? वहां जो लोगों को क्षति हुई है उसके लिये लोगों को राहत पहुंचाई जाय। इसी रिपोर्ट के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कोटा जिले के बारे में स्वीकार किया है कि क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु जिलाधीश कोटा ने अनुदान का करीब पूरा पूरा भुगतान कर दिया है। झालावाड़ के बारे में, अध्यक्ष महोदय, कहीं एक शब्द भी नहीं

(श्री अनंगकुमार जैन)

लिखा गया है। जो इतने मदों में क्षति हुई उन में किसी व्यक्ति को एक पैसे का भी भुगतान नहीं किया गया। जहां, माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी क्षति हुई हजारों मकान क्षतिग्रस्त हो गये, पशु मर गये, लोगों का काफी नुकसान हुआ फसलें नष्ट हो गयी तो मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि मन्त्री महोदय बतायें कि वहां उन्होंने तत्काल सहायता इस बाढ और अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्र के अन्दर पिछले 15 दिनों के अन्दर क्या दी है ? उस सहायता से भी मन्त्री महोदय अवगत करायेंगे।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं सड़कों और पुलों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पिछले दो साल में झालावाड़ जिले के अन्दर कहीं कोई दो किलोमीटर नयी सडक नहीं बनाई गई है। दो वर्षों के अन्दर कहीं एक किलोमीटर सड़क के लिए भी बजट नहीं दिया गया है। जो थोड़ा बहुत पैसा दिया जाता है, वह सड़कों के रख-रखाव पर खर्च किया जाता है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ आपने अपनी पिछली रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि झालावाड़ जिला अकालग्रस्त एरिया रहा है दूसरी तरफ पिछले वर्ष आपने अव्वल तो बहुत कम राशि झालावाड़ जिले को आवंटित की और वह राशि भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के अधिकारियों द्वारा खर्च नहीं की गई। यह बताकर कि यहां पर मजदूर अवेलेवल नहीं है, उस राशि खर्च नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से मांग करूंगा कि पिछले वर्ष झालावाड़ जिले के अन्दर जो कुछ भी थोड़ा बहुत बजट अलाट किया उस बजट के माध्यम से पी. डब्ल्यू. डी. के जिन अधिकारियों की लापरवाही से कार्य नहीं करवाया गया, जिन अधिकारियों की गलती से यह कार्य नहीं हुआ क्या मन्त्री महोदय उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और कार्यवाही करके दण्डित करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से मांग करता हूं जिस झालावाड़ जिले में पिछले दो वर्षों में सड़कों और पुलों का बजट होने के बावजूद एक किलोमीटर सड़क का भी निर्माण नहीं किया गया उस झालावाड़ जिले को बजट अलाट किया जाय और जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं उन सड़कों की शीध्रता से मरम्मत कराई जाय ताकि आवागमन के साधनों से वहां की जनता को राहत मिले।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य। बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या काफी बढी हुई है इसलिए मैं मुखबन्द का समय आधे घण्टे के लिए और बढाता हूं। सरकार की ओर से उत्तर साढे छः बजे प्रारम्भ होगा।

(व्यवधान)

धीरे-धीरे उतारते, उतारते, उतारेंगे इसको; वह सब ठीक है।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी।

176

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर आज कोई नया अकाल नहीं पड़ रहा है, कई वर्षों से राजस्थान के अन्दर अकाल चला आ रहा है । सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, इस अकाल के लिये कोई स्थायी योजना अपने दिमाग के अन्दर रखें । आप अभी से ही अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि अकाल के सम्बन्ध में कोई ऐसा स्थायी हल निकालें जिससे हमेशा के लिए अकाल राजस्थान से खतम हो जाय । इसके लिए आप अधिकारियों को निर्देश दें कि अकाल को हमेशा के लिये खत्म करने की कोई विशेष योजना बनायें । दूसरा निवेदन मैं आपसे यह करना चाहूंगा कि वर्ष 1980-81 और 1981-82 में अकाल के अन्दर बहुत अच्छा कार्य हुआ लेकिन जो चालू वर्ष है उसमें भी अच्छा कार्य होना चाहिये था वह नहीं हुआ । मजदूरी और मैटीरियल का जो अनुपात राज्य सरकार ने इन अकाल राहत कार्यों के ऊपर थोप रखा था उसके कारण कई अच्छे कार्य नहीं हो सके । इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि जो कार्य का अनुपात निर्धारित है उसको खत्म कर आप अकाल के अन्दर अच्छे कार्य करें ।

इसके साथ ही मैं मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एन० आर० ई० पी० के तहत पिछले साल अच्छी राशि हरेक जिले को मिली थी लेकिन इस साल एन०आर० ई०पी० के तहत 6 महीने से एक पैसा भी किसी जिले को नहीं मिला । मैं चाहूंगा कि एन०आर०ई०पी० के अन्तर्गत जो रुपया सेण्ट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों मिलकर के देती हैं वह रुपया जल्दी से जल्दी हर जिले के अन्दर भिजवाया जाये ताकि जो अधूरा कार्य है वह पूरा हो सके ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने पिछले तीन-चार साल से बार-बार अकाल पड़ने के बावजूद अपने सीमित साधनों से, और केन्द्रीय सरकार से संघर्ष करके जो साधन जुटाये उनसे, जो जनता को राहत पहुंचाई, पशुओं को चारा उपलब्ध कराया उसके लिये मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं, लेकिन बहुत दुःख की बात है ...

(व्यवधान)

मैं वर्णन करूंगा कि इस साल जो स्थिति है वह पिछले चार पांच सालों से भी ज्यादा खराब है । हम विधायकों ने जब भी सरकार से मांग की, जब भी हम सरकार से अकाल की बात करते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है । हमारे राजस्थान के लोग विकास चाहते हैं । राजस्थान के कुछ ऐसे जहां इलाके हैं अच्छी बरसात होती है, हम सदियों से ऐसे इलाके में रहते हैं जिसके साथ कुदरत ने अन्याय किया है उस इलाके के लोग अकाल से जूझते रहे हैं । हमारे बावजूद इसके कि बरसात नहीं होती, जानवरों के लिये चारे, पानी की कठिनाई है, जो भेड़ पालक हैं, वह सदियों

(श्री रामसिंह विश्नोई)

से राजस्थान से मालवा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जाते हैं, कितने ही जूते खाते हैं, कितने ही मरते हैं, फिर भी घर छोड़ कर जाते हैं, पिछले चार साल से ज्यादा खराब हालत आज राजस्थान की है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान की। हमारे यहां 20 जून को आम तौर से बरसात हो जाती है, लेकिन अब की बार 15 जुलाई को बरसात हुई। अकाल की स्थिति पिछले चार सालों के अन्दर इतनी खराब नहीं थी जितनी अब है। सरकार ने व्यवस्था की है लेकिन वह पूरी नहीं है। आज हमारे यहां चारे का अभाव है। एक महीने के बाद बरसात का होना इस बात का द्योतक है कि पश्चिमी राजस्थान के अन्दर कहीं पर मवेशियों के लिये घास नहीं है। विशेषकर जोधपुर सम्भाग के अन्दर जब हम सुबह घर से मवेशी निकालते हैं शाम को कोई भी मवेशी अपना पेट भरकर नहीं आता है, इससे हम लोग शर्म महसूस करते हैं। केन्द्र सरकार से सहायता मांगी, हमने 300 करोड़ का ओवर-ड्राफ्ट लिया उसके बावजूद हम इसका समाधान नहीं निकाल सके और बार-बार अकाल की बात करते हैं। विशेष रूप से जो बाड़मेर, जैसलमेर, पाली आदि जिले हैं वहां के लोग भी राजी नहीं हैं। जब एक बरसात हो जाती है तो हम भगवान का शुक्रगुजार करते हैं। आज जो अकाल की इतनी भयंकर स्थिति वहां पर है वह मेरे 25 साल के राजनैतिक जीवन में कभी नहीं रही। ज्यादा यहां नहीं बोलते आपने कृपा करके हमें बोलने का मौका दिया। आज वहां पर मवेशियों के लिये खोजने पर भी घास नहीं मिलती। हमारे मवेशी अपना पेट नहीं भर सकते। आज की अगर यह स्थिति है तो हम आने वाला समय कैसे निकालेंगे? इसके लिये हमारी सरकार को प्रयत्न करना चाहिये। सरकार ने कुछ प्रयत्न इस दिशा में किया भी है। सरकार ने वहां पर जो तालाब खुदवाये वे भरे हुए हैं उससे एक सन्तोष है कि हमारी सरकार को पानी ढोने का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। वे तालाब बरसात होने से भरे हुए हैं, इसके लिये हम भगवान के शुक्रगुजार हैं। आप जल्दी ही वहां पर चारे पानी की व्यवस्था करवायें नहीं तो वहां का पशुधन खतम हो जायेगा। पहले सरकार अपने स्तर पर, पंचायतों के स्तर पर चारे की व्यवस्था करवाती थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप, मंत्री जी, स्थिति से, जानकार हैं आपके पास ज्यादा पोर्ट-फोलियों हैं इसलिये आप पश्चिमी सम्भाग में नहीं पधार सके। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पश्चिमी सम्भाग में पधार कर अकाल की स्थिति को देखें। आज वहां ऐसी हवा चल रही है कि ज्वार, बाजरा और जो हमारी हरी फसल है वह सब जल गई। फसल के नाम पर दो आने की फसल भी जोधपुर सम्भाग में होने की उम्मीद नहीं है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो भी व्यवस्था हो वह करें ताकि जो संघर्ष हम करने वाले हैं उसको टाला जा सके।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

आपने बताया कि आपने सांडों की व्यवस्था पंचायतों के अन्दर की है। राजस्थान के अन्दर 23 हजार गांव प्रभावित है जहां पर सांड हैं वहां पर एक रुपया भी सरकार ने नहीं दिया। क्या पता वह लैप्स हो गया या अधिकारियों के ऊपर खर्च किया है। हमारे गांव में सांडों की व्यवस्था पचायत करती है। आपका सारा पैसा लैप्स करवा दिया इन अधिकारियों ने। वह बांटा नहीं गया। उसके बाद जो नया बजट था उसमें से भी एक रुपया हमारे गांव में नहीं दिया।

मेरा छोटा सा निवेदन है, जहां नल योजना है अगर वहां आप हैण्ड पम्प लगाते हैं तो आपका काफी रुपया खर्च होता है। नल योजना हमारी बनी हुई है, इसलिये छोटा-मोटा खर्चा सरकार बचा सकती है तो बचाना चाहिये। इससे सरकार पर भार पड़ता है। जिला स्तर पर जो समिति है उसके माध्यम से सारी व्यवस्था होनी चाहिये। आज स्थिति के नाजुक होते हुए भी राज्य सरकार ने जो मदद की उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : अध्यक्ष महोदय, अकाल की समस्या जितनी पहले थी उससे ज्यादा बढ़कर सामने आ रही है। मैं बांसवाड़ा जिले की बात आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय तक और सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं गये अकाल की थोड़ी सी बात सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार ने जितने राहत कार्य खोले चाहे पी० डब्ल्यू० डी० के माध्यम से करवाये गये हों, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से करवाये गये हों, चाहे और किसी से करवाये गये हों, जितना बजट बांसवाड़ा जिले को दिया जिस हिसाब से मजदूरों को लगाया गया, उस हिसाब से अकाल की समस्या का हल नहीं होता। सरकार की जिम्मेदारी है कि जब जब अकाल पड़े, जनता पर कोई ऐसी आपत्ति आये तो सरकार उसको सही ढंग से राहत पहुंचाये, अकाल या किसी भी आपत्ति से बचाने के लिये सरकार व्यवस्था करे। जब गये साल संपूर्ण बांसवाड़ा जिले में अकाल था, राज्य सरकार ने कामों की मंजूरी दे दी। काम मंजूर करने के बाद एक पंचायत में 40 मजदूर लगाने के आदेश दिये जबकि एक पंचायत में 5 हजार लोग रहते हैं, हो सकता है रुपये में चार आना लोग मजदूरी पर नहीं जाने वाले हों परन्तु 12 आने लोग आदिवासी एरिया में मजदूरी पर जाने वाले होते हैं। ऐसी जगह पर, आदिवासी एरिया में एक पंचायत में 40 पिछड़े लोगों, गरीब किसानों को काम पर लगाने की बात कही आदेश दिये। सरकारी अधिकारियों को उसी हिसाब से मस्टर रोल दिये गये। इसका हम लोगों ने विरोध किया। हम लोगों ने कहा, ज्यादा नहीं तो 100 मजदूर तो लगायें, तो उन्होंने कहा, ऊपर के आदेश के अनुसार 100 मजदूर नहीं लगा सकते।

अध्यक्ष महोदय, इस हिसाब से कोई अकाल की समस्या हल हो सकती है? अकाल में लोगों को जिंदा रख सकते हैं? यह तो नियम ही गलत है। अगर ऐसे नियम बनाते हैं, ऐसे आदेश राज्य सरकार की तरफ से जारी करते हैं तो गरीब लोग

(श्री बहादुर सिंह)

जिंदा नहीं रह सकते। न इन्सान जिंदा रह सकता है न पशु जिंदा रह सकता है। इस प्रकार की गलत व्यवस्था, गलत कानून, गलत नियम राज्य सरकार गरीब लोगों के लिये बनाये तो यह ठीक नहीं है।

इस साल भी बांसवाड़ा जिले में महीना सवा महीना तक लगातार बरसात होती रही। दो फीट मक्की की फसल का पौधा नहीं बढ़ा क्योंकि 1 माह तक बरसात होती रही। लगातार बरसात से मक्की की फसल और धान के पौधे बढ़ते नहीं हैं। जब धूप निकलने पर वह पौधा बढ़ा तो आज तक कोई बरसात नहीं हुई। कहीं कहीं बांसवाड़ा जिले में 5–7 दिन पहले कुछ गांव में ही बरसात हुई है। जिन गांवों में पीछे की फसल थी, उन गांवों में बरसात नहीं हुई और अकाल के साथ अकाल जुड़ गया।

बांसवाड़ा जिले में गत साल सरकारी अफसरों ने, रेवेन्यू आफिसर्स ने जिन गांवों में अकाल था, वहां अकाल घोषित नहीं किया। मेरा निवेदन है इस साल अगर पटवारी गश्त गिरदावरी पर जायें और गलत आंकड़े पेश करें और उन आंकड़ों के माध्यम से राज्य सरकार उन गांवों में अकाल घोषित नहीं करे तो वहां के लोग मारे जायेंगे। उन लोगों को फिर गुजरात या मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा। तो, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं मैं भी एक सदस्य हूं, हमेशा मेरे यहां अकाल पड़ता है अकाल का स्थाई हल निकालने के लिये राज्य सरकार ने अभी तक न कोई नियम बनाये हैं और न ही कोई योजना बनाई है। ऐसी योजना राज्य सरकार बनाये जिससे हर खेत को पानी मिले, उसके लिए एक ही रास्ता है कि हर किसान के खेत पर कुआं खोदें। जहां जहां सैंकड़ों की तादाद में एक साथ पीवंत हो वहां छोटे-छोटे तालाब बनाये जायें और जहां नाला है वहां एनीकट बनाया जाय तो अकाल का स्थाई हल निकल सकता है।

माननीय सदस्य कह रहे थे कि पीने के पानी के सरकार ने जो तालाब बनाये हैं उससे पानी की 7–8 महीने की व्यवस्था हो गई, तो इस प्रकार से जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं उनका भण्डार भरने के लिए कुदरत भी साथ देती है।

मैं बांसवाड़ा की स्थिति बता रहा था, 1½ महीने तक लगातार बारिश हुई। जो बांध बांधे हुए थे वह तो भरपूर भर गये लेकिन जहां बांध नहीं हैं, वहां अकाल ही अकाल है। जिन गांवों में तालाब का पानी मिले उन गांवों में अकाल नहीं माना जाये क्योंकि अनाज की कमी नहीं रहेगी और पीने के पानी की व्यवस्था होगी। इस हिसाब से मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, हर आदिवासी इलाके में हर काश्तकार के खेत पर कुआं खुदवाये। जो छोटे-छोटे नाले हैं उन नालों पर एनीकट बनायें। ऐसी हालत में हो सकता है कि 15 या 10 साल बाद में सरकार अकाल पर काबू कर सके। बाकी तो है

(श्री बहादुर सिंह)

ही क्या, सरकार के टेक्निकल अधिकारी मिनिस्टरों को बता देते है कि बी० सी० रेश्यो नहीं बैठता है, काम खतम हो गया। बी० सी० रेश्यो के मामले में सारे तालाब सारे नाले का नाश हो जाता है। तो बी० सी० रेश्यो जैसे नियम, चक्कर में रख कर टैक्निकल अधिकारी अड़चन पैदा कर देते हैं, क्योंकि उनको काम करना ही नहीं है। इसलिये ऐसे कामों में सरकार को सतर्क रहना चाहिये। मुझे जो आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना था वह कर दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम।

श्री मालाराम (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, झुन्झुनू जिले में सबसे कम बारिश हुई है। झुन्झुनू जिले में खेतड़ी में 20-25 गांव ऐसे हैं जहां पहाड़ होने की वजह से पथरीला इलाका होने की वजह से लोगों को पीने के पानी की समस्या भयंकर हो रही है। खेतड़ी नगर में नगरपालिका एरिया में पानी कभी 5 दिन में देते हैं कभी दो दिन में देते हैं। पानी की यह समस्या बिजली न जाने की वजह से है। मुश्किल से कभी एक घंटा कभी दो घण्टे बिजली जाती है। पानी के टैंक्स बने हुए हैं फिर भी लोगों को कई वार्ड्स में जरा भी पानी नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि कम से कम ऐसी 10 पंचायतें हैं जिनमें पानी की समस्या है। जो सार्वजनिक कुएं हैं वे बिलकुल सूख गये हैं इसलिए पीने के पानी की समस्या इतनी हो रही है। एक तो शेरपुरा, दूसरे हरड़िया, पिचोली और यह आपका कालोटा, बूरता, मोती आदि 10-15 गांव पथरीले इलाके के हैं उनमें पानी की इतनी समस्या है कि एक एक मटके के खातिर लोग तरसते हैं।

दूसरी बात यह है कि यह जो हरियाणा से नहर आती है वह झुन्झुनू के एन बार्डर पर है। मैं मन्त्री महोदय को जानकारी दूंगा कि उस नहर का झुन्झुनू में इतना पानी आ सकता है कि उससे कुओं में भी पीने का पानी आ जायेगा और हजारों एकड़ जमीन की पिलाई हो सकेगी। नहर बिलकुल बार्डर पर है। मन्त्री महोदय को जानकारी दूंगा, कि एक बार झुन्झुनू में जायें, समतल भूमि है और वह नहर बिलकुल बार्डर पर है उससे खूब पानी आ सकता है। नेहरू कैनाल है या कौनसी है, उससे इतना पानी आ सकता है कि पूरे जिले मे सिंचाई हो सकती है। हमारे झुंझुनू जिले में हर साल अकाल पड़ता है वहां इस नहर के आ जाने से अकाल पड़ना बन्द हो जायगा, खेती बढ़ेगी और लोगों को राहत मिलेगी। इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि इस नहर को जल्दी से जल्दी लाया जाया जिससे यह समस्या समाप्त हो जावे। अगर यह नहीं हुआ तो, अध्यक्ष महोदय, झुंझुनू में यह समस्या हमेशा बनी रहेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, आप आज ठीक बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं पढ़े लिखों को समय नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

इसलिये आज मैंने वकीलों को समय नहीं दिया। श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज (टोड़ारायसिंह) : मान-अध्यक्ष महोदय, गत साल जो फेमिन था उसमें टोंक जिले में जो कार्य हुए उसका विवरण तो मैं अभी दे नहीं सकता क्योंकि आप मुझे ज्यादा समय बोलने का तो देंगे नहीं लेकिन वह तो आपके सामने है। हमको जितना बजट दिया गया था वह बिना खर्च किए ही वापस लोटाया गया है। यह तो खुद सरकार समझ सकती है कि पैसा पूरा खच नहीं होने का कारण क्या था। मैं उसके बारे में तो ज्यादा विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं, पर यह बात, अध्यक्ष महोदय, हमारे लिये बहुत ही दुर्भाग्य की है। एक तरफ जो कार्य हुए हैं उसके विवरण में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर कोई रोड नहीं है। हमारे यहां पर कालड़ा, नासरदा में फेमिनमें रोड की सेंक्शन दी गयी उसमें बीस लाख रुपये खर्च करने के लिये दिये गये थे। वहां पहले के बजट का कांकरा बचा था और वह पूरा नहीं होने के कारण वहां का सारा का सारा आवागमन बन्द हो गया और वह 20 लाख रुपये भी बिना खर्च हुए वापस आ गये। दौलता व राजमहल रोड के लिए 18 लाख रुपये मिले थे उस रोड पर मुश्किल से, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ पांच लाख रुपया खर्च हुआ। इसी तरह सावरिया से मौर रोड के लिए तीन लाख रुपये स्वीकृत हुए थे उस पर एक लाख खर्च किया गया बाकी पैसा यों का यों ही जमा रहा सरकारी खजाने में। मैं आपको उदाहरण के रूप में यह निवेदन करूंगा कि जब सन् 75 में तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी, श्री हरिदेव जोशी वहां पर पधारे थे तो मई, 75 में उन्होंने यह कहा था कि यह रोड डामर की इस साल में करवा दूंगा। उन्होंने 40 लाख रुपये का बजट दे दिया और उसके टेंडर इन्वाइट भी हो गये पर उसके बाद में आज दिन तक उन पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। तो मैं, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि वह 40 लाख रुपये का बजट कहां गया? मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आज मन्त्री महोदय जब जवाब दें तो यहां पर हमें यह बतावें। इसके बाद मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि गत साल में हमारे यहां पर जो तालाब थे उनको पक्का कराया गया जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारे यहां पर पशुओं के पीने के लिए पानी हो गया और हमारा पशुधन बच गया। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर इस साल बहुत बरसात हुई। वह बरसात बहुत लेट आई और जब

Page No 182

182

(श्री चतुर्भुज)

आई तो वह होती चली गयी, वह ढबी नहीं। जिसका नतीजा यह हुआ कि किसान लोग अपनी फसल बो नहीं सके और न ही अपनी फसल को निकाल सके। उसका परिणाम यह हुआ कि आज वहां पर जो फसल है वह घास-फूस के माफिक पड़ी है। आज वहां पर उस फसल का कुछ भी वहां के लोगों को हाथ आने वाला नही है। बहुत भयंकर अकाल की स्थिति पैदा होने वाली है। इसलिये मैं राज्य सरकार को, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस आने वाले अकाल की समस्या से निपटने के लिये और पशुधन को बचाने के लिये उचित समय पर कार्यवाही करे। अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि पशुओं के चारे का भाव एक रुपये किलो है। उसमें भी स्थिति ऐसी पैदा हो गयी है कि वह भी मिल नहीं रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि टोंक जिले की स्थिति बहुत ही खराब है। मैं सन् 72 से लेकर आज तक विधान सभा का सदस्य हूं और मैं तब से लेकर आज तक बिशलपुर योजना के बारे में हर वर्ष निवेदन करता आया हूं। अध्यक्ष महोदय, वह ऐसी योजना है जिससे कि टोंक, बून्दी और सवाई माधोपुर जिले को पानी मिल सकेगा और सिंचाई भी हो सकेगी। आज अजमेर और नसीराबाद को जो पानी मिल रहा है वह इसी परियोजना के द्वारा दिया जा रहा है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह चेतावनी दे रहा हूं कि अगर यह योजना हाथ में नहीं ली गयी तो जल्दी ही अजमेर और नसीराबाद की जनता को बहुत भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। अतः मैं इस विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि बिशलपुर योजना को जल्दी से जल्दी हाथ में लिया जावे जिससे कि जनता को राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में नैनवड़िया साढला में स्थिति यह हो गयी है कि वहां के कुओं का पानी 200-250 फीट डीप चला गया है। उसके डीप जाने से पहले देवली नगरपालिका क्षेत्र के लोगों को जो पानी मिलता था, अब वह नहीं मिल पा रहा है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि उनकी समस्या की ओर विशेष रूप से ध्यान दे। अगर यह योजना बन जाती है तो दोनों जगहों पर पानी की समस्या हल हो जावेगी। पर, अध्यक्ष महोदय, हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार मेरे बार बार निवेदन करने पर भी अभी तक इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। आज हमारे को आप पानी नहीं दे रहे हैं। दूसरी जगह के आठ लाख लोगों को पानी दे रहे हैं पर वहां चार हजार लोगों पानी नहीं दे रहे हैं, क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? इसके अलावा मैंने विधान सभा में भी प्रश्न उठाया था इसके लिये, और उसमें मैंने बिशलपुर योजना के बारे में सुझाव भी दिया था कि हमारे यहां पर टोडाराय सिंह से बिशलपुर तक पहाड़ है, उस पहाड़ से सरकार को, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 52 से लेकर आज सन्

(श्री चतुर्भुज)

81 तक कुल 87 लाख रुपये की ग्रामदनी हुई है लेकिन वहां पर राज्य सरकार अभी तक कोई रोड नहीं बना सकी है। यह रोड, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 6 किलो मीटर की है लेकिन आज दिन तक नहीं बन सकी है। इसके अलावा, हमारे यहां, अध्यक्ष महोदय, ग्राम कातड़ा के पास एक नाला पड़ता है। वहां पर लोगों को पट्टियां और गट्टो वगैरह, जो खानों में से लदान होकर आती हैं, को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिये उस नाले को पार करना पड़ता है। यहां से केकड़ी, नसीराबाद और सरवाड़ आदि जगह पर यह माल जाता है। कम से कम 500 बैलगाड़ी रोजाना जाती हैं उस नाले को पार करने में भयंकर परेशानी लोगों को होती है इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर पुलिया बना दी जाये। खड़ीती पर पुलिया का निर्माण कराने के आदेश देने के लिए मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर चौकी है जिससे पांच सौ रुपया रोजाना ग्रामदनी होती है आज इतने साल हो गये हैं, तो उससे कितना पैसा राज्य सरकार को मिला होगा। तो मैं इसके लिये, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर तुरन्त पुलिया बनाकर जनता को राहत पहुंचाई जावे। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि आज मन्त्री लोग अपने अपने क्षेत्र में तो करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं और इसके अलावा जो लोग उनकी XXX करते हैं उनके एरिया में भी लाखों रुपये खर्च कर देते हैं पर हमारे क्षेत्र में जो कि अपेक्षित क्षेत्र है पचास हजार रुपये भी सरकार खर्च करने को तैयार नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सरकार को सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिये। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर गांवों में विद्युतीकरण नहीं के समान हुआ है। आज मेरे क्षेत्र टोडारायसिंह में विद्युतीकरण की बहुत कमी है। आज मेरे क्षेत्र में सिर्फ आठ जगह ही बिजली आयी है। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर पूरी तरह से विद्युतीकरण किया जाय। अगर राज्य सरकार ने इसके लिये कार्यवाही नहीं की तो मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि एक हाथ आपका है तो एक हाथ हमारा भी है। फिर यह सौतेला व्यवहार हमारे क्षेत्र के साथ क्यों किया जा रहा है? आज हमारे टोंक जिले में मालपुरा में व्यास जी ने विद्युतीकरण करा दिया, निवाई में बनवारीलाल जी ने विद्युतीकरण करा दिया और उनियारा में दिग्विजयसिंह जी ने विद्युतीकरण करा दिया सिर्फ एक मेरे क्षेत्र टोडारायसिंह का इलाका ऐसा है जहां पर बिजली की बहुत कमी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ओर राज्य सरकार विशेष रूप से ध्यान दे। इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह एक बार और निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिसलपुर योजना है उसको जल्दी पूरा किया जाय ताकि उससे अजमेर, टोंक,

Page No 184

(184)

(श्री चतुर्भुज)

नसीराबाद और सवाईमाधोपुर जिले के सभी जगह के लोगों को राहत मिल सके। अन्त में यही कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर राज्य सरकार जल्दी से जल्दी अमल करेगी। बस, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मुराद खां।

श्री मुराद खां (नगर) : अध्यक्ष महोदय, हर वर्ष राजस्थान के किसी न किसी हिस्से में बाढ़ या सूखा पड़ता है। भरतपुर में मेरे क्षेत्र में तीन-चार साल से सूखे की भयंकर स्थिति बनी हुई है। इससे पहले वहां पर बाढ़ का भयंकर प्रकोप हुआ था और उस बाढ़ से किसानों की सारी फसल बह गयी, नष्ट हो गयी। अध्यक्ष महोदय फसलें तो नष्ट हो गयीं पर राज्य सरकार द्वारा उसका मुआवजा देना तो बहुत दूर की बात है, राज्य सरकार के किसी भी मन्त्री ने वहां जाकर किसानों के आंसू तक नहीं पोंछे। अध्यक्ष महोदय, किसानों की फसल नष्ट हो गयी, वहां पर लोगों की तबाही हुई इस पर कुछ देने बजाय राज्य सरकार ने वहां फसलों पर आबियाना टैक्स लगा दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें आबियाना टैक्स देना पड़ेगा। इस साल बहुत जबर्दस्त बरसात हुई, अध्यक्ष महोदय, और वहां पर अबकी बार भयंकर ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि भी ऐसी हुई कि एक-एक ओला करीब एक-एक किलो और सवा किलो का था। इसके बारे में जब मैंने मुख्य मन्त्री जी से निवेदन किया कि हमारे यहां पर इस प्रकार की भयंकर ओलावृष्टि हुई, उससे कई लोगों के मकान बह गये, मकान गिर गये और वहां पर खड़ी फसलें नष्ट हो गयीं और वहां की हालत बहुत खराब हो गयी है तो मुख्य मन्त्री जी ने मुझे कहा कि इसकी गिरदावरी रिपोर्ट मंगाकर कार्यवाही की जायेगी। पर, अध्यक्ष महोदय, अभी तक कोई गिरदावरी रिपोर्ट नहीं आई है। यानी दूसरी फसल हम बोने जा रहे हैं और अभी तक हमारी पिछली फसल की गिरदावरी रिपोर्ट नहीं आई है। उस समय यह कहा गया था कि हम कुछ और नहीं कर सके तो हम आपकी जमीन का जो जमा वसूल करते हैं वह वसूल नहीं करेंगे और कोई हमारा मन्त्री वहां मौके पर जायेगा और जायजा लेगा। मन्त्री तो वहां कोई नहीं गया लेकिन, मेरे खयाल से, वहां पर कलेक्टर और एस०डी०ओ० तक भी नहीं पहुंचे हैं। साथ ही वहां के जो ट्रेक्टर, ट्यूब वैल, भैंस के जितने भी लोन थे उनकी बराबर वसूली हो रही है। वहां पर कुर्की हो रही है। न भूसे का इन्तजाम किया गया है। हालत यहां तक खराब है कि जो काश्तकार हर साल हजार दो हजार मन का गल्ला करता था उसको भी आज कीमतन गेहूं लाकर खाना पड़ रहा है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि भरतपुर जिले में खास कर कुम्हेर, नगर और कामां क्षेत्र में बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा होकर फ्लड की शक्ल में आता है और सारी फसल को तबाह कर देता है।

(श्री मुराद खां)

उसके बाद काफी देर से जब जमीन जोत आती है उसमें गेहूं, मटर सरसों और जो वगैरह करते हैं तो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। जबकि कोई भी पानी बरसात के अलावा नहीं आता है और बसरात का भी वह पानी जो पलड के रूप में पहाड़ों से उतकर अलवर की तरफ आता है उसका हमसे उसी हिसाब से चार्ज किया जाता है जो गंगा नगर की रेट्स चार्ज की जाती हैं। तो हमें पानी की पर्याप्त मात्रा की व्यस्था कराई जाये। पानी की व्यवस्था नहीं करा सकती सरकार, तो सरकार को पानी का टैक्स लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। यह काश्तकारों के साथ सरकार का अन्याय है। वहां पर मैं जाकर आया हूं और रिलीफ के नाम पर तो मैंने कुछ देखा नहीं है। अगर कहीं होगा तो कागजों पर हो सकता है जैसे सड़कों का काम है या नहरों काम है। कागजों में भी क्या होगा? 2 साल में हमें 27 लाख रुपया दिया गया। वह तो पैट्रोल और मजदूरों में ही लग गया होगा। यह वह इलाका है जो लाखों टन अनाज पैदा करके राजस्थान को देता है। वहां पर 27 लाख रुपया दिया जाता है। यह वही इलाका है जो अपना पेट भी नहीं पाल सकता उसको 27 लाख रुपया दिया जाता है। जब हम पैदा करते हैं तो हमें उतना तो दिया जाये। हमें सड़के नहीं मिलतीं, बिजली नहीं मिलती जब कि हमारे यहां ऐसी जानकारी है कि अगर उन काश्तकारों को बिजली दी जाये तो मैं समझता हूं कि आप जितना अनाज पैदा कर रहे हैं, उससे दुगुना और तिगुना पैदा कर सकते हैं।

इसके साथ ही यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे यहां पानी की व्यवस्था के लिए कोई नहर नहीं है और अलवर के पहाड़ों से जो पानी उतरकर आता हैं केवल वह बाढ़ की शक्ल में हमें मिलता है। वहां सीकरी बस सिस्टम नाम का पुराना बांध है जो पानी स्टोर नहीं कर सकता है अगर सरकार वहां पर पैसा खर्च करती है तो वह पानी स्टोर कर सकता है। उसका पानी नहरों की मार्फत छोटे-छोटे बांधों में दे देते हैं और जब वह बांध भर जाते हैं तो आगे पानी दे देते हैं। लेकिन अब तक पानी की कोई स्थाई व्यवस्था नहीं हो पाई। मेरा मन्त्री महोदय से आपकी मार्फत यह निवेदन है कि हमारे ऊपर कोई भी कर पानी का टैक्स लगाया जाता है वह हमें देने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हमें पानी की व्यवस्था कराई जाये। साथ ही हमारे यहां बिजली और सड़कों की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो दस साल से वहां कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। जैसे और जिलों के लिए फेमिन के नाम पर पैसा दिया जाता है वह पैसा हमें भी दिया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री छीतरलाल।

(186)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, नामों को देखें तो मेरा नम्बर सबसे पहले आता है। मैंने बड़ी मेहनत से....

श्री अध्यक्ष : एप्रोप्रियेशन बिल में मैं आपको अवसर दे दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप देखें, कटौती प्रस्ताव मेरा पहले है।

श्री अध्यक्ष : एप्रोप्रियेशन बिल के समय अवसर दे दूंगा। आर्डर आर्डर, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं इस पर बोलना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं अवसर दे दूंगा, धैर्य रखिये।

श्री छीतरलाल।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 23-8-82 को आई बाढ़ से कोटा जिले में करीब 3 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। सब पेपरों में ऐसा समाचार आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए मैं आपके द्वारा सरकार को निम्न बातें निवेदन करूंगा।

कोटा जिले में अटरू, छबड़ा, छीपाबड़ौद रतनपुरा, महेशपुरा, घाघरा आदि कुछ गांवों की जानकारी देना चाहता हूं। अटरू तहसील, जहां मैं खुद गया हूं और मैंने खुद जायजा लिया है, के गांवों में बाढ़ से लोग बेघर हो गए हैं, जिसकी मेरे पास सूचना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब 40 गांव बाढ़ से ग्रसित हैं और 125 लोग बेघर हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जहां यह माना गया है कि 300 करोड़ रुपये की क्षति कोटा जिले में हुई है तो यह मेरी मांग है कि ज्यादा नहीं तो सरकार करीब 30 करोड़ रुपये को राशि के सहायता कार्य और राहत कार्य वहां खोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोग बेघर हो गए हैं, 125 लोग, उनको मैंने देखा है उनके लिए न कुछ खाने को बचा है और न कुछ पहनने को बचा है और उनके पास किसी प्रकार की कोई चीज नहीं है। वे सब प्रकार से मोहताज हैं। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन लोगों के लिये आपने इन 15 दिनों में कोई व्यवस्था की है? अगर व्यवस्था नहीं की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उनके लिए आर्थिक सहायता के लिए मेरा निवेदन है। मैंने सुना है कि 50 रुपये से लेकर 100 रुपया की सहायता सरकार की ओर से दी जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पर्याप्त नहीं होगी और इसके लिए मेरा निवेदन है कि तीन हजार ही नहीं अपितु 5 हजार रुपये की सहायता अगर सरकार दे तब जाकर उनके लिए कोई राहत जैसी बात बनेगी।

(श्री छीतरलाल आर्य)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जैसे गत वर्ष आई बाढ़ के बाद पदमपुरा और केशवपुरा गांव में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और दूसरी संस्थाओं द्वारा आवास गृह का निर्माण करके उन लोगों को अलोटमेंट किया है या गृह निर्माण करके उनको बसाया गया, ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए जैसी कि स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा की गयी है। इसी प्रकार से मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां के बेघर लोग, जो शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, जिनके पास न खाने को बचा है और न पहनने को बचा है, को सहायता दी जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, विशेष तौर से, जो खरीफ की फसल आई थी वह फसल बाढ़ और अतिवृष्टि से नष्ट हो गयी है। उसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि वहां के किसानों को कर से मुक्त किया जाना चाहिए इस फसल के लिए और आगे के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन यह है कि सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण के लिए सहयोग मिलना चाहिए। यह फिलहाल उनको सहायत दी जानी चाहिए।

दूसरी सबसे बड़ी मांग और सबसे ज्यादा जो मेरा निवेदन है वहां के किसानों के लिए, वह यह है जैसा कि मेरी जानकारी में है माननीय अध्यक्ष महोदय, गयी 6 तारीख को ग्वालियर में कोई मीटिंग हुई थी। मैं आपके माध्यम से निम्न मांग के लिए निवेदन करने जा रहा हूं कि वह राज्य सरकार के अन्तर्गत नहीं है यानी हमसे सम्बन्धित नहीं है। वह अफीम का महकमा केन्द्रीय सरकार से संबंधित है। इसलिए मेरा इस सरकार से निवेदन है कि वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट को सिफारिश करे मेरे क्षेत्र के किसानों के लिए। छबड़ा, छीपा बड़ौद जहां कि अतिवृष्टि से लोगों को नुकसान हुआ है, 6 तारीख को ग्वालियर में मुझे जानकारी मिली है कि अफीम में सम्बन्ध में अधिकारियों को बुलाया गया है और हो सकता है कोई निर्णय लिया गया हो लेकिन मुझे सूचना मिली है कि ऐसा निर्णय वहां लिया गया है कि इस साल सारे राजस्थान में 11 हजार हैक्टेयर भूमि में अफीम पैदा होगी।

एकसाल में, माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन हजार टन अफीम 150करोड़ रुपये की होती है। यह तीन साल की जो अफीम हुई है उसको मैं आपको बता रहा हूं। एक हजार टन अफीम पूरे राजस्थान में हर साल होती है जिसकी लागत 50 करोड़ रुपये की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी मिली है कि तीन साल से अफीम रुकी हुई पड़ी है, जिसकी लागत 150 करोड़ रुपए है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केन्द्र सरकार की योजना है कि किसी भी किसान को अफीम नहीं दी जाय। उसका कारण मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, बताऊं, विदेशों में जो इस अफीम का निर्यात होता था वह तीन साल से नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि आस्ट्रेलिया जैसे देशों में अफीम से

(श्री छीतरलाल आर्य)

दवाई बनती है। वे उस दवाई के लिए अफीम के डोडे पर चीरा लगाकर उसे अलग-अलग कर देते थे और उसमें से वह अफीम लेते थे। अब वही काम डायरेक्ट हो जाता है न चीरा देने की आवश्यकता है और न दवा बनाई जाती है इसलिए अब विदेशों में अफीम का निर्यात नहीं किया जाता है। तीन साल से अफीम राजस्थान की रुकी हुई है इसलिये राजस्थान की सरकार किसानों को अफीम के पट्टे नहीं दे रही है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार से निवेदन करे यानि जो सरकार की गलती रही है उसका नुकसान किसानों पर नहीं थोपे और किसान को नुकसान नहीं उठाना पड़े। यहां के किसानों को अफीम के पट्टे दिये जाय। ऐसा नहीं किया गया तो मेरे क्षेत्र छबड़ा, छीपाबड़ोद अटरू में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में भारी संख्या में किसान आन्दोलन, एजीटेशन करेंगे। उसका दुष्परिणाम जो होगा, उसकी इस सरकार पर जिम्मेदारी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि किसान को 500) रु. प्रति किलो की दर से पैसा दिया जाना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो किसान को अफीम की दर दी जाती है वह टुकड़ों में नहीं दी जाकर एक मुश्त दी जानी चाहिये। 200 किलो अफीम जो देते हैं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, 200) रु. किलो का पैसा सरकार देती है और आठ आना बढ़ाते हैं तो उसको 300) रु. देती है। मेरा निवेदन है 400) रु. प्रति किलो के हिसाब से किसान को कीमत दी जानी चाहिये इससे, माननीय अध्यक्ष महोदय, अफीम का जो ब्लैक होता है वह रुकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन कर अपनी बात खतम करता हूं। जो समय आपने मुझे दिया है, उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज डूंगरपुर जिले में अकाल के बारे में कुछ बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार चार साल से डूंगरपुर जिले में अकाल पड़ता आ रहा है। इस साल स्थिति बिलकुल ही अलग हुई है। पहले तो जो बरसात हुई वह मई में हो गई, शुरूआत में हो गई और फिर अगली बरसात मई के लास्ट में हुई। लोगों ने तीन-तीन बार फसलें बोई लेकिन दूसरी बार जो बरसात आई उससे तीन बार बोई फसलें सारी की सारी नष्ट हो गई। इसके बाद चौथी बार फसल फिर बोई, वह फसल बढ़िया रही। अभी करीब 15 दिन से वह फसल पूरी सूखने लगी थी कि बरसात हो गई है। हमने तो यह समझा था कि इस साल कुछ राहत मिलेगी और लोगों की तकलीफें दूर होंगी लेकिन इस साल तो पिछले 3-4 साल में जो स्थिति बनी उससे भी भयंकर स्थिति है।

(श्री नाथूराम अहारी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुओं में इस साल पानी गहरा है। गर्मी के दिनों में पानी जितना गहरा रहता है उतना पानी अभी है। इसलिये पीने के पानी की समस्या, मुझे लगता है, इस साल इतनी भयंकर होगी कि पशु तो दूर रहे मनुष्य के लिए भी जिन्दा रहना मुश्किल हो जायगा बशर्ते अभी पानी नहीं गिरे, जो गिरने वाला है तो। यह जो फसल है वह तो नहीं के बराबर है। साल खतम हो गया, मक्की तो हो ही गई। इसलिये मैं आपके माध्यम से, यहां मन्त्री महोदय तो नहीं हैं पर सरकार से निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर जिले में गत सालों की तरह जो अकाल राहत कार्य होते हैं उससे भी ज्यादा अकाल राहत कार्य शुरू करने की जरूरत है। अकाल राहत कार्य में इस साल जो काम हुआ और उस काम में जो पेमेन्ट हुआ उसमें भी 2-2, 3-3 महीने निकल गये। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि जब कभी अकाल राहत कार्यों का महीना खतम हो दूसरे महीने में मजदूरों को पेमेन्ट मिल जाना चाहिये। इस साल मजदूरों में भी सीलिंग लगाई गई है। 3-3, 4-4 किलोमीटर से मजदूर मजदूरी करने आते थे और जब पेमेन्ट पार्टी आपकी पहुंचती है तो उसके तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर दूर जाते-जाते पेमेन्ट पार्टी वापस रवाना हो जाती है। इस तरह का जो कार्यक्रम रहा उसमें अन-पेड की स्थिति भयंकर रही है। काफी लोग 3-4 किलोमीटर चलकर 20) रु. के पेमेन्ट के लिये आते थे और उसके लिए उन्होंने 4-4, 5-5 चक्कर भी लगाये फिर भी अन-पेड का पेमेन्ट नहीं हो पा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अन-पेड की यह जो रकम है, उसके लिए सरकार सम्बन्धित विभागों को तुरन्त आदेश दे कि 15 दिन में अन-पेड का पैसा चुका दिया जाय। श्रीमन्, मार्च, अप्रेल, मई और जून का पैसा भी अभी तक अन-पेड पड़ा है, वह भी नहीं मिला है। मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया तो कलेक्टर साहब ने कहा, देर हो सकती है, दो महीने बाद उसकी लिस्ट तैयार करेंगे और 15 दिन का नोटिस दिया जायगा। इस तरह तीन महीने में पैसा देंगे। इस तरह का जो तरीका है उसको बदलने की तुरन्त व्यवस्था होनी चाहिये जिससे मजदूरों को समय पर पैसा मिल जाय। अभी सरकार ने दो साल से यह मान्यता बना रखी है कि तहसील ही इसका पेमेन्ट करे। मुझे नहीं मालूम कि तहसील कोई दूध की धुली है। मैं तो यह चाहता हूं, हर डिपार्टमेंट के द्वारा ही पेमेन्ट किया जाय। तहसील कोई दूध की धुली हो यह बात नहीं है। हर डिपार्टमेंट में घपले होते हैं और हम उनको किसी तरह भी पकड़ नहीं सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम अहारी : मैं यह निवेदन करता हूं, हमारे डूंगरपुर में जितने भी अधूरे काम हैं वे इस साल हो जाने चाहिये तभी जाकर हम अकाल का सामना कर

(श्री नाथूराम अहारी)

सकेंगे । मैं दो सुझाव देना चाहता हूं । हर साल मिट्टी उठाकर डालने से जो छोटी-मोटी नदियों का पानी है वह बह जाता है जैसे अभी पानी गिरा तो सारा पानी माही सागर में चला गया । अगर कोई स्थायी सोल्यूशन निकाला होता या उस पानी को रोक कर, कोई एनीकट बान्ध करके, एक नाले से दूसरे नाले में डाल कर के उसके नीचे तालाब या बान्ध भर दिया जाता तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि डूंगरपुर में आज की जो स्थिति है वह आराम से हल हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री नाथूराम अहारी : दो मिनट में ।

सदन की कार्यवाही मुख बन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का सवाल है । एक मिनट बाद अवसर दे दूंगा, मुझे व्यवस्था देनी है । अब, मुख बन्द का प्रयोग है, वह साढ़े सात बजे निश्चित तौर पर किया जायगा । सवा सात बजे सरकार की ओर से उत्तर होगा........

(व्यवधान)

ऐसा है, मैंने निवेदन किया एप्रोप्रियेशन बिल में इन बातों पर विस्तार से कहा जा सकता है । माननीय सदस्यों की तकलीफ कुछ ज्यादा है । मुझे कुछ माननीय सदस्यों का ध्यान है । मैं अवसर दे रहा हूं । जो माननीय सदस्य उच्च शिक्षा प्राप्त, वकील हैं, उनको मैं एप्रोप्रिएशन बिल में मौका दूंगा ताकि कानूनी पक्ष भी देखा जा सके और आपकी राय को मैं जान सकूं । 7-30 बजे निश्चत तौर पर मुखबन्द का प्रयोग करके सब मांगें मतदान हेतु रखी जायेंगी ।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 व अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 21 पर विचार

श्री नाथू राम अहारी : मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अनाज की स्थिति अभी अच्छी है । उसका अनाज, ठूंठ और घास जब कट जायेगी उसके बाद गिरदावरी करेंगे और उसमें घपला हो जायेगा । इसलिये जहां खेतों में अनाज है वहां मौके पर जाकर गिरदावरी करायी जाय तभी समस्या हल हो सकती है । आजकल गांवों में सस्ते अनाज की दुकानें नहीं हैं और रोजमर्रा की आवश्यक चीजें भी नहीं मिल पा रही हैं । इस बारे में भी

(श्री नाथूराम अहारी)

सरकार से प्रार्थना है कि इसकी व्यवस्था करायी जाय।

जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री देवेन्द्रकुमार । पांच मिनट का समय है, माननीय सदस्य।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा) : आपके हुक्म की पालना होगी। मुझे यह बात कहते हुए बड़ा दुःख है कि उदयपुर जिले में पिछले साल से लगातार अकाल की स्थिति थी और इस साल उससे भी भयंकर स्थिति है। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आपसे और सरकार से जानकारी ली है परन्तु मैं खास-खास मुद्दों पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कुदरत की देन है कि पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी मक्के की फसल पर और बारिश पर निर्भर करते हैं लेकिन इस साल 4 बार फसल बोने के बाद पांचवीं बार अच्छी होने की सम्भावना थी लेकिन बारिश नहीं होने से फसल बिल्कुल नष्ट हो गयी है। उदयपुर के सलूम्बर से लगाकर सराड़ा, खेरवाड़ा और धरियावद के क्षेत्र में इस साल भयंकर अकाल की स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, गत साल यानि 1980-81 में फेमिन रिलीफ में बहुत लम्बे काम चलाये थे, 9 महीने तक, लेकिन इस साल सिर्फ 2 महीने काम चले है जिससे आदिवासियों की भुखमरी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इससे उनका पालन-पोषण नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं पी० डब्ल्यू० डी० को इस बारे में धन्यवाद देता हूं क्योंकि उसने बड़ी फुर्ती से मजदूरों को सड़कों पर रोजगार दिया जिससे उनकी पूर्ति हो सकी। साथ ही, हमारे क्षेत्र में हरिजन की मीटिंग हुई थी उसमें मैंने कहा था कि इरिगशन का कार्य भी इसी तरह चले लेकिन उदयपुर का इरिगशन डिपार्टमेंट इतना सुस्त है कि आदिवासी इलाके के अन्दर पानी रोकने की पूर्ति भी नहीं हो पायी और एनीकट, बांध बनाने का काम नहीं हुआ और न पानी रोकने कोशिश की जिससे हमारे कुओं में पानी नहीं रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल तालाबों में पानी नहीं है। सराड़ा जो समतल एरिया है और कमाण्ड एरिया है सलूम्बर को पानी देता है। इस साल जयसमन्द में भी दो फीट ही पानी चढ़ा। हमारे जयसमन्द में पानी नहीं हो तो छोटे तालाबों में पानी कैसे हो सकता है। इसलिए हमारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए तत्काल काम करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : आदिवासियों की स्थिति के बारे में आप सरकार से आंकड़े मंगाकर निर्णय लें तो अच्छा रहेगा। सरकार बहुत ढिलाई से काम करती है। आप जानते हैं कि आदिवासियों के परिवार में 10-15 आदमी होते हैं तो एक आदमी भेजते हैं काम पर। एक आदमी

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

क्या 10 आदमियों का पेट भर सकता है ? तो मैं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य ।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : मैं यहीं निवेदन करना चाहता हूं। एक मिनट, अध्यक्ष महोदय । आप नफरी और भुखमरी को देखिये । आदिवासियों को पी.डब्ल्यू.डी. के अधूरे कामों पर लगाया जाय और काम की रफ्तार तेज की जाये ताकि आदिवासी अपना गुजारा कर सकें और अपनी रोजी रोटी जुटा सकें ।

जय हिन्द ।

श्री राम सहाय सोनड (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मन्त्री महोदय का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान की तहसील लालसोट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र लालसोट के इलाके में दो तरह की स्थिति है । एक तरफ पहाड़ी इलका है और दूसरी तरफ मोरेल नदी का बांध क्षेत्र में 17-18 जुलाई की भयंकर प्रलयकारी बरसात से मोरेल नदी के भराव से उस क्षेत्र के 35 गांव डूब में आये और उन गांवों की बहुत बुरी हालत हुई । इस बारे में मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और मन्त्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि दोनों ने मौके पर जाकर वहां के लोगों को सांत्वना दी । अध्यक्ष महोदय, यह उस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि पहाड़ी क्षेत्र में पानी आया, नदी के भराव से किसानों की सारी जमीन कट गयी, छोटे-छोटे बांध टूट गये और वहां के मवेशी तहस-नहस हो गये । सारे क्षेत्र में भयंकर नुकसान हुआ जिसमें किसानों को जमीन कटने पर न तो कोई अनुदान दिया गया न कुएं बनाये गये । उनकी ऐसी स्थिति हो गयी जिसमें उनका निर्वाह करना बड़ा मुश्किल हो गया । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उसी क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाके में भयंकर ओले पड़े जिससे 30-35 गांवों में कुछ भी नहीं बचा । ओले पड़ने के बाद किसानों को कोई अनुदान नहीं मिला । जिन गांवों को नया बसाया उनमें आज तक पानी का कोई कहीं बन्दोबस्त नहीं हुआ और न हैण्ड-पम्प लगे और न कुए ही बने। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र की ओर मन्त्री महोदय ध्यान दें और किसानों को जमीन कटने के बारे में अनुदान या कुछ राहत दें ।

जयहिन्द ।

श्री अध्यक्ष : अकाल राहत मन्त्री जी ।

ऐसा है कि एप्रोप्रिएशन बिल पर सभी विषयों पर दोबारा चर्चा हो सकती है । मैं आपको अवसर दे दूंगा, थोड़ी देर में ।

श्री परसराम मदेरणा (अकाल राहत मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 26 माननीय सदस्यों ने, जो मांग

(श्री परसराम मदेरणा)

मैंने प्रस्तुत की है उस सम्बन्ध में अपने विचार सदन में प्रस्तुत किए। अध्यक्ष महोदय, यह विधि की विडम्बना ही समझिए कि जहां एक ओर बारां, झालावाड़ खारची, नागौर और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में यहां इस सदन में चर्चा कर

(7.08 रात्रि)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

रहे थे, वहीं अन्य जिलों से आने वाले माननीय सदस्य बरसात की कमी की वजह से और अनावृष्टि की वजह से जो स्थिति है आने वाली, उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं दिला रहे थे बल्कि यह महसूस करवा रहे थे कि सरकार के पास उसका असेसमेंन्ट है या नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बात निश्चित है कि पिछले पांच-छः सालों से जिस तरह की लगातार सूखे की स्थिति रह रही है, राजस्थान बनने के बाद में जो अकाल पड़े उनकी भीषणता, उनकी इन्टेंसिटी और सीवियरिटी बहुत ज्यादा थी। इसके पहले 67 में और 69-70 में सूखा था लेकिन सूखे की स्थिति लगातार नहीं रही। सूखे की स्थिति यह है कि 1977-78 के अन्दर बीस जिले और 12 हजार गांव प्रभावित थे, 78-79 में 5600 गांव प्रभावित थे। 79 में बाढ़ आई और सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालौर जिले में बाढ़ से जन-धन की भारी क्षति हुई। मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जुलाई, 1981 में जो बाढ़ जयपुर रीजन में आई थी उससे ज्यादा वहां पर, लोगों की मौतें हुई बाढ़ की चपेट में आने के कारण। उसके बाद में फिर 80-81 में 26 जिलों में सूखे की स्थिति रही। पहले 79-80 में भी 26 जिले और 31 हजार गांव सूखे की चपेट में आ गए, 80-81 में 21395 गांव सूखे की चपेट में आए उसके बाद में 81 में जयपुर संभाग में बाढ़ आई, उससे जन-धन की क्षति हुई। फिर 81-82 के अन्दर 23246 गांव सूखे की चपेट में आए और इस साल में दो करोड़ से ऊपर जनता सूखे से प्रभावित थी। इस सदन में जो तथ्य माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं, दो दर्जन से ऊपर माननीय सदस्यों ने, उससे भी इस गंभीर स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। खास तौर से घास और चारे की व्यवस्था करने में घास की बड़ी गम्भीर स्थिति का सामना सरकार को करना पड़ सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस डिमाण्ड का प्रश्न है, 1981 में फ्लड आया था और उस सम्बन्ध के अन्दर भारत सरकार ने हमें जो धनराशि दी थी जो सहायता दी थी, उसकी अवधि उन्होंने मार्च, 83 तक बढ़ा दी है, उन कार्यों को पूर्ण करने के लिये। पहले जून, 82 तक का समय दिया था, फिर सितम्बर का दिया और उसके बाद में मार्च, 83 तक का दे दिया। इस सम्बन्ध में 23

(श्री परसराम मदेरणा)

करोड़ और 12 लाख की डिमाण्ड तो वही है जो कण्टिजेंसी में से रुपये उठाये गये हैं। कुल 13 करोड़ और 25 या 26 लाख की यह मांग है लेकिन क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध नेचरल केलेमिटी से है इसलिए कई माननीय सदस्यों ने यहां पर बहुत उपयोगी, उपयुक्त, सार्थक और काफी फार-कान्सीक्यूएंस वाले सुझाव दिये। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य यहां पर नहीं हैं, लेकिन नदबई से आने वाले माननीय सदस्य यहां पर हैं और उन्होंने एक बात सरकार से पूछी है कि लगातार जब अकाल पड़ रहा हो तो आप इसका स्थायी हल क्यों नहीं निकालते। मैं बहुत विनम्रता-पूर्वक निवेदन करूंगा कि सरकार इस बात का पूरा प्रयत्न करती है कि राहत कार्य जो प्रारम्भ किये जावें वे इस प्रकार के हों कि उनसे कोई न कोई पोटेंशियल वर्क हो। यहां पर कुशलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कुछ एनीकट्स की बात कर रहे थे।...

(व्यवधान)

हां, खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने नदियों पर एनीकट बनाने की और दूसरी रेश्यो की बात की क्योंकि रेश्यो के अन्दर इनडायरेक्ट बेनिफिट रहता है, परोक्ष रूप में कुओं का जल स्तर ऊपर उठता है। इसलिए मन्त्री मण्डल ने यह निर्णय लिया था कि वेरीकेट्स के निर्माण के सम्बन्ध में रेश्यो के अन्दर, ए सी सी का कोई भी प्रतिबन्ध या इस प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। लेकिन यह बात सही है, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्य जो काम पूर्ण नहीं हो सके और पूर्ण नहीं हो सके इसलिए वह चाहते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनमें कुछ रिलेक्सेशंस दिए जाने चाहिए। हमारे यहां बरसात होते ही, जैसे मेजा डैम के पास बरसात हुई तो मांडल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सड़कें सब खराब हो गईं, जो रोलर-वोलर चले तब वह कंसोलिडेट हुईं, उसमें अब बसें तो नहीं चल सकतीं और 40 और 50 पर्सेन्ट रेश्यो की उन्होंने भी बात की और अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा 40 और 60 के रेश्यो का जो रेस्ट्रिक्शन और प्रतिबन्ध है इससे स्थायी तरह के काम सम्पूर्ण नहीं हो सकते इसलिए इसमें कुछ रिलेक्सेशन किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार जो भी हमें सहायता देती है वह सेवन्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमण्डेशन पर देती है। फाइनेन्स मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने नेचरल केलेमिजीज के बारे में सेवन्थ फाइनेन्स कमीशन की रिकमण्डेशन के ऊपर 25 अप्रेल, 1979 को जो नार्म्स निर्धारित किये हैं, उस नार्म्स के अन्तर्गत पांच पर्सेन्ट अगर किसी भी वित्तीय वर्ष में जो खर्चा होगा आपके प्लान का, प्लान आउट ले का, तो वह अगेन्स्ट एडवांस प्लान असिस्टेन्स माना जाएगा और आपके आने वाले प्लान से कटौती कर दी जाएगी। इसके अनुसार जो कुछ भी होगा जैसे 340 करोड़ के प्लान का पांच

(श्री परसराम मदेरणा)

पर्सेन्ट के हिसाब से 17 करोड़ बनता है, 17 करोड़ आपका ए० पी० है और ए०पी० में होने की वजह से उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा तो फिफ्टी पर्सेन्ट लोन और फिफ्टी पर्सेन्ट ग्राण्ट होगा। 17 करोड़ में किसी भी वित्तीय वर्ष में, चाहे 81-82 समझिये, 1 अक्टूबर से लेकर के सम्वत् 2038 के सूखे में और चाहे 82-83 के एक अप्रेल से लेकर जुलाई तक का वक्त ले लीजिये, वह अवधि ले लीजिए 17 करोड़ में किसी भी सूरत में कार्य नहीं चल सकता था। ज्यादा खर्चा हुआ और वह ज्यादा जो खर्चा हुआ है इसलिए वह इस मद में इस डिमाण्ड में तो नहीं आया है लेकिन इरिगेशन और पी० डब्ल्यू० डी० की डिमाण्ड के अन्दर अलग-अलग मद के नीचे और हैड के नीचे वह खर्चा दिखाया गया है। इस बात की बराबर कोशिश की गई है, मॉनिटरिंग भी किया गया है कि अनावश्यक खर्चा नहीं हो। क्रेडिट लिमिट पर बराबर प्रतिबन्ध लगाया गया है। लेकिन दूसरी हमारे सामने जो सबसे बड़ी और मूल समस्या है कि अकाल से जहां दो करोड़ लोग प्रभावित हैं, उसमें से हमने ज्यादा से ज्यादा छः लाख और कुछ हजार लोग काम पर लगाये हैं, 26 हजार के आसपास। इसका मतलब यह है कि हम कुल मिला करके छः सात पर्सेन्ट से ज्यादा लोगों को काम पर नहीं लगा सके। जो गांवों में प्रभावित हैं और आज समाज का वह वर्ग जो लगातार कई सालों से प्रभावित है उन लोगों को अगर एम्पलायमेंट नहीं मिले तो, बहुत विषम स्थिति खड़ी हो सकती है लेकिन संसदीय पद्धति में कोई भी सरकार अपने कर्त्तव्य से विमुख हो नहीं सकती है। इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य जानते हैं और आज जिन माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, उनमें से अधिकांश माननीय सदस्य मुझ से मिले भी हैं आज राजस्थान की जो कठिन और विषम......

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वित्तीय स्थिति।

श्री परसराम मदेरणा : Fill up the blanks में माहिर हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वित्त मन्त्री जी के पास बैठते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : संगत का असर है।

इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि राज्य की विषम स्थिति है और कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए जब भारत सरकार असिस्टेंस में 33 पर्सेन्ट केवल मेटीरियल कम्पोनेन्ट का पार्ट देती है हमारे लिये यह सम्भव नहीं था कि हम इस मेटीरियल कम्पोनेन्ट को 40 पर्सेन्ट से ऊपर बढ़ा देते। पूर्व के जो आदेश थे उसके अनुसार जिले के लेवल पर 40 पर्सेन्ट रहा होगा लेकिन उससे खर्चे का पता नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

लगता था। इसलिए इन्डिविजुअल वर्क्स के ऊपर 40 पर्सेन्ट का प्रतिबन्ध लगाया गया और यह इसलिये लगाया गया कि काम वही लिये जायें जो 40 पर्सेन्ट मैटीरियल कम्पोनेन्ट में पूरे हो जायें।

यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ और सूखे की हम साथ साथ चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा यह हमारा दुर्भाग्य है, राजस्थान का और राजस्थान की जनता का कि बाढ़ की स्थिति बन जाती है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय शायद जानते होंगे, जब कोटा में बाढ़ आई तो गांधीसागर का पानी का भराव पिछले 14 सितम्बर को 1280 एम० सी० एफटी० था वह लेवल आज 1274 पर है। कोटा का एक हिस्सा जिसके कैचमेंट में बरसात नहीं हुई कोटा का दूसरा हिस्सा जिसमें बाढ़ से नुकसान हो गया। इसी तरह से खारची से आने वाले माननीय सदस्य महसूस करेंगे मारवाड़ जंक्शन के अन्दर जहां एक ओर बाढ़ आ गई वहां दूसरी तरफ आप ही के जिले के बांधे खाली पड़े हैं। आज जो क्षमता है उन जिलों के बांधे उसके अनुसार भरे नहीं हैं। मैं इसलिये निवेदन कर रहा था, कोई भी स्थायी तरीके के काम की बात करते हैं पिछले सालों में इरिगेशन का पोटेंशियल बनाया गया है। लेकिन कितने ही पोटेंशियल बनाकर रख लीजिये, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य अभी यहां पर नहीं हैं जैसलमेर में खड़ीन बने होंगे और राहत के कार्यों के बतौर ओल्ड डी०पी०ए०पी० दो तीन साल के लिए लागू हुआ होगा उसमें डेजर्ट डवलपमेंट एरिया में और इधर उधर बरसात ही कैचमेंट एरिया में नहीं हुई। तो कोई भी पोटेंशियल क्रियेट करके आप बैठ जाइये। पिछले साल पोटेंशियल आपने देखा होगा, मेजा का बांधा पिछले साल भरा हुआ था? माननीय सदस्य, पिछले साल मेजा के बांधे के अन्दर पानी नहीं आया, इस साल अच्छी बरसात हुई तो मेजा का डैम भर गया है, खारी का डैम भर गया है। कई डैम भरे हैं, लेकिन कई जिलों में बहुत से खाली रहे हैं। मारवाड़ जंक्शन के अन्दर बरसात हो गई। पास में जसवंत सागर डैम में भी पानी तो ठीक है लेकिन वह कम है। 9-10 फीट के आस पास है। टोटल केपेसिटी का 1/10 पानी आया है। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था, उन्हीं जिलों में आज बाढ़ की स्थिति है जहां बरसात नहीं हुई थी। आज झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य को मैं निवेदन करना चाहता हूं जो मैंने अन्त में वर्षा की सूचना दी है आखिरी पेज में, झालावाड़ में औसत वर्षा से 115 मिली मीटर कम बारिश हुई है तो भी वहां फ्लड की स्थिति हो गई। कोटा की भी यही हालत है। कोटा में जो औसत बरसात होनी चाहिये 14 सितम्बर तक उससे 85 मिली मीटर कम वर्षा हुई है। इसी तरह पाली के अन्दर खारची के कुछ गांवों में तो फ्लड की स्थिति हो गई लेकिन पूरे पाली में 111 मिलीमीटर कम बरसात हुई। पाली

(श्री परसराम मदेरणा)

का जो पोटेंशियल है, जो इरिगेशन का पोटेंशियल डवलप हो गया है वह पोटेंशियल 10617 एम० सी० एफ० टी० है। पाली में जो पानी आया है उससे रायपुर या पास में फौलाद या दूसरे बांध भर जाने के बाद पाली में आगे जो गरोलिया और दूसरे बांध हैं वह खाली रह गये हैं, केवल 4800 एम० सी० एफ० टी० पानी अब तक बांध में है। हालांकि हेमावास ओवर फ्लो हुआ है रायपुर ओवर फ्लो हुआ है और भी कई छोटे-मोटे बांध ओवर फ्लो हुए हैं लेकिन बड़े बांधों की जो पोटेंशियलिटी है उसके अनुसार भरे नहीं हैं। आज भी वही स्थिति है। इसी प्रकार की स्थिति में अभी आपको बता चुका हूं कोटा के सम्बन्ध में।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में कुछ बातें माननीय सदस्यों ने कहीं। खास तौर से भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य और नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहीं। वे यह कह रहे थे कि बाढ़ की बजह से आप जो खर्चा कर रहे हैं, राजस्थान के अन्य संभागों की कीमत के ऊपर यह खर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार, यह शब्द तो नहीं थे, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य का करीब-करीब अभिप्राय यही था। जो टोटल पोटेंशियल आज राजस्थान में है और उस टोटल पोटेंशियल में जो पानी आज बहकर जा रहा है, एनीकट, छड़ीन, माइनर इरिगेशन वर्क्स यह सब काम अगर हाथ में लें और पूरे पानी को हम बांधों में रोकने की कोशिश करें तो, उपाध्यक्ष महोदय, आज की कीमत पर जिस धनराशि की आवश्यकता होगी वह दो हजार करोड़ होगी। यह आंक ली गई है। इसलिए आज चाहते हुए भी कि पोटेंशियल का परमानेन्ट हल हो इतनी बड़ी राशि की एक साल में व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं है। या तो यह किया जावे कि प्लान के जितने सिक्योर्ड सैक्टर हैं एक-एक सैक्टर को कुछ साल के लिए ले लिया जाये। पहले इरिगेशन को ले लिया जाये इरिगेशन का तमाम पोटेंशियल डवलप हो जाय, या सबसे पहले पीने के पानी को ले लिया जाय फिर बाद में इरिगेशन को ले लिया जाय, फिर स्वास्थ्य और उसको ले लिया जाय। एक-एक सैक्टर खतम हो जाए तो उसमें पूरी व्यवस्था कर सकेंगे लेकिन, आज की स्थिति को देखते हुए कुछ वर्षों तक यह सम्भव नहीं है। आज नर्मदा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा है। आज वित्तीय स्थिति मध्य प्रदेश और गुजरात की हमसे ज्यादा ठीक है। मानसरोवर और दूसरे बांध, सरोवर बनाने के लिये वह भारत सरकार के सामने घूम रहे हैं कि किसी न किसी जगह हमको टैग कीजिये, हम यह खर्चा नहीं कर सकते हैं। यही स्थिति हमारी है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था जो है पोटेंशियल डवलप हो गया है। आज कोई राजस्थान की बात नहीं है इस हिन्दुस्तान के अन्दर 6 ऋतुएं हैं। मानसून समय पर नहीं आता है और इवन बरसात सभी

(श्री परसराम मदेरणा)

स्थान पर नहीं होती है तो क्राप मैच्योर नहीं होती है और क्राप मैच्योर नहीं होती है तो स्थिति बिगड़ जाती है । मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लूनी से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे इस साल जुलाई, जून और मई में कुछ बरसात हुई है उसकी वजह से घास उगकर जल गया। जुलाई मे लोगों ने खेती तो कर दी लेकिन घास वहां एक पत्ती नहीं है । इस वक्त जब चारे के भाव आसमान छू रहे हैं मैं यह समझता हूं, पहले क्या भाव रहा होगा मुझे इस बीच ट्रेण्ड का हिन्दुस्तान में पता नहीं है लेकिन पिछले सौ साल में शायद चारे के यह भाव कभी नहीं रहे होंगे। आज चारे के इतने भाव बढ़े हैं उसको देखते हुए सरकार पूरी व्यवस्था कर सकी है। जैसा कि सितम्बर, 1979 में कहा था राज्य सरकार के लिये संभव नहीं होगा इसलिये हमने इस साल ज्यादा इस बात की कोशिश की कि जिन जिलों में चारे की व्यवस्था करनी थी वहां पर डेयरी से बना हुआ जो.फीड़ है उसको देकर के मवेशियों को बचाय जाय; जैसे अजमेर, पाली 4-4 साल से दुर्गत में थे इन जिलों में इस साल व्यवस्था की थी। राज्य सरकार इस ओर और प्रयास करेगी। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने भारत सरकार को सूचित किया या नहीं ? राज्य सरकार को इस बात का अहसास है कि अगर बरसात नहीं हुई तो स्थिति बद से बदतर हो सकती है इस स्थिति से मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर को सूचित कर दिया गया है। आज भी यह स्थिति है, अगर बरसात नहीं होती है तो राजस्थान के बहुत बड़े इलाके में सूखे की स्थिति हो जायेगी, पिछले साल भी ज्यादा गंभीर स्थिति हो जायेगी, इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। वित्त मन्त्रीजी वजट पर नजर रखते हैं और हम साथ मिल कर स्थिति पर नजर रखते हैं। यहां पर कुछ बातें एक माननीय सदस्य ने कहीं वे यहां पर है नहीं उनके सम्बन्ध में मैं कोई बात कहता, लेकिन नदबई से आने वाले माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि बाणगंगा और पार्वती के लिए मास्टर प्लान बना लिये गये हैं और डिटेल्ड सर्वे कुछ कार्यों का चल रहा है। खास तौर से बाणगंगा पर बांध, टोडियाल नहर, गंभीरी पर बयाना नहर अन्य प्रकार के चैक और आउट प्लानिंग रिवर्स वगैरह कुछ कार्य चल रहे हैं। कुछ के मास्टर प्लान बना लिये हैं लेकिन वित्तीय स्थिति टाइट होने की वजह से और आज कई वर्क सिंचाई विभाग में चल रहे हैं, आन गोइंग वर्क के ऊपर भी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाणगंगा पर....

श्री उपाध्यक्ष : मुखबन्द का प्रयोग हो गया है साढे सात बजे से।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मुखबन्द प्रयोग का समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : साढे सात बजे अनाउंस हो चुका है । मुखबन्द का प्रयोग करते हुए मैं मांगें मतदान हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्रियों का तो मुखबन्द आज तक नहीं हुआ । ऐसा लगता है आप परसराम जी का भाषण सुनना नहीं चाहते ।

श्री चन्दनमल बैद : लड़ाई कराने वाली स्थिति चलने वाली नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

अनुपूरक अनुदान (1982-83) की मांग संख्या 34 का पारण

मांग संख्या 34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-34, प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,25,80,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मुख बन्द

अनुपूरक अनुदान (वर्ष 1982-83) की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या 1

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-1, राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,23 000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-3, सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,40,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 4

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की

Page No 200

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या–4, जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20,50,000 रुपये तक राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 7

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-7, निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 82,75,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 8

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-8, राजस्व के संबंध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,06,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 11

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-11, विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,30,000 रुपये तक की राशि और प्रदान जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–16, पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 31,85,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या-19, लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,67,-23,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-20, आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20,44,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 21

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-21, सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 40, 26, 98,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-23, श्रम एवं रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,12,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,01,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार गई।

मांग संख्या 26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-26, चिकित्सा लोक स्वास्थ्य

(श्री उपाध्यक्ष)

और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 33,96,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,00,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-30, जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,43,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 31

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 31 पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,38,55,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–33, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्षों में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 21,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–35, विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,75,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-39, पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20,65,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–41, सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,07,79,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-46, सिंचाई के सम्बन्ध, मे 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,31, 30,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अतिरेक अनुदान (1975-76) की मांग संख्या 21 का पारण

मांग संख्या 21

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-21, सड़क एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष में किये गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,11,966 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अतिरेक अनुदान (वर्ष 1975-76) की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या 15

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-15, वाहन, कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,720 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 16

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-16, पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 22,48,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 18

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-18, सूचना और प्रसार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 86,851 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 19

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-19, सार्वजनिक निर्माण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,26,83,407 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-20, आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

(श्री उपाध्यक्ष)

3,39,107 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 22

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-22, कार्यात्मक भवन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,83,822 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 24

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-24, शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,37,834 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 27

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-27, लोक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,85,28,859 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 29

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-29, नगर विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,73,450 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 30

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-30, खाद्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

(श्री उपाध्यक्ष)

46,483 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 31

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-31, पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,43,069 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या 33

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-33, अकाल सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमिल राज्यपाल महोदय को 6,62,664 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 38

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की की मांग संख्या–38, पशुपालन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,099 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 39

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-39, डेयरी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,98,298 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या 40

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-40, सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्य-

(श्री उपाध्यक्ष)

पाल महोदय को 8,19,263 रुपये, तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 45

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-45, सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,42,91,061 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 46

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-46, पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को, 17,308 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य

(विधेयक का पुरःस्थापन)

श्री चन्दन मल बैद, वित्त मन्त्री राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : पहले तीन लिया जायेगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री भैरूसिंह गुर्जर, (खारची) : पहले हमारे मुख तो खोल दें, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : पहले मुखबन्द तो खोल दें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया संशोधन कर लें यह संख्या 3 है।

वित्त मन्त्री राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री प्रभारी मन्त्री।

विधायी कार्य विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1982

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1982 को पुरः-स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

वे विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे। श्री चन्दनमल बैद।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित भी करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दन मल बैद, वित्त मन्त्री, राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें पाइन्ट आफ आर्डर बनता ही नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय यह संविधान का....

श्री उपाध्यक्ष : मुख बन्द में कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता है।

अनेक माननीय सदस्य : अब खोल दें, मुखबन्द माननीय उपाध्यक्ष।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा खोल दिया।

क्या पाइन्ट आफ आर्डर है, आपका ?

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकल 205 की ओर ले जाना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा अच्छा।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो 75-76 की एक्सेस डिमांड रखी हैं उनके बारे में यहां पर जो यह एप्रोप्रियेशन बिल ले रहे हैं।

(7.56 रात्रि)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, इसमें आर्टिकल 205 बिलकुल साफ है।

(श्री यदुनाथ सिंह)

"(a) If the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 204 to be expended for a particular service for the current financial year...."

अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट कहा है है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में जो खर्च होता है उसके बारे में एप्रोप्रियेएशन बिल लाया जा सकता है क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, इसको....

श्री अध्यक्ष : अभी जो आपने बिल पुर:स्थापित किया है वह एक्सेस डिमांड के बारे में है या सप्लीमेंट्री डिमांड के बारे में है ?

श्री चन्दनमल बैद : जी सप्लीमेंट्री डिमान्ड के बारे में है।

श्री अध्यक्ष : यह एक्सेस का नहीं है।

विधेयक पर विचार

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोल सकते है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब क्या बात है, क्या बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : अवसर तो देना ही होगा नहीं बोलना चाहें तो बात अलग है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय सप्लीमेंट्री डिमांड लेकर आये हैं और पहले पैसा दिया था उसका आपने क्या उपयोग किया, अब जो मांग रहे हैं उसका क्या उपयोग करेंगे यह एक चिन्तनीय विषय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, बात कर रहे हैं, इसलिये बाद में बोलूंगी।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आप तो बोलें, आप क्यों बन्द हो गईं।

एक माननीय सदस्य : क्या चिन्तनीय विषय है?

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय बता रहे थे कि उनको बाढ़ राहत कार्यों के लिए और पैसा चाहिये। उन्होंने ले भी लिया। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि वह और पैसा क्यों मांग रहे हैं? जयपुर में गत वर्ष 17, 18 और 19 जुलाई को जो बाढ़ आई, उसके लिए पैसा लिया गया और काफी पैसा केन्द्र से भी आया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि बाढ़ से बचाव की कोई योजना नहीं बनाई गई, योजनाबद्ध तरीके से उस पैसे को खर्च करने के लिए प्लान नहीं बनाया गया। इतना ही नहीं, वह पैसा तो खर्च कर दिया गया लेकिन जैसा अभी बताया गया कि 17 करोड़ रु. और चाहिये, वह किसलिए चाहिये? मान्यवर उस पैसे का मिस यूज किया गया। जहां बाढ़ आयी थी, वहां पर बाढ़ के पानी को रोकने के लिए पैसा खर्च नहीं किया गया। इसके लिए एक विभाग ही नहीं, कई विभाग उत्तरदायी हैं। माननीय मन्त्री महोदय ने यह पैसा पी० डब्ल्यू० डी० को दिया, सिचाई विभाग को दिया, नगर विकास न्यास को दिया नगर परिषद को दिया, पुल निगम को दिया और पी० एच० ई० डी० को दिया। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, इन विभागों ने न कोई समुचित काम किया न कोई प्लानिंग की। यहां तक कि कुछ स्थानों के लिये तो योजनायें भी नहीं बनाई। जयपुर में नाग तलाई का बांध टूटा। मंत्री महोदय, ठीक करेंगे यदि मैं गलत हूं वहां एक कम अस्सी मौतें हुई लेकिन नाग तलाई के बांध के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। बाढ़ का पानी दोनों और की पहाड़ियों को तोड़ कर घाट की गूणी में गया। गलता के नीचे होता हुआ नाग तलाई के नाले में होता हुआ 40 बस्तियों को रौंदता हुआ जल महल में तब गया जब उसने पूरी तबाही कर दी। अध्यक्ष महोदय, नाग तलाई बांध की योजना नहीं बनायी कि उस नाग तलाई बांध को....

(व्यवधान)

किस बांध की योजना है इसके बारे में आगे बताऊंगी आपको। जो पैसा खर्च किया गया, वह पैसा कहां खर्च किया गया मैं, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, बताऊंगी। जहां वी आई.पी. लोग रहते हैं वहां फुटपाथों को पक्का करने में, कोटा स्टोन के चौके लगाने में वी.आई. पीज को खुश करने के लिए विभाग ने काम किया। जो योजनायें सड़कें बननी थीं उन पर बाढ़ का पैसा खर्च किया गया। जहां बांध से सड़कें टूटी फूटी पडी थीं, वहां पर कभी, भी अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : वी. आई. पी. तो सिविल लाइन्स में रहते हैं, वहां तो देखा नहीं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : शिव मार्ग पर भी रहते हैं, कई जगह रहते हैं। जिनके खुद के घर हैं वहां पर भी रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसके मायने यह हुआ कि

(श्री अध्यक्ष)

वी. आई. पी. किसको मानें, किसको नहीं मानें, इसमें भी उन्होंने गलती की है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उनमें अधिकारी भी हैं, मन्त्री महोदय भी है।

एक माननीय सदस्य : आपको भी वी. आई. पी. मानते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे घर, जो सरकारी घर है, के आगे भी खड्डे पड़े हुए हैं।

मेरा कहना है कि बाढ़ के पैसे को जहां पानी और मिट्टी आ रही थी वहां लगाना था। चन्द्रशेखर का बगीचा, नाहरी का नाका में बांध बांधा जाता था जिससे कि पानी रुक सकता। गये साल पानी आया, शहर में मिट्टी आयी, चांदपोल बाजार में सड़कों पर मिट्टी के ढेर लगे थे। गये साल की मिट्टी उठी नहीं कि इस साल मिट्टी फिर आ गयी। पानी आता रहेगा, मिट्टी आती रहेगी, ठेके होते रहेंगे, विभागीय अधिकारी मन्त्री महोदय को खुश करते रहेंगे।

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं गलता की तरफ सड़क है रामगंज बाजार जो कि शहर के बीचों-बीच है, वहां से गलता तक जाने के लिए सड़क की मिट्टी नहीं उठायी गयी, सड़क पर डामर नहीं डाला गया। आप भी जाकर देख लीजिए, गये साल की बाढ़ की मिट्टी नालियों और सड़कों पर पड़ी है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं प्रामाणिकता से बात करती हूं, चाहे इसकी जांच करा ली जाये पैसे का मिस यूज किया गया और लोगों को खुश करने के लिए योजना बनाई गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, शहरों में तो कई जगह पुल बने लेकिन गांवों के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। मेरे यहां 13 पंचायतें पड़ती हैं। 13 पंचायतों के 106 बांध टूटे, सड़कें टूटीं, गांव के लोग तबाह हो गये। उनको पैसा देना था इसलिए कि वे अपना छप्पर डाल सकें। जिसका आंशिक नुकसान हुआ उसको 100 रुपये दिये जाने थे। अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश महोदय के पास वे 18 लाख रुपये अब भी जमा हैं। पिछले साल यहां प्रधान मन्त्री आई थीं 26 तारीख को, महीना मुझे याद नहीं हैं, उसके एक दिन पहले वह पैसा जिलाधीश ले गये और यह कह कर बांटना बन्द कर दिया कि प्रधान मन्त्री आने वाली हैं, उनके स्वागत के आयोजन में यह लगेगा। हमने कहा, कोई बात नहीं, बाद में बांट दीजियेगा। वह पैसा आज तक जिलाधीश महोदय के खजाने में जमा है। मन्त्री महोदय, मुझे ठीक करेंगे, 18 लाख या कुछ इसके आस-पास है। अध्यक्ष महोदय, आपातस्थिति और आकस्मिक आपदा में सहायता करने के लिए यह राशि होती है। वह पैसा, 100,300 600 रुपये शहरों में, गांवों में दिये जाने चाहिये। मन्त्री महोदय ने वह पैसा क्यों

(210)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नहीं बांटा, केबिनेट ने अनुमति क्यों नहीं दी, इसके पीछे क्या तथ्य थे, यह तो मन्त्री महोदय उजागर करेंगे। मुझे प्रश्न के उत्तर में कहा गया था, पैसा इसलिए नहीं दिया कि कच्ची बस्तियों के आवंटन में भूमि देंगे, उसमें 3 रुपये गज काट लेंगे, कृषि भूमि देंगे, उसमें काट लेंगे। न तो कृषि भूमि दी गयी, न कच्ची बस्तियों में आवंटन हुए। कैसे सरकारी पैसा पड़ा है? इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री कोष में बाढ़ राहत के लिए लगभग सवा-डेढ़ करोड़ रुपये के चैक आये थे, वह माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने रोक रखे हैं। उन्हें मालूम नहीं कि उसका क्या उपयोग करेंगे। बाढ़ जैसे अवसर पर लोगों से मजाक करना, सहायता न करना ठीक नहीं है। जयपुर के लोगों ने जगह-जगह पर खाने के लिए पूड़ियां न बांटी होतीं, कपड़े न बांटे होते, बर्तन न बांटे होते, लोगों को मकान बना कर न दिये होते तो, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, उन लोगों की सहायता नहीं होती। कुछ लोगों ने, जिनमें दया धर्म था, जिनके पास पैसा था, पैसा दिया। जब कि इस काम के लिये केन्द्र से भी पैसा आया उस पर है। मेरा सरासर आरोप है, जयपुर के साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया है।

मैं गांव के बारे में एक उदाहरण देना चाहूंगी। मेरे पास इस तरह के आंकड़े हैं कि 2513 बीघा 13 बिस्वा, 446 चक जमीन नायला में नष्ट हुई, 3805 जनसंख्या प्रभावित हुई, पुख्ता 9 कुएं नष्ट हुए, पुख्ता 63 कुएं आंशिक रूप से नष्ट हुए। सांगेरी का बांध, जो नायला का बड़ा बांध था, टूटा उसके लिए कोई भुगतान नहीं किया गया, कोई सहायता नहीं की गई। लोगों के साथ यह मजाक है। मेरी 13 पंचायतें हैं, मैं 13 के बारे में कह कह कर आपका समय नहीं लूंगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि यहां पर जयपुर में जहां जल महल है, आठ फुट पानी आया था। मान्यवर ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपस में बातें नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसके पीछे एक आदमी की 20 नावें पड़ी थीं, आठ फुट पानी में से लोगों को निकालने के लिए वह नावें लगा दी गयीं। सरकार ने उसमें सहायता नहीं की। ब्रह्मपुरी के नाले पर जो सड़क टूट गयी थी, उसको बनाने के लिए टेंडर कॉल हुए, योजना पास हुई। सवा साल हो गया, लोगों को चक्कर काट कर सिरह ड्योढ़ी बाजार से, जहां हम बैठे हैं यहां से लेकर के ब्रह्मपुरी में वापस जाना पड़ता है। मान्यवर, यह ब्रह्मपुरी का नाला क्यों नहीं बनाया? आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी, शहर के बीच में इस ब्रह्मपुरी के नाले के एक ही बरसात में टूटने से जो शंकरनगर बहा, वहां एक ही बरसात में बहुत भयंकर दिक्कत हुई लेकिन उसकी कोई योजना नहीं, उसको सुधारा नहीं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

गया। नाग तलाई का नाला, जिसको बांधने का ठेका एक आदमी को दिया गया, जो सड़क के बीच में आ रहा था उसके पास बांध टूटा, लेकिन काम पूरा न नगर-परिषद् ने किया, न पी. डब्ल्यू. डी. ने किया, न नगर विकास न्यास ने किया, न पी.एच.ई.डी. ने किया। चारों के पास ठेका था। मान्यवर, सिंचाई विभाग को भी काम दिया गया लेकिन उसने भी काम नहीं किया। इस बार पहली बरसात से चार मकान टूटे, 21 मकान दूसरी बरसात में मण्डी खटीकान में खटीकों के टूटे। माननीय मन्त्री महोदय उत्तर दें, हंसने की बात नहीं हैं, मन्त्री महोदय, सरदार शहर होता तो आप नौ-नौ आंसू रोते।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल नहीं हंसा। हंसने का बहम कैसे हो गया इनको ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, जयपुर शहर में घुसने के लिए सीधे-सीधे 6 मार्ग है और तीन नेशनल हाइ-वे हैं। उनमें से एक कूकस के मार्ग को छोड़ कर, जिसको आपने देखा होगा, पहली ही बरसात में आठों मार्ग बन्द हो गये। अपन झोटवाड़ा जाते हैं वहां नाले को पार करने के लिये जो कच्ची पुलिया बनाई गई, जिस पर डामर भी कर दी गई, वह ऐसी लगती है देखने में, जैसे लक्ष्मण झूला हो हरिद्वार वाला, रोज एक्सीडेन्ट होते हैं। मैं नहीं मानती कि किसी टैक्निकल आदमी ने वह बनायी हो। पहली बरसात में उसके ऊपर से पानी बह गया और लोगों को जो मिलिट्री एरिया है, उसमें से घूम-घाम कर जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत बात है। घाट की गूणी की पुलिया जहां ताहर सिंहजी का मन्दिर है, की योजना नहीं बनी। वहां पर 79 आदमी बह गये थे। वह टांके का एरिया पड़ता है, वहां पर एक भी पैसा उन लोगों को मकान के लिए नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि खानियां में जो मजदूर खान खोदते हैं उन्होंने अपने मकान थोड़े पत्थर के बना लिये थे। मान्यवर, एक-एक मकान टूटा पड़ा है, वहां के लोग भटकते फिर रहे हैं। उनको सरकार ने अनुदान नहीं दिया उनके मकान बनाने की योजना नहीं बनाई है। पिछले दिनों जिलाधीश महोदय ने बताया था कि वहां की जो सतर्कता समिति है उसने सवा करोड़ रुपये, जिनका नुकसान हुआ उसके लिए तय किये हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय मुझे बतावें, उसके लिये कितने आवेदन-पत्र आपने लिए, आपके विभाग ने कितना काम किया, जो मकान बहे जिनका नुकसान हुआ उनको आपने कितना पैसा दिया ? मेरी जहां तक जानकारी है अभी तक आपके विभाग वालों की ओर से शायद अर्जी-पर्ची तो ले ली गई है लेकिन काम शुरू नहीं किया गया। माननीय मन्त्री महोदय, इस तरह से कोई काम नहीं चलने वाला है। आप पूरी सतर्कता से, सजगता से, जिस तरह से आप

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पैसा लेते है, अपने विभाग से उसे खर्च करने की जांच कीजिये।

पिछले दिनों में राजस्थान पत्रिका में 19 सीरिज निकलीं तो मुख्य मन्त्री चिंतित हुये। मुख्य मन्त्री महोदय विभाग के अधिकारियों को लेकर उन स्थानों पर गये जहां काम हो रहा था। मुख्य मन्त्री महोदय दंग रह गये देख कर कि पैसा भी खर्च हो गया और कोई स्थायी काम नहीं हुआ। इस तरह मजाक किया गया। मन्त्री महोदय इस बात पर कोई गम्भीरता से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि नायला से आगे एक गांव में जहां मेरे साथी भारद्वाजजी का इलाका पड़ता है, जहां मेरे इलाके के लोग भी काम करने जाते हैं वहां आज तक सड़क नहीं बनाई गई। लोगों को पांच मील का चक्कर काट कर उस गांव में जाना पड़ रहा है।

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, नटाटा में एक सड़क बह गई। मैंने अधिकारियों को कहा चल कर देखिये तो सही, यह बनाई है या नहीं। लेकिन उन्होंने नटाटा के बीच में जो सड़क बही, उसकी योजना नहीं बनाई। वहां का पुल, जो 40 गांव जोड़ता है उस सड़क से वहां की बस सेवा साल भर से बन्द पड़ी है लेकिन वहां पर काम नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से साही बाध तीन फीट गहरे पानी का बांध है। उस बांध के ऊपर से एक पुलिया जाती है। इन्जीनियर महोदय ने पता नहीं क्या शिक्षा ली कि उसमें रपट डाल दी। आप सोचिये, तीस फीट की रपट में बस आ आ सकती है। इतना बड़ा मजाक किया गया। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कच्ची रोड थी मून्डला को रामगढ़ से जोड़ने वाली, मून्डला जो इधर आगे तक के 40 गांव जोड़ता है उसकी सड़क टूटी, लेकिन आज तक एक पैसा भी नहीं लगाया गया। मैं इसी तकलीफ के मारे आपसे कहना चाह रही थी कि आप मुझे बोलने दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहती हूं, जीर्णोद्धार जिस ढग से किये जाने थे, शहर में किये गये लेकिन मेरे इलाके में नहीं किये गये। मन्त्री महोदय, संक्षेप में कहना चाहूंगी आप अपने अधिकारियों को कण्ट्रोल में लेकर इन मार्गों को जाकर देखें। जो इलाके ध्वस्त हुए हैं उनके लिये योजना बनाइये, उनका दुबारा सर्वे कराकर योजना बनायें, जिन पर बार-बार मिट्टी आती है चाहे वह कोई बांध हो। जो ठेका लेते हैं उनको लाभ पहुंचाने की चेष्टा नहीं करें। जन-जीवन को सुरक्षित रखने के लिए योजना बनायें। चन्द्रशेखर की बगीची के पीछे नागतलाई का बांध है, मैं कहना चाहूंगी कि उसकी योजना नहीं बनाई। उस पर काम करवायें।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी, बाढ़ के बारे में मेरा इतना ही निवेदन है

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कि मेरी तेरह पंचायतों में से चाहे सांगानेर हो, चाहे लालसोट हो, जयपुर शहर में जहां-जहां भी नुकसान हुआ है वहां पर आप दुबारा सर्वे करवाइये, जिससे पता चले कहां की योजना नहीं बनी, कहां की योजना बन गई और कहां काम किया जाना है। पक्के मकान वालो के लिए अगर आपने पैसा नहीं लिया, तो मैं पूछना चाहूंगी, उनकी योजना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बाढ़ के मामले में भेदभाव करना कहां तक उचित है? किसी ने कच्चा मकान बना लिया, दो ईंटें लगा दीं, अध्यक्ष महोदय, किसी ने कच्ची दीवार पर सफेदी पोत ली या, जिसकी छत कच्ची नहीं, इन सब को कोई पैसा नहीं दिया गया। यह जयपुर के साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया है। मन्त्री महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगी कि चार फार्म मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के राज्यपाल महोदय को दिये। वह जरूर आपके पास में आये होंगे। उसमें एक-एक आवेदन पत्र पर तफसील लिखी है कि मेरे यहां इतना नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जो काम किये गये, उन सारे कामों की योजना प्रस्तुत करें। एक और मैं निवेदन करना चाहूंगी अकाल के बारे में। मेरे यहां गये साल अकाल आया। मेरा निर्वाचन क्षेत्र अकाल ग्रस्त घोषित किया गया। उसमें एक काम हाथ में लिया, गया साही के बांध का। यहां से निर्देश चले गये, रामगढ़ बांध से डेढ़ किलोमीटर आगे टालू गांव है वहां उस बांध के ऊपर सिंचाई विभाग ने पचासों रुपया लेकर केवल 24 दिन बाद काम बन्द कर दिया। अध्यक्ष महोदय, गैर उत्तरदायित्वपूर्ण उत्तर दिया उन्होंने कि हमारी मर्जी है, हम नहीं करते। आप इनको ताड़ना दें, वह बांध इन्होंने नहीं बांधा। बांध न बांधने से गांव की अधिकांश जमीन बाढ़ में बह गई। इसके अलावा वहां के गांवों में खाने-कमाने को कुछ नहीं रहा और इन्होंने अकाल राहत का कोई काम नहीं निकाला।

अध्यक्ष महोदय, मैं तीसरी बात कहना चाहूंगी कि जब आग लगती है उसके मुआवजे का पैसा जिलाधीश महोदय द्वारा मुख्य मन्त्री कोष से दिया जाता है जो इसी काम के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहां कई जगह आग लगी। मन्त्री महोदय, जो पैसा दिया जा रहा था, चाहे आप रिपोर्ट मंगाकर देखें, जिलाधीश महोदय ने मामले की जांच करके कहा, पैसा देने में एक साल बीत गया अब इसकी क्या जरूरत है। लोगों को क्यों नहीं दिया गया, यह मैं पूछना चाहती हूं मन्त्री महोदय से? साल भर तक वहां के लोगों ने कलेक्ट्री के चक्कर काटे, उनकी चप्पलें टूट गईं घिसते-घिसते। जितना पैसा अनुदान में उनको मिलने वाला था उतना पैसा उनके आने जाने में खर्च हो गया। इस प्रकार, आग लगे तो तुरन्त वहां सहायता भेजें, जिससे तत्काल खाने के लिए पहले मिल जाये, सिर पर छप्पर मिल जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको पहले पैसा नहीं दिया गया, इसलिए यह काम तत्काल 15

(214) (श्रीमती उजला अरोड़ा)

दिन के अन्दर किया जाये, मन्त्री महोदय इसकी घोषणा करें। इसका क्या मतलब, कि जो लोग बाढ़ में बह गये, जिनके घर टूट गये उनको तो आप सहायता नहीं दें, वरन् जिन्होंने काम नहीं किया, जिनका कुछ नहीं बिगड़ा उनको आप सहायता दे रहे हैं। जिनके पक्के कुएं गये, बिजली के कुएं नष्ट हो गये, उनको कुछ नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से, जयपुर में आप देखेंगे, पन्नीगरों का रास्ता है, जहां मछली बाजार आता है: वह रास्ता, मान्यवर, इस तरह का हो गया है कि वहां बरसात के दिनों में पांच-पांच फीट पानी आ जाता है। वह म्यूनिसिपैलिटी वालों ने ठीक नहीं कराया। उसकी योजना बनाकर उस नाले को फुटपाथ के नीचे से निकालकर रामगंज बाजार में आप वह रास्ता ठीक करवा सकते हैं। इससे पन्नी वालों को भी राहत पहुंचेगी। आपने शहरों में कोई योजना नहीं बनाई है। मैं, कहना चाहूंगी कि जो पैसा आप लें उसका सदुपयोग करें, अगर नहीं कर सकते तो वह जनता को दे दें। यह सब आपकी असमर्थता जाहिर करती है कि इस साल कितना नुकसान हुआ फिर भी कोई योजना नहीं बनाई गयी। आप योजनायें बनायें, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकंवार बैरवा।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, अकाल और बाढ़ पर जो बातचीत चल रही है, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। पिछली बाढ़ से जो नुकसान हुआ उसको देखते हुए और उसे ठीक कराने के लिए चिट्ठी-पत्री लिखते-लिखते हम थक गये। आदिवासियों के इलाके में बाढ़ आई, वहां पर काफी मिट्टी जम गयी है, जिससे अब बहुत परेशानी होती है। मैं एक दिन मन्त्री महोदय के घर भी गया था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री रामकंवार बैरवा : आपने जो पैसा लिया था उस पैसे का कोई उपयोग नहीं हुआ, केवल यह कह दिया कि यह डूंगर वालों का बांध है इसको भरा नहीं जायेगा। इस बीच में जो नदी थी उसमें से ही पानी जाने वाला था उस बांध को कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन एक इन्जीनियर ने मनमाने तरीके से एक योजना बना दी। मैंने उसकी इन्क्वायरी की। गरीब लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, उनके खेतों में 20-20 फीट गहरे गड्ढे हो गये उस पानी से। मैं मन्त्री महोदय के पास गया तो उन्होने मुझे बुरी तरह से धमकाया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : कौन से मन्त्री महोदय ?

श्री रामकंवार बैरवा : मदेरणा साहब....

(श्री रामकंवार बैरवा)

(व्यवधान)

इस सदन में सच्ची बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मन्त्री महोदय ने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी कि जो बाढ़ वहां आई है, यह सरकार के लिये संभव नहीं है कि वह उसके लिए प्रयत्न करे। मैं यह समझता हूं, अन्य अनेक माननीय सदस्य भी समझते होंगे राज्य सरकार जनता पर टैक्स लगाकर पैसा इकट्ठा कर सकती है, लेकिन जब बाढ़ की समस्या आयेगी, पानी की समस्या आयेगी उसकी तरफ ध्यान नहीं देगी। आज नागरिकों में भय उत्पन्न हो रहा है। किस प्रकार से वह अपने गांव में ठहर सकेंगे, इस प्रकार की योजना सरकार नहीं बना सकती है।

मेरा एक निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, चाकसू में 114 लोगों की जानें चली गईं, हजारों पशु बह गये, लेकिन वहां सरकार की 22-25 जीपें खड़ी रहीं। मुझे समझ में नहीं आया कि वह जीपें वहां क्या कर रही थीं। उन दिनों मैं वहां गया, बाढ़ पीड़ित लोग यह समझने लगे कि मैं अपोजिशन का मैम्बर हूं इसलिये सरकार कुछ देने वाली नहीं है। अब उनको कोई आशा नहीं है कि सरकार कुछ हमारे लिये कर सकेगी। मेरा निवेदन है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसकी कोई सीमा है या नहीं? मुझे इसका बड़ा अफसोस है। काम सिर्फ डिपार्टमेंट वालों की तनख्वाह के लिये और उनके टाइम पास करने के लिये किया जाता है मौके पर कोई काम नहीं होता है। मैं पहले एम. पी. था। मैंने भारत का भ्रमण किया है। लेकिन मैंने कहीं इतनी टूटी हुई सड़कें नहीं देखीं जितनी यहां पर हैं। यहां पर सड़कों में गड्ढे हो गये हैं, उनकी ठीक तरह से मरम्मत नहीं होती। चाकसू की जो सड़क है उसमें एक नाला है वह पूरा का पूरा टूट गया है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती। हम इतनी बातें उठाते हैं लेकिन कोई उसका निराकरण करने वाला नहीं है। अकाल की जो समस्या है, मैं समझता हूं, 26 जिलों में कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं फसलें सूख रही हैं। कुछेक जिलों को छोड़ दें तो बाकी सब जगह बाढ़ आई हुई है। मेरा निवेदन है कि इस अकाल में, इस बाढ़ के अन्दर प्रत्येक गांव में, प्रत्येक पंचायत में कुछ बेरोजगार लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, सरकार इस पर ध्यान दे। इस प्रकार की योजना बनाये कि प्रत्येक जिले में जो गरीब लोग हैं, कई लोग मजदूरी करते हैं, अगर वहां आप काम नहीं खोलेंगे तो उनको मजबूर होकर शहरों में आना पड़ेगा। इससे शहरों में अव्यवस्था फैल जायेगी। अगर कोई भी गांव का मजदूर शहर में 2-4 महीने टिक जाता है तो फिर वह वापस गांव जाना पसन्द नहीं करता और शहर में ही झोंपड़ी बनाकर अपना जीवन बिताना चाहता है। सरकार इस प्रकार की योजना बनाये कि जितने लोग खेती में लगे हैं, जो केवल मजदूरी पर निर्भर हैं

(श्री रामकंवार बैरवा)

वह आराम से वहीं जीवन बिता सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री माधवसिंह दीवान।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : पिछले बजट सत्र में हमारे वित्त मन्त्री जी ने....

श्री अध्यक्ष : आप सरकार की तरफ से बोल रहे हैं।

श्री माधवसिंह दीवान : वित्त मन्त्री जी ने हमको यह बताया था और सरकारी अफसरों को उपदेश दिया था कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिये हम एक पैसा भी देने में असमर्थ है। आप जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, कितनी जल्दी में हमने वह बजट सत्र पूरा किया और इस बात की कोशिश की कि राज्य की आर्थिक स्थिति पर ज्यादा दबाव न पड़े। उसके 15 दिन बाद पता नहीं राज्य की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरी कि जहां 300 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट चल रहा था वहां हमने 100 करोड़ रुपये सरकारी अफसरों को दे दिये। यह पैसा कहां से आया? जो बजट भाषण दिया गया था उसमें हमको मिसगाइड किया गया। यदि आपने बजट बनाया था तो उस पैसे को कहां छिपा रखा था, आप यह बतायें? विधान सभा के सदस्यों को उस पैसे का पता नहीं चला। आपने और मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिये हम सरकारी कर्मचारियों की जो मांगें हैं, बेरी कमीशन की जो सिफारिशें हैं उनको पूरा नहीं कर सकते। फिर यह पैसा कहां से आया? खास तौर से अभी एप्रोप्रियेशन बिल चल रहा है क्या प्राकृतिक विपदायें खतम हो गयीं? दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत वित मंत्री से पूछना चाहूंगा, अपना उत्तर दें उसमें स्पष्ट करें, अभी आपने हममें अनुपूरक अनुदान की मांगें पास कराई हैं। आपने हमसे पैसा ज्यादा देने के लिये मांगें पास करा लीं। आपने बजट में प्रावधान रखा था? अध्यक्ष महोदय, बजट में प्रावधान कहीं नहीं है, फिर पैसा आया कहां से? हम लोग कोई इकानॉमिस्ट नहीं हैं।। आप अपने को नार्थन इंडिया का सबसे काबिल वित्त मंत्री समझते है इस तरह की कौन सी चीज थी? एक तरफ आपका बजट भाषण था, जो माननीय सदस्यों ने सबने सुना, उसमें आपने भारी उपदेश दिये थे कि कर्मचारियों को अपना कार्य करना चाहिये और विषम आर्थिक स्थिति को देखते हुए मांग नहीं रखनी चाहिये दूसरी तरफ इसी आशय से विधान सभा के सत्र को भी जल्दी समाप्त किया गया ताकि उस बात को पूरा किया जा सके।

दूसरी बात यह है कि अभी आपने सड़कों और पुलों की 40 करोड़ की मांग हमसे पास करवाई। मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया थी कि पी. डब्ल्यू. डी. में करीब 25 हजार वर्क चार्ज्ड श्रमिक काम कर रहे हैं, उनकी करीब करीब महीने की तनख्वाह

(श्री माधव सिंह दीवान)

500) प्रति माह प्रति श्रमिक पड़ती है। इसका मतलब एक माह का सवा करोड़ रुपया आप उन वर्क चार्ज्ड श्रमिकों को देते है अर्थात साल का 15 करोड़ रुपये का कहीं से बजट नहीं आता है, जो भी मेन्टेनेन्स का पैसा जिलों को दिया जाता है उस पैसे में से उन लोगों की तनख्वाह चुका दी जाती है। हालत यह होती है, जैसे आपने 23 करोड़ मेन्टेनेन्स का दिया, 15 करोड़ वर्क चार्ज्ड श्रमिकों की तनख्वाह पर चला जाता है बाकी 8 करोड़ बचता है जिसको सड़कों और पुलों की मरम्मत पर लगाया जाता है। कितने आफिसरों की जेब में जाता है, कितना लगाते हैं। हालत आप देख रहे हैं, सड़कों की मेन्टेनेन्स की क्या है और क्या नहीं है। जब विभाग के लोगों से पूछा गया वर्क चार्ज्ड श्रमिक क्या करते हैं, तो हमको कन्सल्टेटिव कमेटी में बताया गया कि उनके कोई रूल्स नहीं हैं, हमें काम कराना पड़ता है और वे करते हैं। मैंने जान पहचान के एक ए.ईएन. और एक्स.ईएन. से पूछा तो उन्होंने कहा, हमारे लिये ये बोझ हैं, न काम करते हैं न करने देते हैं। अगर 15 करोड़ रुपये सरकार इस तरह से वेस्ट कर दे तो फिर कहां उसका उपयोग होगा कब उसका उपयोग होगा? मैं यह सरकार को स्पष्ट बताना चाहूंगा कि इस तरह के जो फालतू लोग हैं या तो उनसे काम लिया जाय और अगर आपमें काम लेने की क्षमता नहीं है तो कम से कम हार्ड डिसीजन लेकर उनको घर बिठाइये या पूरा उनका इलाज करिये।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद। बोलना चाहेंगे?

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : दो मिनट बोल दूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश का एक दुर्भाग्य तो यह है कि बाढ़ और अकाल जहां पर बहुत आते हैं वहीं पर हम इन सारी योजनाओं के लिये, पानी को रोककर स्टोरेज के लिये या इन सड़कों को बनाने के लिये पैसे की मांग करते हैं तो हमारे लिए पैसा नहीं है। मेरा सीधा सादा आरोप है कि सरकार का नियंत्रण नहीं है, जो पैसा मिला है, उसे हम समय पर खर्च नहीं करते हैं। वह पैसा केवल इधर-उधर करने में चला जाता है। आज केवल भ्रष्ट राजनेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों को ही ध्यान रहता है कि कहां पर पैसा जा रहा है, योजना में पैसा जा रहा है और कौन आफिसर कहां पर लगेंगे। केवल नेता और अधिकारियों के आगे-पीछे चक्कर लगाने के अलावा दूसरा काम नहीं होता।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टोंक जिले में जो बाढ़ आई, आज तक वहां काम नहीं हुये और केवल काम ही नहीं हुये ऐसा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा एक तालाब है भम्बोर, वहां पर 1.80 लाख रुपये रिलीफ वर्क के लिये मिले। न तो हम कोई स्कीम बना सकते हैं कि कहां पर 1.80 लाख रुपये लगेंगे। पंचायत के जहां पर 209 तालाब टूटे थे वहां पर 18.69 लाख तो केवल 6 तालाबों के

(219)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

लिए अकाल राहत मद से दिये थे और 3.09 लाख हमने दूसरे मद से दिये थे, केवल 6 तालावों के लिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो 6 तालाबों को पैसा मिला नवम्बर 1981 में, आज मेरे पास लिखित में डाकूमेंट हैं, मैंने उनसे पूछा, कितना पैसा खर्च हुआ। जहां उनको 1.80 लाख मिला था उन्होंने 34,711 रुपये खर्च किया। जहां 1.80 लाख मिला था वहां झाबरी तालाव पर केवल 27,296) इन्होंने खर्च किया है। आज किसी प्रकार का हमारा नियंत्रण नहीं है। हमारे जिले की नगर पालिका को 16.50 लाख रुपया सड़क की मिट्टी और कचरा उठाने के लिये सहायता विभाग से मिला, क्षतिग्रस्त कार्यों के जीर्णो-द्धार के लिये 50 हजार रुपया स्वायत्त शसान से मिला, सड़क नालियों की मरम्मत के लिये इनको पैसा मिला। यह मिला 1-12-81 को और बाकी 23-2-82 को मिला। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पैसा दिसम्बर, जनवरी और फरवरी में मिल गया था उसमें से आज सितम्बर तक में कितना पैसा खर्च हुआ? केवल 3.42 लाख खर्च हुआ है। यह हमारी अक्षमता का प्रतीक है, आज हमारी सर-कार का किसी प्रकार का नियत्रण नहीं है, कोई अधिकारी सरकार से डरता नहीं है। भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट आफिसरों की मिली-भगत से सारा पैसा, सारे प्रदेश का पैसा जो विकास में लगना चाहिये वह केवल उनकी जेबों में जाता है। क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, सभी माननीय सदस्य जानते हैं मै आपको बताना चाहता हूं कि इस अकाल और बाढ़ का राजनीति में उपयोग किया जाता है, कहां बाढ़ आती है और कहां अकाल पड़ता है और पैसा कहां पर खर्च होता है। कभी समय आएगा तो बताऊंगा कि कहां कितने कुएं, कितनी जमीनें, कितना नुकसान हुआ और वह पैसा कहां पर लगा हुआ है, तो शुद्ध राजनीतिक दृष्टि से जहां पर आवश्यक है वहां पर नहीं लगता है। जहां पर आवश्यक नहीं है वहां पर लग रहा है। इतना ही ध्यान दिलाकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरराराम।

श्री अमरराराम चौधरी (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे राजस्थान का आर्थिक ढांचा है वह लड़खड़ा रहा है, हमारी जो आर्थिक पोजीशन है सुदृढ नहीं है। हम पर ओवर ड्राफ्ट बढता जा रहा है इसका जो मूल कारण है, वह है हमारी आर्थिक नीति। हमारी योजना बनाने वाले जो अधिकारी है, वे इस प्रकार की योजना बनाते हैं, पहले काम शुरू कर दिया, कुछ सड़क बना ली, डामर बिछा ली फिर उसके बाद रोड आधी बनी, उसके बाद मे कन्क्रीट डालकर वे उस काम को छोड़ देते हैं और 25 साल तक उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। उस पर कन्क्रीट बिछी हुई है, लोगों के जो रास्ते ठीक थे लोग आराम से गुजर सकते थे, वे आराम से गुजर नहीं सकते। धीरे-धीरे कंकर उठा-उठा कर लोग अपने घरों में ले जाते हैं। लाखों रुपये रोड के बरबाद हो गये, रोड कामयाब नहीं हुई, वैसी की वैसी पड़ी रहती है। हम अर्थ वर्क

(श्री ग्रमराराम चौधरी)

कराते हैं, फेमिन में ग्रर्थ वर्क करवाते हैं रेगिस्तान में, विशेषकर हमारे बाड़मेर में रोड पर मुरड़ डाली गई फेमिन खतम हो गया अगर दुबारा फेमिन हुग्रा तो उसी रोड के लिये हम देखते हैं वापस नोट भेजते हैं कि ग्रर्थ वर्क कराया जा रहा है, ग्रर्थ वक हुग्रा। एक दो लाख पहले खर्च कराया दो तीन लाख फिर खर्च हुग्रा। कारण यह है कि कोई भी काम ग्राप लेते हैं, जैसा ग्रभी मंत्री महोदय ने कहा था, उसकी उपयोगिता होनी चाहिये। कोई भी काम लो चाहे इरिगेशन का लो, वह पूरा हो। ग्रापने जगह जगह रोड्स बनाई, करोड़ों रुपये लगे। जरूरी नहीं है कि ग्राप फेमिन में लोगों को काम दें, लेकिन ग्राज जितनी भी ग्रापकी फेमिन रोड्स हैं, ग्रधूरी पड़ी हैं, ग्रापका मैटीरियल पड़ा हुग्रा है। ग्रापने डामर रोड्स मंजूर कर दीं, हमको राजी कर दिया कि हमने वहां पर फलां काम कर दिया, लेकिन जो ग्रेवल रोड थी उस पर बसेज चलती थीं, वह बद हो गईं। लोगों का ग्राज से 50 साल का रास्ता था उस पर ग्रापने ग्रेवल बिछवा दी, रोलर फिरा दी, मैटीरियल बिछा दिया, लेकिन डामर नहीं कराई है। यह भी टुकड़ों के ग्रन्दर। 4 महीने एक ठेकेदार ने काम किया, 10 महीने दूसरे ठेकेदार ने काम किया।

ग्राखिर इसका काम कब होगा? या तो कोई फेमिन होगा तब होगा या ग्रौर कोई मौका ग्रायेगा तब इसको टेकग्रप किया जायेगा। प्लान में तो वह रोड है नहीं। इसलिये यह सारा पैसा हम इस प्रकार वेस्ट करते रहे। हमारा जो ग्रोवर ड्राफ्ट बढ़ रहा है वह इसीलिए बढ़ रहा है? यह हमारे ग्रधिकारियों की गलत नीति के कारण हो रहा है। वह लोग इस बात के बारे में नहीं सोचते हैं। हम लोग यह सोचते हैं कि हम तो पांच साल के लिये एम०एल०ए० बन गये या यह सोचते हैं कि हमें तो दो साल काम को देखना है। यह भावना ग्राज हम लोगों में है वह जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक हमारे प्रदेश का विकास नहीं हो सकेगा।

ग्रध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि ग्रभी यहां जितने माननीय सदस्य बोले उनमें से कोई दो-तीन माननीय सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने यह बोला होगा कि हमारे यहां पर पुल बनाये जाने चाहिये। पुल कहां बनेंगे, ग्रध्यक्ष महोदय, जहां किसी व्यक्ति की जान को कोई खतरा नहीं है या जहां पानी के पहुंचने की उम्मीद नहीं हो वहां पर पुल बनाते जाते हैं। जहां पर लोगों की जान को खतरा वहां पर या जहां पर 15 दिन या महीने पर रास्ते बन्द हो जाते हैं वहां पर पुल बनाने के लिये ध्यान नहीं दिया जाता है। जहां पुल की उपयोगिता नहीं है वहां पर पुल बनाये जा रहे हैं।

ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रब जनता जागरुक हो गयी है। मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राप खुद जाकर मौका देखें। हमारे जो सार्वजनिक निर्माण मन्त्री हैं उन्होंने कभी लूणी नदी देखी ही नहीं,

(श्री अमराराम चौधरी)

वह कह रहे हैं कि वहां कुछ घण्टों के लिये रास्ता बन्द होता है। मेरा निवेदन है कि एसे अधिकारी जो गलत सूचना देते हैं उनके खिलाफ मन्त्री महोदय को कार्यवाही करनी चाहिये। जहां महीनों तक रास्ता बन्द रहता है मेरी ही नजर के सामने, अध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति को मैंने आज से तीन साल पहले बहते हुए देखा और उसकी जान चली गयी। हमारा रास्ता बन्द हो जाता है तो हमारे यहां पर सामान पहुंचाने और मरीजों को लाने ले जाने में बहुत भारी तकलीफ होती है। वहां पर पुल क्यों नहीं बनाया जा रहा है? आप कहते हैं कि काज-वे बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जब बरसात आती है तो वहां काज-वे पर रेत आ जाती है फिर काज-वे क्या करेगा। पहले काज-वे बनाने का कोई प्रस्ताव ही नहीं था, वहां पर पहले पुल बनाने का प्रस्ताव था। तो मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकारियों ने पहले के मन्त्री महोदय को इस बात के लिये राजी कर लिया था कि वहां पर काज-वे से ही काम चल जावेगा। इसलिये वहां पर पुल नहीं बना कर वहां पर काज-वे बना दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है मन्त्री महोदय से कि वहां बान्ध बनाने का काम हो वहां पर बांध बनाये जाय। अभी फेमिन में हमारे यहां पर थोड़ा बहुत काम हुआ जिसमें यूड़िया और खोरिया का बान्ध बनाया गया था। वहां पर फेमिन में थोड़ा बहुत काम हुआ उसमें दो-तीन लाख रुपये खर्च किये गये लेकिन बाद में उन कामों को बन्द कर दिया गया तो मेरा निवेदन है कि जहां पर बान्ध न बनाकर आप सिर्फ एनीकट ही बना दें आप उनको पक्का बना दें। ऐसा आपके यहां पर प्रावधान हो तो वहां पर पानी रह जायेगा और वहां पर पास में जो ट्यूब-वैल्स हैं उनमें भी पानी का लेवल ऊपर आ जावेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे बाड़मेर में आज इससे अच्छी व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा यहां पर राजस्थान नहर के बारे में भी कहा गया है। गंगानगर के इलाके के लोग जानते हैं, जैसा कि माननीय सदस्य विश्नोई जी ने कहा कि बाड़मेर तक पानी जायेगा। पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर राजस्थान नहर के टेल में आयेगा इसलिए वहां पर पानी पहुंचने में बहुत समय लगेगा, करीब दो-चार महीने भी लग सकते हैं पानी पहुंचने के लिये जैसा कि बिजली के मामले में होता है। आपने बिजली के खम्मे तो खड़े कर दिये हैं लेकिन हालत यह है कि जब बिजली के कनेक्शन देने का सवाल आता है तो आप सौ कनेक्शन मांगने वालों में से सिर्फ तीन को ही बिजली देते हैं। इसका कारण यह है कि बिजली है ही नहीं। यह हालत है। तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन है कि हमारे यहां बाड़मेर क्षेत्र में सिवाना और पचपदरा का क्षेत्र पहाड़ी एरिया है, वहां पर आप खास-खास जगहों पर एनीकट बनाकर पानी को रोक सकते हैं जिससे वहां के कुओं पानी के लेवल में भी बढ़ोतरी होगी और

(श्री अमराराम चौधरी)

उससे हमारे पीने के पानी की जो समस्या है, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम जो है, उसमें राहत मिलेगी। हमारे वहां पर तालाब भी हैं और, अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले समय जब अकाल राहत के कार्य खुले थे उसमें वहां पर काम हुआ था जिसमें रोहड़ और गंगवास के तालाब बनाये गये। वहां उन तालाबों में 12-12 महीने तक पानी रहता है। राजस्थान नहर को लाने के लिये आप अगर सारा पैसा उसी पर ही लगाते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन अगर आप सचिवालय के शृंगार में पैसा खर्च करेंगे और दूसरे कामों में पैसा लगायेंगे तो राजस्थान नहर नहीं आने वाली है। यदि आप ऐसे काम करते रहेंगे स्कूल खोलते रहेंगे या कालेज खोलते रहेंगे तो यह राजस्थान नहर की जो आप बात करते है वह पूरी नहीं होगी और जो यह हमारे ऊपर ओवर ड्राफ्ट है वह बना रहेगा। हमारी इकॉनॉमिकल हालत नहीं सुधरेगी। हमारे यहां पर विकास भी पूरी तरह से नहीं हो सकेगा और न, हम राजस्थान को हरा भरा ही कर सकेंगे। इसलिये मैं मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा, मैंने प्रश्न भी किया था और मेरी डिमान्ड भी थी कि पुल और सड़कों के अधूरे कार्यों को पहले पूरा किया जावे। आज ऐसी स्थिति है, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर एक मैटल रोड है जो सन् 26 में बनी थी पचपदरा से खेड तक उस पर कांकरीट डाली हुई है पर आज तक उस पर डामर नहीं डाला गया है। आज एक भी आदमी उस सड़क पर नहीं चलता है उस पर कहते यह हैं कि लोग पास के खेतों पर क्यों चल रहे हैं, जब सड़क बन गयी है। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे हमारे अन्दर राष्ट्रीय भावना नहीं होगी तब तक राष्ट्र का और अपने प्रदेश का विकास नहीं होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में राजस्थान में अकाल और बाढ़ जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है जिसमें कई माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। उसमें मैं भी मेरा योगदान करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही महत्व का है। मेरे से पूर्व विद्वान वक्ताओं ने परमानेन्ट सोल्यूशन के लिये अपने सुझाव दिए थे उसी तरह के परमानेन्ट सोल्यूशन के सुझाव मैं भी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में वर्षा का औसत 294 मिलीमीटर है और अबकी बार सिर्फ 127 मिली मीटर हुई है। सदन के अन्दर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है उसके अनुसार मेरे ख्याल से इतनी कम वर्षा कभी नहीं हुई इस रेश्यो में। फिर भी अकाल राहत मन्त्री ने अपने उत्तर में कहीं मेन्शन नहीं किया। झुंझुनू जिले में अकाल राहत के बारे में पार्वती नदी और पता नहीं अन्य कितनी नदियों के बारे में यहां पर कहा लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जवाहरलाल नेहरू कैनाल का

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

नाम लेते पता नहीं इन्हें क्या शर्म आती थी। क्योंकि मैं समजता हूं कि इसका श्रेय हमारे जिले के मन्त्री श्री शीशरामजी ओला को मिल जायेगा जो कि कभी उनके लैफ्टिनेन्ट थे। वे नहीं चाहते हैं कि उनकी स्थिति एक केबिनेट मन्त्री के बराबर हो जाय मैं कहता हूं कि इस से उनका क्या बिगड़ता है? परन्तु राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर मन्त्री महोदय ने इस प्रकार का कहीं भी जिक्र नहीं किया जबकि मेरे से पूर्व 3-4 वक्ताओं ने इस बात को मेन्शन किया था तो फिर क्या कारण है? अध्यक्ष महोदय, अभी भी समय है मन्त्री महोदय को चाहिये अपने मष्तिष्क को साफ करके इसके लिये स्पष्ट उत्तर दें। इस मायाजाल को हटाया जाय। जवाहरलाल नेहरू कैनाल का प्रवेश राजस्थान के अन्दर होगा कि नहीं, यह बतावें। आज तक इस बात कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैं, अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं, प्रभारी मन्त्रीजी हमारे वहां अकाल राहत मीटिंग में आये जब उनसे पूछा गया कि हम चाहते हैं कि हमारे यहां फेमिन के बारे में परमानेन्ट सोल्यूशन तो हो उन्होंने कहा कि हमारे वह नहीं है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां का जो कीमती समय नष्ट करते हैं, और यहां पर जवाहरलाल नेहरू कैनाल के बारे में बात करके अपना समय बरबाद करते हैं, या तो यह बतावें कि इसका कहीं उल्लेख है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको छोड़ा जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो अकाल की भयंकर विभीषिका दिख रही है इसके लिये दो सजेशन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक बात की बड़ी चर्चा है कि राजस्थान की केबिनेट के अन्दर कई सुयोग्य मन्त्री हैं, उनमें से एक श्री नरेन्द्रसिंह जी भाटी हैं जिन्होंने पश्चिमी राजस्थान के विकास के लिये राजस्थान नहर के बारे में एक योजना प्रस्तुत की है। उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? उसमें, माननीय अध्यक्ष महोमय, लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम दी गयी है जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर नागौर और चूरू जिले के लोगों के लिये पीने के पानी के साथ-साथ पशुधन के लिये फोडर कृषि के लिए सिंचाई की समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपकी यह योजना तुगलकी योजना है तो आप इसको कनडेम करें और यह कारगर योजना है तो इसको लागू किया जाय। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ वरिष्ठ मन्त्रीयों का निहित स्वार्थ है इसमे जोधपुर सम्भाग की नेतागिरी एक नये मन्त्री के हाथ में चली जायेगी, यह खतरा है।

एक माननीय सदस्य : किस की? कौन है वह?

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : मैं क्या बताऊं, आप सभी लोग जानते है, माननीय श्री मदेरणा साहब हैं और कौन हैं, जो कि

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

ऊर्जा और पता नहीं कौन-कौन से विभागों को लेकर उन पर सांप की तरह कुन्डली मारकर बैठे हुए हैं। इसने किसी मन्त्री के ऊंचे उठने का या नीचे जाने का प्रश्न नहीं है इससे प्रदेश की और हमारे गरीब किसान भाइयों का विकास जुड़ा हुआ है। इसके लिये यहां पर घोषणा होनी चाहिये। इस पर अपने विवेक से काम लें। नेता वही हो सकते हैं जो प्रभावी हों। इनके पास इर्रिगेशन विभाग है और यही डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं परन्तु फिर भी यह क्यों नहीं हो पाता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक तीसरा सजेशन आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में बाधा उपस्थित नहीं करें, आपस में बात नहीं करें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय अध्यथ महोदय, आपके माध्यम से तीसरा सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज यहां आने वाले दो सौ के दो सौ माननीय सदस्य इस बात से चिन्तित हैं, क्योंकि एक या दो बारिश की कमी से हमारी फसलें बिलकुल जल गयी हैं और खेत में जायें तो मालूम पड़ता है कि किसी श्मशान में खड़े हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इन विभीषिकाओं के लिए समय रहते उपाय नहीं सोचेंगे तो उनका क्या होगा? हमारे यहां आर० ए० पी० पी० फर्स्ट इकाई सैकण्ड इकाई चलती नहीं हैं और थर्ड इकाई का आने का सवाल ही नहीं है। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने बहुत बड़ी घोषणा की थी क्योंकि उनको विश्वास था कि ऊर्जा मन्त्री एक लोह पुरुष हैं लेकिन पता नहीं क्यों इन चार सालों में उनको जंग लग गयी। पता नहीं इसका क्या कारण है? ऊर्जा विभाग उनके पास आते ही स्कीम तो बनती है लेकिन पूरी नहीं होती। प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज का क्या हुआ? कोटा थर्मल प्रोजेक्ट का सैकण्ड फेज माननीय मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि जून में आ जायेगा, अगस्त में आ जायेगा। अब तो सितम्बर आ गया। मैं आपके सामने कहता हूं कि अगर यह सरकार उसको नवम्बर में भी ले आये तो मैं इस्तीफा दे दूंगा इस सदन से।

श्री अध्यक्ष : इस्तीफे के बारे में मैंने प्रारम्भ में ही आज प्रातःकाल व्यवस्था दे दी थी।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मन्त्री जी में जो निष्क्रियता आ रही है उसको हटाने के लिए ही निवेदन कर रहा हूं ताकि उनको मालूम पड़े कि आज प्रदेश का किसान किस बुरी तरह से त्रस्त है। उसको आगे आने वाला भविष्य दिख रहा है। उसको न बिजली मिलेगी और न नहर से पानी मिलेगा। आज सिंचाई शुरू नहीं हुई है, बुवाई शुरू नहीं हुई है। जब उसको अभी ही नहर से पानी नहीं मिल रहा रहा है, बिजली नहीं मिल रही है तो आगे क्या मिलेगा? तो मेरा नम्र निवेदन है कि फलाना थर्मल, फलाना

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

लिग्नाइट की टैक्निकल सैंक्शन हो गई, फाइनेंशियल सैंक्शन हो गई लेकिन उसके ऊपर क्या खर्च हुआ। अभी तक सिर्फ चीफ इन्जीनियर की ही पोस्टिंग हुई है। उन्होंने अपना बजट उठाना शुरू कर दिया लेकिन वहां पर एक ईंट भी नहीं रखी गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश के लिए बहुत ही ज्वलत समस्या है। इसकी तरफ इस मन्त्रिमण्डल को ध्यान देना चाहिए। और वह इस मामले में अपने आप को असमर्थ पाते हैं तो उनको माननीय वेंकटरमन की तरह चले जाना चाहिए। एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बाहर जाकर अपना चेहरा दिखा सकें कि हमने यह आदर्श प्रस्तुत किया। परन्तु मैं समझता हूं कि सिर्फ आपस की लड़ाई में यह लगे हुए हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से अपने से आगे कोई नहीं निकल जाये। इनकी सब की योजना कनपटीमार योजना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ नेतागिरी की लड़ाई में हमारे झुंझुनू जिले में जवाहर लाल कैनाल नहीं आ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी कनपटीमार योजना के कारण पश्चिमी राजस्थान के अन्दर राजस्थान कैनाल का जो विकास होना चाहिए था और जिसके लिये नवयुवक मन्त्री द्वारा योजना प्रस्तुत की गयी थी उसको लागू नहीं किया जा रहा है। सिर्फ मन्त्रिमण्डल की आपस की राजनैतिक दुर्भावना है जिसका नतीजा पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही भावना कोटा थर्मल और पलाना लिग्नाइट के प्रति है। इसके द्वारा हो सकता है बीकानेर का विकास हो जाय। कोटा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है सिर्फ इसीलिए इसको लागू नहीं किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश को बहबूदी के लिए हम सब सम्मिलित रूप से और समान रूप से जिम्मेदार हैं। अगर ऐसा हम नहीं समझेंगे तो आने वाला समय बहुत ही कठिन निकलेगा। पिछले अकाल की विभीषिकाओं को भूल गए, उनको समझकर इसको युद्ध स्तर पर लागू करें ताकि यह प्रदेश उन्नति कर सके।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम में माननीय मन्त्री जी का ध्यान कुछ मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, गत वर्ष आई बाढ़ में जिला सवाई माधोपुर के करीब 116 गांव प्रभावित हुए। 12 करोड़ 80 लाख का सम्पूर्ण जिले में नुकसान हुआ। जिस सम्पत्ति का नुकसान हुआ, उसमें सरकारी सम्पत्ति भी थी और वहां के मूल निवासियों की भी सम्पत्ति थी। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आखिर में जिस

(श्री हंसराज शर्मा)

क्षेत्र में इतनी बड़ी क्षति हुई, जो आपने किताब बनाकर दी है और भारत सरकार को प्रेषित की है उसमें यह है कि कितना नुकसान जिले में हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां 80 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये और लास्ट में 600 रुपये से ज्यादा किसी को एक पैसा भी नहीं दिया। जो कुएं बरबाद हो गए आज दिन तक उनकी मिट्टी निकालने के लिए एक पैसा नहीं मिला। जिनके खेत बरबाद हो गए उन खेतों की सफाई के लिए भी राज्य सरकार ने कुछ मुआवजा देने के लिए आश्वासन दिया था लेकिन आज की तारीख तक एक पैसे का भी काश्तकारों को मुआवजा नहीं मिला। करीब 5 लाख के इंजिन बाढ़ में बह गए, काश्तकारों के पास जमीन नहीं रही, पैसा नहीं रहा, मकान नहीं रहे, फिर भी आज सरकार उनसे रिकवरकी करने, वसूली करने के लिये उनके पीछे पड़ रही है। बैंकों को राज्य सरकार ने इस प्रकार के कोई निर्देश नहीं दिये कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनका किसी प्रकार का कर्जा माफ किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी सन्दर्भ में निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा बाढ़ राहत कार्य के लिए पैसा दिया गया था, जैसी कि सदन में आम चर्चा हो रही है, मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा दोहरी नीति अपनाई जाना मानवता के लिए ठीक नहीं है। जैसा कि लोगों ने कहा कि बाढ़ के सम्पूर्ण पैसे का यहां बड़े-बड़े लीडर्स, बड़ी-बड़ी बस्तियों और आबादी के लिये उपयोग किया जाता है। गांवों से तो वैसे भगवान भी नाराज है व सरकार भी नाराज है। जो पैसा गांवों के विकास कार्यों में लगना चाहिए था, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पैसा लगना चाहिए था वह वहां नहीं लगाकर, उस पैसे का शहरों की सुन्दरता के लिए, खूबसूरती के लिए, आवागमन के लिये, बढ़िया-बढ़िया गाड़ियों में घूमने के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह गांवों के साथ एक तरीके से अन्याय किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में काश्तकारों को काफी नुकसान हुआ फिर भी उनको ज्यादा से ज्यादा 600 रुपये दिये हैं जबकि शहर में रहने वालों को एक हजार दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि टोंक में रहने वालों की कीमत ज्यादा है बनिस्पत गांवों में रहने वालों के? इनकी कीमत किस तरह आंकी है। कस्बे में जिनका नुकसान हुआ उनको एक हजार रुपया और जो गांवों में बिलकुल ही बरबाद हो गये, जिन्होंने जनता के सहयोग से पूड़ी खाई है और जनता ने जिनको सहारा दिया है, कपड़े दिये हैं उनको 600 रुपये। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको और सहायता दी जाये।

(श्री हंसराज शर्मा)

इसी के साथ साथ मैं आपके माध्यम से हमारे प्रभारी मन्त्रीजी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यद्यपि माननीय मन्त्री महोदय हमारे क्षेत्र के हैं, प्रभारी मन्त्री भी हैं लेकिन यह बिलकुल ही अचेत हैं। यथा नाम तथा काम नहीं कर सके। हम तो सोचते थे कि मन्त्रीजी का जैसा नाम है वैसा काम करेंगे, जिले का विकास करेंगे, बहुत सारा पैसा लगायेंगे लेकिन वह बिलकुल ही अचेत अवस्था में रहे। इस कारण से सारा जिला बाढ़ में तो डूबा ही लेकिन उनके नेतृत्व से भी डूब गया। उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, बाढ से या अतिवृष्टि से रोड्स को नुकसान हुआ। मैंने माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान प्रश्नों के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से आकर्षित किया और वहां मीटिंगों के माध्यम से भी आकर्शित किया कि सवाई माधोपुर से शामपुरा रोड बनी थी आपके कर्मचारियों ने अतिवृष्टि में बहा दी। वह पूरी नहीं बन पाई थी या कागजों में बन गयी थी, यह ईश्वर को मालूम होगा या मन्त्री महोदय को साढे तीन लाख रुपये की उसकी मेन्टेनेन्स की रिपोर्ट आई। मन्त्री महोदय से कहा तो जवाब मिला, पैसा बांट खाया है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं आखिर पैसा गया कहां। जो हमारे नाम पर मिला है उसका कुछ तो वहां लगा दो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 31 मार्च, सन् 79 को बनास पर जो पुलिया बन रही थी उस क्षेत्र में उसका काम समाप्त हो जाना चाहिये था। 79 में टार्गेट्स पूरे हो जाने चाहिये थे लेकिन आज की तारीख तक वह अधूरे पड़े हैं। उसमें यह कन्डीशन है कि सरकार की तरफ से काम में डिले होगी तो उसके काम में आने वाला सीमेंट, बढने वाली मजदूरी और सम्पूर्ण बढी कीमतें राज्य सरकार को वहन करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस पुलिया का काम 96 लाख रुपये में होने वाला था, उसका कम्पलीट होते होते तीन-साढे तीन करोड़ का पेमेन्ट करना होगा। उसमें जो पैसा लग गया वह राज्य सरकार के खजाने से चला गया, उससे जो पब्लिक को सहारा मिलना चाहिए था वह नहीं मिला और उसके बदले सरकार को तिगुणा पैसा देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसी आधार पर अन्य मुद्दों की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपने पांच मिनट के लिए कहा था पहले।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं। माननीय सिंचाई मन्त्री जी बहुत सावधान हैं, सतर्क हैं और खूब काम करा रहे हैं मैं उनके प्रति कतई असन्तोष प्रकट नहीं करता लेकिन मैं उनको यह जरूर ध्यान

Page No 229

(श्री हंसराज शर्मा)

दिलाऊंगा कि जिला सवाई माधोपुर में बांधों को बचाने के लिए आपने 5-5 लाख के मोमजामे के त्रिपाल खरीदे हैं किन्तु जिन काश्तकारों की जमीन, मकान बहे हैं उनको सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप इसकी जांच करें। आप लाखों रुपया बांधों को बचाने के लिये और सामान खरीदने के लिए दे सकते हैं लेकिन काश्तकारों को नहीं दे सकते हैं इसलिए निवेदन करूंगा कि आप इसकी जांच करें। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि पांच लाख रुपये की जो योजना है उसमें लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है....

(व्यवधान)

उसमें घोटाले हो रहे हैं उनकी आपको जांच करनी चाहिये थी लेकिन आपने जांच नहीं की। जिस प्रकार बन्ध मोरेल पर काम किया जा रहा है वह बिलकुल गलत है। उस पर सही काम नहीं हो रहा है। उस बान्ध को पुनः खतरा नहीं हो जाय इसलिए मेरा निवेदन है कि आप स्वयं पधारो, जांच करो कि कहीं पुनः ब्रीच और सीपेज न प्रारम्भ न हो जाय, ठेकेदार की गलती से यह बान्ध डूब जाय और जनता की तकदीर भी फूट जाय इसलिए मेरा निवेदन है।....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

थोड़ा-सा, अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करूंगा, थोड़ा सा....

(व्यवधान)

हमारा सवाई माधोपुर पिछड़ा हुआ जिला है, बैकवर्ड जिला है। उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स की घनी आबादी है, जमीन उपजाऊ भी है लेकिन हमारे यहां पानी की कमी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम नदियों के किनारे भी बैठकर प्यासे मर रहे हैं। हमारे यहां से चम्बल नदी गुजरती है जिसके किनारे किनारे जमीनें हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना पिलाई के एक एकड़ जमीन में 30 मन ज्वार होता है। इतनी उपज राजस्थान के इतिहास में कहीं नहीं होती होगी बिना सिंचाई के। अगर सिंचाई की व्यवस्था मोरेल से कर दें तो हजारों एकड़ जमीन दो फसली हो सकती है।

दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे जिले के बीच में होकर बनास नदी गुजरती है। बनास नदी के दोनों किनारों पर कुआं खुदवाते हैं तो 300–350 फीट पानी की गहराई है। जो बनास नदी का एक किलोमीटर लम्बा क्षेत्र है उसमें 425 फीट पानी की गहराई है। हमारे यहां के लोग कहते हैं कि हमने तो इसका पानी बीतता नहीं देखा। वहां यदि लिफ्ट सिंचाई चालू कर दें तो बौंली तहसील और सवाई माधोपुर तहसील के लोगों को काफी

(श्री हंसराज शर्मा)

सहायता मिलेगी और राहत मिलेगी। हम आपका अभिनन्दन करते रहेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि जहां तक बाढ़ और अकाल का प्रश्न है यह प्रश्न तो आता रहा है और आता रहेगा, जहां-जहां पैर पड़े सन्तन के तहं-तहं बण्टाधार। यह सरकार तो बाढ़ में ही जन्मी है और बाढ़ राजस्थान को ले बैठी है। मन्त्रिमण्डल बाढ़ में गया, मन्त्री महोदय बाढ़ में गये, सारे गये बाढ़ और अकाल में। अकाल और हमारे कृषि मन्त्री जी का गहरा सम्बन्ध है। जब तक कृषि मन्त्री जी रहेंगी कमला जी, तब तक ये राजस्थान में अकाल रहेगा। जब तक ये कृषि मन्त्री रहेंगी, यह सब कुछ तो चलता ही रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब समय काफी हो गया है।

वित्त मन्त्री जी

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न पूछना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि आज बजट का री-एप्रोप्रियेशन बिल पेश हो रहा है और सदन का सारा आक्रोश माननीय राजस्व मन्त्री जी पर उतर रहा है। बजट की जो सारी जिम्मेदारी है वह वित्त मन्त्री जी की है। जनता के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है सरकारी खजाने का दुरुपयोग न करने देने की। अध्यक्ष महोदय, हम बोलने के लिये समय नहीं चाहते हैं पर चार प्रश्न पूछने के लिये समय दिया जाय। चतुर्वेदी जी, आप पूछ लीजिये।

श्री अध्यक्ष : इनके चार सवाल हैं इसलिये आपको पहले अवसर दे रहा हूं।

श्रीमती विद्या पाठक : चतुर्वेदी जी आप....।

श्री अध्यक्ष : ये दो ही पूछ रहे हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो....

(व्यवधान)

श्री जय देव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : आपके समय में से दो मिनट दे दें।

आज्ञा है ?

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

अध्यक्ष महोदय, हम जो यहां बैठे हैं जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी हैं । मैं आपसे बात करूंगा । एक तो यह है कि हमने तो यह बात समझाने की बहुत चेष्टा की सरकार को कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वे सर्वोपरि हैं और उनकी बात को प्राथमिकता मिलनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : वाजिब बात है ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : लेकिन हम समझा नहीं सकें । अब आपसे मैं विनती करता हूं कि आप इनको चेम्बर में बुलाकर धीरे से, प्रेम से, स्नेह से समझायें कि जन प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जाते हैं, जो बात देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं वह बात यदि आपको कहें तो उस बात पर आप गौर करें । लेकिन होता यह है कि जन प्रतिनिधि कहते हैं उसकी बात को तो महत्व नहीं दिया जाता है और जो अधिकारी लोग कहते हैं उनकी बात को ज्यादा महत्व दिया जाता है । कलेक्टर की रिपोर्ट सरकार के लिए अन्तिम है चाहे वह झूठी हो या सही हो । जन प्रतिनिधि सही बात कहते हैं तब भी उनकी बात सही नहीं मानी जाती है और कलेक्टर की बात सही मानी जाती है । इसलिए एक बात तो आप धीरे से इनको यह समझा दो ।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि कृपया इनको कहिये कि जिस व्यक्ति की शिकायत की जाती है वह धीरे धीरे चलती हुई उसी व्यक्ति के पास पहुंच जाती है ।

श्री अध्यक्ष : यह तो आम तौर से होता रहता है ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : जिसकी शिकायत की गई है उसकी जांच का क्या कोई ऐसा नियम बना रखा है कि कलेक्टर ही करें, एस० डी० एम० ही करें, तहसीलदार ही करें, पटवारी और गिरदावर ही करें । आखिर में तो वह शिकायत नीचे के स्तर तक पहुंच ही जाती है । अब होता क्या है, या तो कलेक्टर जवाब नहीं देता है और अगर देता है तो पटवारी अथवा गिरदावर की जो रिपोर्ट होती है वह दे देता है, चाहे वह रिपोर्ट सही हो या गलत हो । ये दो बातें हैं । मैं जिस जिले से आया हूं, अध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह से मालूम है वह रेगिस्तानी इलाका है । हमारे चूरू जिले में गत वर्ष अकाल का काफी काम हुआ है और वह संजीदगी के साथ काम किया गया है । आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन पांच पैसे मिलते हैं । मेरे क्षेत्र में जब प्रभारी मन्त्री जी को मैंने यह निवेदन किया तो उन्होंने कृपा करके बात को बहुत ध्यान से सुना, उसका समाधान भी किया । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, कुछ ऐसे इन्स्ट्रक्शन्स होने

(श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया)

चाहिए कि जहां 5-7 रुपये से कम मिलता हो उस काम को शुरू करने मे लाभ ही क्या है। और मजदूरी का हिसाब बतायेंगे कब ? एक महीने बाद बताएंगे कि तुम्हारे हिसाब में 5 पैसे मजदूरी आयी है। श्रीमन्, 5 पैसे की तो कोई चीज मार्केट में मिलती नहीं है। इस तरह की जो व्यवस्था है उसको सुधारना चाहिए।

पेयजल के बारे में आपसे निवेदन करूं, मैंने प्रश्न पूछा था हैन्ड पम्प के सम्बन्ध में किन्तु समयाभाव के कारण वह नहीं आ सका। 77 हैन्ड पम्प मेरे क्षेत्र में लगे हैं। जब उनके बारे में रिपोर्ट मंगायी गई तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि 64 हैन्ड पम्प तो चल रहे हैं और 13 बन्द हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपने किसी विश्वसनीय आदमी को वहां भेज दीजिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं, 13 चालू हैं और बाकी सब बन्द हैं। 11 तारीख को एस. डी. एम. को साथ लेकर मौके पर मैंने दिखाया तो इसी ढंग की व्यवस्था है। वहां पानी के नाम पर पैसा तो दे दिया लेकिन लोग प्यासे हैं। एक बात विचित्र है, टिडियासर ग्राम में पाइप लाइन के द्वारा बहुत पहले, जब श्री चन्दनमल जी मन्त्री थे, पेयजल की व्यवस्था की थी किन्तु ...

एक माननीय सदस्य : वह तो आज भी हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : जलदाय मन्त्री थे उस वक्त।

गत एक साल मे ऐसा हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी दो महीने में पानी आता है, कभी तीन महीने में पानी आता है। अधिकारियों को कहते हैं तो जवाब मिलता है, सब खोद दिये-चालू हैं। पानी वहां पहुंचा नहीं और अभी इसी 11 तारीख को मैं एस डी. एम. को साथ लेकर टिडियासर गांव में गया तो वहां लोगों ने जो बात कही वह अक्षरश: तो मैं इस सदन में नहीं रखूंगा लेकिन उन्होंने रोष भरे शब्दों में यह बात कही कि आज एक साल भर से कभी दो दिन पानी आता है कभी तीन दिन पानी आता है हम प्यासे मर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आखिर में हमने तो निश्चय कर लिया कि आप अपने पाइप उठा लो। साढे बारह हजार रुपये गांव वालों ने मिलकर लगाकर कुए से पिलाई शुरू कर दी है। लेकिन पेयजल की बहुत बड़ी आवश्यकता है, उसकी ओर जिला अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया तो उन्होंने कहा कि टिडियासर वाले तो शिकायत करने के आदी हो गये हैं। अब इसका इलाज क्या है। आखिर मेरा यही दोष रहा कि इसके लिये मैंने मन्त्री महोदय को कष्ट नहीं दिया। मन्त्री महोदय के नोटिस में यदि लाता तो सम्भव है इसकी व्यवस्था होती। आपके माध्यम से आज इनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि जहां अभी पाइप लाइन लगी हुई है, उस पाइप लाइन से, गांव में जो आदमी रहते हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है और खर्चा उस पर लग रहा है। कृपया इसकी व्यवस्था करिये। बैशाख जेठ के अन्दर वर्षा हुई, उससे बाजरे की फसल बहुत अच्छी दिखायी दे रही थी,

(श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया)

अध्यक्ष महोदय, हम प्रसन्न भी थे लेकिन अभी जो झोला चला उससे बाजरे में दाना कम पड़ा। मोठ और ग्वार पर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ा है। अभी यह तो निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता कि कितनी फसल हुई है क्योंकि गिरदावरी शुरू नहीं हुई है। सम्भव है, एक अक्टूबर से गिरदावरी शुरू हो। आशंका यह बन चुकी है कि अकाल ने चूरू जिले को अपना घर बना लिया है। आये साल अकाल पड़ता है। दूसरे जिले जैसे झुन्झुनू नागौर में भी पहले अकाल पड़ता था। वहां भी वर्षा कम है। मैं समझता हूं, जैसे माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं अकाल राहत के अन्दर जो काम शुरू किये जायं वह ऐसे काम होने चाहिएं जो आगे आने वाले अकाल के लिए लाभदायक हों।

अध्यक्ष महोदय, एक बात कहकर मैं समाप्त करता हूं। अकाल के वक्त में जो काम शुरू किये जाते हैं, उनमें अमूमन खानों में मजदूरों को लगाते हैं और धांधला निकलवाते हैं। हम जिला स्तर के अधिकारियों को काफी कहते हैं कि जो धांधला निकाला हैं वह पड़ा है, उसको कृपा करके आप सड़कों पर डलवा दो। लेकिन इस बात को वह मंजूर नहीं करते और रेत का काम कराते कराते आखिर में अकाल राहत के काम बन्द हो जाते हैं। फेमिन रिलीफ के काम के पैसों से जो धांधला निकाला जाता है वह खानों से निकाला जाता है। अब जो अपराधी हैं, जो समाज के अवांछनीय तत्व हैं वे उस माल को उठा कर ले जायेंगे। आये साल यह होता है, तो इसकी भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : घाटे के लिए पूछ रहे हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : मैं विद्या जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने समय में से दो मिनट का समय दिया।

धन्यवाद।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय श्री दीवानजी का प्रश्न रेफर करना चाहूंगी जो उन्होंने पूछा है। पिछले बजट के बाद और पिछले बजट के दौरान वेरी कमीशन की जो रिपोर्ट आयी थी, उस पर आप बराबर यह कहते रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम यहां नहीं दे सकते। माननीय मन्त्री महोदय, आपने शायद गौर किया होगा ट्रेण्ड इन्क्रीज बजट में रखा जाता है 4 से 5 पर्सेन्ट के करीब। इस बार आपने ट्रेण्ड इन्क्रीज रखा था 15 प्रतिशत। आप इस बात का जवाब देंगे कि यह सही है कि नहीं ? हमारी जानकारी के अनुसार 15 प्रतिशत ट्रेण्ड इन्क्रीज बजट में रखा उसके बाद भी आप सदन को गुमराह करते रहे कि पैसा नहीं है और खर्चे व तनख्वाहें किसी भी हालत में नहीं बढ़ायी जा सकतीं। यह उनका प्रश्न था जिसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। माननीय मन्त्री महोदय, ओरिजिनल बजट आप मार्च में लेकर आये वह कितने का था ? आपने टैक्स भी लगाये,

(श्रीमती विद्या पाठक)

उसके बाद आप निरन्तर यह कहते रहे कि इससे घाटा कम होगा। पिछले 6 महीने के अन्तराल में ही आप आज फिर 82·72 करोड़ रुपये का बजट लेकर आ गये। यह पीस मील बजट रखने की प्रथा बहुत गलत है। इसको आप गलत मानते हैं या नहीं? इसका भी आप जवाब देंगे। आपके बजट पर यद्यपि आज मुझे बोलना शिड्यूल नहीं था लेकिन सरसरी तौर से इसका एक्सप्लेनेट्री नोट देखने से पता लगता है कि आप कितना धन किसके लिए चाहते हैं। वह एक्सप्लेनेशन भी सफिशिएन्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त, मन्त्री महोदय, आप यह भी बताएंगे, इसमें कुछ....

श्री चन्दनमल बैद : ज्यादा टाइम लगातीं तो और मिल जाता।

श्रीमती विद्या पाठक : मन्त्री महोदय, आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद आप यह भी बताएंगे, इसमें कुछ पैसा सेन्टर का भी है और कुछ पैसा यहां का भी है, उसको आपने स्पेल आउट नहीं किया है? जो शरणार्थियों के लिए पैसा केन्द्र से आया, क्या वे नये शरणार्थी आये हुए हैं? पिछली बार यह सब बजट में क्यों नहीं रखा या इस बार बीच में बढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ी है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसी अन्य विधान सभा सदस्यों ने भी शंकाएं व्यक्त की हैं, मैं भी धन के दुरुपयोग के विषय में सिर्फ एक ही सड़क के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। माननीय राजस्व मन्त्री, अकाल राहत मन्त्री भी हैं। एक सड़क देवीकोट, जैसलमेर से क्षेत्रावा तक 62 से बन रही है उसे आज तक आप पूरी नहीं करवा पाये। हमारे यहां की सारी सड़कें घपले में पड़ गई हैं। पी. डब्ल्यू. डी. सड़कें पूरी करे नहीं, अकाल राहत कार्य करे नहीं, दूसरे विभाग करते नहीं, तो जो बजट आपने रखा उसका पैसा कहां गया, बिना सड़कें बिना? इसका कुछ पता नहीं। सांगानेर का एक छोटा सा नाला अब तक नहीं बना है। जितनी राशि में सड़कें पक्की और बढ़िया बन सकती थीं, उससे कहीं ज्यादा राशि कच्ची सड़कों के पांच-पांच बार टूटने के कारण खर्च हो गयी। चन्दलाई बांध के विषय में कहना चाहूंगी। वहां कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं ने लाखों रुपये लगा करके बाढ़ से इफेक्टेड लोगों के लिए कुछ मकान बनाने चाहे। आपके जयपुर कलेक्टर महोदय ने इरिगेशन विभाग की रिपोर्ट के विरोध में उन लोगों को बांध की डूब में बसा दिया। जो जमीन पानी के पेटे में आती थी और जहां पर सदा बाढ़ से बह जाते थे वहां बसा दिया उसके लिए उन कलेक्टर महोदय का एक्सप्लेनेशन क्या है? वाईटल प्रोस्पेक्ट में देखते हुए ऐसा क्यों किया गया? चन्दलाई का बांध कच्चा बना हुआ है इसके लिये समय-समय पर आपके विभाग को अनेकों बार लिख कर भेजा जा चुका है। यहां जो रात में जमीन की कुटाई होती है उस कार्य में लग रहे एक-एक ट्रेक्टर से डीजल की चोरी पचास से साठ लीटर तक प्रतिदिन होती है। इस तरह से डीजल की चोरियां हो रही हैं। चन्दलाई बांध की शिकायतें बहुत बार

(श्रीमती विद्या पाठक)

विभाग को मिल चुकी हैं, वह आज भी शहर की तरफ से टूटा हुआ है परन्तु विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। मैं आशा करती हूं इन्हीं कुछ बातों, शंकाओं की माननीय मन्त्री महोदय जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : वित मन्त्री जी।

(व्यवधान)

अभी एक वाचन और पड़ा है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल एक स्पेसिफिक सवाल है जो मैं माननीय अकाल राहत मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं। पिछले साल जो बाढ़ आई उसमें कोटा जिले की ईमरानो बांध बहा था। उसके बारे में आपने सदन में यह आश्वासन दिया था कि तीन महीने में इन्क्वायरी करवा लेंगे। ये मिनट्स अपने यहां के विधान सभा के हैं, किन्तु आज 13 महीने हो गए। क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उसकी इन्क्वायरी रिपोर्ट आ गई है और राज्य सरकार ने उस पर विचार कर लिया है? क्या निश्चित रूप से आप हमको उसके बारे में एनलाइटन करायेंगे?

दूसरा सवाल, बाड़मेर सड़क कांण्ड की बहुत चर्चा हुई है जिसके कि सारे के सारे टेण्डर जोधपुर में लिए गए अभी इसकी डिटेल में जाने का समय नहीं है, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अस्सी लाख बताये थे किन्तु उसमें एक करोड़ से ऊपर का घोटाला है। मुझे यह निवेदन करना है कि एण्टी करप्शन के पुलिस अधीक्षक, मिस्टर बी. वी. सिंह वहां गए, उन्होंने 21 अगस्त को जोधपुर के वृत्त-2 के, सारे कागजात जब्त किए, बाड़मेर के कागजात भी जब्त किए। उन्होंने सड़कों के इन्सपेक्शन का डायरेक्शन दिया है। उन सड़कों में कौन-कौन लोग आयेंगे कौन-कौन लोग फंसेंगे, कितने भाई हैं कितनी बहिनें हैं, कितने लड़के हैं यह तो भविष्य में सामने आएगा लेकिन वी. वी. सिंह, जो पुलिस अधीक्षक हैं, ने सारी इन्क्वायरी शुरू की थी, मेरी जानकारी है कि तीन या चार सितम्बर को उनको बदल कर दो उप अधीक्षक उस इन्क्वायरी के लिये लगा दिए गए हैं। मैं पूछना चाहूंगा स्वयं अकाल राहत मन्त्री जी की इच्छा से ऐसा हुआ है या पुलिस विभाग ने ऐसा किया है। इसमें राजनैतिक दबाव की बहुत बड़ी गन्ध आती है। मैं मन्त्री महोदय से स्पेसिफिक जानकारी चाहता हूं, जिस पुलिस अधीक्षक ने उस काम को प्रारम्भ किया है क्या वही पुलिस अधीक्षक, जो बहुत ईमानदार हैं, उस कांड की इन्क्वायरी करेंगे या उनको 3 या 4 तारीख को बदल दिया है?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्रीमती विद्या पाठक : एक सैकण्ड में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को यह और निवेदन करना चाहूंगी, आप यह बतायेंगे कि ओरिजिनल जो बजट आपने मार्च में पेश किया था और अब जो

(श्रीमती विद्या पाठक)

सप्लीमेंट्री बजट पेश कर रहे हैं वह सप्लीमेंट्री बजट उसका कितना प्रतिशत है और आपके बजट एस्टीमेंट्स में कहां गड़बड़ हुई है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष....

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरे दो सवालों का जवाब हो जाय। मैंने अकाल राहत मन्त्री महोदय से दो स्पेसिफिक सवाल किये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत मन्त्रीजी से आप उत्तर दिला दें तो उनका जवाब इसी वक्त आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर देना चाहेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरी डिमाण्ड तो पास हो चुकी है, अब कैसे पूछ रहे हैं ये सवाल मुझ से ?

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मुझे कोटा के बांध और अकाल के बारे में बोलना था लेकिन मैं बोल नहीं सका ...

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं। आप बोल लिए। उस वक्त आप बोलते तो मैं उसका जवाब देता आपको।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अगर आप जवाब नहीं देना चाहेंगे तो मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : इमरानी की जांच रिपोर्ट क्या थी और किस निर्णय पर वह जांच पहुंच चुकी है इसकी इस वक्त मेरे पास में जानकारी नहीं है। मैं माननीय सदस्य को कल यह जानकारी दे दूंगा। और....

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अगर तीन महीने में इन्क्वायरी नहीं हुई होगी तो उन अफसरों के विरुद्ध एक्शन जरूर लेंगे जिन्होंने जो आपने कमिट किया था उसका पालन नहीं किया।

श्री परसराम मदेरणा : मैं अभी क्योंकि रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के भाषण से बहुत प्रभावित हुआ हूं और इसलिए आपसे कहता हूं कि आप यह चाहते हैं कि हर अफसर के बारे में आज कहना शुरू कर दूं तो....

(9.25 रात्रि)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

अफसर भी गुमराह कर सकते हैं, यह कोशिश भी करते हैं लेकिन उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा यह हाईपोथेटिकल कोई कमिटमेंट करना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : दूसरा सवाल और रह जाता है और बहुत बड़ा स्पेसिफिक सवाल किया है, वह भी इसी के सम्बन्ध में है।

श्री परसराम मदेरणा : जो दूसरा सवाल वह दूसरी मांग से सम्बन्धित है। वह मांग नम्बर 34 से सम्बन्धित नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मांग नम्बर 21, 23, 34 देखिये, मन्त्री महोदय। अकाल राहत में बहुत बड़े घोटाले हुए हैं उनमें इन्क्वायरी शुरू हुई है उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं। क्या ऐसा हुआ है, यह बतावें ?

श्री परसराम मदेरणा : एण्टी करप्शन के पास जो केस अण्डर इंवेस्टीगेशन हैं, इन्वेस्टीगेशन के बाद उनमें जो भी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। अभी तक इंवेस्टीगेशन कम्पलीट नहीं हुआ है। वह अभी तक जांच कर रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने सवाल यह नहीं किया है। मिस्टर बी. बी. सिंह, जो सुपरिन्टेंडेंट एण्टी-करप्शन हैं, वहां गए। उनको इंक्वायरी दी गई। उन्होंने 21 तारीख को जोधपुर के वृत्त-2 के सारे कागजात जब्त किए, सड़कों का मुआयना किया, कितनी वहां पर डेप्थ है उसकी जानकारी ली। मुझे जानकारी मिली कि तीन या चार सितम्बर को मिस्टर बी. बी. सिंह को बदल दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें राजनैतिक दबाव की गन्ध आती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पेसिफिक सवाल इसीलिए करना चाहता हूं, क्या उनको बदल दिया है और अगर बदल दिया है तो क्या आपकी कनायवेंस हैं बदला या क्या बात है ? इसका कारण क्या है, यह पूछना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे कतई जानकारी नहीं है कि बी. बी. सिंह को बदल दिया गया है। मुझे इस बात की जानकारी है कि वे एण्टी करप्शन के बहुत बड़ा अमले के साथ गये थे और कागजात वहां से लाए थे। आज ही मुझे सुबह जानकारी मिली उन कागजों में से कुछ कागजात मस्टर रोल वगैर लाए थे। यह सब देख कर कि वे अनपेस्टेड हैं, उन्होंने मस्टर रोल्स वापस दे दिये हैं और केस अण्डर इवेस्टीगेशन है। बी. बी. सिंह से यह इंवेस्टीगेशन ले लिया गया है या दूसरे किसी को सुपुर्द कर दिया गया है, यह इस वक्त मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह उत्तर कल दे दें, साहब। मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया।

श्री परसराम मदेरणा : एप्रोप्रियेशन बिल नम्बर 3 पर....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : I am not going into technicalities.

श्री परसराम मदेरणा : अब यह कंसीडरेशन स्टेज से पारित होने की स्टेज के अन्दर अपोलो की तरह एण्टर हो रहा है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं तो, माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष जी की रूलिंग बता रहा हूं। उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया वह तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा था एजीटेटेड लोग हैं उनको बाद में मौका दूंगा, वे बाद में बोल सकेंगे। मैं बोलना चाहता हूं किन्तु....

श्री परसराम मदेरणा : जानकारी तो मैं आपको निश्चित रूप से कल ही इसकी भी दे दूंगा और अगर हो सका तो आज रात को ही जानकारी देने की कोशिश करूंगा।

श्री सभापति : माननीय वित्त मंत्री महोदय।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : सभानेत्री जी, एप्रोप्रियेशन बिल नम्बर-3 पर जो बहस हुई, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाढ़ सहायता और अकाल सहायता कार्यों पर बहस हो रही है. उसके एक कंटीन्यूशन में है। वह मांग पास हो गई थी, उसके बाद एप्रोप्रियेशन बिल पर....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी।

श्री चन्दनमल बैद : मैं भी निवेदन कर रहा हूं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो सवाल बाद में इस विषय पर रखे वह माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था के अनुसार थे।

श्री चन्दनमल बैद : सभानेत्री जी. आम तौर पर नियम यह है कि जो डिमाण्ड पास हो जाती है उसके बारे में एप्रोप्रियेशन बिल पर जिक्र नहीं किया जाता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदया, पोइन्ट आफ आर्डर।

It is a direct reflection on the Chair.

श्री सभापति : माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी थी।

श्री चन्दनमल बैद : सभानेत्री जी, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या व्यवस्था दी थी लेकिन मैं एक नियम की बात कर रहा हूं। किसी पर रिफलेक्शन की बात नहीं है। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य जबर्दस्ती मेरे मुंह में रखना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सभापति महोदया, पहले माननीय अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था मंगाली जाये, उस पर विचार होगा तब चर्चा हो आगे। यह बड़ा अत्याचार होगा उनके साथ।

श्री सभापति : माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी जो इस पर नहीं बोल पायेंगे वह एप्रोप्रियेशन बिल पर बोल सकते हैं। इसमें डिस्प्यूट कहां है।

श्री चन्दनमल बैद : ठीक है। मैं तो नियम की बात बता रहा हूं। व्यवस्था की चता को चैलेन्ज मैंने कभी किया नहीं। फिर भी जो बात यहां कही गई है उसके बारे में....

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था सर्वोपरि है।

(9.30 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : मैंने जो व्यवस्था दी थी उसमें मेरा आशय यह था जो कानून की बारीकियां जानते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त हैं वह एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलेंगे। एप्रोप्रियेशन बिल के स्कोप में कौन कौनसी चर्चाएं आती हैं, उससे अधिकतर माननीय सदस्य परिचित हैं। जहां तक डिमान्ड्स का सवाल है, डिमाण्ड्स में अपने क्षेत्रों की समस्याएं, अकाल की क्या स्थिति है, अलग अलग कोई मामले भी हों, इस तरह के मुद्दे उठाये जा सकते हैं इस स्टेज पर। आप कोई मुद्दा उठायें जिसका ताल्लुक वित्त मंत्री जी से नहीं हो तो उसका जवाब देना संभव नहीं होगा। उल्टे विपक्ष के नेता महोदय ने तो यह सुझाव दिया था डिमाण्ड अलग अलग नहीं ली जायें और एप्रोप्रियेशन बिल के स्टेज पर सब चर्चाएं हों। लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों की सहूलियत के लिये जिन दो डिमाण्ड पर डिस्कस होना था, उन डिमाण्ड्स का रखा उस प्रायोरिटी में। उस पर जो चर्चा हो सकती थी वह उस वक्त ही हो सकती थी। इसलिए आप मेरी व्यवस्था के बारे में जो कह रहे हैं कि इस एप्रोप्रियेशन बिल की स्टेज पर बातें उठायी जा सकती हैं उसकी तो मैं व्याख्या नहीं कर सकता। कोई इन्डिविजुअल मामला हो या इस तरह के केसेज हों, वह अभी उठाये जायें, जिनका वित्त मंत्री जी जवाब नहीं दे सकें, मेरी व्यवस्था से यह बात तो नहीं निकलती।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, फिर भी आपकी इजाजत हो तो मैं निवेदन करना चाहता हूं। यह कहा गया पिछली 19 जुलाई, 81 को जो बाढ़ आई उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। मुझे याद है, अध्यक्ष महोदय, वह दिन, उस दिन हम लोग कुछ दिल्ली से आये थे और हवाई अड्डे पर उतरना मुश्किल था। हवाई

(श्री चन्दनमल बैंद)

अड्डे से जयपुर शहर में घुसना मुश्किल था। बहुत सी बस्तियां, बहुत से इलाके एक दूसरे से कटे हुए थे। अगर काम नहीं होता तो सारी सुविधाएं कैसे हो जाती? क्या जगह जगह पुल नहीं बन गये हैं? क्या जगह जगह नालों को नहीं बांधा है? यह ठीक है हम सारा काम 31 मार्च, 82 तक नहीं कर सके। इसके लिये भारत सरकार ने हमारी कठिनाई को महसूस किया। उन्होंने जो रकम हमको दी थी, उसको खर्च करने की अवधि 31 मार्च, 83 तक बढ़ा दी। वह हमारी कठिनाई समझती है। मान लीजिये, ओ. टी. एस. की बिल्डिंग बन रही है। क्या जुलाई में जो ध्वस्त इमारत हैं, उसको 31 मार्च, 82 तक बनाया जाना संभव था? इस वास्ते उन्होंने बहुत सी बातें हमारी महसूस करके समय अवधि को बढ़ाया और समय अवधि के अनुसार हम पूरी इस बात की कोशिश करेंगे। हमारे पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर, सिंचाई मंत्री दोनों मौजूद हैं, उन्होंने आपकी बहस को सुना है। मुझे पूरा भरोसा है जो भी भारत रकम सरकार से मिली है, जो भी सिंचाई के कार्य, सड़क के कार्य हाथ में लिये हैं, उससे उन सारे कामों को 31 मार्च, 83 तक पूरा कर सकेंगे और आप लोगों को भी सन्तोष होगा।

अब कहा यह गया नाग तलाई पर ब्रिज नहीं बनाया। अध्यक्ष महोदय, नाग-तलाई पर दो ब्रिज तो पूरे हो गये बन कर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने बांध कहा, नाग तलाई का बांध है यहां पर मूल पानी आता है।

श्री चन्दनमल बैंद : नाग तलाई का कोई बांध-वांध नहीं है। उसके ऊपर दो ब्रिज बनाने थे वह बन गये। उसके बाद जो उसका नाला है उनको पक्का कराने का काम है उसके लिये 40 लाख रुपये का प्रावधान कर दिया गया है। कुछ काम शुरू भी हो गया है। काफी काम बाकी है। लेकिन 31 मार्च, 83 तक वह पूरा हो जायगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।

अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में कई बातें उठाई गई कि कुछ जगह 300 रुपये दिये गये कुछ जगह 750 रुपये दिये गये कुछ के बाकी रह गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारत सरकार की बाढ़ की जो सहायता देने की नीति है उसके अनुसार जिसका पूरा मकान पानी में फ्लड वाटर में बह गया है उसको दो सौ रुपये की सहायता दी जायगी। जिसका पार्शल डेमेज, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है उसको सौ रुपया दिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमने दो सौ के बजाय 600 रुपये दिये। जहां हमने यह देखा कि, भई, बहुत गरीब इलाका है, शायद इससे काम भी नहीं चलेगा, वह राशि बढ़ाकर 1050 तक दी है। शहर के बारे में कहा गया, कुछ लोगों

(श्री चन्दनमल वैद)

को पैसा दिया गया कुछ को नहीं दिया गया। यह ठीक है, कुछ को नहीं दिया। मंत्रिमण्डल की बैठक में निर्णय हुआ, खाली पैसे देने के बजाय उनको कहीं बसा दिया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यह बराबरी की रकम डेमेजेज के रूप में देनी थी वह हाउसिंग बोर्ड से पैसा लेकर, दूसरे तरीके से जो पैसा इकठ्ठा कर सकते थे, सारों का पूल बना कर यह सोचा कि मुरवलीपुरा या अन्य किस्म की बस्तियां बसा कर जिन लोगों के मकान नष्ट हो गये हैं, उन लोगों को स्थायी रूप से मकान बना कर दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा। बनिस्पत इसके कि उनको दो सौ, तीन सौ की राशि दें। इसका अपव्यय भी कर सकते हैं, दूसरे कामों में खर्च कर सकते हैं। इसलिये उसके बजाय परमानेन्ट रूप से बसा दें तो निश्चित रूप से ज्यादा अच्छा होगा, इस वास्ते उस तरह का काम कर रहे हैं। मैं समझता हू, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है बल्कि व्यवस्थित काम करने में समय ज्यादा लगा। इसलिये भारत सरकार के पास बार-बार इस बात के लिये गये कि हम व्यवस्थित रूप से काम करना चाहते हैं, इस वास्ते इस समय अवधि को बढ़ायें। पहले 30 सितम्बर तक बढ़ायी थी, हमने फिर प्रार्थना की, इसी दस तारीख को हमको आदेश मिल गया है, यह अवधि आपको 31 मार्च, 83 तक मंजूर की जाती है। मैं समझता हूं इसके बारे में माननीय सदस्यों को सन्तोष होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग से सम्बन्धित कुछ प्रश्न सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या ने, सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने और बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाये और सुझाव भी रखे। उनका कहना यह है कि जब आप यह कह रहे थे कि हमारे पास पैसा देने को नहीं है तो यह कर्मचारियों के लिये सौ करोड़ रुपया कहां से आ गया। अध्यक्ष महोदय, हमने बजट में ही इस बात का जिक्र किया है, चार डी. ए. 40 करोड़, के 80, 81 व 82 में ड्यू होंगे और अन्तरिम सहायता 1 सितम्बर, 1981 से दे रहे हैं। वह तो पहले ही मंजूर हो गई थी। अन्तरिम सहायता जो दे रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी लेकर के चार डी. ए. हमको देने थे, उस पर जो पे इनक्रीज आता है वह सारी बात तो मैंने खुद अपने बजट भाषण में कही है। वह सभी बातें हमने बजट में रख दी थीं। फिर समझ में नहीं आता यह कैसे कह रहे हैं, हम नहीं देंगे? यह हमने नहीं कहा, नहीं देंगे। हम तो यह कह रहे हैं, जितना आप समझते हैं आपको हम पैसा दे दें, जितना हमसे मांग रहे हैं उतना हमारे लिये सम्भव नहीं है। मैंने कभी यह नहीं कहा कि जो जायज मांग है वह हम नहीं देंगे, बल्कि बार-बार यह कहा गया कि जायज मांग हम मानने के लिये तैयार हैं लेकिन यह वक्त मांग मनवाने का नहीं, यह वक्त कठिन परिश्रम का है। यह मैंने कहा बुरी बात तो नहीं कही। अगर मैं कर्मचारियों को नेक सलाह

(श्री चन्दनमल बैद)

देता हूं, यह समय मांग करने का नहीं बल्कि कठिन परिश्रम का समय है तो कोई बुरी बात नहीं है। जो समझौता कर्मचारियों के साथ हुआ है उसकी सीमा तो 30 करोड़ बांधी है। वह कोई सौ करोड़ की सीमा नहीं बांधी गई है, 30 करोड़ की सीमा बांधी है और तीस करोड़ के अन्दर ही पैसा देना है। कुछ पैसा उनको दे दिया। कर्मचारियों की बात आयी है, मैं कह देना चाहता हूं, कुछ पैसा तो उनको हमने दे दिया लेकिन पे स्केल्स से सम्बन्धि जो मुद्दे तय करने है उसके लिए मन्त्रिमण्डल ने हमारे राजस्व मन्त्रीजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी है। वह मन्त्रिमण्डलीय उपसमिति विचार कर रही है, पे स्केल के मामले पर। वेरी कमीशन ने पे स्केल्स के लिये जो कुछ कहा है उसके लिए हमारे आफिसर्स की जो कमेटी बनी थी उसने पे स्केल के लिये सुझाव दिये थे उनको देखते हुये क्या निर्णय लेना है वह निर्णय मन्त्रिमण्डलीय समिति लेगी। इसकी दो मीटिंग हो चुकी हैं। हम जल्दी से जल्दी इस काम को करना चाहते है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे पूछा गया कि अनुपूरक मांगें बजट का कितना प्रतिशत है। यह सारे बजट का 4.75 प्रतिशत है, तो यह कोई अनहोनी बात नहीं है। ये मांगें हमेशा होती रहती हैं। शायद ही एक आध साल को छोड़ कर कोई साल गया हो। यह तो बजट का हमेशा चक्कर चलता रहता है। अकाल के बारे में हम अनुमान उस समय नहीं लगा सकते थे कि भारत सरकार हमको क्या सहायता देगी। भारत सरकार ने मजदूरी के लिये सिचाई पी. डब्ल्यू. डी. को 20.13 करोड़ दिये जब कि हमने 38 करोड़ से ज्यादा की मन्जूरी दे दी। उस समय कैसे अन्दाज लगा सकते थे कि भारत सरकार हमको क्या राशि देगी और कितना खर्चा करना पड़ेगा। और यह कौन अन्दाजा लगा सकता था कि जुलाई में बारिश नहीं होगी। अन्दाज तो यह था कि जून के आखिर में बारिश हो जायेगी। इसलिए 38 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हो गया। आप कह रहे हैं कि 40 करोड़ सड़कों और पुलों के लिये हैं। मेरा निवेदन है, इनमें से 33 करोड़ तो फेमिन रिलीफ वर्क्स से सम्बन्धित है। तो, अध्यक्ष महोदय, वित्तीय स्थिति अच्छी न होने के बावजूद भी यह बहुत बड़ी राशि खर्च करनी पड़ी। जब प्रदेश के लोग तकलीफ में हों तो वित्तीय स्थिति की आड़ नहीं ली जा सकती। भारत सरकार से हम बार-बार कह रहे हैं कि इतना पैसा खर्च कर दिया, मेहरबानी करके ज्यादा पैसा दीजिये। इसके लिये हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय मेमोरेण्डम दिये हैं। बराबर हमारे अधिकारी, मन्त्रिगण, मुख्य मन्त्रीजी ऊपर की मिनिस्ट्री के अधिकारियों से मिल कर प्रेस कर रहे कि 20 करोड़ के ऊपर धनराशि और मिले ताकि हमने जो 38 करोड़ खर्च किये हैं वह कम्पेन्सेट हो सके।

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि किसी ने उठाया नहीं इस पाइन्ट को, इसलिये मैं

(श्री चन्दनमल बैद)

सदन के सामने रखना चाहूंगा कि आठवें वित्त आयोग की स्थापना हो गई है। उसके सामने हमें मेमोरेण्डम लेकर जाना है। प्रश्न के रूप में तो माननीय सदस्य ने जरूर पूछा है। अभी नहीं तो एप्रोप्रियेशन बिल नम्बर चार आयेगा, उस समय माननीय सदस्य चाहें तो इस पर विचार रख सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज राजस्थान में जैसा कि हमारे अकाल राहत मन्त्रीजी ने बताया चौथा, पांचवां अकाल पड़ने की आशंका हो रही है। सदन में चारों तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों ने इस बात की आशंका प्रकट की है। भगवान न करे, यदि ऐसा हो गया तो क्या राजस्थान की वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत है कि इतना खर्चा अपने खजाने में से कर सकें? इस साल 38 करोड़ खर्च हुये, और फिर इसी तरह की आफत फिर आ गई तो, मैं समझता हूं, अकाल में, फेमिन में बहुत बड़ी राशि खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए मैं वित्त आयोग के सामने यह रखना चाहता हूं कि यह कोई राजस्थान का संकट नहीं है, यह तो राष्ट्रीय संकट माना जाना चाहिये। राजस्थान ऐसी जगह बसा हुआ है जहां रेगिस्तान है, बारिश कम होती है इसलिये इस बात पर सोचा जाय। अध्यक्ष महोदय, वित्त आयोग में भी मैंने इस बात को रखा था, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सारा खर्चा राष्ट्र को उठाना चाहिये, एक प्रदेश पर नहीं पड़ना चाहिये।

इसके साथ ही पीने के पानी की सुविधा मनुष्य के लिये प्राइमरी सुविधा है। यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अगर जमीन के नीचे पानी नहीं है तो वहां कैसे पानी आ सकता है? चाहे राजस्थान नहर से लायें या दूसरी नहर से लायें उसमें इतना खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए इस प्राइमरी जरूरत को पूरा करने का खर्चा भी राष्ट्र को सम्भालना चाहिये, एक प्रदेश पर खर्चा नहीं आना चाहिये।

इसके अलावा आज हमारे ऊपर 1200 करोड़ का कर्जा है। वित्त आयोग में भी हमने कहा था कि केन्द्रीय सरकार का जो 1200 करोड़ का कर्जा है उसको किसी तरह से रि-शिड्यूल करना चाहिये। 5 साल में, 7 साल में 10 साल में उसे चुकाना है। हम कहते हैं कि उसको रि-शिड्यूल कीजिए 5 साल वाला 10 साल में और 10 साल वाला 20 साल में कर दीजिये। कुछ कर्ज है जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण मजबूरन लेने पड़े या ओवर ड्राफ्ट हो गया 283 करोड़ का जो कर्ज में बदल दिया गया है, 84-85 में इसको पांच साल में चुकाना है, ब्याज भी चुकाना है, उसे मेहरबानी करके माफ कीजिए। तो इस तरह की बात भी निवेदन करना चाहते हैं, कर्ज की स्थिति देख कर कि कौन सा कर्जा किस काम के लिये लिया है उसको या तो माफ कीजिये या उसको आगे के सालों के लिए बढ़ा दीजिये।

इसके साथ ही हम इस बात को भी रखना चाहते हैं कि आज जो वित्त आयोग बैठा है वह अगले पांच साल के लिए रिपोर्ट देगा। पांच सालों का नान-प्लान का खर्चा है उसका लेखा-जोखा देख कर हमारा

(श्री चन्दनमल बैद)

इन्तजाम करेगा। पिछले वित्त आयोग ने हमको 200 करोड़ सरप्लस छोड़ कर यह कहा था कि आने वाले पांच सालों के खर्चे को देखते हुए इतने पैसे का इन्तजाम कर रहे हैं। अब 220 करोड़ का सरप्लस है वह तो कहीं गया, सैकड़ों करोड़ हमारे पर हो गये। न मालूम कितना डी. ए. देना पड़ा, पे-रिवीजन हो गया और बहुत से खर्चे आ गये। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार फाइनेंस कमीशन बैठ कर अगले पांच सालों का इन्तजाम कर देता है उससे कितनी विसंगतियां खड़ी हो जाती है न केवल राजस्थान में बल्कि चाहे महाराष्ट्र, गुजरात हो या तमिलनाड और आन्ध्र हो, जो वित्तीय स्थिति के कारण मजबूत माने जाते हैं उनमें भी विसंगति पैदा हो जाती है। एक बार जब सवाल उठा था तो हमने कहा था कि अभी तो 5-7 प्रदेशो पर ओवर ड्राफ्ट है, साल का अन्त होने तक शायद सारी स्टेट पर ओवर ड्राफ्ट हो जायेगा क्योंकि स्थिति ही ऐसी है। कितने स्टेट्स इतना डी. ए. दे सकते हैं। एक साल मे चार-पांच डी. ए. देना किस स्टेट के बूते की बात है। इस बात को भी पुरजोर शब्दों में रखना चाहते हैं कि बीच-बीच में फाइनेंस कमीशन या ऐसी मशीनरी होनी चाहिये जो हर साल या जब भी जरूरत पड़े यह देखे कि किस प्रकार की विसंगतियां पैदा हो गई हैं, कैसे सुधार हो सकता है, कैसे स्टेट्स की वित्तीय स्थिति को सुधारा जा सकता है। अधिकांश जनहित के कार्य जैसे शिक्षा, सड़कें बिजली, पुल सारे स्टेट्स को करने पड़ते हैं और टैक्स लगाने का सारा अधिकार केन्द्रीय सरकार पर चला जाता है। इस वास्तविकता को, हमारे संविधान बनाने वाले बुजुर्गों, महापुरुषों ने सोचा था कि सैंटर के जो टैक्सेज हैं उनका किस तरह प्रदेशों को हिस्सा दिया जाय, इसके लिये पांच साल में फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति की जायगी। आज पांच साल का समय इतना लम्बा चौड़ा हो गया कि उससे हमारी तुष्टि नहीं हो पाती है। उस पर साल के साल विचार किया जा सके हो, ऐसी मशीनरी बननी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आम तौर पर समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये थे उन सभी के बारे में मैं संक्षेप में जिक्र कर चुका हूं। फिर भी माननीय सदस्य समझते हों कि किसी प्रश्न का निराकरण नहीं हो सका तो अभी चौथा विधेयक पेश करूंगा उस समय उनकी शंकाओं का निराकरण करने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उस को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

इसे पारित कराने सम्बन्धी प्रस्ताव वित्त मन्त्री जी प्रस्तुत करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1982 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई) : अध्यक्ष महोदय, मुझे पिछला 3 मार्च का वह भयंकर दिन याद है जब हमारे वित्त मन्त्री महोदय वेल सूटेड ड्रेस में और टोपी को ढग से सजा कर इस विधान सभा में पधारे थे और दरवाजे में घुसते ही उन्होंने राजस्थान के विकास और राजस्थान के उत्पादन पर कुल्हाड़ी से करारा वार किया था। अध्यक्ष महोदय, उस दिन के बाद से राज्य की वित्तीय स्थिति में घाटा हो रहा है। वित्तीय स्थिति चरमरा रही है। विकास का पहिया चरमरा कर टूट चुका है। इन्होंने अपने बजट के आखिरी पैराग्राफ में अपनी मायूसी का इजहार किया है। अध्यक्ष महोदय, अभी वित्त मन्त्री ने यह जिक्र किया कि हमारे पर लोन है, हमारे ऊपर ओवर ड्राफ्ट है उसको हम या तो लांग टर्म लोन में बदलवाना चाहते हैं या उसको बिलकुल ही खतम करवाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से बजट पेश किया गया है, उसमें आप देखेंगे, किस तरह से राज्य की स्थिति को सुधारने की कल्पना कर रहे हैं। गत वर्ष जो हमारी राजस्व प्राप्तियों थीं उनकी प्राप्ति दर 9 प्रतिशत थी लेकिन इस बार 5 प्रतिशत की कल्पना ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर बढ़ रहा है। नान डवलपमेन्ट खर्चा जो पिछले साल 57 पर्सेन्ट था वह 69 पर्सेन्ट इस वर्ष होगा। एक तरफ रेवेन्यू रिसीट घट रही है, दूसरी तरफ रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर बढ़ रहा है। आपके आडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है और तमाम विभागों की रिपोर्ट भी आई है जिससे जानकारी मिलती है कि आपका करोड़ों रुपया, अरबों रुपया विभिन्न लोगों में बकाया है। इसको किस तरह से आप वसूल करेंगे ताकि आपकी वित्तीय हालत सुधरे। आप किस तरह कल्पना करते हैं, वित्त मन्त्री जी? क्या आप यहां के विकास को अवरुद्ध कर देंगे? किसान पर बिजली पर टैक्स लगा दें, सिंचाई पर पैसा बढ़ा दें, खाद का पैसा दुगुना हो जाये, उसकी पैदावार घटती चली जाये, डीजल के पैसे बढ़ा दें, उसकी कीमत वही रहे उसकी जेब में सरप्लस वेल्यू नहीं आवे तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि खेती की पैदावार बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, जरूरत इस बात की है कि खेती की पैदावार बढ़े। देश के आजाद होने के पहले यह कल्पना, अरमान

(श्री यदुनाथसिंह)

जरूर था कि देश आजाद होने के बाद समाज का निर्माण किस प्रकार करें, यह कल्पना महात्मा गांधी के अलावा दूसरे आदमी के दिमाग में नहीं थी। जिन लोगों को राज्य मिला, अध्यक्ष महोदय, वे पाश्चात्य आधार पर, अमेरिका, ब्रिटेन के आधार पर हिन्दुस्तान की रचना करना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय....

श्री खेतसिंह राठोड़ : चरणसिंहजी के दिमाग में भी नहीं थी ?....

यदुनाथ सिंह : चरणसिंहजी कहां थे उस टाइम पर, सरकार। और ही लोग थे ऊंची क्लास के।

अध्यक्ष महोदय, पाश्चात्य देशों में और हमारे देश में एक प्रमुख अन्तर है। हमारे यहां पर साधनों की कमी है और लम्बे समय तक वह रहने वाली हैं। पाश्चात्य देशों में साधनों की बहुलता है। हमारे यहां पर लेबर अधिकता में है, मजदूर बहुत हैं। उनके यहां लेबर फोर्स कम है। इसलिये अपने यहां पर इस तरह के उद्योग-धन्धे लगाने की आवश्यकता है जिसमें कम पूंजी लगे और ज्यादा आदमियों को रोजगार मिले लेकिन हो उल्टा रहा है। लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। जो दस्तकार थे वे बेरोजगार होते जा रहे हैं और जो वे पैदा करते थे उस चीज के बड़े-बड़े आटोमेटिक उद्योग लगते चले जा रहे हैं। जहां 100 आदमी काम करते थे वहां पर 5 आदमी काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप देखते हैं कि खेती की पैदावार की दृष्टि से देश में कितनी विसंगतियां हैं। ज्यादातर पूंजी खेती से पैदा हो रही है परन्तु दुर्भाग्य से धीरे-धीरे खेती का हमारी नेशनल इनकम में हिस्सा घटता जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारे देश में जिस प्रकार की जमीन है, हमारे देश में तीन मौसम हैं, इन तीन मौसम में हम तीन तरह की फसलें उगा सकते हैं। पहाड़ी इलाका हमारे यहां पर है। संसार में जो कोई फसल पैदा होती है, हिन्दुस्तान में लगभग वह सभी हम पैदा कर सकते हैं। यह सौभाग्य किसी और देश का नहीं है। हमारे यहां अन्न पैदावार की पूरी संभावना है परन्तु राजस्थान कैनाल के लिये हमारे पास पैसा नहीं है, बिजली की योजना के लिये पैसा नहीं है, बिजली आप दे नहीं सकते हैं, इन्टर स्टेट से आप अपना शेयर का पानी ले सकने में सक्षम नहीं हैं, न ही बिजली उत्पादन करके खेतों को हरा भरा कर सकते हैं और न उद्योगों का उत्पादन कर सकते है। तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है, मुझे तो आश्चर्य है, मेरा एक प्रश्न था अतारांकित, मैंने उसमें पूछा था वित्त मन्त्री महोदय से, यह किस तरह की कल्पना करते हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि पूंजी कहां से कहां जा रही है। मेरा प्रश्न बड़ा स्पष्ट था, एक शहरी परिवार की औसत आय और ग्रामीण परिवार की औसत आय क्या है राजस्थान में ? मन्त्री महोदय इससे आगे और भी प्रश्न है,

(श्रीयदुनाथसिंह)

1200 रुपये से कम आय वालों में शहरी तथा ग्रामीण का प्रतिशत क्या है? इस तरह का प्रश्न है। लेकिन जवाब आया है, इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है अतः कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिस सरकार को यह पता न हो, इसका अन्दाजा न हो कि हमारे गांव के आदमी की पर केपिटा इनकम क्या है और शहर के आदमी की आय क्या है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यह सब कागजों में हो रहा है। बड़ी-बड़ी घोषणाएं की जाती हैं। अल्फाज बड़े सुन्दर लिए जाते हैं और बड़े-बड़े कागज रंगे जाते हैं लेकिन जो असलियत है, अध्यक्ष महोदय, वह तो आपको घोर गरीबी, भूखमरी, दरिद्रता, बेरोजगारी, अशिक्षा और हताशा की नजर आयेगी। इसलिये मेरा कहना है कि प्राथमिकताएं तय करो। बिजली कम है तो बिजली को लग्जरी पर खर्च न करें। आप एयर कंडीशन के लिये पैसा ले रहे हैं। क्या इस देश का आदमी एयरकन्डीशन में अपनी जिन्दगी बसर करेगा? आप अय्याशी को कम करिये, लग्जरी पर रोक लगाइये। पूरी तरह फिजूल खर्ची पर रोक लगाइये। पूंजी बचाने की सख्त आवश्यकता है। इससे कृषि उत्पादन बढ़ाइये। आज बिजली जगमगाती रहती है। इससे कितना अन्न पैदा हो सकता है, कितनी फैक्ट्रीज में पैदावार बढ़ायी जा सकती है, इस बात को मद्दे नजर रखना चाहिये। इसके साथ ही हमें बिजली के छोटे-छोटे प्लान्ट लगाने की जरूरत है। हमारे बड़े-बड़े प्लान्ट का एक्सपेरिमेन्ट करीब करीब फेल हो चुका है। हमारे यहां पिक अप पावर है, बेस पावर राजस्थान में है नहीं। एक आर. ए. पी. पी. है जिसका कोई भरोसा नहीं है। भगवान ही मालिक है, कब बिजली देगा और नहीं देगा, कब खड़ी फसल को सुखा देगा गांधीसागर से हम को हमारा हिस्सा मिलता नहीं है। राणा प्रताप सागर में पानी नहीं है, जवाहर सागर में पानी नहीं है। इसलिये नहरों से बिजली मिलने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। मुख्य मंत्री जब कभी बम्बई या कलकत्ता जाते है तो कहते हैं उद्योगपतियों आओ और राजस्थान में उद्योग लगाओ, हम सहूलियत देंगे। किन्तु आज जिन्होंने उद्योग लगाये हैं वे राजस्थान से भागने वाले हैं, उनको रोकने और बिजली देने की स्थिति में हम नहीं है। दूसरे उद्योगपति क्या नासमझ हैं जिनके लिये यह समझते हैं कि वे यहां आकर अपनी पूंजी को फंसायेंगे। आप किसको धोखा दे रहे हैं? आप अपने आपको और राज्य की जनता को धोखा दे रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है इसका उत्तर वित्त मन्त्री जी विशेष तौर से दें। आप की रेवेन्यू इनकम घट रही है, रेवेन्यू प्राप्ति धीरे-धीरे घट रही है और एक्सपेन्डीचर बढ़ रहा है। आपके प्रोडक्शन के जितने साधन हैं, जिनमें उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, उनके लिये आपके पास पैसा नहीं है। न आप नहर बना सकते हैं और न भूमि सुधार कर सकते हैं। इन सब चीजों को मद्दे नजर रखते हुए आप कैसे उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की वित्तीय हालत इस साल सुधरेगी और अगले साल

(श्री यदुनाथ सिंह)

हमारे लिए अच्छा साबित होने वाला है। यह कैसे उम्मीद करें। आप विश्वास दिलावें, वित्त मन्त्री महोदय, आप फिर से इस दरवाजे से हमारे ऊपर कुल्हाड़ा लेकर नहीं घुसेंगे। इस बार हम आशा करते हैं कि आप राजस्थान की जनता के लिए यहां पर एक फूल का गुलदस्ता लेकर आयेंगे और अगले वित्तीय वर्ष के लिए आपकी क्या योजना हैं, यह स्पष्ट करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट लूंगी....

श्री अध्यक्ष : आप बहुत बोल ली हैं। ....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री महोदय बचाव करके निकल जाना चाहते हैं। जो लोग बाढ़ में, अकाल में दुखी हुए, पीड़ित हुए उनका पैसा तय हो गया, मुरलीपुरा में और लोगों को बसाना चाहते हैं। मान्यवर, पांच नाले नाग तलाई बांध में निकलते हैं। वहां पर बांध बांधना चाहिये। स्टेट टाइम का बांध है उसकी पाल बांधने के बजाय उसको सड़क पर ले जा रहे हैं। मान्यवर, जिस रोज आप आये थे गये साल आपको ध्यान होगा, आपने शराबबन्दी खोल दी थी और यह कहा था कि सरकार इसमें विकास के सारे काम कर देगी। शराब में पूरा राजस्थान डूब गया किन्तु विकास का काम नहीं किया गया है।

श्री परस राम मदेरणा : माननीय सदस्या, कौन से बंधे की बात कह रही हैं?

श्रीमती उजला अरोड़ा : नागतलाई के बंधे की। स्टेट टाइम का नागतलाई का बंधा है।

श्री परस राम मदेरणा : वह बंधा तो 1962 में टूटा था, उसका कह रहीं हैं?

श्रीमती उजला अरोड़ा : जी नहीं। आप जोधपुर की बात जानते होंगे।

जयपुर की बात मैं जान सकती हूं। नाहरी का नाका टूट था 1964 में, यह 1981 की जुलाई में टूटा था। नाग तलाई का बांध टूटा है। नाहरसिंह जी का मन्दिर, लक्ष्मीनारायणपुरी, मण्डी खटिकान, गंगापोल, रामचन्द्रजी की चोकड़ी और आगे आकर गोविन्द नगर पश्चिमी, मोती डुंगरी यह सारी डूबी है। Sorry मोती डूंगरी नहीं। मैं कहना चाहती हूं बदरी नारायण की डूंगरी इसमें डूबी है। मान्यवर, आप बात कैसे करते हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्यों, काफी समय हो गया। मैंने समय सीमा निश्चित नहीं की। अब बाध्य हो करके मैं समय सीमा निश्चित करूंगा।

(व्यवधान)

काफी समय हो गया है। अब मैं समय सीमा तय करूंगा। अब इजाजत नहीं दी जायेगी।

(व्यवधान)

इस विधेयक को पारित करने के लिये 10 मिनट का समय दिया जाता है। आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दो बातों का जवाब....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज सरकार की जो वित्तीय स्थिति है उसको देखते हुए जवाहरलाल नेहरू कैनाल की क्या पोजिशन है ? यह बतायें। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि फ्लाना लिग्नाइट की...

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न वित्त विधेयक की सीमा में नहीं आता है इसलिये मैं इनको डिसअलाऊ करता हूं।

श्री चन्दनमल बेद : अध्यक्ष महोदय, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने दो मुद्दे उठाये हैं। एक तो न तो नहरें बनी हैं, न बिजली ही बढ़ी है और न कोई काम हुआ है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि बेसिक फैक्ट्स राजस्थान सरकार के जो प्रकाशित होते हैं मेहरबानी करके उनको देखने की कृपा करें। आपको मालूम होगा कि जब राजस्थान बना था उस समय कितनी बिजली बनती थी, और अब कितनी है। उस समय कितनी सड़कें थी। पहले कितने स्कूल थे और अब कितने हैं। पहले कितने कॉलेज थे अब कितने हैं। यह सब बता कर मैं आपको थकाना नहीं चाहता हूं लेकिन मेहरबानी करके आप उनको पढ़ लें।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सरकारी अधिकारी की सम्पत्ति पहले क्या थी और अब क्या है ?

श्री यदुनाथ सिंह : स्टेटमेंट से पहले आप यह भी देखें कि इसकी तुलना में पड़ोसी राज्यों में कितनी बढ़ोतरी हुई है।

श्री चन्दनमल बेद : अब आप एक नया पाइन्ट ला रहे हैं। मेहरबानी करके यह निश्चय कर लें कि आपको कौनसा पाइन्ट उठाना है। फिर मैं उसी का जवाब दे दूंगा।

Page No 250

श्री अध्यक्ष : पहले जो भाषण दिया है उसी का उत्तर दें।

श्री चन्दनमल बैद : एक राजस्व की प्राप्तियां कम हो रही है, मैं निवेदन करना....

श्री यदुनाथ सिंह : दर कम हो रही है।

श्री चन्दनमल बैद : 1981-82 में 721 करोड़ और 50 लाख थी और 1982-83 में बजट एस्टीमेट के अनुसार हमारी राजस्व प्राप्तियां 870 करोड़ 27 लाख थी, यह बढ़ी है 150 करोड़ 1981-82 से 1982-84 तक। आप मुकाबला करना चाहते हैं, 1981-82 के रिवाइज एस्टीमेट से आप तुलना करना चाहते हैं। 82-83 का रिवाइज एस्टीमेट आयेगा, जो हम बजट के समय पेश करेंगे उससे तुलना करें। आप 81-82 के रिवाइज एस्टीमेट की ...

श्री अध्यक्ष : पुराना कागज पढ़ लिया।

श्री चन्दनमल बैद : 721 करोड़ में 150 करोड़ बढ़ा तो करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। मैं समझता हूं कि इसको सन्तोषजनक माना जाना चाहिए। कैसे मान लिया कि यह सन्तोषजनक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जो दो बातें उठायी गयी थीं उनका जवाब मैने दे दिया है इसलिये मैं इन शब्दों के साथ चाहूंगा कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1982 पारित किया गया।

विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करेंगे। वित्त मन्त्री जी।

श्री यदुनाथ सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर अध्यक्ष महोदय। संविधान के आर्टिकल 205 में साफ लिखा है—

"(a) If the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 204 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure..."

श्री अध्यक्ष : एडीशन नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें क्या पता....

श्री अध्यक्ष : आप 'बी' पढ़ें ।

श्री यदुनाथ सिंह : ऊपर "ए" देखें उसके प्रोविजन के अनुसार....

"(b) If any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service that year."

श्री अध्यक्ष : इसमें "ए" लागू नहीं होता है। "बी" लागू होता है ।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें कैसे पता लगे कि खर्चा हो गया है । आप हमसे एप्रोप्रिएशन कराना चाहते हैं। पर यही पता नहीं है कि यह खर्च हुआ है या नहीं हुआ है ।

विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक 1982

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रस्ताव । मन्त्री जी ।

विधेयक पर विचार

श्री चन्दनमल बैद : "अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1982 को को विचारार्थ लिया जाय ।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री चतुरभुंज (टोडारायसिंह) : विपक्ष तो बिल्कुल डूब गया है।

विधेयक का पारण

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10.08 बजे वृहस्पतिवार दिनांक 16 सितम्बर, 1982 के म० पू० 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

251 (505)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 239 की सूचना

क्र. सं.	शीर्षक	वर्ष	दर्ज हुए अपराध	चालान पेश किये	पेण्डिंग तफ्तीश	पेण्डिंग का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	चोरी	1977	505	186	—	—
	,,	1978	468	181	—	—
	,,	1979	643	205	—	—
	,,	1980	587	198	—	—
	,,	1981	512	131	—	—
	,,	अगस्त, 1982	349	101	43	मुलजिमान की तलाश की जा रही है।
2.	डकैती	1977	6	2	—	—
	,,	1978	9	5	—	—
	,,	1979	14	6	—	—
	,,	1980	14	9	—	—
	,,	1981	12	9	1	अनुसंधान पूर्ण है तकमिलात पूर्ण कर चालान प्रस्तुत किया जा रहा है।
	,,	अगस्त, 1982	9	2	6	पतारसी मुलजिमान जारी है शीघ्र तफ्तीश पूर्ण कर नतीजा पेश होगा।

1	2	3	4	5	6	7
3.	बलात्कार	1977	13	9	—	—
	,,	1978	15	11	—	—
	,,	1979	17	11	—	—
	,,	1980	23	17	—	—
	,,	1981	12	5	—	—
	,,	अगस्त, 1982	11	5	—	—
4.	हत्या	1977	23	15	—	—
	,,	1978	33	25	—	—
	,,	1979	34	24	—	—
	,,	1980	33	26	—	—
	,,	1981	24	18	—	—
	,,	अगस्त, 1982	27	15	10	अभियुक्तों की तलाश एवं पतारसी की जा रही है।
5.	राहजनी	1977	109	48	—	—
	,,	1978	80	31	—	—
	,,	1979	86	45	—	—
	,,	1980	49	29	—	—
	,,	1981	68	27	—	—
	,,	अगस्त, 1982	55	19	9	मुलजिमान की तलाश एवं पतारसी की जा रही है।

———

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 240 की सूची

जिला-बाड़मेर

क्र. सं.	नाम पद	रिक्त पदों की संख्या	नाम पंचायत समिति	तारीख जिससे पद रिक्त हैं
1	2	3	4	5
1.	विकास अधिकारी	2	धोरीमना	2/7/82
			बालोतरा	7/8/82
2.	पशु पालन प्रसार अधिकारी	2	धोरीमना	24/8/76
			बाड़मेर	19/7/82
3.	कृषि प्रसार अधिकारी	3	बायतू	17/12/78
			धोरीमना	1/2/82
			चौहटन	फरवरी, 82
4.	कनिष्ठ लेखाकार	3	सिवाना	25/5/79
			सिणधारी	1978
			बायतू	1978
5.	शिक्षा प्रसार अधिकारी	8	बायतू	25/1/80] 2 पद
				25/3/80]
			धोरीमना	10/1/80
			शिव	जनवरी, 81
			सिणधारी	दिसम्बर, 79
			चौहटन	मार्च, 80
			सिवाना	1/12/79
			बालोतरा	1/7/81

1	2	3	4	5
6.	ग्राम सेवक	20	बाड़मेर	1 वर्ष से (2 पद)
			बालोतरा	1 वर्ष से (1 पद)
			बायतू	2 वर्ष से (5 पद)
			धोरीमना	1 वर्ष से (6 पद)
			शिव	2 वर्ष से (2 पद)
			चौहटन	1 वर्ष से (4 पद)
7.	कनिष्ठ लिपिक	2	शिव	जौलाई, 79
			बाड़मेर	जौलाई, 82
8.	वाहन चालक	2	जिला परिषद	29/7/82
			पंचायत समिति	1973
9.	पशुधन सहायक	5	बायतू	2 वर्ष से
			शिव	1/1/79 4/7/79 } 2 पद
			शिवाना	23/4/79
			बालोतरा	23/12/81
10.	अध्यापक	63	बाड़मेर	जौलाई, 82 (5 पद)
			बालोतरा	जौलाई, 82 (6 पद)
			बायतू	जौलाई, 82 (6 पद)
			सिवाना	जौलाई, 82 (6 पद)
			धोरीमना	जौलाई, 82 (5 पद)
			चौहटन	जौलाई, 82 (13 पद)
			शिव	जौलाई, 82 (15 पद)
			सिणधारी	जौलाई, 82 (7 पद)
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	बालोतरा	2 वर्ष से (2 पद)
	योग	112 पद		

जिला–जैसलमेर

क्र. सं.	नाम व पद	रिक्त पदों की संख्या	नाम पं. स.	तारीख जिससे पद रिक्त हैं
1.	पशु पालन प्रसार अधिकारी	2	जैसलमेर	1/7/82
			सम	1/7/82
2.	शिक्षा प्रसार अधिकारी	2	जैसलमेर	5/12/80
			सम	9/5/81
3.	कनिष्ठ लेखाकार	1	जैसलमेर	6/11/81
4.	कनिष्ठ लिपिक	1	जैसलमेर	वर्ष, 1975
5.	ग्राम सेवक	2	जैसलमेर	वर्ष, 1980
			सम	11/2/82
6.	पशुधन सहायक	1	जैसलमेर	वर्ष, 1978
7.	वाहन चालक	1	जैसलमेर	वर्ष, 1976
8.	अध्यापक	7	सम	जुलाई, 1982
9.	पशु चिकित्सा सहायक	1	सम	जून, 1982
	योग	18		

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 241 की सूची

परिशिष्ट 'क'

बीकानेर व चूरू जिलों में निकाले जाने वाले खनिजों व खानों की सूची

क्र. सं.	तहसील व जिला	उत्पादन किये जाने वाले खनिजों के नाम
1	2	3
1.	बीकानेर तहसील, बीकानेर	बजरी, कंकर, ईंट, मिट्टी जिप्सम, वालक्ले, व्हाइटक्ले, मुल्तानी मिट्टी।
2.	लूनकरणसर तहसील, बीकानेर	सेलेनाइट, ईंट मिट्टी, कंकर, मैसनरी स्टोन, पट्टी कातला।
3.	नोखा तहसील, बीकानेर	बजरी, कंकर, ईंट मिट्टी।
4.	कोलायत तहसील, बीकानेर	बालक्ले, व्हाईट क्ले, चायना क्ले, फायर क्ले, रेड़ श्रोकर, यलो धोकर, मुल्तानी मिट्टी, ईंट मिट्टी, ग्लास सैण्ड, कंकर व जिप्सम।

1	2	3
	सुजानगढ़ तहसील, चुरू	बैलास्ट स्टोन, मेसेनरी स्टोन, पट्टी, कातला, थांवला एवं खनिज पत्थर।
6	डूंगरगढ़ तहसील, चुरू	ईंट मिट्टी।
7.	सरदार शहर तहसील, चुरू	ईंट मिट्टी।
8.	रतनगढ़ तहसील, चुरू	ईंट मिट्टी।
9.	राजगढ़ तहसील, चुरू	ईंट मिट्टी।
10.	तारानगर तहसील, चुरू	शून्य।
11.	चुरू तहसील, चुरू	ईंट मिट्टी।

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 242 की सूची

जयपुर स्थित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मन्दिरों के लिये पूर्व में मिलने वाली भोगराग सामग्री की राशि व दिनांक 1.4.82 से नव निर्धारित राशि का मानचित्र :—

क्र. सं.	नाम मन्दिर व पता	पूर्व में वर्ष 1975 से प्रति मन्दिर स्वीकृत भोगराग की वार्षिक राशि		दिनांक 1.4.82 से प्रति मन्दिर नव निर्धारित भोगराग की वार्षिक राशि		वि. वि.
		भोगराग	उत्सव	भोगराग	उत्सव	
1	2	3	4	5	6	7
1.	म. श्री बृजनिधिजी, त्रिपोलिया बाजार, चांदनी चौक, जयपुर	4800	1055	3650	500	
2.	म. श्री आनन्द कृष्णबिहारीजी त्रिपोलिया बाजार, चांदनी चौक, जयपुर	3755	670	3650	500	
3.	मं. श्री प्रतापेश्वरजी, त्रिपोलिया बाजार, चांदनी चौक, जयपुर	1255	125	1100	100	
4.	मं. श्री गंगाजी, गोविन्ददेवजी के मन्दिर के पास, जयपुर	2530	230	2200	300	
5.	मं. श्री राधागोपालजी, गोविन्द देवजी के मन्दिर के पास, जयपुर	2505	245	2200	300	
6.	मं. श्री चिन्ताहरण हनुमानजी गोविन्ददेवजी के मन्दिर के पास, जयपुर	—	—	365	100	

1	2	3	4	5	6	7
7.	मं. श्री लक्ष्मीनारायणजी, सिटी पेलेसबाग जय निवास, जयपुर	910	145	1100	100	
8.	मं. श्री रामचन्द्रजी, देवस्थान कार्यालय सिरेह ड्योढ़ी बाजार, जयपुर	5375	465	3650	500	
9.	मं. श्री चन्द्रेश्वरजी मं. रामचन्द्रजी के अन्दर सिरेह ड्योढ़ी बाजार, जयपुर	705	60	1100	100	
10.	मं. श्री किलकीजी बान्दरवाले के दरवाजे के सामने, सिरेह ड्योढ़ी बाजार, जयपुर	1050	230	1100	100	
11.	मं. श्री मदनमोहनजी, महाराजा हाई स्कूल हवामहल के सामने, जयपुर	865	90	1100	100	
12.	मं. श्री गोवर्धननाथजी, हवामहल के पास, जयपुर	2395	550	1825	300	
13.	मं. श्री विजयगोविन्दजी मं. श्री गोवर्धननाथजी के अहाते में सिरह ड्योढ़ी बाजार, जयपुर			1810	300	
14.	मं. श्री चन्द्र बिहारीजी, माणक चौक चौपड़ देवस्थान विश्रान्ति गृह, जयपुर	420	60	800	100	
15.	मं. श्री आनन्द बिहारीजी व आनन्देश्वरजी, माणक चौक बड़ी चौपड़, जयपुर	1330	180	1100	100	
16.	मं. श्री लक्ष्मीनारायणजी, बाईजी माणक चौक, बड़ी चौपड़, जयपुर	—	—	1100	100	

1	2	3	4	5	6	7
17.	मं. श्री रघुनाथजी, राधानिवास रामगढ़ रोड के सामने आमेर रोड, जयपुर	330	20	365	100	
18.	मं. रतन बिहारीजी, रायजी का घेर, चांदी की टकसाल आमेर रोड, जयपुर	280	20	365	100	
19.	मं. श्री बलदेवजी परसराम द्वारा हेन्डी क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कूल आमेर रोड, जयपुर	1235	100	1100	100	
20.	मं. श्री जगतेश्वरजी हल्दियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर	275	25	365	100	
21.	मं. श्री रूपचन्द्रमाजी सांगानेरी गेट के पास जौहरी बाजार, जयपुर	1335	150	1100	100	
22.	मं. श्री राधादामोदरजी जगन्नाथ शाह का खुर्रा रामगंज बाजार, जयपुर	170	15	365	100	
23.	मं. श्री रामेश्वरजी घाट की गुणी पुराना घाट, जयपुर	700	250	730	100	
24.	मं. श्री फतेह कुन्ज बिहारीजी, घाट की गुणी, पुराना घाट, जयपुर	360	45	365	100	
25.	मं. श्री बृजराज बिहारी जी, ठंडी प्याऊ के पास त्रिपोलिया बाजार, जयपुर	2430	335	2200	100	
26.	मं. श्री मेहताब बिहारीजी त्रिपोलिया बाजार, जयपुर	400	25	365	100	
27.	मं. श्री विश्वेश्वरजी, ताड़केश्वरजी के मन्दिर के अहाते में चौड़ा रास्ता, जयपुर	1345	425	1100	100	

1	2	3	4	5	6	7
28.	मं श्री गोवर्धननाथजी, लालजी सांड के रास्ते के नुक्कड़ पर चौड़ा रास्ता, जयपुर	1115	175	1100	100	
29.	मं. श्री रसिक बिहारीजी, छोटी चौपड़, जयपुर	270	35	365	100	
30.	मं. श्री जानकी वल्लभजी छोटी चौपड़, जयपुर	265	15	365	100	
31.	मं. श्री राधामनोहरजी झालानियों का रास्ता किशनपोल बाजार, जयपुर	245,	25	365	100,	
32.	मं. श्री मुरली मनोहरजी मगोड़ी के कुएं के पास गणगौरी बाजार, जयपुर	90	10	365	100	
33.	मं. श्री राधाकृष्णजी, राजा शिवदासजी का रास्ता, जयपुर	285	25	365	100	
34.	मं. श्री गोपालजी, गाडीवालान जाट के कुएं का रास्ता, पुरानी बस्ती, जयपुर	285	25	365	100	
35.	मं. श्री राधावल्लभजी, बाराह भाईयों का रास्ता नाहरगढ़ रोड, जयपुर	255	15	365	100	
36.	मं. श्री चतुर्भज जी विजूर दीनानाथ जी के मन्दिर के सामने, जयपुर	255	20	365	100	
37.	मं. श्री नवलकिशोरजी तेहबीलदारों का रास्ता, जयपुर	1360	165	1100	100	

1	2	3	4	5	6	7
38.	मं. श्री बालमुकन्दजी लक्ष्मी विलास होटल के दरवाजे के पास, रामबाग, जयपुर	70	5	365	100	
39.	मं. श्री रामेश्वरजी सागर का रास्ता, ग्रामेर (जयपुर)	320	25	365	100	
40.	मांजी सा. की धर्मशाला चांदपोल दरवाजे के पास, जयपुर	—	—	—	—	
	कुल योग	41570	6055	42220	5900	
		47625		48120		

जयपुर स्थित राजकीय आत्मनिर्भर मन्दिरों के लिए पूर्व में मिलने वाली भोगराग
सामग्री की राशि व दिनांक 1-4-82 से नव निर्धारित राशि का मानचित्र

क्र. सं.	नाम मन्दिर	1975–76		76–77		77–78		78–79		79–80		80–81		81–82		82–83		विशेष विवरण
		भोग	उत्सव	भोग	उत्सव	भोग	उत्सव	भोग	उत्सव	भोग	उत्सव	भोग	उत्सव	भोग	उत्सव	भोग	उत्सव	
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11
1.	श्रीमाताजी मावलियान आमेर	552)	386)	892)	304)	718)	151)	549)	699)	549)	717)	580)	1036)	720)	1000)	720)	1000)	
2.	मं. श्री रतनबिहारी, जयपुर	1008)	81)	—	—	1008)	81)	80)	14)	—	—	924)	230)	1008)	81)	1008)	81)	76-77 एव 79-80 में वाद चल रहा है।
3.	मं. श्री बांकेजी बिहारीजी, जयपुर	400)	5)	350)	8)	348)	5)	350)	10)	319)	29)	250)	12)	348)	50)	348)	50)	
4.	मं. सीतारामजी चौड़ा रास्ता, जयपुर	300)	10)	300)	25)	457)	32)	579)	50)	—	—	—	—	—	—	415)	50)	79-80 से 81-82 तक वाद।
5.	मं. श्री चतुर्भुजजी पुरानी बस्ती, जयपुर	250)	9)	259)	2)	259)	7)	259)	7)	259)	6)	240)	4)	270)	6)	270)	6)	
6.	मं. श्री बद्रीनारायणजी	—	—	—	—	1959)	68)	1422)	450)	2338)	310)	1282)	533)	2500)	850)	2500)	850)	सन् 77 से विभाग के नियन्त्रण में आया।
7.	मं. श्री विनोदीलालजी	) मन्दिर सुपुर्दगी में दिया हुआ है।																
8.	मं. श्री सीतावल्लभजी	) मन्दिर सुपुर्दगी में दिया हुआ है।																
9.	मं. श्री गोपालजी हनुमानजी	) मन्दिर पर अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही की जा रही है।																
	योग	2510)	491)	1801)	339)	3449)	344)	3239)	1230)	3465)	1062)	3276)	1815)	4846)	1987)	5261)	2037)	

(264)

परिशिष्ट 5

तारांकित प्रश्न संख्या 264 की सूची

दिनांक	क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम व	निवासी	पिता का नाम	वार्ड मय राशन कार्ड सं.	कार्य का का प्रयोजन	अनुमानित खर्च	उपभोक्ता के हस्ताक्षर	बिल नं.	सीमेंट की बोरी
2-7-82	32.	श्री सुवालाल काष्ट	ग्राकोला	—	174/33	मकान मरम्मत	रु. 1000/-	केलाशचन्द हस्ताक्षर	3573	2
,,	33.	,, सत्यनारायणसिंह	,,	—	23/26	कुये की मरम्मत	रु. 1000/-	भंवरलाल	3574	2
,,	34.	,, करीमबक्स पिनारा	,,	—	330/162	मकान मरम्मत	रु. 1500/-	केलाशचन्द्र	3575	3
,,	35.	,, मोहनलाल काष्ट	,,	—	175/47	मकान मरम्मत	रु. 1000/-	रहमान	3576	3
,,	36.	,, कालू भाम्बी	सिंगपुरा	उदाभावी	137/7486	कुआ मरम्मत	रु. 2000/-	नी. कालू	3577	4
,,	37.	,, नानूराम शर्मा	,,	श्री रामकरण शर्मा	126/74825	मकान मरम्मत	रु. 2500/-	नी. नानूराम	3578	5
,,	38.	,, बाबूलाल जैसवाल	बडलियास	श्री हीरालाल जैसवाल	81/15686	मकान मरम्मत	रु. 2000/-	बाबूलाल	3579	5
,,	39.	,, हीरालाल ,,	,,	श्री नानूराम जैसवाल	87/15692	मकान मरम्मत	रु. 2000/-	हीरालाल	3580	5
,,	40.	,, मति मोहनकंवर	सिंगपुरा	श्री ऊंकारसिंह	127/74826	मकान मरम्मत	रु. 2000/-	रूगनाथसिंह	3581	5
,,	41.	,, रूगनाथसिंह	,,	श्री गोपालसिंह	128/74827	कुआ मरम्मत	रु. 2000/-	रूगनाथसिंह	3582	5
,,	42.	,, जमनालाल	,,	श्री नन्दराम	116/74875	भवन मरम्मत	रु. 2000/-	द. जमनालाल	3583	5
,,	43.	,, भगवतीलाल	सवाईपुर	श्री मथुरालाल	242/31313	कुआ मरम्मत	रु. 2000/-	नाथुमुनि शर्मा	3584	4
,,	44.	,, लालू गाडरी	,,	श्री सुरजमल	17/31357	कुआ मरम्मत	रु. 1500/-	देवालाल	3585	3
										51

परिशिष्ट 6

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके प्रश्न व उनके उत्तर

जयपुर उद्योग—सवाई माधोपुर

248. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर उद्योग सवाई माधोपुर गत कई सालों से नुकसान में चल रहा है ? यदि हां, तो मार्च, 1982 तक सभी देनदारियों सहित कुल कितने नुकसान में है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सन् 1981 व 1982 में जो सीमेंट की रेट बढ़ी है उससे जयपुर उद्योग को लाभ हुआ है ? यदि हां, तो उस समय कारखाने में किस-किस प्रकार की सीमेन्ट का कितना-कितना स्टाक जमा था तथा उससे उद्योग को कितना लाभ हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि जो लाभ उद्योग को हुआ है, उसका संचालकर्ताओं द्वारा दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में यूनियन तथा जन प्रतिनिधियों द्वारा सरकार को ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उत्तर

(1) जी हां। मार्च, 1981 तक सभी देनदारियों सहित कुल नुकसान लगभग 3017 लाख रुपये है।

(2) जी हां। 3 मई, 1981 से जो सीमेन्ट की रेट बढ़ी थी उससे जयपुर उद्योग लि० को कोई लाभ नहीं हुआ। किन्तु 28 फरवरी, 1982 से जो सीमेन्ट की रेट बढ़ी उससे व सीमेन्ट बेचने के तरीके में परिवर्तन होने से कम्पनी को मार्च सन् 1982 से लाभ हुआ है। दिनांक 27-2-82 को सीमेन्ट के जमा स्टाक के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सीमेन्ट की दर बढ़ने के कारण जमा स्टाक पर कम्पनी को लगभग 9.02 लाख रुपये का लाभ हुआ है।

(3) जी हाँ। कम्पनी के प्रशासन द्वारा जो खर्च किये गये हैं वे कम्पनी के हितों को ध्यान में रख कर किये गये हैं। अतः राशि के दुरुपयोग करने का प्रश्न ही नही उठता।

दिनांक 26 फरवरी, 1982 से बढ़ी हुई रेट के समय

सीमेन्ट के स्टाक की सूची

सीमेन्ट की किस्म	मैट्रिक टन
1. ओ. पी. सी.	3,156-25
2. पी. सी. सी.	9,302-35
3. एच. एस. सी.	306-55
कुल स्टाक :—	12,765-15

ग्राम पंचायत, छोटी खाटू में विकास समिति का गठन

249. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि छोटी खाटू ग्राम पंचायत में विकास समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो यह किस आधार पर किया गया?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत छोटी खाटू में सरपंच का बहुमत होते हुए भी उक्त समिति का गठन प्रधान, पंचायत समिति द्वारा किया गया जो नियम विरुद्ध है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रधान के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम पंचायत छोटी खाटू के निर्माण कार्यों हेतु समिति का गठन किया गया था। ग्रामीणों से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, कि पंचायत की विकास कार्यों के प्रति कोई रुची नहीं हैं, इस कारण से विकास कार्य समिति के माध्यम से करवाये गये।

(2) समिति का गठन जिलाधीश नागौर के पत्र दिनांक 28-2-82 की स्वीकृति के अनुसार एवं सहायता विभाग के आदेश दिनांक 28-3-81 के अनुसरण में किया गया था। प्रधान ने कोई नियम विरुद्ध काम नहीं किया त अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

ऋषभदेव मंदिर के सुरक्षा कर्मचारी

250. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ऋषभदेव में सार्वजनिक मंदिर की सुरक्षा के लिये करीब 100 आदिवासी जवान कार्यरत हैं? क्या सरकार इन सुरक्षा कर्मचारियों को पुलिस कर्मचारियों के मुकाबले वेतन देना उचित समझती है?

(2) क्या यह भी सही है कि ऋषभदेव मन्दिर में भण्डारियों का एक परिवार है, जिनको मन्दिर के भण्डार की आय से 34 प्रतिशत राशि प्रति माह, जो हजारों रुपया होती है, बिना किसी सेवा-चाकरी के प्राप्त होती है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है? कृपया ऐसे भण्डारी परिवारों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(देवस्थान राज्य मंत्री)

उत्तर

(1) मंदिर श्री ऋषभदेव जी का सुरक्षा हेतु विभिन्न पदों पर 62 व्यक्ति कार्यरत है जिनमें 38 सुरक्षा प्रहरी हैं जिन्हें 160 प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। मन्दिर की पूर्ण आय के अनुसार मंदिर के समस्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारित किया हुआ है। मंदिर में अन्य कर्मचारी भी हैं और मंदिर की आय को दृष्टिगत रखते हुये केवल सुरक्षा कर्मचारियों का वेतन पुलिस कर्मचारियों के समकक्ष दिया जाना उचित नहीं है।

(2) जी हां। यह सही है कि मंदिर श्री ऋषभदेव जी ग्राम घुलेव जिला उदयपुर में मंदिर के वंश परम्परागत भण्डारियों के परिवार हैं। इन भण्डारियों को तत्कालीन मेवाड़ राज्य के आदेश सम्वत 1942 के अनुसार इस परवाने में वर्णित कर्त्तव्यों की पालना करने के एवजाने में मंदिर से प्राप्त होने वाली भेंट में से 34 प्रतिशत राशि प्रतिमाह भुगतान की जाती है। भेंट की राशि प्राप्त करने वाले भण्डारियों के नाम व राशि के प्रतिशत का विवरण निम्न प्रकार है :—

1.	श्री जगजीवन लाल भण्डारी	20 प्रतिशत
2.	,, भवानी शंकर भण्डारी	10 ,,
3.	श्री माणक लाल भण्डारी	1 प्रतिशत
4.	,, नवल चन्द	1 ,,
5.	श्रीमती नर्वदा बाई	1 ,,
6.	श्री फतह लाल रावल	1 ,,

कमल मेटल इन्डस्ट्रीज, झोटवाड़ा (जयपुर)

251. श्री रामकंवार बैरवा (फागी)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कमल मेटल इन्डस्ट्रीज, झोटवाडा के नाम रजिस्ट्रेशन नम्बर 17/13/04661/पी० एम० टी०/551 में 17-12-1979 को हुआ? यदि हां, तो इसका प्रोपराइटर कौन है? इन फैक्ट्री पर अनुमानित लागत कितनी बताई गई तथा कुल कितना खर्चा किया गया?

(2) क्या यह सही है कि इस फैक्ट्री में भागीदारी का रजिस्ट्रेशन हुआ है? यदि नहीं, तो अभी फैक्ट्री पर किसका अधिकार है?

(3) क्या यह सही कि कमल मेटल

268
524

(श्री हीरालाल आर्य)

इन्डस्ट्रीज के प्रोपराइटर द्वारा निदेशक, उद्योग विभाग को दिनांक 30 अप्रेल 1982 को कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो निदेशक, उद्योग विभाग से क्या कार्यवाही की तथा उपरोक्त विभाग ने क्या जवाब दिया गया है ? कृपया प्रति व विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि मैसर्स कमल मेटल इण्ड० औद्योगिक क्षेत्र झोटवाड़ा का लघु उद्योग के अन्तर्गत पंजीयन संख्या 17/13/04661/ पी० एम० टी०/एस.एस.आई./दिनांक 17.12.1979 के द्वारा पंजीकृत किया गया है। पजीयन के समय एकल स्वामी श्री गिरिश कुमार पुत्र श्री लाल चन्द राजोरिया थे।

पजीयन के समय श्री गिरिश कुमार द्वारा उक्त फैक्ट्री पर जो अनुमानित लागत बताई गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

1. भूमि व भवन	1.50,000/-
2. मशीनरी पर	17,500/-
3. अन्य	5,000/-
	1,72,500/-

खर्चे की जानकारी विभाग को नहींहै।

(2) जी हां मै० कमल मैटल इण्ड० झोटवाड़ा इण्डस्ट्रियल, एरिया झोटवाड़ा (जयपुर) का भागीदारी का रजिस्ट्रेशन क्रमांक 1217/82 दिनांक 24 4.82 के द्वारा हुआ है।

(3) जी हां मैसर्स कमल मैटल इण्ड. जयपुर के भागीदार श्री गिरिश कुमार राजोरिया ने कथित पत्र के द्वारा भागीदारी समाप्त करने हेतु लिखा था, जिसके उत्तर में निदेशालय द्वारा पत्रांक आर. एफ./ओ. बी. जे./2477/82 दिनांक 24.5.82 के द्वारा फर्म को उत्तर भेज दिया गया था कि भागीदारी समाप्त करने के लिए इण्डियन "पार्टनरशिप एक्ट" की धारा 63 के तहत फार्म "ई" भर कर भिजवायें तथा फर्म की पंजीयन संख्या सूचित करें। उत्तर की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(269)

OFFICE OF THE REGISTRAR OF FIRMS

NO. RF/OBJ/2477/82

After Compliance
Please return this
Memo————
Dated 24.5.82

To :
M/S Kamal Metal Industries,
Plot No. 201, Industrial Area,
Jhotwara, Jaipur.

Sub :—Registration of firms/change of constitution of the firm under the Indian Partnership Act, 1932.

Reg :—Your application dated 30.4.82 dated ....The form A/E received from you is herewith due to the reason given you below as marked :—

(1) Application is required on prescribed form.

(2) The prescribed fee of Rs. 15/- 5/- may be sent by money order If already sent please intimate full particulars. Send original acknowledgement slip of M. O.

(3) The entries in the form shall be type written.

(4) Full permanent presidential address father's name and age of the partner (s) is required.

(5) Full parriculars of minor (s) required.

(6) The attesting witness should be in accordance with the Foot Note of the Prescribed form. Witness by Tax Consulate/ Oath-Commissioner Not Valid.

(7) The attesting witness should fix his rubber stamp indicating the full address.

(8) Number and year of registration be mentined on the form.

(9) Correction addition require attestation by the partner with date.

(10) The date of declaration and the date of witness should not differ.

(11) Form is in torn condition fresh form is required.

(12) Signature of existing partner is required on the notice.

(13) Date of retirement/admission of the partner may be given.

(14) Form A/E dated......... of the firm has been recorded .... at registration No............. .

(15) The copying charges for one copy of entry of partners registration certificate comes to Rs. ....please remit amount through M. O. or as many copies as required under intimation to this office.

(16) The required copies have already been sent through post on.........

(17) Any other :—Please also apply in form 'E' U/S 63 of I.P.A. 1932 for dissolution of the firm.

Sd/-
(C. M. Gupta)
Registrar of Firms
Rajasthan, Jaipur

राजस्थान नहर के द्वितीय चरण की संशोधित परियोजना

252. श्री मालाराम (खेतड़ी) श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या राजस्थान नहर राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर के द्वितीय चरण के सम्बन्ध में एक संशोधित परियोजना तैयार की गई है? यदि हां, तो कृपया परियोजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इस परियोजना के सम्बन्ध में अभी तक केन्द्र अथवा राज्य में किस-किस स्तर पर कब कब विचार हुआ है और इन विचारों का क्या परिणाम निकला?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान सरकार ने केन्द्र की सलाह पर इस पर निर्णय लेने हेतु दस सदस्यीय एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? यदि हां, तो कब और इस समिति का प्रतिवेदन कब तक मिलने की आशा है?

उत्तर

(1)नहर के द्वितीय चरण में संशोधन करके बाई ओर के लिफ्ट क्षेत्र को शामिल करते हुए कई विकल्प राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2)उपरोक्त विकल्पों पर केन्द्र एवं राज्य स्तर पर विचार किया जा कर एक "एक्सपर्ट ग्रुप" का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष हैं।

(3) जी हां। केन्द्र सरकार से विचार विमर्श करके राज्य सरकार ने "एक एक्सपर्ट ग्रुप" के गठन के आदेश दिनांक 24.7.82 को किये हैं। इन आदेशों के अनुसार ये ग्रुप प्रथम बैठक से 45 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा।

पंचायत समिति, घाटोल की न्याय पंचायतों के सचिवों को बकाया

253. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)—क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) पंचायत समिति, घाटोल, जिला बांसवाड़ा में वर्ष 1967 से वर्ष 1976 तक न्याय पंचायत के लिये नियुक्त कितने सचिवों को अब तक वेतन का चुकारा नहीं किया गया है? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) वेतन चुकारा अब तक नहीं करने के क्या कारण रहे हैं?

उत्तर

(1) केवल एक न्याय पंचायत सचिव

(पंचायत राज्य मंत्री)

का वेतन का चुकारा नहीं किया गया हैं।

(2) निजी आय में राशि उपलब्ध न होने से राशि का चुकारा नहीं किया जा सका है।

पुलिस विभाग द्वारा चांदमारी अभ्यास

254. श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग के सिपाहियों को चांदमारी का अभ्यास कराया जाता है? यदि हां, तो राजस्थान में किस किस स्थान पर शूटिंग रेन्ज बनी हुई है?

(2) क्या प्रत्येक सिपाही के लिये चांदमारी के लिये दिन निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो कितने क्या प्रत्येक सिपाही चांदमारी के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेता है? यदि नहीं, तो किस कारण?

(3) औसतन एक सिपाही को प्रतिवर्ष कितने कारतूस चांदमारी के लिये मिलते हैं? क्या पूरे कारतूस चांदमारी में खर्च ही जाते हैं? यदि नहीं, तो क्या वे वापस जमा कराये जाते है?

(4) क्या विभागीय तौर पर कभी इस बात की जांच की गई कि चांदमारी निर्धारित समय पर होती है तथा कारतूसों का पूरा उपयोग होता है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में जिला बून्दी, धौलपुर एवं गंगानगर जिलों को छोड़कर बाकी सभी 24 जिलों में फायरिंग रेन्ज बनी हुई है।

(2) जी हां। प्रत्येक कान्स्टेबल को चांदमारी पूर्वाभ्यास के लिए 3 दिन तथा फायरिंग के लिए एक दिन निर्धारित है। कान्स्टेबल को फायरिंग में निर्धारित अंक प्राप्त करना आवश्यक है। राइफल की खराबी अथवा अस्वस्थता, निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न कर सकने के मुख्य कारण हैं। मगर ऐसी अवस्था में उस कर्मचारी से पुनः फायरिंग कराई जाती है।

(3) औसतन एक सिपाही को 20 कारतूस चांदमारी हेतु मिलते हैं जो अनिवार्य रूप से चलवाये जाते हैं। अतः वापस जमा कराने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

4) जी हां।

रायपुर तहसील (पाली) के मन्दिर

255. श्री सुखलाल संणचा (रायपुर)-

(श्री सुखलाल सेंगचा)

क्या देवस्थान राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की रायपुर तहसील के अन्दर देवरी माता का मन्दिर ग्राम बर व बाबा रामदेवजी का मन्दिर ग्राम बिराटिया खुर्द में आया हुआ है, जिसकी लाखों की सम्पत्ति है ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ व्यक्ति विशेष इन मन्दिरों से होने वाली आय झूठे ट्रस्ट बनाकर अपने अधिकार में किये हुये हैं व व्यक्तिगत लाभ कमा रहे हैं ? क्या राज्य सरकार उक्त सारी व्यवस्था अपने हाथ में लेने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

(3) क्या राज्य सरकार को वहां की जनता की शिकायतें समय समय पर प्राप्त हुई हैं और अभी तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? कौन कौनसी शिकायतें अब तक प्राप्त हुई हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं । मन्दिर श्री देवरी माता जी ग्राम बर तहसील रायपुर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक पंजीकृत प्रन्यास है । मन्दिर श्री बाबा रामदेव ग्राम बिराटिया खुर्द को पंजीयन करने की कार्यवाही सहायक आयुक्त देवस्थान, जोधपुर के यहां विचाराधीन है । पंजीकरण कार्यवाही के दौरान यदि प्रन्यास से व्यक्तिगत लाभ कमाने का मामला सामने आया तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । किसी सार्वजनिक प्रन्यास को राज्य सरकार के नियन्त्रण में लेने हेतु कोई नियम नहीं हैं । मन्दिर श्री देवरी माता के पंजीयन के पश्चात किसी शिकायत का प्राप्त होना रिकार्ड से ज्ञात नहीं होता ।

(3) मन्दिर श्री बाबारामदेव ग्राम बिराटिया खुर्द तहसील रायपुर के सम्बन्ध में श्री गणेशदा पुजारी, दलित वर्ग संघ पाली व श्री केशाराम चौधरी, संयोजक जनता पार्टी की क्रमशः शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इस मन्दिर के पंजीयन की कार्यवाही सहायक आयुक्त, देवस्थान जोधपुर के यहां विचाराधीन है । मामले की जांच पूर्ण हो जाने के पश्चात् मन्दिर के पंजीयन एवं प्रन्यास अधिकारियों के सम्बन्ध में सहायक आयुक्त जोधपुर द्वारा प्राप्त शिकायतों पर उचित निर्णय लिया जावेगा ।

प्रस्तावित चित्तौड़गढ़-कोटा ब्रोडगेज रेल्वे लाइन पर आने वाले उद्योग

256. श्री घनश्याम जैन (बैगू) : क्या

(श्री घनश्याम जैन)

उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रस्तावित चित्तौड़गढ़-कोटा ब्रोडगेज रेलवे लाइन के मार्ग में लगने वाले उद्योगों की सूची सरकार के पास है ? यदि हां, तो कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) तहसील बेगू में किन-किन उद्योगों के लिये आवेदन-पत्र सरकार के पास विचाराधीन है ?

(3) क्या विभाग ने खनिज विभाग से भी कोई रिपोर्ट मांगी है कि उक्त रेल मार्ग पर कौन कौन से खनिज कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं एवं उस आधार पर कौन कौन से उद्योग लग सकते हैं ?

उत्तर

(1) प्रस्तावित चित्तौड़गढ़-कोटा ब्रोडगेज रेलवे लाइन के मार्ग पर प्रस्तावित उद्योगों के विवरण की सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) तहसील बेगू में मध्यम एवं बड़े उद्योग हेतु राज्य सरकार के पास कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित रेल मार्ग पर उपलब्ध खनिज भण्डारों के विवरण की सूची "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है।

प्रसातवित चित्तौड़गढ़–कोटा ब्रोडगेज रेलवे लाइन
के मार्ग में लगने वाले उद्योगों का विवरण

I - सीमेन्ट उद्योग

क्र. सं.	नाम इकाई	स्थान	उपादन क्षमता (प्रतिवर्ष लाखटन में)
1	2	3	4
1.	मैसर्स बिडला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी	गंगरार (चित्तौड़गढ़)	3-30 (विस्तार)

1	2	3	4
2.	मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)	3-20 (विस्तार)
3.	मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	शम्भुपुरा (चित्तौड़गढ़)	7-20 6-00 (विस्तार)
4.	मैसर्स सो. पी. कनोई	शम्भुपुरा (चित्तौड़गढ़)	4-20
5.	मैसर्स जेनिथ स्टील पाइप्स इण्डस्ट्रीज लि.	बैंगू (चित्तौड़गढ़)	5-00
6.	मैसर्स राजस्थान स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि.	माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा)	10-42
7.	मैसर्स सीमेन्ट कारपोरेश आफ इण्डिया	बून्दी	25-00
8.	मैसर्स सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया	शम्भुपुरा (चित्तौड़गढ़)	10-00
9.	श्री रावहरिसिंह	पारसोली (चित्तौड़गढ़)	66,000

2—अन्य उद्योग

क्र. सं.	नाम इकाई	स्थान	उत्पादन वस्तु का नाम	उत्पादन क्षमता	आशय पत्र संख्या एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6
10.	मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	निम्बाहेड़ा (चित्तोड़)	एस्बेस्टोज सीमेंट शीट्स	36000 टीपीए	एल आई 331 (82) दिनांक 26-2-82

1	2	3	4	5	6
11.	श्री शिवकुमार भार्गव	बून्दी	पेपर प्लान्ट	2900 एम टीपीए	एन. ओ. सी. दिनांक 1-12-80
12.	मैसर्स प्रताप पेपर एण्ड पल्प मिल्स प्रा.लि.	प्रतापगढ़ (चित्तौड़)	पेपर प्लान्ट	4500 टीपीए	एन. ओ. सी. दिनांक 7-8-82
13.	मैसर्स मीरा मार-बल्स प्रा० लि०	चित्तौड़गढ़	इम्पोर्टेड मार्बल कटिंग मशीन	1-00 लाख क्यूबिक फीट	एन. ओ. सी. दिनांक 9-12-81

सूची—(ख)

प्रस्तावित रेल मार्ग पर मुख्यतः खनिज चूना पत्थर (सीमेन्ट ग्रेड) के भण्डार उपलब्ध है। जिनकी मात्रा प्रारम्भिक अनुमानों के आधार पर निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं. 1	क्षेत्र का नाम 2	अनुमानित भण्डार जो कि विस्तृत पूर्वेक्षण द्वारा सिद्ध किये जाने हैं। 3
1.	अमरपुरा क्षेत्र जिला चित्तौड़	112 मिलियन टन
2.	कारुन्दा क्षेत्र जिला चित्तौड़	94 मिलियन टन
3.	क्षेत्र मालिया खेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़	110 मिलियन टन
4.	क्षेत्र पारसोली, बिघोर तहसील	26 मिलियन टन

(277)
(533)

परिशिष्ट-15सितम्बर, 1982-परिशिष्ट

1	2	3
	गेगू जिला चित्तौड़	(2.63) (2.73 व. कि. मी. क्षेत्र में अनुमानित किये गये हैं)
5.	क्षेत्र चित्तौड़िया, सांवरिया मांडना, मानियावास, नाथु रामजी का खेड़ा तहसील गेगू जिला चित्तौड़गढ़	150 मिलियन टन
6.	गणपतपुरा, अर्जुनपुरा, सतूर जिला बून्दी।	35 मिलियन टन (ग्राम सतूर के निकट 2.30 व. कि. मी. क्षेत्र में ही अनुमानित किये गये)

चूना पत्थर के अतिरिक्त बिजोलिया क्षेत्र, तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा में इमारती पत्थर (सेण्डस्टोन) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बारोदिया ग्राम जिला बून्दी क्षेत्र में सिलिकासेण्ड एवं उमर क्षेत्र जिला बून्दी में मारबल के भण्डार सीमित क्षेत्र में उपलब्ध हैं।

इस प्रस्तावित रेल मार्ग क्षेत्र में मुख्यतः सीमेंट बनाने के कारखाने एवं इनके अलावा छोटे उद्योग जैसे गिट्टी क्रसर, स्टोन कटिंग फैक्ट्री, चूने के भट्टे ग्लास इण्डस्ट्रीज एवं बून्दी जिले में उपलब्ध मारबल पर आधारित मारबल कटिंग व पोलिसिंग फैक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं।

राज्य के विभिन्न जिलों में खोदे गये नलकूप

257. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : क्या भू-जल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980-81, 1981-82 में राज्य में कितने नलकूप खोदे गये ? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) राज्य में कितनी ड्रिलिंग रिग्स उपलब्ध हैं व कहां पर कार्यरत हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) जिला जैसलमेर में इस वर्ष कितने कितने नलकूप खोदे गये व कितने नलकूप खुदाने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

(4) खोदे गये नलकूपों में से कितने नलकूप चालू कर दिये गये ? कृपया ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(5) क्या राज्य सरकार ने रेगिस्तानी व भारी पेयजल संकटकारी जिलों के लिए विशेष ड्रिलिंग रिग्स उपलब्ध कराने का निश्चय किया था ? यदि हां, तो जिला जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर को कितनी ड्रिलिंग रिग्स उपलब्ध कराई गई ?

उत्तर

(1) भू-जल विभाग द्वारा वर्ष 1980-81 में 606 नलकूप एवं 1981-82 में 585 नलकूप बनाये गये जिनकी जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) भू-जल विभाग के अधीन 34 ड्रिलिंग रिग्स उपलब्ध हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जिला जैसलमेर में इस वर्ष 10 नलकूप खोदे गये हैं। इस वर्ष 17 नलकूप और बनाने का प्रावधान है।

(4) भू-जल विभाग द्वारा नलकूप निर्माण कर सम्बन्धित विभाग अथवा काश्तकार को सुपुर्द कर दिये जाते हैं। सूची सदन के पटल पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं।

STATEMENT SHOWING THE DISTRICT-WISE AND AGENCY-WISE CONSTRUCTION OF TUBEWELLS ETC. DRILLED DURING THE YEAR 1980-81 (UP TO MARCH, 81)

S.	District	PHED			S&R		DPAP		Others			Total				Grand
		TW	HP	DCB	TW	P.MTS	TW	DCB	TW	DCB	HP	TW	DCB	H.P	P.MTS.	Total
1	2	3			4		5			6			7			8
1.	Jodhpur	58	53	9	2	-	14	-	2	16	-	76	25	53	-	154
2.	Pali	9	130	1	23	1	10	-	4	1	1	46	2	131	1	190
3.	Nagour	9	-	3	3	-	19	-	-	6	-	31	9	-	-	040
4.	Bikaner	12	-	-	-	-	—	-	17	1	-	29	1	-	-	30
5.	Churu	7	-	-	6	1	—	-	-	-	-	13	-	-	1	14
6.	Shree-Ganga-nagar	-	-	-	1	-	—	-	7	-	-	8	-	-	-	8
7.	Badmer	12	-	-	8	3	1	-	-	1	-	21	1	-	3	25
8.	Jalore	8	-	-	6	2	1	-	-	4	-	15	4	-	2	21
9.	Sihori	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	4

1	2	3			4		5			6			7		8
10.	Jaisalmer	8	–	2	5	2	–	–	9	–	–	22	2	–	2	26
11.	Jaipur	–	–	–	–	–	–	–	4	3	–	4	3	–	–	7
12.	Sikar	8	–	–	7	6	–	–	3	–	–	15	–	–	6	21
13.	Alwar	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	3	–	–	–	3
14.	Jhnnjhunu	2	–	1	1	1	–	–	1	–	–	4	1	–	1	6
15.	Bharatpur	4	–	–	–	–	–	–	5	1	–	9	1	–	–	10
16.	Udaipur	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	3	–	–	–	3
17.	Chitorgarh	2	–	–	–	–	–	–	11	–	–	13	–	–	–	13
18.	Doongar pur	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2	–	–	–	2
19.	Banswara	3	–	–	–	–	16	–	16	–	–	37	–	–	–	37
20.	Kota	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	3
	Total	142	183	16	63	16	63	–	89	33	1	357	49	184	16	606

Abbrevation :—1. TW-Tube Well 2. H.P.-Hand Pump 3. DCB-Dug Cum Bore 4. P. Metre-Piezo Metre Hole

Statement showing construction of Tubewell/Open Wells/Handpump/Pieszometers during the period 1981-82 (Up to March, 1982) District and Agency-wise.

S. No.	District	PHED			S&R		DPAP		Others			Total				Total
		TW	HP	O.W	TW	P.Mts	T.W,	O.W	TW	OW	HP	TW	HP	O.W	P.Mt	
1	2	3			4		5		6			7				8
1.	Jodhpur	3	–	–	–	–	58	–	8	21	–	69	–	21	–	90
2.	Pali	–	1	–	15	–	31	–	15	–	–	61	1	–	–	62
3.	Nagour	3	–	–	2	–	69	–	1	12	–	73	–	12	–	85
4.	Bikaner	8	–	–	–	1	–	–	14	–	–	22	–	–	1	23
5.	Churu	–	–	–	5	1	–	–	–	–	–	5	–	–	1	22x6
6.	Jaisalmer	2	–	–	6	3	–	1	3	–	–	11	–	1	3	15
7.	Barmer	18	–	–	6	5	–	–	8	1	–	26	–	1	5	32
8.	Jalore	–	–	–	14	2	6	–	–	4	–	20	–	4	2	26
9.	Shree ganga-nagar	–	–	–	17	–	–	2	3	–	–	20	–	2	–	22
10,	Sirohi	–	–	–	15	23	–	–	–	–	–	15	–	–	23	38

1	2	3			4		5		6			7				8
11.	Ajmer	–	–	–	5	–	—	–	–	–	—	5	–	–	–	5
12.	Jhunjhunu	1	8	–	14	3	—	–	–	–	—	15	–	–	3	18
13.	Sikar	–	–	–	3	–	—	–	–	–	—	3	–	–	–	3
14.	Jaipur	–	–	–	—	–	—	–	–	3	—	—	–	3	–	3
15.	Alwar	–	–	–	6	2	—	–	–	–	—	6	–	–	8	8
16.	Bharatpur	–	–	–	—	–	—	–	3	–	—	3	–	–	3	3
17.	Chitorgarh	–	–	–	10	17	—	–	10	7	—	20	–	7	17	44
18.	Udaipur	–	–	–	—	–	—	–	12	4	—	12	–	4	–	16
19.	Banswara	–	–	–	—	–	12	–	32	–	—	44	–	–	–	44
20.	Dungarpur	–	–	–	—	–	19	–	8	4	—	27	–	4	–	31
21.	Bhilwara	–	–	–	7	–	—	–	4	–	—	11	–	–	–	11
	Total	35	1	–	125	57	193	3	115	56	—	468	1	59	57	585

प्रपत्र (3)

भू जल विभाग के पास वर्तमान में रोटरी, परक्यूशन तथा एयर-रिगों का जिलेवार विवरण:—

क्र.	जिले का नाम	रोटरी रिग	परक्यूशन रिग	एयर-ड्रिल्स रिग	योग
1.	जोधपुर	2	2	2	6
2.	पाली	1	1	2	4
3.	बाड़मेर	2	—	—	2
4.	जैसलमेर	3	—	1	14
5.	बीकानेर	1	3	—	4
6.	चूरू	2	—	—	2
7.	नागौर	1	—	—	1
8.	जालौर	1	1	1	3
9.	बांसवाड़ा	—	—	1	1
10.	जयपुर	—	—	—	—
11.	सीकर	1	—	—	1
12.	अलवर	1	—	—	1
13.	झुन्झुनू	1	1	—	2
14.	(डूंगरपुर डी. पी. ए. पी)	—	—	12	2
15.	चित्तौड़गढ़	—	—	1	1
	कुल :	16	8	10	34

———

STATEMENT SHOWING THE DISTRICT—WISE & AGENCY WIES CONSTRUCTION OF TUBEWELLS ETC. DRILLED DURING THE YEAR 1982-83 (up to July, 1982)

S. No.	District	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए			सर्वे और अनुसंधान परीक्षणात्मक		डेजर्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम		ग्रामीं के लिए			कुल				Grand Total
		T/W.	H/P.	O/W.	T/W.	P/Mets.	T/W.	O/W.	T/W.	O/W.	H/P.	T/W.	O/W.	H/P.	P./Metrs.	
1.	Jaisalmer	2	—	—	6	—	—	—	2	—	—	10	—	—	—	10

STATEMENT SHOWING THE DISTRICTWISE AND AGENCY WISE TUBE WELL TO BE DRILLED DURING THE YEAR 1982-83 (From July to March, 83)

S. No.	District.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए।			सर्वे और अनुसंधान परीक्षणात्मक कार्य हेतु।		ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम		आर्मी के लिए			कुल				Grand Total
		T/W.	O/W.	H/P.	T/W.	P-Metrs	T/W.	O/W.	T/W.	O/W.	H/P.	T/W.	O/W.	H/P.	P/Metrs.	
1.	Jaisalmer	7	—	—	9	—	—	-	1	—	—	17	—	—	—	17

देहली स्थित राजकीय विश्राम भवनों में ठहरने की व्यवस्था

258. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) देहली स्थित राजकीय विश्राम भवनों में ठहरने की प्राथमिकता का क्या क्रम है ? क्या यह सही है कि उक्त राजकीय विश्राम भवनों में ठहरने में विधायकों के मुकाबले राजकीय अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाती है ?

(2) राजस्थान हाउस, देहली में वर्ष 1981-82 में कुल कितने राजकीय अधिकारी ठहरे हैं व कितने विधायक ठहरे हैं ?

उत्तर

(1) देहली स्थित राजस्थान हाउस, बीकानेर हाउस एवं जोधपुर हाउस में ठहराने की व्यवस्था निम्न प्रकार है :—

क. राजस्थान हाउस में कमरा नं. 2 मन्त्रीगण एवं मुख्य सचिव के लिए व कमरा नं. 14 मन्त्रीगण के लिए आरक्षित हैं। शेष कमरों में मन्त्रीगण, विधायकगण, सांसदगण एवं अधिकारीगण को उपलब्धता के आधार पर ठहराने की व्यवस्था है।

ख. बीकानेर हाउस में सांसदगण, विधायकगण एवं अधिकारीगण को उपलब्धता के आधार पर ठहराया जाता है।

ग. जोधपुर हाउस में राज्यपाल, मुख्य मन्त्री एवं मन्त्रीगण के ठहरने की व्यवस्था है।

यह सही नहीं है कि राजस्थान हाउस, बीकानेर हाउस में विधायकों के मुकाबले अधिकारियों को प्राथमिकत्ता दी जाती है।

(2) राजस्थान हाउस, देहली में वर्ष 1981-82 (1-4-81 से 31-3-82) में ठहरे मन्त्रीगण, विधायकगण व अधिकारीगण की संख्या निम्न प्रकार है :—

मन्त्रीगण	226 बार
विधायकगण	440 बार
अधिकारीगण	1360 बार

रामगंज मन्डी के परगना अधिकारी के खिलाफ शिकायतें

259. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रामगंजमन्डी के तत्कालीन परगना अधिकारी के विरुद्ध रिश्वत, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की जांच हुई है ?

(श्री हरीश शर्मा)

(2) जांच का क्या परिणाम रहा तथा सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच चल रही है ।

(2) जाँच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं,

पीपल्दा एवं दीगोद क्षेत्र में ऋण वितरण

260. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा एवं दीगोद क्षेत्र में वितरित किये जा रहे विभिन्न ऋणों की स्वीकृत राशि एवं अनुदान, सम्बन्धित व्यक्ति को विशेष तौर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के लिये पूरा नहीं दिया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जानकारी कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर पिछड़े वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

थाना अशोक नगर में दर्ज चोरी की रिपोर्ट

261. श्री गोपाल पचेरवाल (पटित) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 19.11-1981 को थाना अशोक नगर, जयपुर में प्रथम सूचना संख्या 428/81 से चोरी की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी तथा उस पर दिनांक 30-12-1981 को एफ० आर० लगादी गई ?

(2) क्या उक्त प्रकरण में दिनांक 3-1-1982 को, जिस व्यक्ति के चोरी हुई, उसके द्वारा रिपोर्ट में नामजद व्यक्ति के यहां चोरी गये माल को देखने पर, उसे बरामद करने हेतु थाना अशोक नगर को सूचना दी गई ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई व कौन अधिकारी बरामदगी हेतु गया ? यदि नहीं गया, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में ही दिनांक 7-2-1982 को प्रथम सूचना में नामजद व्यक्तियों के निवास से पुलिस द्वारा कुछ माल बरामद किया गया ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के यहां से व उन्हें अब तक गिरफ्तार किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में थाना अशोक नगर, जयपुर में

(श्री गोपाल पचेरवाल)

एक पूर्व घोषित अपराधी के बयान लिये गये ? यदि हां, तो कृपया बयान की प्रति व प्रकरण से संबंधित विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। थाना अशोक नगर के उप निरीक्षक श्री शेरसिंह बरामदगी हेतु गये थे।

(3) दिनांक 8-1-82 को एक पुरानी बिजली की प्रेस श्री रघुराजबहादुर बर्नी के मकान की रसोई व बरामदे के अन्दर की तरफ छज्जे पर रखी हुई बरामद की गई। गिरफ्तारी हेतू पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण गिरफ्तारी नहीं की गई।

(4) जी हां। अभियोग में चालान प्रस्तुत न होने की अवस्था में अनुसंधान के दौरान लिये गये बयानों की गोपनीयता को को ध्यान में रखते हुए बयान की नकल देना वांछनीय नहींहोगा।

मांगरोल (कोटा) के बुनकरों को भवन निर्माण हेतु ऋण व अनुदान

262. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में मांगरोल में हाथकरघा एवं मसूरिया उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड रजिस्ट्रेशन नम्बर 911/1194 (आर) के बुनकरों को मकान बनाने हेतु 1,20,000 रुपये ऋण तथा 80 हजार रुपये अनुदान के दिये जाने थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उन्हें ऋण की पूरी रकम तथा अनुदान अभी तक नहीं दिया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने उक्त मामले में जांचकर ऋण व अनुदान की राशि भुगतान किये जाने का आश्वासन दिया है ?

(4) यदि हां तो उक्त मामले में अभी तक क्या कार्यवाही की तथा की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां 50 बुनकरों को मकान बनाने हेतु 1·20 लाख रुपये का ऋण एवं 60 हजार रुपये का अनुदान दिया जाना था।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) राज्य सरकार के द्वारा निर्देश

(उद्योग मन्त्री)

दिनांक 8.7.82 को जारी किये जा चुके हैं, जिसके तहत निम्नलिखित सदस्यों की समिति के द्वारा बकाया ऋण एवं अनुदान की राशि आवश्यक जांच की जाकर बुनकरों को दी जाने की कार्यवाही की जा रही है :—

1. जिलाधीश, कोटा।

2 सहायक निदेशक, उद्योग, कोटा।

3. विकास अधिकारी, अन्ता।

3. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) कोटा।

5. समिति का एक प्रतिनिधि।

केकड़ी क्षेत्र में चोरियाँ

263. श्री तुलसीराम (केकड़ी): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

केकड़ी क्षेत्र में विगत दो वर्षों में कितनी चोरियां हुई, उनमें से कितनी बरामद हुई?

उत्तर

थानान्तर्गत गत वर्ष 1981 में 68 एवं वर्ष 1982 के माह अगस्त तक 30 चोरी के अपराध घटित हुए जिनमें से क्रमश: 26 व 14 चोरियां बरामद की जा चुकी हैं।

जिला धौलपुर में लड़कियों का व्यापार

264. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है से कि राजस्थान में धौलपुर जिले में लड़कियों का व्यापार होता है जिसकी सर्वत्र चर्चा है ? यदि हां, तो किस स्थान पर प्रकाश में आने के बाद अब तक कितनी ऐसी महिलाओं या लड़कियों को यहां से पकड़ा गया एवं पुलिस हिरासत में लिया गया ?

(2) क्या बाड़ी-धौलपुर में यह व्यापार लम्बे समय से चल रहा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसे बन्द करने के लिये क्या व्यवस्था की है ?

उत्तर

(1) विभिन्न समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में समाचार छपे हैं। समाचार-पत्रों में सर्व प्रथम अप्रेल, 81 में दैनिक "इण्डियन" एक्सप्रेस ने प्रकाश डाला था। उसके बाद दर्ज रिपोर्टों के आधार पर इसमें लिप्त 28 महिलाओं को पुलिस ने बरामद किया है।

(2) समयावधि के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। राज्य सरकार द्वारा इस पर रोक लगाने हेतु पुलिस द्वारा प्रभावित क्षेत्रों की समय समय पर विशेष

(गृह मन्त्री)

चैकिंग के अतिरिक्त सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

ग्राम मेई (सीकर) के भूतपूर्व सरपंच द्वारा अनियमितता

265. श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पंचायत मेई, पंचायत समिति दांतारामगढ़ (सीकर) में काम के बदले अनाज योजना एवं अकाल राहत में कितना अनाज व नगद धनराशि गत चार वर्षों में किस-किस वर्ष में दी गई ? कृपया वर्ष वार सूची मय मूल्यांकन रिपोर्ट के सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम वासियों ने भूतपूर्व सरपंच श्री रामेश्वर-शर्मा के खिलाफ अनिमितताओं एवं गबन की शिकायतें की है ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत का रिकार्ड गायब करके झूठी चोरी की रिपोर्ट की गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत मेई, पंचायत समिति दांतारामगढ़ में काम के बदले अनाज योजना व अकाल राहत में जो अनाज व नकद धनराशि दी गई उसका विवरण, वर्षवार गत 4 वर्षों का मय मूल्यांकन रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। जांच जिला स्तर पर विचाराधीन हैं।

(3) विकास अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत मेई का रिकार्ड चोरी चला जाना प्रगट है जिसकी एफ.आई.आर. ग्राम सेवक ने पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस ने अन्तिम रिपोर्ट दे दी है लेकिन न्यायालय का निर्णय होना शेष है।

Page No 293

काम के बदले अनाज योजना वर्ष	अनाज (क्विन्टल)	अनुदान नकद (रुपयों में)	विशेष विवरण
1977–78	—	4,077–40	अनाज योजना में ग्राम पंचायत को 5000) रु०
1978–79	726–74–800	3,511–00	तक कार्य स्वीकृत करने
1979–80	136–43–300	6,327–00	का अधिकार था, तथा
उक्त वर्षो के 26	863–18–100	13,919–40	5,000)रु. तक का मूल्यांकन करने उपयोगिता
कार्यों का खर्चा	525–00–000	11021–88	प्रमाण पत्र देने का अधिकार भी ग्राम पंचायत
शेष	338–18–100	2897–25	के कोरम को ही था।

अकाल राहत योजना

वर्ष	अनाज	नकद	विवरण
1979–80 का बैलेन्स	338–18–100	2897–52	अकाल में नकद राशि
1980–81 अकाल राहत	299–12–900	8000–00	पंचायत सहायक अनुदान राशि
योग :—	637–31–000	3145–17	
		14042–69	
11 कार्यों में व्यय—			
	379–30–00	8,000–00	
शेष	258–01–000	6,042–69	

(292)

वर्ष 1980-82 में अकाल राहत कार्यों की सूची उनमें किया गया खर्चा एवं मूल्यांकन रिपोर्ट निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	नाम कार्य	स्वीकृत राशि	पंचायत द्वारा किया गया खर्च	मूल्यांकन	अन्तर राशि
1.	नव कूप मेई	16,290-00	2200-66	—	2200-66
2.	प्रा. शाखा अमानीपुरा	14,710-00	12,052-64	4852-00	7200-64
3.	हरिजन कूप मोरडो का बास	3,913-00	2,701-44	2000-00	701-44
4.	धर्मशाला मेई	7,000-00	6,319-84	2000-00	4319-84
5.	खुर्री निर्माण मेई	18,670-00	18,664-54	18,440-00	224-56
6.	पटवार घर मेई	18,000-00	16,477-43	4,445-00	12,032-43
7.	पंचायत भवन मेई	23,500-00	17,485-78	6,202-00	11283-78
8.	रास्ता सफाई	7,000-00	3,807-00	—	3,807-00
9.	धर्मशाला राजनपुरा	7,000/-	6,888-39	3200-00	3,688-39
10.	गेस्ट हाऊस मेई	7,000-00	6,909-28	4,000-00	2,909-28
11.	मिट्टी हटाना	7,000-00	6,744-60	—	6,744-60
	योग :—	1,30,083-00	1,00,251-60	45,139-00	55,112-60

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत बन्दी

266. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अध्यादेश के लागू होने की तिथि से राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कुल कितने व्यक्तियों को किस किस कारण से बंदी बनाया गया ?

(2) इनमें से किस किस बन्दी को किस किस तारीख को मुक्त किया गया, और उनके मुक्त करने के कारण क्या थे ?

उत्तर

(1) राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश लागू होने की तिथि से अब तक 39 व्यक्तियों को उनकी असामाजिक गतिविधियों के कारण निरूद्ध किया गया है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

क्र. सं. 1.	नजरबन्दी का नाम 2.	रिहाई की तिथि 3.	रिहाई के कारण 4.
1.	श्री नजरूद्दीन पुत्र ,, अलाबक्श—जयपुर	4-5-81	राज. उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में।
2.	,, श्री अहमद अली पुत्र ,, गनी—जयपुर	31-7-81	,, ,,
3.	,, बाबूलाल पुत्र ,, लादूराम जयपुर	19-12-81	नजरबन्दी की एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप।
4.	,, कमरूद्दीन उर्फ कम्मू पुत्र श्री जहूर मोहम्मद-जयपुर	7-2-82	,, ,,
5.	,, एहसान पुत्र ,, अब्दुल सत्तार—जयपुर	31-7-81	राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में।
6.	,, टिल्लू उर्फ टिल्लूमल पुत्र श्री मियामल सिंधी कोटा	26-12-81	नजरबंदी की एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप।

1	2	3	4
7.	श्री हरिमोहन पुत्र ,, रामनारायण सक्सेना कोटा	26-12-81	नजरबंदी की एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप ।
8.	,, भंवरसिंह उर्फ भंवर पुत्र श्री रामसिंह कोटा	26-12-81	,, ,,
9.	,, बृजराज सिंह पुत्र श्री तारासिंह कोटा	26-12-81	,, ,,
10.	,, महेश उर्फ गोल्या पुत्र श्री कल्याण सहाय अलवर	19-9-81	राजस्थान उच्च न्यायालय निर्णय के अनुसरण में ।
11.	,, अजीत उर्फ सिक्का पुत्र ,, रघुनाथसिंह अलवर	9-1-82	नजरबन्दी की एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप
12,	,, मुन्ना पुत्र श्री बशीर मोहम्मद—कोटा	21-6-82	,, ,,
13.	,, शौकत पुत्र श्री बशीर मोहम्मद—कोटा	3-6-82	राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में
14.	,, नूरुद्दीन पुत्र ,, दाऊद खां—कोटा	16-1-82	,, ,,
15.	,, साबू उर्फ सांवलदास पुत्र ,, जेऊमल कोटा	8-7-82	नजरबन्दी की एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप ।
16.	,, प्रेमनाथ पुत्र ,, दर्शनसिंह कोटा	10-7-82	नजरबन्दी की एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप ।

1	2	3	4
17.	श्री विनय उर्फ विनोद पुत्र ,, किस्तूरमल—अजमेर	15-7-82	नजरबन्दी की एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप।
18.	,, पप्पू उर्फ सुरेश पुत्र ,, मांगीलाल अजमेर	15-7-82	,, ,,
19.	,, ईश उर्फ ईसरबेग उर्फ युसुफ अजमेर	11-8-81	दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण
20.	,, उच्ची उर्फ गोपाल पुत्र ,, रामेश्वरलाल अजमेर	30-7-81	जिला दण्डनायक द्वारा पारित नजरबन्दी आदेशों को राज्य सरकार द्वारा कन्फर्म नहीं करने के फलस्वरूप।
21.	,, हरीश कुमार उर्फ शेरा पुत्र श्री गिरधारीलाल पंजाबी—अजमेर	19-1-82	,, ,,
22.	,, बागाराम पुत्र ,, मंगलाराम—जोधपुर	30-7-81	,, ,,
23.	,, अचलसिंह पुत्र ,, रामचन्द्र—जोधपुर	9-2-82	राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में।
24.	,, हमीद पुत्र ,, बशीर खान—जोधपुर	17-7-82	नजरबन्दी की एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप।
25.	,, प्रेमनारायण पुत्र ,, हरिनारायण—जोधपुर	11-12-82	राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में।
26.	,, बोरा राम पुत्र ,, माधाराम—जोधपुर	30-7-81	जिला दण्डनायक द्वारा पारित नजरबन्दी आदेश को राज्य सरकार द्वारा कन्फर्म नहीं करने के फलस्वरूप

1	2	3	4
27.	श्री प्रहलाद पुत्र ,, लेखूमल—अजमेर	17-6-82	राज्य सरकार द्वारा सूओ-मोटो (Suo-Moto) रिव्यू कर रिहा करने का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप
28.	,, किशन मालवीया पुत्र ,, रामस्वरूप—कोटा	9-3-82	सलाहकार बोर्ड द्वारा दी गई राय के फलस्वरूप।
29.	,, रिजवान पुत्र ,, अब्दुल गफूर—कोटा	28-4-82	राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 237 की सूची

क्र. सं.	नाम थाना	जुर्म संख्या दिनांक व जुर्म धारा	अन्धा अथवा काणे हुए व्यक्तियों का पता लगा।	अभियुक्तों के नाम	अन्वेषण का निर्णय
1	2	3	4	5	6
1.	राजाखेड़ा (धौलपुर)	51 दि० 28/3/82 धारा 304, 326, 327, 417, 420, ता० हि०	6	1. भगवतीप्रसाद नि० कंचनपुर 2. एस०एन० पाठक नि० कोलारी	दोनों ही अभियुक्त घटना के बाद से फरार है जिनके विरुद्ध धारा 82, 83 जा० फौ० की कार्यवाही की जा चुकी है। अभियोग अन्वेषणाधीन है।

1	2	3	4	5	6
2.	,,	24 दि० 1/4/82 धारा 417, 420, 326, 327 ता० हि०	4	1. श्री महेशचन्द्र 2. रमेशचन्द्र 3. मन्नालाल 4. रावेलाल 5. बाबूलाल	दिनांक 2 व 3 अप्रेल, 82 को समस्त मुलजिमान को गिरफ्तार कर धारा 326, 327, 417, 420 ता० हि० का जुर्म सिद्ध पाये जाने पर दिनांक 28/6/82 को चालान प्रस्तुत कर दिया गया है।
3.	सरमथुरा (धौलपुर)	56 दि. 8/7/82 धारा 417, 420, 326, 27 ता० हि०	2	अभियुक्तों का अभी पता नहीं लगा है।	अन्वेषण जारी है।

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 238 की सूची

वर्ष 1980 से माह अगस्त, 82 तक हरिजनों (अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति) पर हुए हमलों की सूची

क्र० सं०	नाम जिला	हमले की वारदातों की संख्या	कुल मरे	कुल घायल
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	26	1	25
2.	भीलवाड़ा	36	3	24
3.	नागौर	13	3	21
4.	भरतपुर	19	9	18
5.	अलवर	65	9	56
6.	सवाई माधोपुर	3	—	3
7.	बीकानेर	3	—	3
8.	चूरू	15	—	15
9.	गंगानगर	66	21	55
10.	जोधपुर	22	5	17
11.	जालौर	8	2	9
12.	जैसलमेर	4	—	11
13.	पाली	33	6	27
14.	सिरोही	20	4	50
15.	बाड़मेर	9	1	10
16.	जयपुर	23	6	17
17.	झुंझुनू	18	3	26
18.	सीकर	8	—	8
19.	टोंक	28	5	27

(300)

1	2	3	4	5
20.	कोटा	89	10	103
21.	झालावाड़	27	3	24
22.	बून्दी	28	3	26
23.	उदयपुर	17	—	17
24.	बांसवाड़ा	8	1	7
25.	डूंगरपुर	3	2	3
26.	चित्तौड़गढ़	32	6	28
27.	धौलपुर	22	3	37
28.	रेलवे पुलिस	1	1	—
	कुल योग	646	107	677

परिशिष्ट. 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 242 की सूची

ESTIMATED NUMBER OF POWERLOOM IN DIFFERENT STATES As on 31st December, 1980

S. No.	Name of the State	No. of Powerloom
1.	Maharastra	1,53,291
2.	Gujrat	75,344
3.	Tamil Nadu	73,429
4.	Karnataka	23,900
5.	Uttar Pradesh	20,356
6.	Punjab	20,233
7.	Madhya Pradesh	12,903
8.	West Bengal	10,202
9.	Andhra Pradesh	9,784
10.	Rajasthan	6,811
11.	Bihar	5,416
12.	Kerla	2,882
13.	Delhi	1,907
14.	Haryana	1,658
15.	Orisa	1,273
16.	Pondichery	1,114
17.	Assam	752
18.	Jammu & Kashmir	291
19.	Dardra & Nagarhavely	154
20.	Goa, Diu & Damn	96
21.	Himachal Pradesh	54
22.	Manipur	32
23.	Tripura	24
24.	Nagaland	6
	Total	4,21,911

पावर लूम आवंटन हेतु विभिन्न जिलों से सहकारी समितियों से प्राप्त आवेदन पत्रों एवं पावरलूमों की सूची।

क्र० सं०	जिला	आवेदन पत्रों की संख्या	पावर लूमों की संख्या
1.	अजमेर	3	80
2.	अलवर	2	28
3.	भीलवाड़ा	7	845
4.	बांसवाड़ा	1	10
5.	बीकानेर	2	20
6.	बून्दी	3	22
7.	भरतपुर	1	10
8.	चित्तौड़गढ़	1	10
9.	चूरू	1	7
10,	जयपुर	15	874
11.	जोधपुर	5	212
12.	जालौर	1	8
13.	पाली	1	6
14.	सीकर	4	100
15.	स० माधोपुर	5	119
16.	टौंक	1	10
17.	गंगानगर	1	100
18.	कोटा	1	12
	योग	55	2473

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 247 की सूची

न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान तथा होटलों का प्रत्येक निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण सूची

अनुच्छेद "अ"

क्र. स.	कार्यालय का नाम	निरीक्षक का नाम	दुकान संस्थान के निरीक्षणों की संख्या	होटल एवं रेस्टोरेन्ट के निरीक्षणों की सं०
1	2	3	4	5
(1)	पाली	1. श्रम निरीक्षक पाली	74	7
		2. ,, ,, सिरोही	1[illegible]0	21
(2)	अजमेर	3. श्रम निरीक्षक (प्रथम) अजमेर	25	4
		4. ,, ,, (द्वितीय) ,,	15	1
		5. ,, ,, (तृतीय) ,,	4	—
		6. ,, ,, ब्यावर	26	12
		7. ,, ,, किशनगढ़	29	2
(3)	भरतपुर	8. श्रम निरीक्षक, भरतपुर	47	79
		9. ,, ,, सवाईमाधोपुर	31	48
(4)	उदयपुर	10. श्रम निरीक्षक (प्रथम) उदयपुर	68	18
		11. ,, ,, (द्वितीय) ,,	59	16
		12. ,, ,, (तृतीय) ,,	12	10
		13. ,, ,, (चतुर्थ) ,,	4	22
(5)	जोधपुर	14. श्रम निरीक्षक (प्रथम) जोधपुर	99	21
		15. ,, ,, (द्वितीय) ,,	95	15

1	2	3	4	5
		16. श्रम निरीक्षक (तृतीय) जोधपुर	30	1
		17. ,, ,, (चतुर्थ) ,,	65	21
		18. ,, ,, (पचम) ,,	97	6
		19. ,, ,, (षष्टम) ,,	8	2
(6)	कोटा	20. श्रम निरीक्षक (प्रथम) कोटा	32	—
		21. ,, ,, (द्वितीय) ,,	63	9
		22. ,, ,, (तृतीय) ,,	98	21
		23. ,, ,, (चतुर्थ) ,,	77	—
		24. ,, ,, (पंचम) ,,	58	3
		25. ,, ,, बून्दी ,,	54	4
		26. श्रम निरीक्षक झालावाड़	45	11
(7)	अलवर	27. श्रम निरीक्षक, अलवर	77	7
(8)	बांसवाड़ा	28. श्रम निरीक्षक, बांसवाड़ा	21	43
(9)	बीकानेर	29. श्रम निरीक्षक (प्रथम) बीकानेर	50	12
		30. ,, ,, (द्वितीय) ,,	68	2
		31. ,, ,, (तृतीय) ,,	50	—
		32. ,, ,, (चतुर्थ) ,,	45	3
		33. श्रम निरीक्षक चूरू	62	4
		34. ,, ,, नागौर	25	3
(10)	सीकर	35. श्रम निरीक्षक, सीकर	33	—
		36. ,, ,, खेतड़ी	13	2
		37. ,, ,, झुन्झुनू	33	9
(11)	श्रीगंगानगर	38. श्रम निरीक्षक, श्रीगंगानगर	130	27
		39. श्रम निरीक्षक हनुमानगढ़		

1	2	3	4	5
(12)	जयपुर	40. श्रम निरीक्षक, (प्रथम), जयपुर	102	8
		41. ,, ,, (द्वितीय) ,,	145	6
		42. ,, ,, (तृतीय) ,,	130	9
		43. ,, ,, (चतुर्थ) ,,	44	2
		44. ,, ,, (पंचम) ,,	40	5
		45. ,, ,, (षष्टम) ,,	20	2
		46. ,, ,, (सप्तम) ,,	24	4
		47. ,, ,, (अष्टम) ,,	5	1
		48. ,, ,, (नवम्) ,,	160	11
		49. श्रम निरीक्षक टौंक	85	10
(13)	भीलवाड़ा	50. श्रम निरीक्षक, भीलवाड़ा	8	1
		51. ,, ,, चित्तौड़गढ़	सूचना उपलब्ध नहीं है।	

※ नोट : इस अंक में श्रम निरीक्षक श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ दोनों स्थानों की निरीक्षण संख्या सम्मिलित है।

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 250 की सूची

दिनांक 1/1/81 से 31/3/82 तक स्वीकृत पंचायत समिति इटावा

क्र० सं०	नाम पिता का नाम	गांव	उद्योग	स्वीकृत ऋण	स्वीकृत सहा०	दि०
1	2	3	4	5	6	7
1.	नारायण पुत्र रघुनाथ	मोहनपुरा	चर्म	1050	50	10.3.81
2.	प्रभुलाल पुत्र पन्नालाल	सुमेरगंजमण्डी	,,	1050	50	,,
3.	बाबूलाल पुत्र शंकर	इटावा	,,	1050	50	2.2.81
4.	गुलाब पुत्र बुद्धा	गैंता	,,	1050	50	24.7.81
5.	रामदयाल पुत्र भूरा	मोहनपुरा	,,	1050	50	13.2.81
6.	काशीराम पुत्र गणेश	इटावा	,,	1050	50	31.3.81
7.	पूरन पुत्र बंशी	बागली	,,	1050	50	17.11.81
8.	घनश्याम पुत्र भंवरलाल	देवपुरा	,,	1050	50	17.11.81
9.	गणपत पुत्र भंवरलाल	इटावा	,,	1050	50	31.7.81
10.	केशरीलाल पुत्र सुवा बाबूलाल	लुहावदा	बांसबेंत	1050	50	31.7.81
11.	बाबूलाल पुत्र सीताराम	ढीपरी	,,	1050	50	19.10.81
12.	रतनलाल पुत्र मंशाराम	ढीपरी	,,	1050	50	,,
13.	लक्ष्मीनारायण पुत्र पोंगा	बाबूलिया	चर्म	3750	750	,,
14.	रामप्रसाद पुत्र कान्हा	गैंता	,,	3750	750	29.10.81
15.	मांगी लाल पुत्र गयारम	इटावा	,,	3750	750	9.2.82
16.	रोडू पुत्र कान्हा	पीपल्दा	,,	2250	250	20.8.81
17.	राधेश्याम पुत्र ओंकार	तलाव	,,	2250	250	,,
18.	नन्दा पुत्र किशन	किशनपुरा	,,	2250	250	21.10.81

(307)
(563

1	2	3	4	5	6	7
19.	मांगीलाल पुत्र लटूर	पीपल्दा	चर्म	2250	250	3.7.81
20.	रामनाथ पुत्र रघुनाथ	इटावा	कुम्हारी	1650	650	14.3.81
21.	हीरालाल पुत्र चेतराम	राजोया	,,	1650	650	,,
22.	बंजरंगलाल पुत्र मंगल्या	बम्बूलिया	,,	2400	1400	,,
23.	हरिसिंह पुत्र किशनलाल	पीपल्दा	,,	2400	1400	,,
24.	कृष्ण पुत्र घूल्या	नीमादा	,,	1650	650	20.8.81
25.	अटूरमोहम्मद पुत्र श्री हमन	अयाना	लुहारी	2200	1200	9.3.81
26.	ललिता पत्नी हुसैन	अयाना	चाक	1500	500	9.1.81
27.	चतुर्भुज पुत्र घासी	अयाना	सुथारी घाणी	3875	375	31.3.82

——

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 252 की सूची

नाम जिला—उदयपुर

क्र. सं.	नाम पंचायत	पं. सं.	निलम्बन का दिनांक	बहाल का दिनांक	न्यायालय	पुलिस कार्यवाही: प्रथम सूचना	पुलिस कार्यवाही: अनुसंधान	पुलिस कार्यवाही: फाइनल रिपोर्ट	विभागीय जांच	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	रावलिया खुर्द, भू. पू. सरपंच	गोगुन्दा	26/4/80	5/8/80	चल रही है	—	—	24/9/79	जारी है	
2.	कैलाशपुरी, भू. पू. सरपंच	बड़गांव	3/4/81	—	—	—	—	—	,,	
3.	सुवाणा, भू. पू. सरपंच	,,	21/1/81	—	उच्च न्यायालय में रिट	19/2/82	—	13/4/82	,,	प्रदम न कुश्रा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	बड़गांव भू. पू. सरपंच	बड़गांव	21/1/81	—	—	—	—	—	जारी है	
5.	नाई, भू. पू. सरपंच	गिर्वा	24/4/80	8/12/81	—	—	—	—	,,	
6.	बूझड़ा, भू. पू. सरपंच	,,	19/3/81	—	—	—	—	—	,,	
7.	बड़ी उन्दरी भू. पू. सरपंच	,,	3/7/80	20/10/81	—	—	—	—	,,	
8.	साकरोदा, भू. पू. सरपंच	,,	15/11/80	—	उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट	—	—	—	,,	
9.	खैरवाड़ा, भू. पू. सरपंच	खैरवाड़ा	5/9/81	—	,,	—	—	—	,,	
10.	कारछा, पूर्व सरपंच	,,	,,	—	—	—	—	—	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	मावली पूर्व सरपंच	मावली	27/5/81	—	—	—	—	—	जारी है	
12.	डबोक पूर्व सरपंच	,,	29/9/78	8/12/81	—	—	—	—	,,	
13.	बिजनौल, पूर्व मरपंच	खमनोर	11/2/80	21/5/80	—	—	—	—	,,	
14.	धानीन, पूर्व सरपंच	कुम्भलगढ़	6/8/80	—	—	—	—	—	,,	
15.	कैलवा पूर्व सरपंच	राजसमन्द	1/10/80	—	—	—	—	—	,,	
16.	पीपरडा पूर्व सरपंच	पीपरडा	12/9/80	8/7/81	—	—	—	—	,,	
17.	श्री तेजेन्द्रसिंह, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत नगरफोर्ट	देवली	2/4/81	22/9/81	—	—	—	—	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	श्री राम्मनिवास पूर्व सरपंच गणेही	टोड़ारायसिंह	—	—	—	—	—	—	जारी है	
19.	श्री रामचंद्र गुर्जर पूर्व सरपंच ग्राम कुरांड	मालपुरा	—	—	—	13/5/81	—	जारी है	—	
20.	श्री भंवरलाल, पूर्व सरपंच ग्राम सरेखा	,,	—	—	—	20/4/81	जारी है	,,	—	
21.	श्री मेहलाल शर्मा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत करेड़ा बुजंग	निवाई	—	—	—	—	—	—	जारी है	
22.	श्री जगदीश प्रसाद धाकड़ पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बगड़ी	टोंक	—	—	—	—	—	—	[illegible]	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	श्री रामस्वरूप, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गलोद	टौंक	—	—	—	—	—	—	जारी है	
24.	श्री हीरालाल, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कुहाडा बुजंग	टोड़ारायसिंह	—	—	—	—	—	—	,,	
25.	श्री रामनिवास, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गणेती	टोड़ारायसिंह	—	—	—	—	—	—	,,	
26.	श्री जगन्नाथ मोरलिया, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत देवली	देवली	—	—	—	—	—	—	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	श्री तजेन्द्र सिंह, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत नगर	देवली	—	—	—	—	—	—	जारी है	
28.	श्री शांतीलाल वाफना, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत भोपाल सागर	भोपाल सागर	3/2/81	5/11/81	—	—	—	—	"	
29.	श्री भेरू लाल भाटी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत ढूठोली	—	4/4/81	—	उच्च न्यायालय में रिट याचिका विचाराधीन	—	—	—	"	
30.	श्री शांतीलाल बिराणी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कहुना	—	30/10/81	—	—	—	—	—	"	

Page No 316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	श्री अखलेश, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत अमलाविद	प्रतापगढ़	—	—	—	5/8/82	जारी है	—	जारी है	
32.	श्री गुमानसिह, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत साण्डवा	—	24/8/81	18/11/81	—	—	—	—	,,	
33.	श्री शेरसिंह, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत नांवा	—	10/9/81	—	—	—	—	—	,,	
34.	श्री बालूराम, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गौरीसर	—	18/9/81	26/10/81	—	—	—	—	कार्यवाही समाप्त	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	श्री बद्रीनारायण, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गलियाकोट	सिमलवाड़ा	26/8/81	—	उच्च न्यायालय जोधपुर में टयाचिका विचारधीन	—	—	—	—	
36.	श्री देवचन्द जैन, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गेंजी	बिछीवाड़ा	—	—	विचाराधीन	10/6/80	—	24/8/80	जारी है	
37.	श्री महेन्द्रप्रतापसिंह, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मोण्डव	सागवाड़ा	—	—	—	—	—	—	"	
38.	श्री बाबूलाल, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत धनगांव	सीमलवाड़ा	—	—	—	—	—	—	"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	श्री कुशाभाई, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मेमई	मीमसवाड़ा	—	—	—	—	—	—	जारी है	
40.	श्री शंकर भाई, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कोचरी	सीमलवाड़ा	—	—	—	—	—	—	,,	
41.	श्री देवीराम, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सावला	आसपुर	—	—	—	—	—	—	,,	
42.	श्री वैसातभाई, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बसी	डूंगरपुर	—	—	—	—	—	—	,,	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
43.	श्री लालजी भाई, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत हथोई	डूंगरपुर	—	—	—	—	—	—	जारी है	
44.	श्री प्यारचंद, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत माडा	बिछीवाड़ा	—	—	—	—	—	—	"	
45.	श्री देवचंद जैन, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गेंजी	बिछीवाड़ा	—	—	—	—	—	—	"	
46.	श्री हाजी खां, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत शिवबाड़ी	बीकानेर	30/10/81	—	उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है	—	—	—	"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	श्री राजमल, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत डोबी	भादरा	9/10/80	—	—	—	—	—	जारी है	
48.	श्री हरचंद, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत भालगढ़ जाटान	सादुलशहर	3/2/81	—	3/2/81	22/6/79	—	—	,,	
49.	श्री ईसरराम, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत वाडी	भादरा	26/3/81	12/10/81	—	—	—	—	,,	
50.	श्री रामस्वरूप भाजू, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रिडमलसर	पदमपुर	13/4/81	—	—	—	—	—	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
51.	श्री शिवराम आर्य, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ़	नोहर	18/5/81	—	20/3/79	1/7/78	—	—	जारी है	
52.	श्री सूरजमल यादव, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत भोजासर	भादरा	30/5/81	—	—	—	—	—	"	
53.	श्री अनूपसिंह, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत हिन्दुमलकोट	गंगानगर	5/9/81	—	—	28/4/81	जारी है	—	"	
54.	श्री शिवचन्द वर्मा, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत किशनपुरा	हनुमानगढ़	20/11/81	—	—	—	14/9/79	—	[illegible]	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
55.	श्री सावलराम, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत नेठराना	भादरा	18/9/81	—	उच्च न्यायालय में विचाराधीन	4/5/79	जारी है	—	जारी है	
56.	श्री हरभजनसिंह, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत घोलीपाल	सादुलशहर	—	—	—	—	28/4/82	—	,,	
57.	श्री सूरजाराम, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा	गंगानगर	—	—	—	—	23/8/82	—	,,	

नाम जिला जालौर

क्र. सं.	नाम पंचायत	पं. सं.	निलम्बन का दिनांक	बहाल का दिनांक	न्यायालय	पुलिस कार्यवाही: प्रथम सूचना	पुलिस कार्यवाही: अनुसंधान	पुलिस कार्यवाही: फाइनल रिपोर्ट	विभागीय जांच	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	मगलवा सुल्तानमल भूतपूर्व सरपंच	सायला	—	—	—	—	—	—	राज्यस्तर पर विचाराधीन	
2.	अजोदर श्री जगतसिंह भूतपूर्व सरपंच	रानीवाड़ा	—	—	—	—	—	—	मामला समाप्त किया गया	
3.	भोरड़ा श्री केवलाराम भूतपूर्व सरपंच	आहोर	—	—	—	—	—	—	″	
4.	छगोत्रा श्री गणेशाराम भूतपूर्व सरपंच	भीनमाल	—	—	—	—	—	—	″	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	सुगालिया जोमा श्री जीवाराम भूतपूर्व सरपंच	आहोर	—	—	—	—	—	—	मामला समाप्त किया गया	
6.	डांगरा श्री भीमराज भूतपूर्व सरपंच	सायला	—	—	—	—	—	—	राज्य स्तर पर विचाराधीन है।	
7.	केशवना श्री मंगलसिंह भूतपूर्व सरपंच	सायला	—	—	—	—	—	—	,,	
8.	डुडसी श्री रणजीतसिंह भूतपूर्व सरपंच	जालौर	—	—	—	—	—	—	जिला स्तर पर विचाराधीन	
9.	बागरा श्री चन्द्र शंकर पाटनी भूतपूर्व सरपंच	जालौर	—	—	—	—	—	—	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	हेमावास श्री भंवरसिंह भूतपूर्व सरपंच	पाली	12-11-80	—	—	—	—	—	जिला स्तर पर विचाराधीन	
11.	चावडिया श्री गिरधारीलाल चौधरी भूतपूर्व सरपंच	जैतारण	18-3-81	—	—	18-4-81	—	15-7-81	"	
12.	हरी श्री हरीसिंह सरपंच	पाली	27-8-81	24-10-81	—	—	—	—	"	
13.	सलोदरिया श्री मगसिंह भूतपूर्व सरपंच	सुमेरपुर	—	—	—	—	—	—	"	
14.	सुमेर श्री जमशेदखां भूतपूर्व सरपंच	देसूरी	—	—	—	—	—	—	"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	लूणावा श्री परसराम सरपंच	बाली	—	—	—	—	—	—	जिला स्तर पर विचाराधीन है।	
16.	घणी श्री मोहनलाल सरपंच	,,	—	—	—	—	—	—	,,	
17.	खुडाला श्री थानचन्द सरपंच	,,	—	—	—	—	—	—	,,	
18.	खीवाडा श्री फुटरमल सरपंच	रानी	—	—	—	—	—	—	,,	
19.	लुणावा श्री धर्मचन्द जैन भू. पू. सरपंच	बाली	—	—	—	—	—	—	,,	
20.	रानीखुर्द श्री भंवरलाल भू. पू. सरपंच	रानी	—	—	—	—	—	—	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	बगडी श्री पेमाराम भू. पू. सरपंच	सोजत	—	—	—	—	—	—	जिला स्तर पर विचाराधीन है।	
22.	मण्डिया श्री मूलसिंह भू. पू. सरपंच	पाली	—	—	—	—	—	—	"	
23.	फुलाद श्री लूम्बसिंह सरपंच	खारची	—	—	—	—	—	—	"	
24.	रास, श्री पन्नालाल भू. पू. सरपंच	जैतारण	—	—	—	—	—	—	"	
25.	चावण्डिया, श्री गिरधारीलाल भू. पू. सरपंच	सुमेरपुर	—	—	—	—	—	—	"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	बाजाकुडी, श्री शंकरसिंह सरपंच	सुमेरपुर	—	—	—	—	—	—	जिला स्तर पर विचाराधीन है।	
27.	रानी, श्री मूलचन्द सोनी भू. पू. सरपंच	रानी	—	—	—	—	—	—	"	
28.	डिगरना, श्री हुकमसिंह भू. पू. सरपंच	जैतारण	—	—	—	—	—	—	"	
29.	मुण्डारा, श्री घीसूलाल भू. पू. सरपंच	वाली	—	—	—	—	—	—	"	
30.	घाणेराव, श्री हिम्मतसिंह भू. पू. सरपंच	देसूरी	—	—	—	—	—	—	"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	दयालपुरा, श्री मिश्रीलाल भू. पू. सरपंच	पाली	—	—	—	—	—	—	जिला स्तर पर विचाराधीन है।	
32.	रास, श्री दुर्गासिंह सरपंच	जैतारण	—	—	—	—	—	—	,,	
33.	मण्डीगढ़, श्री केसरसिंह, सरपंच	देसुरी	—	—	—	—	—	—	,,	
34.	माठुन्ड, श्री गोविन्दनारायण भू. पू. सरपंच	बाली	—	—	—	—	—	—	,,	
35.	चोकडिया, श्री हेमसिंह, सरपंच	सीजत	—	—	—	—	—	—	,,	

जिला बांसवाड़ा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	श्री नवनीतलाल पूर्व सरपंच, सेनावास	घाटोल	5/12/81	—	—	—	—	—	जारी है	—
2.	,, डायालाल पूर्व सरपंच, कोहाला	तलवाड़ा	8/12/81	—	—	—	—	—	,,	—
3.	,, हीरालाल पूर्व सरपंच,	पांचलवास	—	—	—	15/4/82	विचाराधीन है	—	—	—

जिला–सिरोही

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	श्री सीताराम पूर्व सरपंच,	रोहिडा	9/9/81	—	—	—	—	—	जारी है	—
2.	,, हरीसिंह पूर्व सरपंच,	जावाल	/9/811	—	—	—	—	—	,,	—

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	श्री मोतीसिंह पूर्व सरपंच,	मनोरा	—	—	—	—	विचाराधीन है	—	—	—
4.	,, हमीरसिंह पूर्व सरपंच,	डोडवा	—	—	—	—	,,	—	—	—
5,	,, धर्मशंकर पूर्व सरपंच,	पनादरा	—	—	—	1981 में दर्ज कराई गई	,,	—	—	—
6.	,, डूंगाराम पूर्व सरपंच,	बरली	—	—	—	31/10/81	,,	—	—	—
7.	,, सुमेरसिंह पूर्व सरपंच,	जावाल	—	—	—	—	—	—	जारी है	—
8.	,, चुन्नीलाल पूर्व सरपंच,	डोडुआ	—	—	—	—	—	—	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	श्री अब्दुलरहमान पूर्व सरपंच,	मोरस	—	—	—	—	—	—	जारी है	—
10.	" जीवसिंह पूर्व सरपंच,	झाडोला	—	—	—	—	—	—	"	—
11.	" हंसराजपुरोहित पूर्व सरपंच,	मावली	—	—	—	—	—	—	"	—
12.	" मोलीराम पूर्व सरपंच,	बराडा	—	—	—	—	—	—	"	—
13.	" हजारीमल पूर्व सरपंच,	दांतराई	—	—	—	—	—	—	"	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		इस जिले में 1 अप्रैल, 80 से अब तक किसी भी सरपंच को निलम्बित नहीं किया गया है। अतः बहाल करने का प्रश्न ही नहीं उठाता है।								
1.	श्री श्रीनाथ पूर्व सरपंच, जाबर	मनोहरथाना	—	—	—	चालान प्रभारी अधिकारी इकलेरा को कोर्ट में किया गया	—	—	जारी है	—
2.	,, गंगाराम पूर्व सरपंच,	सैमलीहाट	—	—	—	—	—	—	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	श्री पन्नालाल पूर्व सरपंच,	खाखाखेड़ी	—	—	—	—	—	—	जारी है	—
4.	,, बीरदोलाल पूर्व सरपंच,	समराई	—	—	—	—	—	-	,,	—
5.	,, रम्मलाल पालीवाल पूर्व सरपंच, (स्वर्गबास हो चुका है)	रटलाई	—	—	—	—	—	—	,,	—
1.	श्री नाथूसिंह पूर्व सरपंच कोटूकोटा	सुवाना	10-9-81	—	—	20-11-81	—	विचाराधीन है	—	—
2.	,, रघुवीरसिंह पूर्व सरपंच, तसवारिया बरस	शाहपुरा	,,,	—	—	10/7/81	—	,,	जारी है	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	श्री मति प्रेमकंवर पूर्व सरपंच, रोपा	जहाजपुर	15/5/81	22/6/81	—	—	—	—	जारी है	—
4.	,, देवकरण पूर्व सरपंच, कालियास	आसिन्द	23/4/81	—	—	23/9/80	एफ. आई.आर. दी गई है	—	,,	—
5.	,, गोकलचन्द पूर्व सरपंच, गांगेड़ा	हुरड़ा	8/7/80	23/10/80	—	14/5/80	,,	—	,,	—
6.	,, उगमलाल पूर्व सरपंच, वराना	आसिन्द	3/9/81	1/10/81	—	18/6/80	,,	—	,,	—
7.	,, राधाकिशन पूर्व सरपंच, खेजड़ी	हुरड़ा	25/4/80	5/7/80	—	—	—	—	—	,,
8.	,, लाल राम पूर्व सरपंच, बागोलिया	रायपुर	3/9/81	29/9/81	—	—	—	—	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	श्री भोजाराम पूर्व सरपंच दहीमथा	माण्डल	4/7/81	3/8/81	—	26/8/81	विचाराधीन है	—	जारी है	—
10.	,, हरकलाल पूर्व सरपंच, बासेड़ा	शाहपुरा	3/6/81	—	4/6/81	—	—	—	,,	—
11.	,, देवकरण पूर्व सरपंच, कालियास	आसिन्द	22/8/80	—	—	—	—	—	,,	—
12.	,, कल्याणमल भूतपूर्व सरपंच, इटून्दा जहाजपुर	जहाजपुर	29/8/81	23/10/81	23/5/80	—	—	—	—	—
13.	,, गणेशलाल भूतपूर्व सरपंच, दान्थल	सुवाना	18/9/80	—	—	25/2/80	एफ.आई.आर दी गई है	—	जारी है	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	श्री मोहनसिंह भूतपूर्व सरपंच, पांसल	,,	10/9/81	—	—	—	—	—	,,	—
15.	,, ओमकारलाल भूतपूर्व सरपंच, सरदारनगर	बनेड़ा	21/1/81	—	—	—	—	—	जारी है	—
16.	,, रामप्रसाद भूतपूर्व सरपंच, गुलाबपुर	हुरड़ा	27/10/80	—	—	—	—	—	—	—
17.	,, राजमल भूतपूर्व सरपंच, बड़ामहुवा	सुवाना	9/9/81	—	—	—	—	—	जारी है	—
18.	श्री सोहनदास भूतपूर्व सरपंच, मांगूलास	आसिन्द	10-9-81	1-10-81	—	24-4-80	एफ.आई.आर. दी गई है	—	—	—

Page No 338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	श्री शिवनारायण भूतपूर्व सरपंच, आकोला	कोटडी	3-6-81	—	—	—	—	—	जारी है	—
20.	,, श्यामसुन्दर भूतपूर्व सरपंच, कनेछन कलां	—	—	—	8-4-82	—	—	—	—	—
21.	,, गोरधनसिंह भूतपूर्व सरपंच, सैथरिया	—	—	—	5-10-81	—	—	—	जारी है	—
22.	,, नन्दकिशोर पूर्व सरपंच, भोपतपुरा	—	—	—	13-6-80	—	—	—	—	—
23.	,, रामेश्वरलाल पूर्व सरपंच,	सागवा	—	—	—	11-6-80	बिचाराधीन है	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	श्री हेमराज पूर्व सरपंच,	कादी सहना	—	—	—	9-12-80	,, विचाराधीन है।	—	जारी है	—
25.	,, कन्हैयालाल भूतपूर्व सरपंच,	सुठेपा	—	—	—	9-5-80	,,	—	—	—
26.	,, पन्नासिंह भूतपूर्व सरपंच,	—	—	—	—	8-6-80	एफ.आई.आर. दी गई है	—	—	—
27.	,, सुगनलाल भूतपूर्व सरपंच,	दौलतपुरा	—	—	—	22-4-80	विचाराधीन है।	—	जारी है	—
28.	,, जीवनलाल पूर्व सरपंच,	टहूका	—	—	—	11-9-80	,,	—	—	—
29.	,, रहमतअली पूर्व सरपंच,	भोजपुरा	—	—	—	26-6-82	,,	—	जारी है	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	श्री दुर्गाप्रसाद भूतपूर्व सरपंच,	त्रिलिया	—	—	—	13-1-81	विचाराधीन है	—	जारी है	—
31.	,, हसनखां भूतपूर्व सरपंच,	मालोला	—	—	—	16-10-80	—	—	,,	—
32.	,, डूंगरसिंह भूतपूर्व सरपंच	बेमाली	—	—	—	—	—	—	,,	—
33.	,, मदनसिंह भूतपूर्व सरपंच	ममाना	—	—	—	—	—	—	,,	—
34.	,, समरथसिंह भूतपूर्व सरपंच,	श्रीनगर	—	—	—	—	—	—	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	श्री बालूदास भू. पू. सरपंच	शिवरती	—	—	—	—	—	—	जारी है	—
56.	श्री भूरालाल, भू. पू. सरपंच	भगूनगर	—	—	—	—	—	—	,,	—
37.	श्री भवानीशंकर भू. पू. सरपंच	ऊंचा	—	—	—	—	—	—	,,	—
38.	श्री बरदीचंद भू. पू. सरपंच	सरसिया	—	—	—	—	—	—	,,	—
39.	श्री राजमल भू. पू. सरपंच	बड़ा महुवा	—	—	—	—	—	—	,,	—
40.	श्री रामेश्वर भू. पू. सरपंच	बिजौलिया	—	—	—	—	—	—	,,	—
41.	श्री लहरचंद भू. पू. सरपंच	चैनपुरा	—	—	—	—	—	—	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	श्री मांगीलाल, भू. पू. सरपंच	भरक	—	—	—	—	—	—	जारी है	—
				जिला—कोटा						
1.	श्री रामप्रसाद सोनी पूर्व सरपंच अटरू	अटरू	22/6/81	3/11/81	—	1/7/80	—	अन्तिम रिपोर्ट दे दी गई	,,	—
2.	श्री बृजमोहन, पूर्व सरपंच, बड़ौद	सुल्तानपुर	26/6/81	—	22/4/81	—	—	—	—	—
3.	श्री हरदीशसिंह, पूर्व सरपंच, रेलावन	शाहबाद	3/11/81	—	—	25/3/81	विचाराधीन है	—	जारी है	—
4.	श्री रामेश्वर प्रसाद भू. पू. सरपंच, उंडवा	खैराबाद	18/11/81	—	—	माह अक्टू. 81	,,	—	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				जिला–बून्दी						
			1/4/80 से किसी भी सरपंच को निलम्बित नहीं किया गया है।			सूचना शून्य है				
			अतः बहाल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।							
1.	श्री हनुमान प्रसाद, पूर्व सरपंच, तलवास	नैनवा	—	—	—	—	—	—	प्राथमिक कार्यवाही चल रही है	—
2.	श्री गिरीज प्रसाद, पूर्व सरपंच, आंतरदा	नैनवा	—	—	—	—	—	—	,,	—
3.	श्री छीतरलाल, पूर्व सरपंच, आगन्दा	केशवराय-पाटन	—	—	—	—	—	—	,,	—

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
				जिला-जैसलमेर						
1.	श्री रेवतदास भू. पू. सरपंच, वारट का गांव	साकड़ा	8/4/81	27/5/81	—	—	—	—	जारी है	—
2.	श्री जसवन्त सिंह तेजरावा	सम	1/9/81	—	—	—	—	—	,,	—
3.	दानमल कपूरिया भू. पू. सरपंच	सम	—	—	—	—	—	—	,,	—
4.	श्री शिवशंकर भू. पू. सरपंच, नौखा	जैसलमेर	—	—	—	—	—	—	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				जिला–बाडमेर						
1.	श्री प्रतापसिंह, सरपंच, चौहटन	चौहटन	29/1/81	—	—	—	—	—	जारी है	—
2.	श्री शिवनारायण, सरपंच, पचपदरा		1/5/81	—	—	—	—	—	,,	—
3.	श्री सुमेरसिंह, सरपंच, रमणिया		1/5/81	—	—	—	—	—	—	—
4.	श्री ताराचंद भूतपूर्व सरपंच, सिणधरी		—	—	—	—	—	—	जारी है	—
5.	विरदाराम, भूतपूर्व सरपंच, कुंडला		—	—	—	—	—	—	,,	—

Page No 346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	श्री सुजानसिंह, भूतपूर्व सरपंच, रानीगांव		—	—	—	—	—	—	जारी है	—
7.	श्री लक्ष्मणसिंह भू. पू. सरपंच मोठोड़ा		—	—	—	—	—	—	,,	—
8.	श्री जबरसिंह भू.पू सरपंच रमणिया		—	—	—	—	—	—	,,	—
9.	श्री चन्दनसिंह, भू.पू. सरपंच गिराव		—	—	—	—	—	—	,,	—
10.	श्री पुखराज, भू. पू. सरपंच समदड़ी		—	—	—	—	—	—	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	श्री कुशलसिंह भू. पू. सरपंच मूगेरिया		—	—	—	—	—	—	जारी है	—
12.	श्री नरपत करण भू. पू. सरपंच कानना		—	—	—	—	—	—	,,	—
13.	श्री खेमाराम भू. पू. सरपंच, सांजरा		—	—	—	—	—	—	,,	—
				जिला—अलवर						
1.	श्री जयसिंह (मृतक) कुतीना	नीमराना	8/7/81	—	—	—	—	—	विभागीय जांच विचाराधीन	
2.	श्री करतासिंह, गंज	किशनगढ़-वास	25/8/81	—	—	—	—	—	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	श्री हुकमचन्द, चिकानी प. स.	किशनगढ़	—	—	—	10/6/82	—	—	—	पुलिस ने गलत फहमी की अन्तिम रिपोर्ट दे दी।
4.	श्री कन्हैयालाल डांगा बानसूर, हमीरपुर		—	—	—	—	अनुसंधान में			
5.	श्री नन्दलाल यादव, लीली	लक्ष्मणगढ़	—	—	—	—	—	—	—	11/9/81 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया जो जेल में है।
6.	श्री बलवीरसिंह यादव, बासकृपाल नगर	किशनगढ़	—	—	—	—	—	—	विभागीय जांच विचाराधीन	—
7.	श्री राजाराम, रसगन	रामगढ़	—	—	—	—	—	—	विभागीय जांच विचाराधीन	—

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				जिला–जोधपुर						
1.	श्री हिन्दूसिंह, गागियावास	मण्डोर	7/9/81	—	—	—	—	—	विभागीय जांच विचाराधीन	—
2.	श्री मांगीलाल, सतलाना	लूनी	11/9/81	—	—	—	—	—	"	—
				जिला–धौलपुर						
1.	श्री छिद्दूसिंह, हिनौता	धौलपुर	11/9/81	—	—	—	—	—	विभागीय जांच विचाराधीन	—
2.	श्री रामजीलाल, कोटरा	धौलपुर	24/1/81	—	—	—	—	—	विचाराधीन	—

Page No 350

जिला–सीकर

क्र. सं.	नाम पंचायत	पं. सं.	निलम्बन का दिनांक	बहाल का दिनांक	न्यायालय	पुलिस कार्यवाही: प्रथम सूचना	पुलिस कार्यवाही: अनुसंधान	पुलिस कार्यवाही: फाइनल रिपोर्ट	विभागीय जांच	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	श्री रामेश्वर विद्यार्थी दांतारामगढ़	दांतारामगढ़	5/4/80	16/7/81	—	पुलिस में अनुसंधान	—	—	—	—
2.	श्री बोदूराम, खण्डेलसर	दांतारामगढ़	2/5/81	16/7/81	—	—	—	—	—	—
3.	श्री रामस्वरूप, कासट	खण्डेला	31/8/81	4/12/81	—	—	—	—	विभागीय जांच विचाराधीन	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	श्री गुमानाराम, श्यामपुरा	बोद	7/5/81	17/6/81	—	—	—	—	—	—
5.	श्री बाबूलाल, अजीतगढ	श्री माधोपुर	28/10/80	—	—	21/10/81	—	—	विचाराधीन	—
6.	श्री श्यामलाल, ढाल्यावास	खण्डेला	—	—	—	—	—	—	विभागीय जांच विचाधीन	—
7.	श्री रतनलाल, गुमानसिंह की ढाणी	—	—	—	—	—	—	—	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				जिला–भरतपुर						
1.	श्री हेतराम, घुस्यारी	सेवर	18/9/81	2/11/81	—	—	—	—	—	—
2.	हरीशंकर मुरवारा	,,	7/9/81	2/12/81	—	—	—	—	—	—
3.	श्री रामजीलाल, कोटरा	धौलपुर	21/1/81	—	—	—	—	—	—	उच्च न्यायालय में विचाराधीन
4.	रामसहाय, कांसोट	डीग	11/9/81	9/11/81	—	—	—	—	—	—
5.	रामसहाय, भूतोली	बैर	26/3/81	29/5/81	—	—	—	—	—	—
6.	श्यामलाल, इटामदा	बैर	6/5/81	—	—	एफ.आई.आर. दर्ज	—	—	—	उच्च न्यायालय में विचाराधीन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	श्री नन्नूसिंह, बड़ोली	नगर	24/4/81	7/5/81	—	एफ.आई.आर.दर्ज	—	—	—	—
8.	,, नत्थीसिंह बोलेखेड़ा	कामां	10/11/81	—	—	—	—	—	विभागीय जांच विचाराधीन	—
9.	,, मुरलीसिंह, सतवास	,,	10/11/81	—	—	—	—	—	विभागीय जांच विचाराधीन	—
10.	,, लक्ष्मीचंद गुप्ता महलपुर चूरा	रूपवास	7/9/81	23/9/81	—	—	—	—	—	—
				जिला—अजमेर						
11.	,, हेमराज तिरोज	अराई	8/8/80	—	—	एफ.आई.आर. दर्ज	—	—	—	कार्यवाही समाप्त

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	रम्मनाथ, नवां	किशनगढ़	8/8/80	—	—	—	—	—	—	—
3.	श्री तेजपाल, भोगादीत	मराई	26/9/80	—	—	एफ.आई.आर. दर्ज	—	—	विभागीय जांच विचाराधीन	—
4.	श्री घीसासिंह, अन्धीदेवरी	मसूदा	14/4/81	—	—	एफ.आई.आर. दर्ज	—	—	विभागीय जांच विचाराधीन	—
5.	श्री रंगलाल, रामगढ़	,,	12/5/81	—	—	एफ.आई.आर. दर्ज	—	—	—	—
6.	श्री नोरतमल, करनोख	दीसांगन	31/8/81	2/12/81	—	एफ.आई.आर. दर्ज	—	—	जांच विचाराधीन	—
7.	वीरेन्द्रसिंह बादनवाड़ा	भिनाय	10/11/81	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	कन्हैयालाल वरना	सिलोरा	—	—	—	एफ. आई. आर. वर्ज	—	—	—	—
9.	नन्दलाल हरमाड़ा	,,	—	—	—	,,	—	अन्तिम रिपोर्ट दे दी गई	विभागीय कार्यवाही विचाराधीन	
10.	तारानन्द महरूकलां	केकड़ी	—	—	—	,,	—	—	,,	—
11.	गोकुलचन्द चितियावास	,,	—	—	—	,,	—	अन्तिम रिपोर्ट दे दी गई	,,	—
12.	नरेन्द्रसिंह मोरकिया	,,	—	—	—	,,	—	—	,,	—
13.	घीसालाल जालिया	मसूदा	—	—	—	,,	—	—	,,	—
14.	सादुल लवेरा	श्रीनगर	—	—	—	—	—	—	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	ब्रम चौधरी लोह्रवाड़ा	—	—	—	—	एफ.आई.आर. दर्ज	—	—	—	—
16.	गुमानसिंह झडवासा	पीसागंन	—	—	—	,, ,,	—	—	विभागीय जांच विचाराधीन	—
17.	भंवरलाल कोटडी	,,	—	—	—	—	—	—	,,	—
18.	जगदीश प्रसाद चोसला	—	—	—	—	—	—	—	,,	—
19.	अनवर बेग कानाखेड़ी	—	—	—	—	—	—	—	,,	—
20.	शान्तीलाल साम्रोदा	—	—	—	—	—	—	—	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				जिला—झुन्झुनू						
1.	खेमचन्द वीकासर	झुन्झुनू	29.4.81 10.8.81	16.5.81	—	—	—	—	विभागीय जांच विचाराधीन	
2.	गोरीशंकर सोटवाड़ा	नवलगढ	1.5.79	26.2.82	—	एफ.आई.आर. दर्ज	—	—	"	
3.	हनुमानसिंह पीपली	सूरजगढ़	17.8.81	—	—	—	—	—	"	
4.	सरदाराराम्म छतरवाल	पिडावा	10.8.81	18.11.81	—	—	—	—	"	
5.	गिरधारीसिंह सोनासर	अलसीसर	—	—	—	एफ.आई.आर. दर्ज	—	—	"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				जिला— जयपुर						
1. श्री शान्तीलाल, भू०पू० सरपंच ग्राम पंचायत भाग	दूदू	1.5.80	—	—	—	—	—	जारी है	
2. ,, महेश चन्द, भू० पू० सरपंच ग्राम पंचायत हिंगोटिया	दौसा	2.5.80	—	—	—	—	—	,,	
3. ,, रामनाथ, भू० पू० सरपंच ग्राम पंचायत मण्डालिया	चाकसू	7.5.80	—	—	—	—	—	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	श्री बजरंगलाल शर्मा, भू० पू० सरपंच ग्राम पंचायत बेगस	झोटवाड़ा		22.7.80	19.5.81	—	—	—	— जारी है	
5.	,, नाथूसिंह भू० पू० सरपंच ग्राम पंचायत भाकरोटा	फागी		4.11.80	13.5.81	—	—	—	— ,,	
6.	,, नारायण लाल भू० पू० सरपंच ग्राम पंचायत कांसेल	फागी		4.11.80	17.5.81	—	—	—	— ,,	
7.	,, रघुनाथ सिंह, भू० पू० सरपंच, ग्रा. पं. दूदू	दूदू		18.12.80	—	—	—	—	— ,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	श्री नैनूराम, भू. पू. सरपंच, ग्राम पंचायत रामनगर	चाकसू	26.12.80	—	—	—	—	—	जारी है	
9.	,, सत्यनारायण, भू. पू. सरपंच, ग्राम पंचायत हंसमहल	बस्सी	26.12.80	—	—	—	—	—	,,	
10.	,, गोवर्धनलाल, भू. पू. सरपंच, ग्राम पंचायत, हिरनोदा	दूदू	23.12.80	—	—	—	—	—	,,	
11.	,, रामेश्वर प्रसाद, भू. पू. सरपंच, ग्राम पंचायत दूलारावजी	जमवारामगढ़	1.1.81	—	—	—	—	—	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	श्री लादूराम, भू. पू. सरपंच, ग्राम पंचायत चांदमाकलां		फागी	5.1.81	6.11.81	—	—	—	—	जारी है
13.	श्री महादेव प्रसाद भू० पू० सरपंच, ग्राम पंचायत, नामन		शाहपुरा	5.1.81	—	—	—	—	—	,,
14.	,, बजरंग दास, भू० पू० सरपंच, ग्राम पंचायत, चकवाड़ा		फागी	5.1.81	—	—	—	—	—	,,
15.	,, प्रहलादराम, भू० पू० सरपंच ग्राम पंचायत, भ्रांतेला		विराट नगर	24.1.81	2.12.81	—	—	—	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	श्री रेवड़ मल भू० पू० सरपंच, ग्राम पंचायत डांगरवाड़ा	जमवा रामगढ़	27.2.81	—	—	—	—	—	जारी है	
17.	,, रामदयाल, भू० पू० सरपंच ग्राम पंचायत फुटोलाव	जमवा रामगढ़	27.2.81	—	—	—	—	—	,,	
18.	,, बद्रीनारायण, भू० पू० सरपंच ग्राम पंचायत, नागलराजावतान	दौसा	1.4.81	6.5.81	—	—	—	—	,,	
19.	,, कानाराम, भू० पू० सरपंच ग्राम पंचायत, खिजुरिया ब्राह्मणान	बस्सी	29.4.81	—	—	—	—	—	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	श्री भंवरसिंह, भू० पू० सरपंच, ग्राम पंचायत, रहलाना	दूदू	18.6.81	—	—	—	—	—	जारी है	
21.	,, मदनसिंह भू० पू० सरपंच ग्राम पंचायत, जयसिंहपुरा	विराट-नगर	24.8.81	—	—	—	—	—	,,	
22.	,, शिवप्रसाद मीणा, भू० पू० सरपंच, ग्राम पंचायत, सवासा	लालसोट	9.9.81	—	—	—	—		,,	
23.	श्री भंवरसिंह भू० पू० सरपंच, ग्राम पंचायत, पायेरडी	कोटपुतली	9.9.81	—	—	—	—	—	,,	

362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	श्री नाथूलाल भू० पू० सरपंच ग्राम पंचायत, लाखना	सांगानेर	18.9.81	—	—	—	—	—	जारी है।	
25.	,, प्रभातीलाल जैन, भू० पू० सरपंच, ग्राम पंचायत बिरासना	जमवा रामगढ़	24.10 81	8.12.81	—	—	—	—	,,	
26.	,, गोवर्धन लाल, भू० पू० सरपंच, ग्राम पंचायत होवायली	लालसोट	30.10.81	—	—	—	—	—	,,	
27.	,, भगवान सहाय, भू० पू० सरपंच, ग्राम पंचायत भूरथल	जस्सी	26.10.81	1.12.81	—	—	—	—	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	श्री भगवान सहाय, भू० पू० सरपंच, ग्राम पंचायत ठीकरिया गूजरान	चाकसू	26.10.81	—	—	—	—	—	जारी है	
29.	,, बजरंगलाल मीणा, भू.पू. सरपंच, ग्राम पंचायत, महारिया	लालसोट	9.11.81	—	—	—	—	—	,,	
30.	,, श्रवणराम, भू. पू. सरपंच, ग्राम पंचायत, ऐचेडी	बांदीकुई	10.11.81	—	—	—	—	—	,,	
31.	,, गोकुलचन्द यादव, भू. पू. सरपंच, ग्राम पंचायत, उदयपुरिया	गोविन्दगढ़	19.11.81	—	—	—	—	—	,,	

364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	श्री शिवदाय, भू. पू. सरपंच, ग्राम पंचायत, धोला	जमवारामगढ़	3.12.81	—	—	—	—	—	जारी है	
33.	,, रामलाल पालीवाल, भू. पू. सरपंच, ग्राम पंचायत, सिकन्दरा	सिकराय	5.12.81	—	—	—	—	—	,,	

जिला—सवाई माधोपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	श्री देवनारायण, भू. पू. सरपंच, ग्राम पंचायत खेड़ली	वामनवास	13.10.80	—	—	5.8.80	—	-	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	श्री प्रतापसिंह, भू. पू. सरपंच, ग्राम. पंचायत, मोरेल	बौंली	13.10.80	18.12.80	—	—	—	—	ज़ारी है	
3.	,, प्रभूदयाल, भू. पू. सरपंच ग्राम पंचायत, लिवाली	बामनवास	14.10.80	—	—	1.1.81	—	—	,,	
4.	,, श्यामलाल वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत, खिलचीपुर	स० माधोपुर	28.10.80	21.1.81	—	—	—	—	,,	
5.	,, हंसराज भू. पू. सरपंच ग्राम. पंचायत, कुण्डेरी	,,	4.11.80	—	—	—	—	—	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	श्री रामफल, भू. पू. सरपंच, ग्राम पंचायत, लोरावड़ा	स० माधोपुर	4.11.80	—	—	30.7.82	जारी है	—	जारी है	
7.	,, रमेशचन्द, वर्तमान सरपंच, ग्राम पंचायत, बहरावडाखुर्द	खण्डार	5.11.80	21.2.81	—	30.1.81	,,	—	,,	
8.	,, मूलचन्द, भू. पू. सरपंच, ग्राम पंचायत, रोडीवेद	,,	22.12.80	24.1.81	—	—	—	—	,,	
9.	,, नाथुलाल, भू. पू. सरपंच ग्राम पंचायत, पाचोलीस	,,	22.12.80	—	—	—	—	—	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	श्री पृथ्वीराज, वर्तमान सरपंच, ग्राम पंचायत, जोहरा	बांमनवास	7.1.81	—	—	—	—	—	जारी है	
11.	,, जगदीश प्रसाद मथुरिया ग्राम पंचायत, तलावड़ा	खण्डार	7.1 81	—	—	—	—	—	,,	
12.	,, ठण्डीराम, भू. पू. सरपंच, ग्राम पचायत, श्रमरबाडी	सपोटरा	26.3.81	—	—	—	—	—	,,	
13.	,, रामजीलाल, भू. पू. सरपंच, ग्राम पंचायत, वहादुरपुरा	सपोटरा	6.5.81	—	—	—	—	—	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. श्री कुलभानसिंह भू. पू. सरपंच, ग्राम पंचायत, सुमेल		बामनवास	26.8.81	—	—	—	—	—	जारी है	
15. ,, रामखिलाड़ी, भू. पू. सरपंच, ग्राम पंचायत, सालिमपुर		महुवा	26.8.81	—	—	—	—	—	,,	
16. ,, नसीबा, भू. पू. सरपंच, ग्राम पंचायत, कोर्ट		महुवा	3.9.81	—	—	4.9.80	—	—	,,	
17. ,, बृजमोहन, भू. पू. सरपंच, ग्राम पंचायत, नानपुर		सपोटरा	5.9.81	—	—	—	—	—	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	श्री घासीराम, भू.पू. सरपंच, ग्राम पचायत, दमोदी	खण्डार	5.9.81	—	—	30.7.82	—	—	जारी है	—
19.	,, घनश्याम, भू. पू. सरपंच, ग्राम पंचायत, श्रोडमीना	महुवा	11.9.81	—	—	—	—	—	,,	—
20.	,, इन्द्रलाल, भू. पू. सरपंच, ग्राम पंचायत, लागडी	सपोटरा	22.9.81	2.12.81	—	—	—	—	,,	—
21.	,, बीरबल, भू. पू. सरपंच, ग्राम पंचायत, कोयला	बामनवास	22.9.81	—	—	—	—	—	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	श्री रामबिलास, भू पू सरपंच, ग्राम पंचायत, निमोद राठोद	बौंली	22 9.81	—	—	—	—	—	जारी है	—
23.	,, बद्रीलाल, भू. पू. सरपंच, ग्राम पंचायत, जोनापुर	सवाई माधोपुर	30.10.81	—	—	—	—	—	,,	—
24.	,, बद्री नारायण, भू. पू. सरपंच, अलवाडी	सवाई माधोपुर	30.10.81	9.12.81	—	—	—	—	,,	—
25.	,, रामप्रसाद, भू. पू. सरपंच, पीलोदी	गंगापुर	,,	—	—	—	—	—	,,	—
26.	,, विजयसिंह, भू. पू. सरपंच, नाहीडा	महुवा	,,	—	—	—	—	—	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	श्री परमात्मा, भू. पू. सरपंच, सोचाली	बामनवास	23.11.81	—	—	—	—	—	जारी है	—
28.	,, भगवतसिंह, भू. पू. सरपंच, चौथ का बरवाड़ा	सवाई माधोपुर	5.12.81	—	—	—	—	—	,,	—
29.	,, गिर्राजसिंह, भू. पू. सरपच, नादौती	नादौती	पत्रावली रिट में है	—	—	—	—	—	,,	—
30.	,, नाथूलाल, भू. पू. सरपंच, बरदली	नादौती	,,	—	—	—	—	—	,,	—
31.	,, हरिसिंह, वर्तमान सरपंच, रासी	नादौती	—	—	—	—	—	10.5.82	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	श्री रामस्वरूप, भू. पू. सरपंच खेडलो गूजर	हिन्डोन	—	—	—	—	—	14.4.82	जारी है	—
33.	,, पतराम मीणा, भू. पू. सरपच, पट्टी खुर्द	बामनवास	—	—	—	14 9.79	—	21.12.80	,,	—
34.	,, गंगाधर मुदगल भू. पू. सरपंच, गुढाचन्द्रा जी	नादौती	—	—	—	13.12.80	—	17.12 80	,,	—
35.	,, भौरीलाल, भू. पू. सरपंच, गढ़खेड़ा	नादौती	—	—	—	11.8.82	—	—	,,	—
36.	,, लोहडचाराम, भू. पू. सरपंच, नादौती	नादौती	—	—	—	10.5.82	—	—	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	श्री गिर्राज प्रसाद, भू. पू सरपंच, खेड़ीहेवत	हिन्डौन	—	—	—	5.1.81	—	17.7.82	जारी है	—
38.	,, रामगोपाल, भू. पू सरपंच, गुनेसरा	करौली	—	—	—	20.8.80	—	—	,,	—
39.	,, बृजमोहन लाल, भू. पू. सरपंच, एकट	सपोटरा	—	—	—	6.7.82	—	—	,,	—
40.	,, नन्दलाल, भू. पू सरपंच, जमरा	सपोटरा	—	—	—	28.5.82	—	—	,,	—
41.	,, भरतसिंह, भू. पू सरपंच, जमरा	करौली	—	—	—	28.5.82	—	—	जारी है	—

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	श्री कोर्कसिंह, ,, भू. पू. सरपंच, खण्डा	करौली	—	—	—	28.5.82	—	—	जारी है	—
43.	,, शम्भूसिंह, भू. पू. सरपंच, रूपपुरा	करौली	—	—	—	,,	—	—	,,	—
44.	,, चन्दनराम, भू. पू. सरपंच, खेड़िया	करौली	—	—	—	,,	—	—	,,	—
45.	,, मुन्शीराम, भू. पू. सरपंच, गुड़ला	करौली	—	—	—	,,	—	—	,,	—
46.	,, मोठालाल, भू. पू. सरपंच, परौता	करौली	—	—	—	,,	—	—	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	श्री जमुना लाल, भू. पू. सरपंच, डुकरावली	करौली	—	—	—	28.5.83	—	—	जारी है	—
48.	,, स्वरूपसिंह भू. पू. सरपंच, सीतोली	करौली	—	—	—	,,	—	—	,,	—
49.	,, गुलरिया राम, भू. पू. सरपंच, सायपुर	करौली	—	—	—	,,	—	—	,,	—
50.	,, कल्याण सहाय, भू. पू. सरपंच, कोडर	करौली	—	—	—	,,	—	—	,,	—
51.	,, नारायणसिंह, भू. पू. सरपंच, रतियापुरा	करौली	—	—	—	,,	—	—	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
52.	श्री बदरी लाल, भू. पू. सरपंच, झालवाड़ा	करौली		—	—	—	30.7.82	—	—	जारी है	—
53.	,, हरफूल मीणा, भू. पू. सरपंच, डेकवा	सवाई माधोपुर		—	—	—	,,	—	—	,,	—
54.	,, हनुमानप्रसाद, भू. पू. सरपंच, मेजपुरा	सवाई माधोपुर		—	—	—	,,	—	—	,,	—
55.	,, गोरधन लाल, भू. पू. सरपंच, कुण्डेरा	सवाई माधोपुर		—	—	—	,,	—	—	,	—
56.	,, रामप्रताप, भू. पू. सरपंच, जटवाड़ा कला	सवाई माधोपुर		—	—	—	,,	—	—	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			जिला—नागौर							
1. श्री	रूपराम, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, डाबरा	डीडवाना	2.6.81	31.7.81	—	—	—	—	—	—
2. ,,	भीमराज, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, चौसला	कुचामनसिटी	4.7.81	—	—	—	—	—	—	—
3. ,,	रामकरणखेमरिया, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, डांगवास	मेड़ता	11.9.81	—	—	—	—	—	—	—

(378)

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 255 की सूची

सिकराय पंचायत समिति के गांवों के नाम जिनका वर्षा के उपरान्त सर्वेक्षण किया गया :—

दिनांक	गांवों के नाम
26.10.79	सिकराय केलाई, केलाई, गीजगढ, गढी जरीता, भावगढ, डैंडा बसंडी, घुमना, जयसिंहपुरा, पाटन ।
27.10.79	बुजीत, कालाखों, गाडोरा, बरेन्दा, लाका, रोनीली, मोहबींगपुरा, गढ गुमानपुरा, शेखपुरा, देवरी, गुजर, बरेन्डा, गुन्डीयाखेड़ा, चांदपुर, भीभन, अचलपुरा, भरना, गांगद्वारी ।
28.10 79	टोरडा, फरामपुरा, राजवास, डोवीका, भंडारी, छोकखाड़ा, ईटका, बाहामिन, बरैन्दा, सिकन्दरा, गिरधरपुरा, कोरडावला, भोजपुरा, कैलाई रेटा, डुब्बी, पीववा कलां, रायपुरा, मरियारा एवं कारेडा कलां ।
29.10.82	बामनपुरा, सुवान, पीपलकी, मानपुरा, पांचोली, सिंकराय, नामनेर, डुंगरसिकराय, गनीपुर, रामपुरा, हींगवा, हींगी, चाईसा, नयागांव-नांदरी, भालपुर, उदयपुरा मीणासिमला, ब्रम्हबाज ।
30.10.79	ब्रम्हबाग, रामागढ, चांदेरा, सुरेर, पारली, लंगड़ाबालाजी, करोन्दी ठीकरी, खेडो सालवा, जोधपुरा, पीलोंदी, किनकटपुरी, सिकराय, कालवान का वास ।

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 256 की सूची

राजस्थान शासन द्वारा संरक्षित स्मारक

क्रमांक	स्मारक/स्थान/वस्तु का नाम	स्थान	जिला	निर्माण का वर्ष	महत्व
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जमवामाता का मन्दिर	जमवारामगढ़	जयपुर	11 वीं शती.	यह महाराजा दूल्हा राय द्वारा निर्मित हुआ।
2.	प्राचीन महल (पहाड़ी के नीचे)	आमेर	,,	12 से 17 वीं शताब्दी ई.	यह महाराजा राजादेव जी द्वारा निर्मित है।
3.	पहाड़ी पर आमेर के प्राचीन महल	,,	,,	16-17 वीं शताब्दी	यह महाराजा मानसिंह जी प्रथम द्वारा निर्मित है।
4.	यन्त्रालय	जयपुर	,,	18 वीं शती.	यह महाराजा सवाई जयसिंह जी द्वारा निर्मित है।
5.	श्री सूरज जी का मन्दिर, गलता पहाड़ी पर	,,	,,	1744 ई.	राव जगराम द्वारा सवाई जयसिंह जी के संरक्षण में निर्मित हुआ।

1	2	3	4	5	6
6.	सुदर्शन गढ़ (नाहरगढ़)	जयपुर	जयपुर	18 वीं शती.	यह स्मारक सवाई जयसिंह जी द्वारा निर्मित है।
7.	श्री कालिका देवी का मन्दिर सिरहड्योढी बाजार,	,,	,,	18 वीं शती.	यह महाराजा सवाई जयसिंह जी द्वारा निर्मित है।
8.	ईसरलाट	,,	,,	,,	यह महाराजा ईश्वरसिंह जी द्वारा निर्मित है।
9.	श्री ब्रज नन्दन जी का मन्दिर	,,	,,	1792 ई.	यह महाराजा सवाई प्रतापसिंह जी द्वारा निर्मित हुआ था।
10.	हवामहल	,,	,,	1799 ई.	,,
11.	चरण मन्दिर	,,	,,	16-17 वीं शती.	यह महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा निर्मित हुआ है।
12.	कल्याण जी का मन्दिर	आमेर	,,	मध्ययुगीन	यह मन्दिर मध्यकालीन राजपूत कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है।
13.	पन्ना मियां का कुन्ड	,,	,,	,,	इस कुण्ड का नामकरण पन्ना मियां के सम्मानार्थ हुआ है। पन्ना मियां सवाई जयसिंह द्वितीय के रतिवास के प्रधान कर्मचारी थे।

1	2	3	4	5	6
14.	दलाराम का बाग	आमेर	जयपुर	मध्ययुगीन	इस उत्तर मध्यकालीन वाटिका का नामकरण सवाई जयसिंह द्वितीय के समय के प्रमुख भवन निर्माण कला के विशारद (मिस्त्री) दलाराम के सम्मानार्थ हुआ था।
15.	मोहनबाड़ी	"	"	"	इस मध्यकालीन वाटिका का नाम करण नामक भवन निर्माण कला विशारद के सम्मानार्थ हुआ।
16.	संघी झूथाराम का मन्दिर	"	"	1657 ई॰	इस मन्दिर का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के प्रधान मन्त्री मोहन दास द्वारा हुआ था।
17.	प्राचीन आमेर की नगर दीवार	"	"	मध्यकालीन	यह मध्य युग की महत्वपूर्ण शहर पनाह है।
18.	भवानीराव बोहरा का मकान	जयपुर	"	मध्ययुगीन	इस मकान का निर्माण महाराजा प्रतापसिंह के राज्य काल में हुआ था। यह एक मध्यकालीन स्मारक है। जो भित्ति चित्रों से सज्जित है।

1	2	3	4	5	6
19.	सिसोदिया महारानी का मन्दिर	जयपुर	जयपुर	मध्ययुगीन	इस मन्दिर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय की सिसोदिया रानी ने करवाया था।
20.	गलता के मन्दिर	,,	,,	,,	यह मन्दिर मध्यकालीन भवन निर्माण कला का उदाहरण है।
21.	कृष्ण देव पहाड़ी की गुफा गलता	,,	,,	,,	यह पुरातात्विक महत्व का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
22.	नरसिंह जी का मन्दिर	आमेर	,,	मध्ययुगीन	यह मध्य युग का एक महत्वपूर्ण मन्दिर है।
23.	शाहपुरा रोड की छतरियां	,,	,,	,,	यह मध्य युग की महत्वपूर्ण छतरियां हैं।
24.	जनानाघाट, गलता के भित्ति चित्र	,,	,,	,,	यह जयपुर शैली के मुख्य चित्र है।
25.	सूर्य मन्दिर गलता	,,	,,	,,	यह मन्दिर राव कृपा राम द्वारा निर्मित है जो महाराज जयसिंह द्वितीय के मुगल दरबार में राजदूत थे।

1	2	3	4	5	6
26.	बालानन्द जी का मन्दिर	आमेर	जयपुर	मध्ययुगीन	यह मन्दिर सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित हुआ।
27.	भाउपुरा की छतरियों के भित्ति चित्र	भाउपुरा	,,	,,	यह मध्ययुग के महत्वपूर्ण चित्र हैं।
28.	पुरानी बस्ती में पुरोहित जी की हवेली के भित्ति चित्र	जयपुर	,,	,,	,,
29.	अकबर के कोस चिन्ह दिल्ली अजमेर रोड	आमेर	,,	,,	यह अकबर द्वारा बनवाया गया महत्वपूर्ण स्मारक है।
30.	प्राचीन गोविन्द देव जी के निकट छतरियों में भित्ति चित्र	जयपुर	,,	,,	यह मध्ययुग के महत्वपूर्ण भित्ति चित्र हैं।
31.	प्राचीन गोविन्द देव जी का मन्दिर	,,	,,	,,	यह मध्ययुग का एक महत्वपूर्ण स्मारक है।
32.	सामोद की हवेली के भित्ति चित्र, पुरानी बस्ती	,,	,,	,,	यह मध्ययुग के महत्वपूर्ण भित्ति चित्र हैं।
33.	गैटोर की छतरियां	,,	,,	,,	यह मध्ययुग की महत्वपूर्ण छतरियां हैं।

1	2	3	4	5	6
34.	नगर दीवार (सभी द्वारों को सम्मिलित करके)	जयपुर	जयपुर	मध्ययुगीन	यह मध्ययुग का महत्वपूर्ण स्मारक है।
35.	सांगानेर के मन्दिर	सांगानेर	,,	,,	यह मध्ययुग के महत्वपूर्ण मंदिर हैं।
36.	मुगल द्वार	बैराठ	,,	,,	यह मध्ययुग का महत्वपूर्ण द्वारा है जो भित्ति चित्रों से सज्जित है।
37.	हाड़ी रानी के महल	आमेर	,,	,,	यह मध्ययुग का महत्वपूर्ण स्मारक है।
38.	सूर्य मन्दिर	,,	,,	,,	यह मध्ययुग का महत्वपूर्ण मंदिर है।
39.	महारानियों की छतरियां आमेर रोड	,,	,,	,,	यहां पर जयपुर के भूतपूर्व शासकों की महारानियों की छतरियां हैं। यह स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
40.	छतरियां स्टेशन रोड, जयपुर (श्री वी० एल० धामा के निवास के समीप)	,,	,,	उत्तर मध्ययुग	यह उत्तर मध्य युग की महत्वपूर्ण छतरियां हैं।

1	2	3	4	5	6
	जिला कोटा (राजस्थान शासन द्वारा संरक्षित स्मारक)				
41.	शिव मन्दिर अथवा भण्ड द्वारा	रामगढ़	कोटा	10 वीं शताब्दी ई.	यह दसवीं शताब्दी ई. का महत्वपूर्ण शिव मन्दिर है।
42.	किला रामगढ़	,,	,,	मध्ययुगीन	यह मुस्लिम युग का महत्वपूर्ण स्मारक है।
43.	बोस थूड़ी मन्दिर	कोटा	,,	9 वीं शताब्दी ई.	यह नवीं शताब्दी ई. का महत्वपूर्ण मन्दिर है।
44.	किला नाहरगढ़	,,	,,	मध्ययुगीन	राठौड़ों द्वारा निर्मित यह मुगल काल का महत्वपूर्ण स्मारक है।
45.	प्राचीन मन्दिर खण्डेला	खण्डेला	,,	10 वीं. शताब्दी ई.	यह दसवीं शताब्दी का महत्वपूर्ण मन्दिर है।
46.	मस्जिद शाहाबाद	शाहाबाद	,,	मध्ययुगीन	यह औरंगजेब के समय की महत्वपूर्ण मस्जिद है।

1	2	3	4	5	6
47.	बादल महल	शाहाबाद	कोटा	मध्ययुगीन	यह विकसित मुगल काल की कला का अच्छा उदाहरण है।
48.	किला	,,	,,	,,	यह मुगलयुग का एक महत्वपूर्ण किला है।
49.	किला	केलवारा	,,	उत्तर मध्ययुगीन	यह मध्ययुग का महत्वपूर्ण किला है।
50.	हिन्दू मन्दिर	बारां	,,	,,	यह मध्य युग का महत्वपूर्ण मन्दिर है। 17 वीं शती. का एक अभिलेख युक्त हैं।
51.	शिव मन्दिर	नूरपुर	,,	मध्यकालीन	यह शिव मन्दिर मध्यकालीन स्थापना कला का अच्छा उदाहरण है।
52.	शिव मन्दिर	हरिपुरा	,,	,,	,,
53.	शिव मन्दिर	मायदा	,,	,,	,,
54.	सूर्य मन्दिर	बूढादीत	,,	10 वीं शताब्दी ई.	यह 10 वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण मन्दिर है।

1	2	3	4	5	6
55.	शिव मन्दिर	कावलाजी	कोटा	10 वीं शताब्दी ई.	यह एक महत्वपूर्ण मन्दिर है।
56.	हम्मीर का शिलालेख	,,	,,	13 वीं शताब्दी ई.	यह हम्मीर का महत्वपूर्ण लेख है।
57.	मन्दिर घूमर जी	कोटा	,,	10 वीं शताब्दी ई.	यह एक मन्दिर समूह है।
58.	मन्दिर विछालस	,,	,,	,,	यह एक महत्वपूर्ण मन्दिर समूह है।
59.	मन्दिर बडोरा	,,	,,	,,	,,
60.	शक्ति सागर तालाब	मोठपुर	,,	,,	,,
61.	मन्दिर समूह	सहरोद	,,	,,	यह महत्वपूर्ण मन्दिर है।
62.	मन्दिर समूह	काकूरानी	,,	9 वीं शता. ई.	,,
63.	मन्दिर समूह*	थुनपुर	,,	10 वीं शता. ई.	,,
64.	माता का मन्दिर	बड़ाखेड़ा	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6
65.	बद्रीनाथ तथा पार्श्वनाथ मन्दिर समूह	अवान	कोटा	17 वीं शती. ई.	यह महत्वपूर्ण मन्दिर है।
66.	मन्दिर समूह	कनवास	,,	,,	,,
67.	किला	गगरोन	,,	15 वीं शती. ई.	यह अति महत्वपूर्ण किला है।
68.	दरगाह मीठे साहब	,,	,,	14 वीं शती. ई.	,,
69.	शहर पनाह	दाराह	,,	17 वीं शती. ई.	यह महत्वपूर्ण शहर पनाह कोटा के महाराज मुकुन्दसिंह जी द्वारा निर्मित है।
70.	बड़ा तालाब अथवा जग मन्दिर कोटा	कोटा	,,	14 वीं शती. ई.	यह मध्यकालीन स्थापत्य का अच्छा उदाहरण है।
71.	केसर खां तथा डोकर खां की कब्रें	,,	,,	16 वीं शती. ई.	यह मध्ययुग की कृति है।
72.	गपड़नाथ	रतकंकार	,,	,,	,,

क्रमांक	स्मारक/स्थान वस्तु का नाम	स्थान	जिला	निर्णय का वर्ष	महत्व
1	2	3	4	5	6
			जिला-जोधपुर		
73.	जोधपुर का किला	जोधपुर	जोधपुर	15 वी शती	यह किला राव जोधा द्वारा बनाया गया था।
74.	वीरों की दालान	मंडोर	,,	18 वीं शती०	यह दालान अनेक वीरों की प्रतिमाओं से युक्त है। यह महाराजा अभयसिह के शासन काल में निर्मित हुई।
75.	रावमालदेव की छतरी	,,	,,	15 वीं शती०	यह मंडोर के बाग में प्रथम देवल है। यह मोटा राजा उदयसिह द्वारा अपने पिता की स्मृति में बनाया गया।

1	2	3	4	5	6
76.	मोटा राजा उदयसिंह की छतरी	मंडोर	जोधपुर	1611 ई०	यह सवाई राजा सूरसिंह द्वारा निर्मित है जिसे उन्होंने अपने पिता मोटा राजा उदयसिंह की स्मृति में बनवाया ।
77.	गजसिंह की छतरी	,,	,,	1649 ई०	यह महाराजा जसवन्तसिंह प्रथम द्वारा निर्मित की गई।
78.	सवाई राजा सूरसिंह की छतरी	,,	,,	1722 ई०	यह महाराजा गजसिंह द्वारा निर्मित है ।
79.	महाराजा जसवन्तसिंह प्रथम की छतरी	,,	,,	1720 ई०	यह महाराजा अजीतसिंह जी द्वारा निर्मित की गई ।
80.	महाराजा अजीत सिंह की छतरी	,,	,,	1791 ई०	इस छतरी के निर्माण करने का प्रारम्भ महाराजा अजयसिंह ने किया । शेष कार्य महाराजा मानसिंह जी ने पूर्ण किया ।
81.	पंच कुण्ड में छतरियां	,,	,,	15 वीं से 18 वीं शती. तक	यहां स्थानीय राजा तथा रानियों की छतरियां बनवाई गई है ।

1	2	3	4	5	6
82.	टोकेश्वर महादेव की प्रतिमा	मंडोर	जोधपुर	तीसरी शती० ई. लगभग	यह एक महत्वपूर्ण प्रतिमा है।
83.	रावण की चोतरी	,,	,,	तीसरी शती० ई. लगभग	यह नो प्रतिमाओं का समूह है।
84.	हरिहर मन्दिर	ओसियां	जोधपुर	10 वीं शती०	यह एक महत्वपूर्ण पंचायतन मन्दिर है।
85.	हरिहर मन्दिर-2	,,	,,	,,	यह एक प्रमुख पंचायतन मन्दिर है।
86.	हरिहर मन्दिर-3	,,	,,	,,	यह एक महत्वपूर्ण मन्दिर है।
87.	हरिहर मन्दिर-4	,,	,,	,,	,,
88.	हरिहर मन्दिर-5	,,	,,	12 वीं शती०	,,
89.	सूर्य मन्दिर-संख्या-7	,,	,,	10 वीं शती०	यह ओसियां समूह के मन्दिरों में सर्वोत्तम है।
90.	शिव मन्दिर-संख्या-8	,,	,,	,,	यह ओसियां समूह में अकेला शिव मन्दिर है।
91.	पीपलाद माता मन्दिर संख्या-9	,,	,,	,,	यह महत्वपूर्ण मन्दिर है।

1	2	3	4	5	6
92.	विष्णु मन्दिर-10	ओसियां	जोधपुर	11 वीं शती०	यह एक महत्वपूर्ण मन्दिर है।
93.	जैन मन्दिर	,,	,,	8 वीं से 12 वीं शती०	यह मन्दिर भगवान महावीर का है तथा आषाढ़ सुदी 1933 रविवार के एक अभिलेख से युक्त है।
94.	सचिया माता मन्दिर	,,	,,	10 वीं से 12 वीं शती०	यह महत्वपूर्ण मन्दिर है।
95.	बाड़ी (जालरा या झालरा)	,,	,,	12 वीं शती०	यह एक महत्वपूर्ण बावड़ी है।
96.	कुक्कु देवल उथवा उत्कीर्ण कीर्ति स्तम्भ का स्थान तथा स्मारक अभिलेख अथवा रोहिन्सकूप	घटियाला	,,	918 विक्रम सं० का अभिलेख	इस अभिलेख में प्रतिहार शासकों की वंश तालिका का उल्लेख है।
96.	सूर्य मन्दिर	रणकपुर	,,	12 वीं शती०	यह महत्वपूर्ण मन्दिर है।

जिला-सिरोही

1	2	3	4	5	6
98.	सूर्य मंदिर	वर्मान	सिरोही	10 वीं शती०	यह राजस्थान के मध्वकालीन मन्दिर स्थापत्य का एक उत्तम उदाहरण है।
			जिला-नागौर		
99.	नागौर का किला	नागौर	नागौर	मध्ययुगीन	यह राजस्थान का एक प्रमुख किला है।
100.	नागौर की अकबरी मस्जिद	,,	,,	,,	इसका निर्माण अकबर के शासन काल में हुआ था।
101.	शाम की मस्जिद	,,	,,	15 वीं शती.	यह एक प्रमुख ऐतिहासिक मस्जिद है।
102.	तारकिन दरवाजा या बुलन्द दरवाजा	,,	,,	13 वीं शती.	यह मध्यकालीन स्थापत्य का उत्तम उदाहरण है।

1	2	3	4	5	6
103.	अमरसिंह की छतरी	नागौर	,,	17 वी शती.	यह उत्तर मध्याकालीन की कृति है ।
104.	अकबरी मस्जिद या शाही मस्जिद	मेड़तासिटी	,,	16 वी शती.	यह एक महत्वपूर्ण स्मारक है ।
105.	मालकोट	,,	,,	,,	,,
106.	शिव मंदिर	केकीन्द	,,	11 वी शती०	,,
			जिला - जालोर		
107.	जालौर का किला	जालौर	जालौर	मध्ययुगीन	यह एक महत्वपूर्ण स्मारक है ।
108.	तोपखाना	,,	,,	12 वी शती.	,,
			जिला-पाली		
109.	हथूंडी या हस्तिकुन्डी	हथूंडी	पाली	11 वीं शती.	यह एक महत्वपूर्ण स्मारक है ।
			जिला-अलवर		
110.	किला	इन्दौर	अलवर	15 वीं शती.	यह एक महत्वपूर्ण किला है ।

1	2	3	4	5	6	7
111.	खानजादा की कब्रें	इन्दौर	,,	15 वीं शती	यह एक महत्वपूर्ण किला है।	
112.	कृष्ण कुन्ड	अलवर	,,	मध्ययुगीन	यह मध्य युग के महत्वपूर्ण भवन है।	
113.	त्रिपोलिया	,,	,,	,,	इस स्मारक का निर्माण अकबर के समय में हुआ था।	
114.	किला	राजगढ़	,,	1771 ई.	यह एक महत्वपूर्ण किला है।	
115.	भृर्तहरी का गुम्बद	तिजारा	,,	1494 ई.	इस गुम्बद का निर्माण अकबर के समय में हुआ।	
116.	गुम्बद फतेहजंग	फतेहजंग	,,	16 वीं शती.	इस गुम्बद का निर्माण शेरशाह सूरी के शासन काल में हुआ।	
117.	बड़गजर के प्रधान के प्राचीन प्रासाद	राजगढ़	अलवर	मध्ययुगीन	यह एक महत्वपूर्ण स्मारक है।	
118.	सोमेश्वर महादेव का स्थान	मानगढ़	,,	,,	यह एक महत्वपूर्ण शिव मन्दिर है।	
119.	नील कण्ठ महादेव	नीलकण्ठ	,,	11 वीं शती०	,,	
120.	नानगज	,,	,,	14 वीं शती	यह एक महत्वपूर्ण स्मारक है।	

1	2	3	4	5	6
121.	पठान कब्रें	तिजारा	अलवर	मध्ययुगीन	यह एक महत्व पूर्ण स्मारक है ।
122.	अलवर के राज प्रासाद जिनमें सरकारी दफ्तर व राजकीय संग्रहालय, महाराजा के निजी भाग व जनानी डयोढ़ी शामिल है ।	अलवर	"	18 वीं 19 वीं शताब्दी	यह राजस्थानी स्थापत्य की महत्व-पूर्ण कृतियां है ।
			जिला-अजमेर		
123.	अकबर का किला या मैगज़ीन या दौलतखाना	अजमेर	अजमेर	1572 ई०	यह मुगल युग का महत्वपूर्ण स्मारक है ।
124.	अकबर के किले का मुख्य द्वार	"	"	मध्ययुगीन	इस स्थान पर सर टामसरो ने सम्राट जहांगीर को अपना परिचय पत्र पेश किया था । यह द्वार मुख्य किले में जहांगीर के समय जोड़ा गया ।

1	2	3	4	5	6
125.	टोडा तथा दिगम्बरों की जैन छतरि	अजमेर	अजमेर	10 वीं० शती०	आनासागर के उत्तर में दिगम्बर जैनों से सम्बन्धित छतरियों का यह एक महत्वपूर्ण समूह है।
126.	गोपीनाथ जी का मन्दिर	सरवाड़ा	,,	17 वीं. शती.	यह एक महत्वपूर्ण स्मारक है।
127.	संतोष वावला जी की छतरी	पुष्कर	,,	18 वीं. शती.	यह एक महत्वपूर्ण छतरी है।
128.	शिव मन्दिर	थावला	,,	10 वीं शती.	यह शिव मन्दिर 10 वीं शताब्दी मे सम्बन्धित है इसमें चौहानों का शिलालेख लगा है।
129.	चामुण्डा देवी का मन्दिर	अजमेर	,,	12 वीं. शती.	यह एक महत्वपूर्ण मन्दिर है।
			जिला—झालावाड़		
130.	पदमनाभि मन्दिर	झालरा पाटन	झालावाड़		यह एक महत्वपूर्ण मन्दिर है।

1	2	3	4	5	6
			जिला—भरतपुर		
131.	चौबुर्जा अथवा गढ़ी खेमकरण	भरतपुर	भरतपुर	17वीं शती.	यह एक महत्वपूर्ण स्मारक है ।
132.	प्राचीन प्रासाद	कुम्हेर	,,	18वीं शती.	,,
133.	जलमहल	,,	,,	,,	,,
134.	होलकर की छतरी	गंगोर सोती	,,	,,	,,
135.	किला	डीग	,,	,,	यह एक महत्वपूर्ण भवन है ।
136.	छत्ता या प्राचीन प्रासाद	,,	,,	,,	,,
137.	प्राचीन प्रासाद	कामां	,,	16वीं शती.	यह एक महत्वपूर्ण स्मारक है ।
138.	लाल दरवाजा	,,	,,	14वीं शती.	यह एक महत्वपूर्ण भवन है ।
139.	अकबर के कोष चिन्ह	,,	,,	1[illegible]वीं शती.	यह महाराजा कामसेन की छतरी भी बताई जाती है ।

1	2	3	4	5	6
140.	अकबर के कोष चिन्ह	कामां	भरतपुर	16वीं शती.	मुगल शासक अकबर ने यह कोष चिन्ह दो कोष के अन्तर पर लगवाये हैं। अकबर जब आगरा से अजमेर ख्वाजा चिश्ती की दरगाह पर जा रहा था उस समय इनका निर्माण किया।
141.	कामेश्वर महादेव का मन्दिर	"	"	10वीं शती.	यह एक महत्वपूर्ण मन्दिर है।
142:	प्राचीन कुआं	"	"	"	यह एक महत्वपूर्ण कुआं है।
143.	धर्मराज का कुआं	"	"	"	"
144.	सूरज का मन्दिर	संतवास	"	उत्तर गुप्त युग	यह राजस्थान के प्राचीनतम मन्दिरों में प्रमुख है।
145.	मुस्लिम कब्र तथा सहेले खां कब्र	"	"	15वीं शती.	यह भरतपुर के महाराजा सूरजमल के भाई राजा प्रतापसिंह द्वारा निर्मित है।
146.	किला	वैर	भरतपुर	18वीं शती.	यह भरतपुर के महाराजा सूरजमल के भाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित है।

1	2	3	4	5	6
147.	प्रासाद तथा वाटिका	वैर	भरतपुर	18वीं शती.	यह भरतपुर के महाराजा सूरजमल के भाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित है ।
148.	जर जरीना कब्रें तथा मस्जिदें	धौलपुर	,,	15वीं शती०	यह स्मारक अरबी भाषा के अभिलेख से युक्त है।
149.	प्राचीन बावड़ी	,,	,,	मध्ययुगीन	यह एक महत्वपूर्ण स्मारक है।
150.	तालाब शाही	बाड़ी	,,	17 वीं शती०	यह 17 वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण स्मारक है।
151.	भूतेश्वर महादेव	बसेड़ी	,,	प्रारंभिक मध्ययुग	यह एक महत्वपूर्ण स्मारक है ।
152.	बल्देव जी के मंदिर में पत्थर काटकर बनायी गयी प्रतिमा,	रुपवास	,,	15 वीं शती०	,,
153.	काले खां का मकबरा	बयाना	,,	15 वीं शती०	,,
254.	बारह खम्बों की छतरी	,,	,,	10 वीं शती०	,,
155.	विजय मंदिर गढ़ के मार्ग में छतरियां	,,	,,	15 वीं शती०	,,

1	2	3	4	6	6
156.	मुचकुण्ड	धोलपुर	भरतपुर		यह एक प्रमुख कुण्ड है।
157.	किला (कमरा खास, पुरान किला किशोरी महल, किले की कच्ची चारदीवारी)	भरतपुर	,,	18 वीं शती	यह एक महत्वपूण स्मारक है।
158.	मोहम्मद गोरी के सेनापति की छतरी	नदबई	,,	12–15 वी शती	,,
159.	कुण्ड तथा शिव मन्दिर	धोलपुर	,,	18 वीं शती	,,
160.	शेर गढ़	,,	,,	मध्ययुगीन	किसी समय यह शेरशाह सूरी के अधिकार में था।
			जिला–जैसलमेर		
161.	कीर्ति स्तम्भ	श्रीला	जैसलमेर	मध्ययुगीन	यहा पर अनेक कीर्ति स्तम्भों का समूह है जिससे गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव आदि, की प्रतिमाऐं उत्कीर्ण है।

1	2	3	4	5	6
162.	प्राचीन पटवा हवेली सं. 3129	जैसलमेर	जैसलमेर	18-19 वीं शती	यह हवेलियां 18वी शती ई०उत्तरार्द्ध 19वीं शती पूर्वार्द्ध के स्थापत्य की उत्कृष्ट कृतियां है। इनमें पीले पत्थर पर जालीदार तथा विविध प्रकार की सुन्दर पचीकारी की गई है।
163.	प्राचीन पटवा हवेली संख्या 3128	जैसलमेर	जैसलमेर	18-19 वीं शती	यह हवेलियां 18 वी सदी ई. उत्तरार्द्ध, 19 वीं सदी ई. पूर्वार्द्ध के स्थापत्य की उत्कृष्ट कृतियां हैं। इनमें पीले पत्थर पर जालीदार तथा विविध प्रकार की सुन्दर पचीकारी की गई है।
164.	प्राचीन पटवा हवेली संख्या 3017	,,	,,	,,	,,
165.	प्राचीन पटवा हवेली संख्या 3126	,,	,,	,,	,,
166.	प्राचीन पटवा हवेली संख्या 3127	,,	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6
167.	प्राचीन पटवा हवेली संख्या 3127 (बी)	जैसलमेर	जैसलमेर	18–19 वीं शती	यह हवेलियां 18 वीं सदी ई. उत्तरार्द्ध, 19 वीं सदी ई. पूर्वार्द्ध के स्थापत्य की उत्कृष्ट कृतियां हैं। इनमें पीले पत्थर पर जालीदार तथा विविध प्रकार की सुन्दर पचीकारी की गई है।
168.	प्राचीन पटवा हवेली संख्या 3013	"	"	"	"
169.	आसनी रोड पर स्थित सालमसिंह जी की हवेली संख्या 2521	जैसलमेर नगर	" "	" "	यह जैसलमेर नगर की प्राचीन स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण भवन हैं। जिन पर कोरनी का काम अत्यन्त ही आकर्षक हैं।
170.	गोयदानी पाड़ा स्थित नथमल जी की हवेली संख्या 4434	"	"	"	आकर्षक है।

जिला– भीलवाड़

1	2	3	4	5	6
171.	मीनार (प्रहरी स्तम्भ)	मांण्डल	भीलवाड़ा	मध्ययुगीन	यह मुगलों के समय का महत्वपूर्ण स्तम्भ है।
172.	छतरी (32 खम्बो की छतरी)	,,	,,	17 वीं शती०	यह जहांगीर के शासन काल की समकालीन छतरी है जो सतरहवीं शताब्दी के अभिलेख से युक्त है।
173.	प्रतिमाओं-युक्त शीतला मन्दिर	धनोप	भीलवाड़ा	9 वीं शती०	धनोप में शीतला के चबूतरे पर काले पत्थर की अनेक प्रतिमाऐं जैन तथा हिन्दू धर्म से सम्बन्धित हैं। तिथि 9वीं से 12 वीं शताब्दी ई० स्थापत्य शैली का महत्वपूर्ण मन्दिर है।
174.	बिष्णु मन्दिर	धोड़	,,	12 वीं शती	यह पंचायत शैली का महत्वपूर्ण मन्दिर है।

1	2	3	4	5	6
175.	रूठी रानी का मन्दिर	थौड़	भीलवाड़ा	12 वीं शती.	यह वि. सं. 1225, 1228 तथा 1229 के अभिलेख युक्त है।
176.	स्वर्गीय श्री केसरी सिंह बारहठ का भवन नगरपालिका संख्या 9/346 (जैन मन्दिर से लगा हुआ तथा चार भुजा मन्दिर के नजदीक)	भीलवाड़ा	,,	,,	यह प्राचीन भवन राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी से सम्बद्ध है।
			जिला—बाड़मेर		
177.	सिवाना का किला	सिवाना	बाड़मेर	13 वीं शती,	यह एक महत्वपूर्ण स्मारक है
178.	किराडू के मन्दिर	हातामा	,,	,,	यह एक महत्वपूर्ण मन्दिर है
179.	जैन मन्दिर	जूना	,,	12 वीं शती.	यह एक महत्वपूर्ण स्मारक है।

जिला–बीकानेर

1	2	3	4	5	6
180.	बीकानेर के प्रारम्भिक शासकों की छतरियां	बीकानेर	बीकानेर	16 वीं शती	यह स्मारक बीकानेर के प्रारम्भिक स्थापत्य कला का सुन्दर नमूना है।
181.	देवी कुण्ड, सागर या छत्रियां	,,	,,	,,	यहां महाराजा कल्याणसिंह जी के समय से लेकर अन्तिम स्वर्गीय महाराजा की छत्रियां बनी।
182.	जम्भाजी या विष्णोई सम्प्रदाय वालों का मौकम का मन्दिर	मौकम	,,	15 वीं शती	यह एक महत्वपूर्ण मन्दिर है।
183.	चिन्तामणि जैन मन्दिर	बीकानेर	,,	16 वीं शती	यह एक महत्वपूर्ण स्मारक है।

जिला–उदयपुर

1	2	3	4	5	6
184.	छतरी समूह	खमनोर	उदयपुर	17 वीं शती	यह स्मारक वि. सं. 1681 के शिलालेख युक्त है।

1	2	3	4	5	6
185.	मीरा मन्दिर	कैलाशपुरी एंकलिंग जी	उदयपुर	15 वीं शती	यह महत्वपूर्ण मन्दिर है।
186.	रामनाथ मन्दिर तथा बावड़ी	जावर	,,	,,	यह एक महत्वपूर्ण पचायत मन्दिर है।
187.	केसरिया जी का मन्दिर	धूलेव	,,	14 वीं शती.	यह महत्वपूर्ण जैन मन्दिर है।
188.	सूर्य मन्दिर,	कठडावन	,,	12 वीं शती.	यह पंचायतन समूह का एक महत्वपूर्ण मन्दिर है।
189.	शिव मन्दिर	पालड़ी	,,	,,	यह मध्य युगीन शिव मन्दिर है। इसके सभा मंडप में चवर अभिलेख युक्त है।
190.	चारभुजा मन्दिर	खमनोर	,,	13 वी शती.	यह मन्दिर 1301 वि.सं. के अभिलेख युक्त है।
191.	गंगोद भेद कुण्ड	आहाड़	,,	10 वीं शती.	यह कुण्ड गुप्तिहो स्थापत्य कला पर यथेष्ठ प्रकाश डालता है।
192.	शिव मन्दिर समूह	,,	,,	12 वीं शती.	यह महत्वपूर्ण शिव मन्दिर है।

1	2	3	4	5	6
193.	राजाराम शाह के पुत्रों की छतरी	खमनोर	उदयपुर	17 वीं शती.	यह मेवाड़ के महाराजा कर्णसिंह है द्वारा निर्मित एक छोटी सी छतरी जिसमें वि. सं. 1681 का एक अभिलेख लगा है।
194.	मीरा मन्दिर	आहाड़	,,	10 वीं शती.	यह एक महत्वपूर्ण विष्णु मन्दिर है।
195.	जगदीश मन्दिर	उदयपुर	,,	17 वीं शती.	यह पंचायत मंदिर विष्णु मेवाड़ के महाराजा जगतसिंह प्रथम के शासन काल में निर्मित हुआ।
196.	मोती मगरी के प्रसाद	,,	,,	16 वीं शती.	जनश्रुति है कि हल्दी घाटी के युद्ध पश्चात महाराजा प्रताप कुछ समय के लिए यहां रहे हैं।
197.	त्रिपुरुष देव का मन्दिर	घासा	,,	12 वीं शती.	यह मेवाड़ के महाराणा तेजसिंह द्वारा निर्मित है।
198.	अम्बिका मन्दिर (माता का)	जगत	उदयपुर	10 वीं शती.	यह एक दुर्लभ मन्दिर है । यह एक दुर्गा अथवा 'अम्बिका' देवी का मन्दिर है।

1	2	3	4	5	6
199.	सूर्य मन्दिर	ठूस	उदयपुर	11 वीं 12 वीं शती.	यह एक महत्वपूर्ण सूर्य मन्दिर है ।
200.	विष्णु मन्दिर	ईसवाल	,,	12 वीं 13 वीं शती.	यह एक महत्वपूर्ण विष्णु मन्दिर है ।
201.	दुर्गा मन्दिर (माता जी का मन्दिर)	उनवास	,,	10 वीं शती.	विक्रम सं. 1016 के शिलालेख युक्त दुर्गा का मन्दिर है ।
202.	सूर्य मन्दिर	नांदेसमा	,,	12 वीं शती.	मेवाड़ के महाराज जैत्रसिंह के समय का यह एक जीर्ण सूर्य मन्दिर है ।
203.	शिव मन्दिर अमरकजी	अम्बेरी के निकट	,,	,,	यह एक महत्वपूर्ण शिव मन्दिर है ।
204.	प्रतिमाओं का चबूतरा (माताजी का थान)	तनेसर	,,	उत्तर गुप्त युग	शिव मन्दिर के निकट उत्तर गुप्त युग की लगभग एक दर्जन महत्वपूर्ण प्रतिमाएं रखी हैं ।
205.	महाराणा प्रताप के महल	चांवड	,,	16 वीं शती. तत्पश्चात्	यह जीर्ण भवन महाराणा प्रताप से सम्बन्धित कहे जाते है । तिथि 16 वी शती. ।

1	2	3	4	5	6
			जिला–सीकर		
206.	फतेहपुर का किला	फतेहपुर सीकर	सीकर	15 वीं 16वीं शताब्दी	कायमखानी नवाब फतेहखां ने इसकी नींव डाली थी। 15 वी शती. के सुरक्षात्मक आधार पर बने नगर आयोजन पर प्रकाश डालता है।
207.	स्थानक सुर सुन्दरी प्रेत के ऊपर खड़ी देवी शेषशायी विष्णु आसनस्थ लकुलाश शिव	राव राजा के रेल्वे स्टेशन स्थित मकान के ड्राईंग रूम में अवस्थित	सीकर	10 वीं 11 वीं शताब्दी	यह राजस्थान की 10 वीं 11 वीं शती. की महत्वपूर्ण कृतियां हैं।
208.	ब्रह्मा, विष्णु, शिव नृत्ये फलक सम्वत् 1030 का शिला लेख	रावराजा के महल के गैराज में अवस्थित	,,	,,	,,

राजस्थान शासन द्वारा संरक्षित प्राचीन स्थल

क्र. सं.	स्थान का नाम व प्रकृति	स्थान का महत्व किस कारण है
	जयपुर जिला	
1.	ग्रागतरी जयपुर	यह प्रारंभिक ऐतिहासिक युग का महत्वपूर्ण स्थल है।
2.	गोदी जयपुर	यह प्रत्यग् ऐतिहासिक युग का महत्व-पूर्ण स्थल है।
3.	जोधपुरा, जयपुर	यह प्रत्यग् ऐतिहासिक युग का महत्व-पूर्ण स्थल है।
4.	खेड़ा, जयपुर	यह प्रारम्भिक ऐतिहासिक युग का महत्वपूर्ण स्थल है।
5.	मोर्ली, जयपुर	उपर्युक्त
6.	प्राचीन स्थल, रानीवास, जयपुर	उपर्युक्त
7.	❀ प्राचीन खाल राजनोता, जयपुर	यह प्रारम्भिक ऐतिहासिक युग का महत्वपूर्ण स्थल है।
8.	प्राचीन स्थल किराय, जयपुर	उपर्युक्त
9.	प्राचीन स्थल इस्माइलपुर, बैराठ, जयपुर।	यह पहाड़ी के ऊपर प्रारंभिक ऐतिहासिक युग का स्थल है।
10.	❀ प्राचीन स्थल, मिहिसेरा, जयपुर	यह प्रारंभिक ऐतिहासिक युग का महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल है।
	उदयपुर जिला	
11.	ग्राहाड़ धूलकोट, उदयपुर	इस टीले से ताम्रपाषण कालीन युग की सामग्री प्राप्त हुई है।

1	2	3	4
12.	दारोली, उदयपुर		यह ताम्र पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल है।
13.	कर्मपुरा, उदयपुर		यह प्रोटो ऐतिहासिक युग का एक महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल है।
		सिरोही जिला	
14.	चन्द्रावती, सिरोही		यह 12 वीं शताब्दी ईसवी का एक महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल है।
		झालावाड़ जिला	
15.	※ गंगधार, झालावाड़		यह प्रारंभिक एतिहासिक युग का एक महा वृहत टीला है।
		डूंगरपुर जिला	
16.	प्राचीन स्थल आमजारा डूंगरपुर		यह छठी सातवीं शताब्दी ईसवी का महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल है।
		चित्तौड़ जिला	
17.	प्राचीन स्थल, रानीमालिया, बांसी के निकट, चित्तौड़		यह मध्यकाल से सम्बन्धित एक वृहत प्राचीन स्थल है।
		गंगानगर जिला	
18.	प्राचीन स्थल, पल्लू (मोहर)		यह प्रारंभिक मध्ययुग का एक प्राचीन स्थल है।

(413)

1	2	3	4
19.	अनूपगढ़ सूरतगढ़	यह प्रारंभिक ऐतिहासिक तथा प्रत्यग् ऐतिहासिक स्थल है।	
	(अ) चक 71/त = 1 तथा 32/2		
	(ब) चक 39/1 तथा 39/2		
	(स) चक 40/तथा 43		
	(द) चक 11,15,21,77 तथा 86.		
	(उ) भगवान सर, करनीसर, मामान वाली, रामपुरा, अमरपुरा, जस्सर, बुगियन।		
	(ध) मामा की ढाणी		
	कोटा जिला		
20.	आसलपुर के ध्वंसावशेष आसलपुर, कोटा	यह जहांगीर युग के महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल है।	
21.	प्राचीन मंदिर के ध्वंसावशेष रेलवाम, कोटा	यह 13 वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण स्थल है।	
22.	अगर, कोटा	यह 10 वीं शताब्दी ई. का महत्वपूर्ण स्थल है।	
23.	धूलेटा, कोटा	उपर्युक्त।	
24.	केलवाना, कोटा	उपर्युक्त।	
25.	प्राचीन प्रतिमाएं तथा कला सामग्री श्री विद्यारत्न भटनागर के निवास स्थान पर।	यह 9 वीं तथा 10 वीं शताब्दी ई. की वस्तुएं हैं।	
26.	महादेव तथा गणपति प्रतिमाएं, कोटा	यह 18 वीं शताब्दी ई. की महत्वपूर्ण प्रतिमाएं हैं।	

1	2	3	4
		कोटा जिला	
27.	श्रीकृष्ण विलास की प्रतिमाएं कृष्ण विलास, कोटा		यहा पर 8 वीं से 10 वीं शताब्दी ई. तक की महत्वपूर्ण प्रतिमाएं बिखरी पड़ी हैं।
		भरतपुर जिला	
28.	ऊंचा गांव, भरतपुर		यह पेन्टेडग्रे वेयर का महत्वपूर्ण टीला है।
29.	हेलक की रूंध, भरतपुर		यह एक महत्वपूर्ण प्राचीन टीला है।
30.	अधापुर, भरतपुर		यह पेन्टेडग्रे वेयर युग का एक महत्वपूर्ण टीला है।
31.	कामां, भरतपुर		यह प्रारंभिक ऐतिहासिक युग का महत्व-पूर्ण टीला है।
32.	वेलारा नोटा, भरतपुर		उपर्युक्त।
33.	पैंसोर भरतपुर		यह पेन्टेडग्रे वेयर युग का महत्वपूर्ण टीला है।
34.	अजान भरतपुर		उपर्युक्त।
35.	वाहर भरतपुर		यह एक महत्वपूर्ण टीला है।
36.	आऊ भरतपुर		यह पेन्टेडग्रे वेयर युग का एक महत्व-पूर्ण टीला है।
37.	जावीना, भरतपुर		यह एक महत्व पूर्ण टीला है।
38.	खना खरैना उच्चेन, भरतपुर		यह पेन्टेडग्रे वेयर युग का एक महत्व-पूर्ण टीला है।
39.	उच्चेन, भरतपुर		यह एक महत्वपूर्ण टीला है।

1	2	3	4
40.	मेनहागया, भरतपुर	यह एक महत्वपूर्ण टीला है।	
41.	अब्दुलपुर, भरतपुर	उपर्युक्त।	
[illegible]	कटारा, भरतपुर	उपर्युक्त।	

*भारत सरकार द्वारा भी संरक्षित है।

राजस्थान शासन द्वारा संरक्षित स्मारक/स्थल/वस्तुएं

क्र.सं.	स्मारक/स्थल/वस्तु का नाम	शिक्षा (ग्रुप-4) का सन्दर्भ	राजस्थान राजपत्र का सन्दर्भ
1	2	3	4
1.	रक्त तलाई खमनोर	एफ 20(80) शिक्षा-4/76 दिनांक 17.3.1977	राजस्थान राजपत्र अंक-3 दिनांक 21.4.77 भाग-1 (13) पृष्ठ 14
2.	सुनहरी कोठी, टोंक	एफ 20 (30) शिक्षा-4/76 दिनांक 24.10.1977	राजस्थान राजपत्र दिनांक 29.11.77 भाग-4 (ग) पृष्ठ 397
3	भाउपुरा तहसील सांगानेर (जिला-जयपुर) में स्थित प्राचीन बावड़ी	एफ (22) शिक्षा-4/74 दिनांक 13.9 1977	राजस्थान राजपत्र दिनांक 6 10.77 पेज नं. 617 (45) पार्ट-1 बी
4.	चौमूं का किला, जयपुर	एफ 6 (26) शिक्षा-5/74 ग्रुप-4 दिनांक 28.3.1978	राजस्थान राजपत्र दिनांक 6.4.1978 पार्ट- 1(ख)

1	2	3	4
5.	मोहम्मद युसूफ अली महरवी के पास स्थित शाहजहां की मोहरयुक्त व स्वर्ण अक्षर युक्त कुरान शरीफ दरगाहदायरा खण्डेला (सीकर)	एफ6 (72) शिक्षा-4/75 दिनांक 10.3.1978	राजस्थान राजपत्र दिनांक 23.3.1978 भाग—I (ख) पृष्ठ 2327 (9)
6.	ग्राम अाक्ल जोधा, जैसलमेर में खसरा नं. 75 व 270 में स्थित काष्ठ जीवाश्म (फोसिलबुड)	एफ 20 (61) शिक्षा-4/78 दिनांक 4.12.1978	राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 7.12.1978 पृष्ठ 271
7.	जगमन्दिर उदयपुर	एफ 20 (46) शिक्षा-4/78 दिनांक 9.12.1979	राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 13.2.1979 भाग-4(ग) उपखण्ड II
8.	लाडनू दुर्ग के बाहर, खसरा नं. 941 में स्थित मन्दिर व मस्जिद	एफ 20 (85) शिक्षा-4/78 दिनांक 17.7.1979	राजस्थान राजपत्र नम्बर 18 दिनांक 2.8.1979 पृष्ठ 349 भाग-1 (बी)
9.	अवंलेश्वर, तहसील प्रतापगढ़ (जिला चित्तौड़गढ) में स्थित शुंग कालीन ब्राह्मी लेख युक्त स्तम्भ	एफ 6 (22) शिक्षा-4/74 दिनांक 31.7.1979	राजस्थान राजपत्र नम्बर 23 दिनांक 6.9.79 पृष्ठ 428 पार्ट-1 (बी)
10.	शीश महल सामोद (जयपुर)	एफ 20 (130) शिक्षा-4/76 दिनांक 24.6.82	
11.	फूल बावड़ी, छोटी खाटू (नागौर)	एफ 6 (19) शिक्षा-5/ग्रुप-4/74 दिनांक 29.4.82	
12.	देलवाड़ा के जैन मन्दिर	एफ 20 (43) शिक्षा-4/81 दिनांक 3.3.82	
13.	देवगढ़ के राजमहल, तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़	एफ 20 (28) शिक्षा-4/82 दिनांक 9.8.82	